खण्ड-389, अंक-8
मंगलवार, 02 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(21 फरवरी, 1989 ई0)

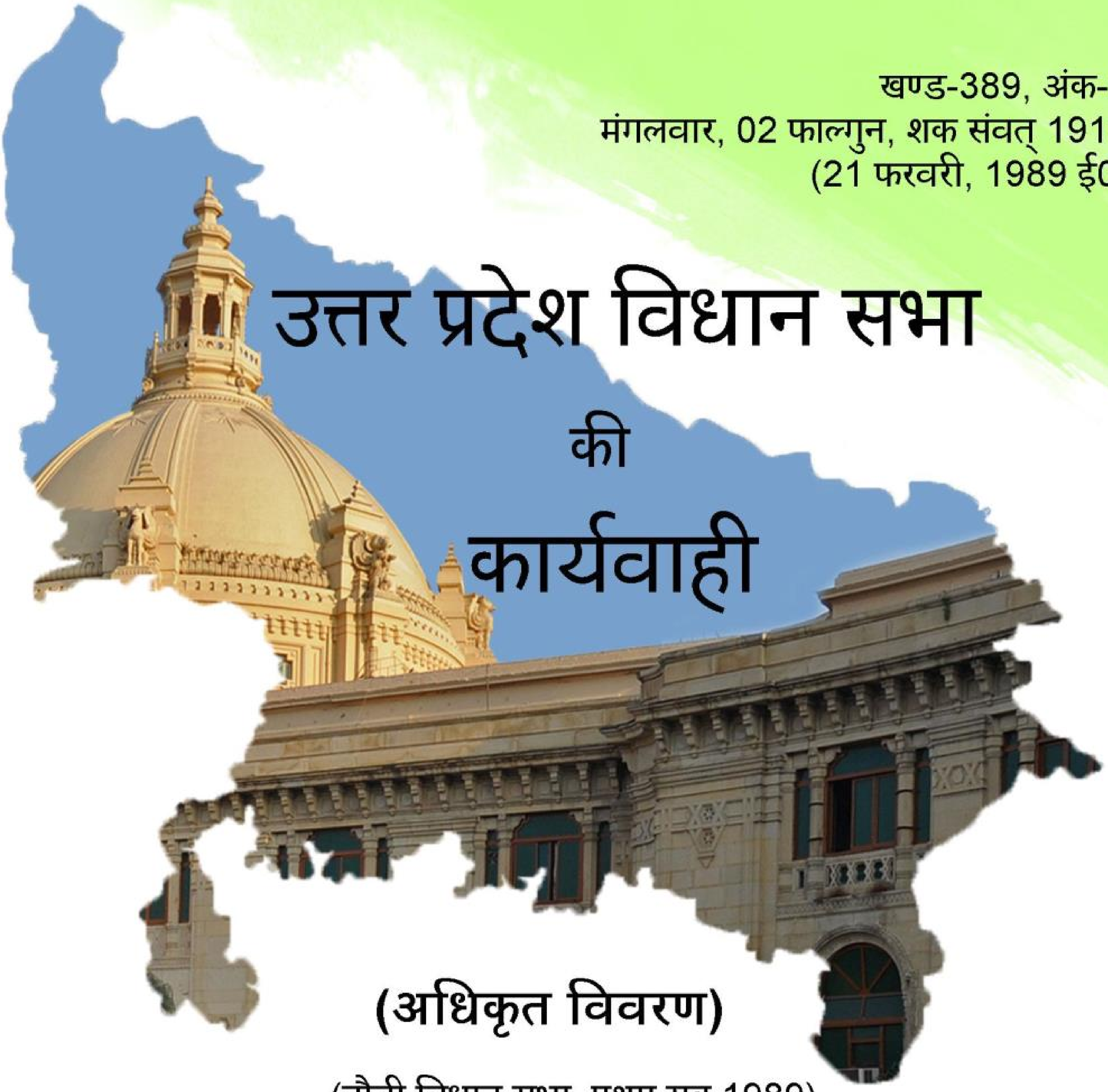

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 389 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-सख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1--99
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	100
जिला उन्नाव के विभिन्न कस्बों की उपेक्षा के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जिला बलिया की सीयर व नगरा ब्लाक में सम्पर्क मार्गों की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद बदायूं की टाउन एरिया दातागंज को श्रेणी 4- की नगरपालिका में वर्गोत्थान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . .	101
जिला मुरादाबाद में बाढ़ से सुरक्षा हेतु प्रस्तावित दतियाना बांध को ग्राम शेरपुर तक ले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	102
जिला वाराणसी की भदोही नगरपालिका के कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि में गड़बड़ी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
जिला बरेली के थाना प्रेम नगर के श्री बाबूराम शर्मा की पुत्री के साथ बलात्कार व हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	103
जनपद आगरा की तहसील किरावली में पाले से फसलों की हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	103
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाए	104–107
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 53 वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) . .	108
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 54 वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) . .	109
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 55 वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) . .	109
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 56 वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) . .	109
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 57 वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) . .	109
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 58 वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) . .	109
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	109–135
वित्तीय वर्ष 1989--90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा . . . . . (जारी) . .	136–165
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	166
बुलन्दशहर के ग्राम साखनी में 11 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या किये जाने के फल-स्वरूप उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य . .	166–171
कुम्भ मेला 1989 और उससे जुड़ी गंगा प्रदूषण निवारण योजना के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	172–189
सदन में कोरम का अभाव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	190–191
नत्थियां	192--196

बिहार मजदूर विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 21 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
अशरफ इमाम, श्रीमती	मिर्जापुर
इकबाल अहमद, श्री	आजमगढ़
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया
चारुशीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पुष्पा सिंघल, श्रीमती	मुरादाबाद
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
बलजीत सिंह, श्री	जालौन
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री	बुलन्दशहर
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
महरम सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
रघुबीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामनरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम सजीवन, श्री	बांदा
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विमला सिंह, श्रीमती	गाजियाबाद
बीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	बलिया
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी-गढ़वाल
शैलेन्द्र कुमार, श्री	इलाहाबाद
श्री नाथ सिंह, श्री	वाराणसी
संजय सिंह, डा०	सुल्तानपुर
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फर नगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दि0 21 फरवरी, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद बाराबंकी में नयी तहसील की स्थापना

*1—श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि रुदौली जनपद बाराबंकी में नयी तहसील कायम करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि नयी तहसील स्थापित करने की सभी आवश्यक अर्हतायें जैसे आबादी, रकबा, दूरी व अन्य सभी प्रशासनिक मापदण्डों के होते भी रुदौली तहसील की स्थापना नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो प्रशासन तथा जनहित को देखते हुए नयी तहसील खोलने पर सरकार कब तक कार्यवाही करने जा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)—

जी हां ।

जी हां ।

रुदौली में तहसील स्थापित करने हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

जिला प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु

*2—श्री धनराज यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने श्री टी0 एन0 धर की अध्यक्षता में जिला प्रशासन सुधार आयोग गठित किया था जिसकी रिपोर्ट आयोग ने शासन को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो आयोग की रिपोर्ट में प्रशासन सुधार के कौन-कौन से प्रमुख बिन्दु हैं एवं रिपोर्ट को सदन में कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

नियोजन एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

जी हां ।

आयोग की रिपोर्ट की संस्तुतियों का सारांश संलग्न है† । इसमें आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियां देखी जा सकती हैं ।

श्री धनराज यादव—

मान्यवर, एक बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक इस रिपोर्ट को लागू न करने का कारण क्या है ? इस रिपोर्ट को विधान सभा में प्रस्तुत न करने का क्या कारण है ? एक प्रश्न मेरा यह है कि इस रिपोर्ट के पृष्ठ 9 पर लेखपाल, कानूनगो तथा ग्राम सेवक आदि के बारे में लिखा गया है । गांव में न तो लेखपाल रहता है और न ग्राम सेवक रहता है, न ही पंचायत सेक्रेट्री कभी मिलता है। ग्राम स्तर पर इन कर्मचारियों के न मिलने से जो भी वहां के कार्य हैं वे पूरे नहीं हो पाते । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि एक ऐसा कर्मचारी गांव में ही रहे जो लेखपाल, ग्राम सेवक तथा आपरेटर आदि ग्राम स्तर के जो भी कर्मचारी हों उनका कार्य वह देखा करे और वह हर समय गांव में ही उपलब्ध रहे ? ऐसा होने

---

†छापा नहीं गया ।

से ग्राम स्तर की योजनायें जो इसके अभाव में अधूरी रह जाती हैं वह पूरी हो सकेंगी और उनका सही ढंग से कार्यान्वयन हो सकेगा ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा कि इस रिपोर्ट को क्यों लागू नहीं किया गया? जो उत्तर दिया गया है उसमें विस्तार से हर बात को बताया गया है । इस आयोग की 964 संस्तुतियां इनमें से जिन पर कार्यवाही की जा रही है वे 246 संस्तुतियां ऐसी हैं इनमें आंशिक रूप से की जा रही हैं भी सम्मिलित हैं । मान्यवर, इन 246 संस्तुतियों में, जिनके बारे में विशेष रूप से आपने बाद में इंगित किया, राजस्व विभाग की प्रक्रिया के बारे में, उनको लागू करने के लिए कहा, तो इन 246 संस्तुतियों अपनाई जाती हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी ही जागरूकता का परिचय देते हुए बहुत से विभागों में इनको लागू किया जा रहा है । राजस्व विभाग के बारे में कहा गया कि एक ही अधिकारी इसको देखें तो राजस्व प्रशासन कैसे और चुस्त दुरुस्त हो, इस संबंध में जो आदेश जारी किये गये हैं, मैं उनको रखना चाहता हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी से मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछा था कि यह जो टी0 एन0 धर आयोग बैठा, इसकी रिपोर्ट को सदन के पटल पर कब तक रख देंगे। इसके बारे में श्रीमन्, आपने कुछ नहीं कहा। इस 249 संस्तुतियों वाली आयोग की रिपोर्ट सरकार के सम्मुख आ चुकी है । उसमें से कितनी लागू करेंगे और क्या ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि लेखपाल और कानूनगो अपने हल्के में रहें । यदि वे अपने हल्के में नहीं रह रहे हैं तो अब तक शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, कदाचित मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाया । मा0 वर्मा जी तो बहुत ही विद्वान और वरिष्ठ सदस्य हैं । श्री धर की अध्यक्षता में जो आयोग का गठन किया गया, दुर्भाग्य से अप्रैल 85 में, भी पहले जो शुक्ला जी थे, उनके देहान्त के बाद धर साहब ने कार्य शुरू किया। उन्होंने 4-9-85 से कार्य प्रारम्भ किया और 28-8-86 को अपनी रिपोर्ट दे दी । उनकी कुल 964 संस्तुतियां हैं । उनमें से कुछ ऐसी संस्तुतियां थीं, जिनके बारे में सूचना प्राप्त होनी है इस प्रकार की कुल 55 संस्तुतियां थीं । जो विचाराधीन हैं ऐसी कुल 66, तथा सिद्धान्त रूप में 251 संस्तुतियां स्वीकार की गयीं और बाकायदा विचार करने के बाद मान लेने के बाद जिन पर प्रक्रिया आरम्भ की गयी ऐसी कुल 246 संस्तुतियां हैं। आपने राजस्व के बारे में कहा कि क्या किया गया तो आपकी कृपापूर्ण अनुमति मिल गयी होती तो मैं बताता जारी रखता, लेकिन मा0 वर्मा जी के व्यक्तित्व से डर लगता है इसलिए बैठ गया। आपने लेखपाल के बारे में कहा तो राजस्व प्रशासन के बारे में जो संस्तुतियां हैं, तो उसमें राजस्व संगठन को एक कुशल संगठन के रूप में रखने, खतौनी के लिए अच्छा कागज छपवाने और लेखपाल, कानूनगो को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत रहना चाहिए और यथासम्भव उनका मुख्यालय उसी गांव में होना चाहिए, जहां ग्राम स्तर के अन्य कार्यकर्ताओं का कार्यालय हो, यह सब है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैंने सीधा सवाल किया था कि इन संस्तुतियों को सदन के पटल पर कब तक रखेंगे। मैंने यह भी पूछा था कि जो लेखपाल और कानूनगो अपने हल्के में नहीं रहते हैं, उनके खिलाफ अब तक आपने क्या कार्यवाही की, इसका जवाब दिलवा दें?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी इसमें घुमा फिरा कर उत्तर देने की चेष्टा कर रहे हैं। आप सवाल देखने की कृपा करें। जो आयोग की रिपोर्ट 1986 में आयी, दो वर्ष पूर्व आ गयी तो उसकी किन संस्तुतियों को शासन ने स्वीकार किया यह उसका पहला चरण होता है, उसके बाद एक्जीक्यूशन और फिर राजाज्ञा जारी करना होता है। तो जब आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी तो उसको सदन की मेज पर न रखने का क्या कारण है? क्या इस आख्या के साथ कि कौन सी संस्तुतियां स्वीकार की गयीं, कौन सी कार्यान्वित की गयीं, इसके पूरे विवरण के साथ कब तक रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दिया जायगा और उसको अब तक न रखने का क्या कारण है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने संस्तुतियों की संख्या बतायी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं। उनका सारांश इस उत्तर के साथ लगा दिया गया है। सदन के पटल पर रख दिया गया है। जो संस्तुतियां स्वीकार कर ली गयी हैं और उन पर आदेश जारी कर दिये गये हैं। सम्यक् विचारोपरान्त उनका ही मैं उल्लेख कर रहा था। एक राजस्व विभाग की बाबत आपने पूछा, उसका उल्लेख मैंने कर दिया। बिक्री कर विभाग है, मनोरंजन कर विभाग है, वन विभाग, गन्ना विकास विभाग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इनकी बकाया सूची मेरे पास उपलब्ध है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जो सवाल किया उसका उत्तर नहीं दिया। मान्यवर, सामान्यतया परिपाटी है कि जो सरकार द्वारा आयोग गठित किया जाता है उसकी रिपोर्ट जो आ जाती है, उस रिपोर्ट की प्रति को सदन में प्रस्तुत किया जाता है अर्थात् उसकी प्रतियां हम लोगों को मिल जाती हैं। मेरा प्रश्न यही था कि जो रिपोर्ट 1986 में मिल गयी उसको माननीय सदस्यों को अब तक न दिये जाने का क्या कारण है? मान्यवर, रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना और उसे प्रस्तुत करना यह दो बातें हैं। सदन में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत न करने के क्या कारण हैं? उस रिपोर्ट को कब तक सदन में प्रस्तुत कर देंगे, रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियों और उसकी कार्यान्वयन रिपोर्ट के साथ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, शासन की प्रक्रिया है कि जो रिपोर्ट आती है शासन उस पर विचार प्रारम्भ कर देता है। उस पर चिन्तन करने के बाद कौन सी चीज सदन के पटल पर रखी जानी है,, उस हिसाब से रख दी जाती है। मान्यवर, आपकी पीठ से कृपा पूर्वक निदेश होते कि प्रस्तुत की जानी है....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

निदेश पहले से ही है।

श्री गौरी शंकर–

चिन्तन हो रहा था, चिन्तन के बाद यह सदन के पटल पर रख दी गयी ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को आप निर्देश दे दें कि रिपोर्ट है उसकी जो संस्तुतियां हैं और उस पर जो कार्यवाही हुई है, उसका विवरण माननीय सदस्यों को पूरा डिटेल लगाकर उपलब्ध करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इसे देख लें ।

श्री मैनेजर सिंह–

अब तो माननीय मंत्री जी आपको निर्देश हो ही गये ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, संस्तुतियां भेज दी जायंगी माननीय सदस्यों को ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद के थाना हैदरगंज की पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही

*1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में दिनांक 16-8-88 को शाम को 3-4 बजे के बीच में थाना हैदरगंज के तीन सब इन्सपेक्टर व 4 सिपाहियों ने ग्राम भैरोपुर टिकरा पूरे मटिया में स्थित झगरू यादव का घर गिरा दिया और घर की औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा सामान उठा ले गये, जिसकी शिकायत दिनांक 17-8-88 को झगरू यादव ने डी0 आई0 जी0 पुलिस फैजाबाद तथा जिलाधिकारी फैजाबाद से की है जिस पर डी0 आई0 जी0 पुलिस ने संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया है लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद ने उक्त आदेश को मानने से इन्कार कर दिया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा कायम करके कार्यवाही करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-8-88 को थानाध्यक्ष, हैदरगंज श्री त्रिवेणी सिंह, उप नि0 रामजीत प्रसाद आर्या, व उप नि0 श्री सी0 बी0 सिंह तथा अन्य पुलिस कर्मचारी श्री राजबली यादव निवासी भैरोपुर टिकरा मठिया के प्रार्थना पत्र की जांच के लिए गये थे। श्री राजबली यादव ने यह प्रार्थना पत्र भी झगरू यादव के विरुद्ध दिया था कि झगरू यादव ने उसका कोल्हू व गुलवर उस जगह से उखाड़कर फेंक दिया और श्री झगरू उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा कर रहा है और दीवार बना रहा है ।

जांच से पाया गया कि श्री झगरू यादव का कोई घर पुलिस ने नहीं गिराया बल्कि ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से श्री झगरू यादव द्वारा जो दीवार बनाई जा रही थी, उसमें से श्री राजबली के साथियों ने पुलिस की

मौजूदगी में चार-पांच सौ ईंटें ऊपर से गिरा दी थी । घर की औरतों से अभद्र व्यवहार करने तथा सामान उठाये जाने आदि की बात निराधार है । यह सत्य है कि श्री झगरू यादव ने दिनांक 17-8-88 को डी0 आई0 जी0 फैजाबाद तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु डी0 आई0 जी ने संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का नहीं वरन जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया था ।

पूर्ण तथ्यों की जांच क्षेत्राधिकारी, बीकापुर द्वारा कराई गयी । जांच से दोषी पाये गये तीनों पुलिस उप निरीक्षकों को उनकी व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी तथा तीन कान्सटेबिलों को तीन-तीन दिन की दलेल दी गई है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं जानना चाहता हूं कि डी0 आई0 जी0 फैजाबाद के आदेश क्या थे और क्षेत्राधिकारी बीकापुर की जांच रिपोर्ट क्या है ? इसमें आपने कहा है कि तीनों पुलिस उप निरीक्षकों को उनकी व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी तथा तीन कान्सटेबिलों को तीन-तीन दिन की दलेल दी गयी है । एक तरफ जांच में आरोप निराधार पाये गये, दूसरी तरफ कह रहा है कि कार्यवाही की गयी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, 6 तारीख को राजबली यादव ने पुलिस महानिदेशक को एक प्रार्थनापत्र दिया था और इसके साथ ही साथ दूसरे पक्ष के श्री झगरू यादव ने भी एक प्रार्थना पत्र दिया था । जिस समय 16 तारीख को पुलिस पार्टी वहां पर गयी, उसी समय वहां झगड़ा हो गया । यह भूमि विवादग्रस्त थी, जो न तो झगरू की थी और न राजबली की ही थी, बल्कि यह भूमि ग्राम समाज की थी । यह बात अवश्य थी कि उस भूमि पर राजबली ने कब्जा अवश्य कर रखा था ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं पूछ रहा हूं कि डी0 आई0 जी0 का आदेश व क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, डी0 आई0 जी0 का आदेश यह था कि इमीडियेट एस0एस0पी0 फैजाबाद गांव की आबादी की जमीन पर प्रार्थी ने मकान बनाना आरम्भ किया । जिससे नये प्रधान व विपक्षी इससे नाराज होकर हैदरगंज की पुलिस से मिलकर मकान की ईंटें गिरवाई व सामान भी उठा ले गये । स्थानीय पुलिस की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण प्रतीत होती है, उनको आवश्यक कानूनी कार्यवाही करनी ही चाहिए थी । मामले में अविलम्ब जांच सी0 ओ0 से करवायें, तदुपरांत आवश्यक कानूनी कार्यवाही करायें तथा प्रार्थी की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि कार्यवाही जो की गयी वह पक्षपात पूर्ण थी इसलिए सी0 ओ0 से करवाई जाये । इसमें सी0 ओ0 की रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, सी0 ओ0 की जांच से क्षेत्राधिकारी तथा पुलिस वालों का दोष प्रमाणित हुआ और उनकी मौजूदगी के बावजूद यह घटना घटित हुयी और दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इन सब बातों को देखते हुए श्री त्रिवेणी सिंह, श्री सी0 बी0 सिंह, व श्री रामजीत प्रसाद आर्या को उनकी व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी दी गयी और कान्सटेबिल राम फेरन यादव, दीन दयाल यादव व राम जियावन मिश्रा को तीन-तीन दिन की दलेल देकर दंडित किया गया । जांच से यह भी पाया गया कि बरसात के दिनों में जीप उक्त ग्राम में नहीं पहुंच सकती और स्वयं क्षेत्राधिकारी डेढ़ कि0 मी0 पैदल चलकर घटनास्थल पर गये थे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि जमीन जो थी, वह ग्राम समाज की थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सी0 ओ0 ने जिस समय जांच के लिए पुलिस पार्टी के साथ गये थे, उनके साथ राजस्व विभाग का कोई लेखपाल, कानूनगो या और कोई ऐसा अधिकारी था, जो जमीन की पैमाइश करके यह बात जानने की कोशिश करता कि उसका नम्बर क्या है, यह ग्राम समाज के खाते में है या और किसी खाते में है ? कोई व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि में यदि मकान बना ले तो क्या पुलिस का अधिकार है कि बिना परगना मजिस्ट्रेट के आदेश से वह मनमाने ढंग से किसी के कहने पर उसे तुड़वा दे, अतः क्या इस मामले में कोई सक्षम अधिकारी का आदेश था ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

मान्यवर, यह जमीन 1982 में आबादी के लिए छोड़ी गयी थी, उसी आधार पर सी0 ओ0 ने जांच की है । बाद में इसमें एस0 डी0 एम0 को लिखा गया कि इसका सही वारिस कौन है, इसका पता लगाया जाय ।

जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा प्रश्नकर्ता के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

2–श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 31-10-88 को जिलाधिकारी जौनपुर को अपनी जानमाल एवं परिवार की सुरक्षा हेतु एक प्रार्थना-पत्र दिया था और उस पर जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा अपने अर्द्ध शा0 प्र0 सं0-586 (1)/एस0 टी0 तद्दिनांक 31 अक्तूबर, 1988 को प्रश्नकर्ता को जवाब प्राप्त हुआ है, के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

मा0 विधायक जी एवं उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा हेतु थाना सुजानगंज की पुलिस को सतर्क कर दिया गया है तथा स्थिति पर सतर्क दृष्टि रखने का निर्देश भी दिया गया है । इसके अतिरिक्त मा0 विधायक जी की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु उन्हें शासकीय व्यय पर अंगरक्षक उपलब्ध कराने हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

मान्यवर, एक विधायक अपनी जान-माल की सुरक्षा के लिए माननीय मंत्री जी व कलेक्टर को एप्लीकेशन दे रहा है । एस0 पी0 व एस0 ओ0 मिलकर ये परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी उन्हीं को सुरक्षा के लिए निर्देश दे रहे हैं जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं । मैंने 10 आदमियों की सूची भी दी है, जो 395, 302, 307, 325 व दफा 25 के मुल्जिम हैं । यह सरकार उन आदमियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । हमारे यहां एक घटना हुई । हमने सी0 आई0 डी0 जांच की मांग की ।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न क्या है, उसे आप पूछें।

श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि उन बदमाशों के खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की गई ? दूसरा चार नवम्बर को दरख्वास्त देकर हमने जो मांग की थी 307 में कि इस पर सी0 आई0 डी0 की जांच की जाय, उस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई ? इस मामले में वहां पर खुलकर बम चलाये गये, बन्दूकें चलाई गई हैं और कट्टे चलाये गये हैं ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, प्रश्न क्या हुआ, यह समझ में नहीं आ पाया ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने कलेक्टर को जिन 10 बदमाशों का नाम दिया है जो कत्ली हैं और डकैत हैं, उनके खिलाफ प्रशासन ने क्या कार्यवाही की । दूसरा, सी0 आई0 डी0 से जांच कराने के संबंध में उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी, उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी हो रही है कि नहीं?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, अभी जांच चल रही है । जब जांच हो जायेगी, तभी इस पर कुछ कहा जा सकता है ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी की तरफ से व गृह विभाग की तरफ से डी0 जी0 पी0 को जो आदेश जाते हैं, उन पर कोई तत्काल कार्यवाही नहीं की जाती है, क्या माननीय मंत्री जी इस पर निश्चित रूप से जांच करायेंगी ?

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, श्री हरदेव जी तो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह जी ने अपनी जान-माल की सुरक्षा हेतु वहां

के अधिकारियों से व सरकार से जो अनुरोध किया है, उस पर सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की है? वैसे भी माननीया मंत्री जी जोड़े में बैठी हैं?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

यह सही है कि दोनों साथ बैठे हैं, संयुक्त रूप से काम भी कर रहे हैं। प्रश्न का उत्तर तो पहले ही आ गया था। माननीय विधायक जी ने जैसे ही लिखा तुरन्त कार्यवाही की गयी। इनके पत्र लिखने के पहले ही इनके गांव में, जहां यह रहते हैं और पास के 7-8 गांवों में पुलिस और पी0 ए0 सी0 लगा दी गयी थी। जब स्थिति सामान्य हो गयी थी, तब हटाये गये हैं। इनको शैडो भी दे दिया गया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीया मंत्री जी जो जवाब दे रही हैं, इसी विधान सभा के दो विधायक रंजीत सिंह और कात्याल की हत्या हो गयी। उनको भी पुलिस व्यवस्था दी थी। जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ जांच चलवा रही हैं, नवम्बर में दरखास्त दी, अब फरवरी खत्म होने जा रही है, साढ़े तीन महीने से जांच ही चल रही है। यह बतायेंगी कि कब तक जांच चलेगी? उनके खिलाफ कार्यवाही करने में क्या दिक्कत है, क्या कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ रहा है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मेरे ऊपर तो आपकी बात का प्रभाव पड़ रहा है। माननीय सदस्य या किसी की सुरक्षा का प्रश्न आता है तो शासन की ओर से विलम्ब का कोई कारण नहीं होता। जांच चल रही है, इस बीच में जो कुछ हो सकता है किया जायगा।

श्री शारदानन्द अंचल--

प्रश्न का अधूरा उत्तर माननीया मंत्री जी दे रही हैं। राय साहब जानना चाहते थे कि जिन बदमाशों की सूची जिलाधिकारी को दी थी, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और जो सी0 आई0 डी0 जांच की कार्यवाही 307 के अन्दर की गयी थी, उसमें कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है?

श्री सईदुज्जमा--

आपने जो लिस्ट दी थी, केसेज न्यायालय में विचाराधीन हैं। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न किया है, उसमें 31-10-83 की एप्लीकेशन थी, 18-10-88 से 10-12-88 तक गार्ड लगाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ध्यान दे रही है। आस-पास के गांवों में भी गार्ड लगा दिया गया है। जो केसेज हैं, कोर्ट में विचाराधीन हैं।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, अभी कहा गया कि रंजीत सिंह और कात्याल की हत्या हो गयी। यह एक विधायक के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महाराजगंज और सुजानगंज के दो थानाध्यक्षों के सम्बन्ध में शिकायत है कि ये कातिलों के साथ मिले हुए हैं। आप कहते हैं कि मुकदमा विचाराधीन है। गैंगस्टर एक्ट ऐसे लोगों के खिलाफ ही लागू हुआ है, जो कि दफा 302 और 307 के मुल्जिम हैं, गवाहों को धमकाते हैं। इनको बन्द न करने का क्या कारण है? दूसरी बात, उन दोनों थानाध्यक्षों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्रश्न ही नहीं बनता।

(विपक्ष की ओर से "उत्तर दिलवा दीजिये", "उत्तर दिलवा दीजिये" की आवाजें आने पर श्री अध्यक्ष द्वारा मा0 गृहमंत्री को निर्देशित किया गया)

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

यदि माननीय सदस्य कृपा करके प्रश्न को देखें तो उससे सीधे यही निकलता है कि मा0 विधायक की सुरक्षा के सम्बन्ध में है। इनके लिए 18-10-88 से 10-12-88 तक ए0 पी0 गार्ड की व्यवस्था की गयी थी। एक हेड कांस्टेबिल और चार कांस्टेबिल को 14-10-88 से 13-12-88 तक रखा गया और उसके बाद पी0 ए0 सी0 को तैनात किया गया था।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, आप मुझको प्रश्न करने का मौका नहीं दे रहे हैं? मान्यवर, प्रश्न करने का हक जितना उधर का है उतना ही हक इधर का भी है।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप बैठिये, मैं बाद में बुलाऊंगा। माननीय वर्मा जी, आप क्या व्यवस्था चाहते हैं?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीया मंत्री जी यह बतायेंगी कि अगस्त, 1988 में जो दरखास्त माननीय विधायक ने आपको दी थी, उसमें उनकी सुरक्षा की बात थी। तो आपने जो उनके सुरक्षा की व्यवस्था की और सुल्तानगंज और महराजगंज के थानाध्यक्ष के विरुद्ध उसमें कार्यवाही किये जाने की भी उन्होंने मांग की थी तो उन दोनों थानाध्यक्षों के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की और सी0 आई0 डी0 की जांच के सम्बन्ध में भी आपने क्या कार्यवाही की? इसका उत्तर आप दे दें।

श्री सईदुज्जमा–

ऐसा है मान्यवर, इसमें जांच के उपरान्त ही कोई निर्णय लिया जायेगा।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, माननीया गृह मंत्री जी ने जो कार्यवाही की है, उसके लिये वे बधाई की पात्र हैं, लेकिन यह प्रश्न इस सदन के माननीय विधायकों की सुरक्षा से संबंधित है तो क्या आप सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 107 और 116 के अन्तर्गत जो कि उसका प्रिवेन्टिव सेक्शन है, मा0 विधायक ने जो दस आदमियों के नाम की सूची आपको दी है, क्या उस सेक्शन की धारा 107 और 116 के तहत आप उन दस आदमियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी?

श्री मैनेजर सिंह–

यह कोई धारा नहीं हुई कार्यवाही करने के लिये, ये तो सरकार को संरक्षण दे रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी स्वीकार किया कि उन्होंने विधायक

जी की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए आदेश दे दिया है तो यह बात स्वयं ही इस बात का सबूत है कि मा0 विधायक की सुरक्षा को खतरा था। जब शासन को उनकी सुरक्षा का खतरा था तो उसको यह भी आभास जरूर रहा होगा जो कि लाजिमी भी है कि किन लोगों से उनकी सुरक्षा को खतरा था और माननीय सदस्य ने उनके नाम लिख कर इंगित भी किया था। तो उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है? दूसरी बात यह कि अभी सत्ता पक्ष के एक मा0 सदस्य ने कहा कि दफा 107 और 116 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए। तो मान्यवर, यह तो बहुत ही साधारण दफायें हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट न इस्तेमाल किये जाने का क्या कारण है? तीसरी बात मान्यवर, सुरक्षा का खतरा केवल एक विधायक को ही नहीं है सत्ता पक्ष क्या कहे मुंह खोल कर? वैसे आम विधायकों के लिए माननीया मंत्री जी ने क्या कोई नीति बनायी है कि सब माननीय सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके?

श्री अध्यक्ष–

इतनी लम्बी लिस्ट कहां से बनायेंगी?

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी का नाम पुकारा गया।)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं अगर माननीया गृह मंत्री इसका उत्तर नहीं दे पा रही हैं तो आप माननीय मुख्य मंत्री जी से इसका जवाब दिलवा दीजिये। मैंने तीन बातें पूछी हैं पहली यह कि आम विधायकों की सुरक्षा के संबंध में शासन की नीति क्या है और दूसरी यह कि जब सुरक्षा की व्यवस्था हेतु निर्देशित कर दिया गया था तो इसका मतलब यह हुआ कि शासन को आभास हो गया था कि वहां पर कुछ गड़बड़ी है और जब ऐसी कोई गड़बड़ी वहां व्याप्त थी तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लागू किया गया, इसके लागू न करने के कारण क्या हैं? मान्यवर, मेरे इस प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिए, मान्यवर, मेरा उत्तर नहीं दिलवाया जा रहा है यह तो मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने 10 अपराधियों के नाम लिखकर दिए हैं, जिनसे उनके जीवन का खतरा है, ऐसी जानकारी मिलने के बाद भी उन पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, जबकि उनके व्यवहार एन्टीसीडेंट टाइप थे। यह जानकारी भी शासन को प्राप्त हो गयी तो इस अवसर पर क्यों नहीं कार्यवाही गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी? और शासन द्वारा ऐसे लोगों के प्रति यू0 एन0 एस0 ए0 प्रयोग करना क्यों नहीं उचित समझा गया, यदि उचित नहीं समझा गया तो क्यों और यदि हां, तो कोई कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गयी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और आप लोगों ने जितनी भी बातें कहीं, उन पर आवश्यकता समझी गयी तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। वैसे यह विवाद काफी पुराना है और इससे पहले मई, 88 में भी किसी विवाद को लेकर एक हत्या हो गयी थी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, शासन

अपनी ओर से पूर्णतया सचेत है और जो भी आवश्यक कार्यवाही हो सकती थी, वह की गयी और आगे भी किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य का पत्र मिलते ही जिन व्यक्तियों के प्रति शंका थी, उन्हें धारा 107 और 116 में बन्द किया गया। (व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है, उससे कोई हल निकलता नहीं है। मान्यवर, माननीय सदस्य का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है, और माननीय मंत्री जी इधर उधर के जवाब दे रही है अगर कल को इनकी हत्या कहीं हो गयी तो क्या हम लोग यहां मात्र संवेदना ही पढ़ने आयेंगे। आखिर मूल अपराधियों के खिलाफ माननीय मंत्री जी क्यों नहीं कार्यवाही कर रही हैं, कार्यवाही उनके खिलाफ यह कुछ करना नहीं चाहती हैं, इसलिए जवाब पूरा नहीं दे रही हैं, इन अपराधियों की चरित्र-पंजिका में क्या लिखा हुआ है, पुलिस रिकर्ड में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है? अगर इन लोगों का नेचर आपराधिक है, तो इनके खिलाफ कार्यवाही करने में आखिर क्या दिक्कत हो रही है इनको। आप मान्यवर, अन्य सवालों की भांति ऐसे सवालों को भी आगे बढ़ा देते हैं तो कैसे यहां काम चलेगा? ऐसे अवसर पर मान्यवर, आपका संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर कल को कोई बात हो जाती है क्या माननीय मंत्री जी इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हैं?

(माननीय मंत्री जी की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, जब 10 आदमियों के नाम दे दिए गये कि इनसे इनसे खतरा है, जिनका डकैती व अन्य आपराधिक इतिहास है, पुलिस भी इस बात को भली भांति जानती है तो ऐसी स्थिति में गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्यवाही न किया जाना, क्या साबित कर रहा है। मान्यवर, इस प्रकार से उन अपराधियों के प्रति कार्यवाही न कर यह शासन साबित कर रहा है कि उन अपराधियों को यह पुलिस संरक्षण दे रही है और यदि आप इन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने हेतु कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम लोग यहां पर ऐसे ही बैठने आए हैं, बेकार को?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, इस मामले में जो भी उचित कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह की गयी है और की जा रही है, और जो बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, उनके तथ्य हम मंगा लेंगे और फिर इनके अनुसार कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, इस मामले में शासन की ओर से 3–3 मर्तबा सी0 आई0 डी0 जांच की घोषणा पब्लिकली की गयी है, तो क्या यह सी0 आई0 डी0 जांच अब होगी, इस मामले में या नहीं?

परगनाधिकारी, मांट एवं छाता के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा कृत कार्यवाही

*3—श्री सरदार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व मथुरा) ने परगनाधिकारी, मांट एवं छाता के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं एवं अन्य गम्भीर आरोपों की जांच कर अपनी जांच रपट जिलाधिकारी, मथुरा को एक माह पूर्व प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और जिलाधिकारी ने रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

जी हां,

परगनाधिकारी, मांट एवं छाता के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं एवं अन्य गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मथुरा ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 25-11-88 को जिलाधिकारी, मथुरा को प्रस्तुत कर दी है ।

अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, मथुरा ने अपनी जांच रिपोर्ट में परगनाधिकारी, मांट एवं छाता पर निम्नलिखित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये हैं :—

(1) नगर क्षेत्र समिति कार्यालय छाता में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनियमित नियुक्ति ।

(2) दैनिक भोगी कर्मचारी के पद पर नगर क्षेत्र समिति छाता एवं नन्दगांव मथुरा में फर्जी नियुक्ति दिखाकर वेतन आहरित करना ।

(3) नगर क्षेत्र समिति नन्दगांव, मथुरा में विद्युत सामग्री के फर्जी बिल तथा पानी की टंकी की मरम्मत के फर्जी बिल का भुगतान ।

अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, मथुरा की उक्त जांच रिपोर्ट का जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़े घोर भ्रष्टाचार का मामला है, इस पर मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । मेरा सवाल 18-1-1989 का है, एस0 डी0 एम0 छाता, श्री अंजोर हैं और एस0 डी0 एम0 मांट श्री बसंत लाल हैं और दोनों के विरुद्ध घोर भ्रष्टाचार के मामले हैं। अगर अपर जिलाधिकारी द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी के पास आ गयी है, मेरी जानकारी में है कि यह रिपोर्ट जिलाधिकारी को दिनांक 25-11-1988 को प्राप्त हो गयी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तक इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है और कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी तथा जो एस0 डी0 एम0 श्री अंजोर हैं, उनके खिलाफ क्या आरोप पाये गये हैं और उनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 25-11-1988 को जो रिपोर्ट आयी उसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाये गये हैं। प्रश्न बहुत ही गम्भीर है, तो मैं भी गम्भीरता से कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इन आरोपों का परीक्षण किया जा रहा है। आप पहले उत्तर सुन लीजिये, पहले पूरा उत्तर कह लेने दीजिये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जो अधिकार आपको है, उस अधिकार का इस्तेमाल माननीय मंत्री जी कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा उत्तर तो आ जाये । मैं माननीय सदस्य की भावना को समझते हुए प्रश्न का पूरा उत्तर देना चाहता हूं। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। आप गम्भीरता से लिया करें । इसमें तीन आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये गये हैं। उनका परीक्षण करा कर शासन में उसे प्राप्त कर लिया जायेगा और मौजूदा सरकार में अगर आरोप सही पाये जायेंगे तो कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी और किसी को बख्शा नहीं जायेगा ।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा है । 18-1-1989 को छाता में एस0 डी0 एम0 श्री एस0 पी0 अंजोर थे और मांट में एस0 डी0 एम0 बसंत लाल थे, तो यह उत्तर जो माननीय मंत्री जी ने दिया है, वह मांट के सम्बन्ध में दिया है । एस0 पी0 अंजोर के खिलाफ जो आरोप हैं, उनके सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट कर दूं कि आपके निर्देश से ही किसी प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है । जो प्रश्न था वह श्री बसन्त लाल एस0 डी0 एम0 के विरुद्ध था उसका जवाब दिया जा चुका है और आप एस0 पी0 अंजोर के खिलाफ आरोप की बात कह रहे हैं. . .

(विरोध पक्ष के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पूरा उत्तर नहीं होने देते और आप लोग खड़े हो जाते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का पूरा प्रश्न पढ़ दूं । मैं उसका पूरा उत्तर देना चाहता हूं । मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि आप कृपया उत्तर लें । इस प्रश्न में कहा गया है कि अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व, मथुरा) ने परगनाधिकारी मांट एवं छाता के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं एवं अन्य गम्भीर आरोपों की जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी मथुरा को एक माह पूर्व प्रस्तुत कर दी है । तो मान्यवर यह परगनाधिकारी मांट एवं छाता के विरुद्ध रिपोर्ट थी जिसका जवाब दे दिया गया है और यदि आप चाहते हैं कि श्री एस0 पी0 अंजोर के खिलाफ भी जांच हो तो अध्यक्ष जी, आप आदेश देंगे तो उनके बारे में भी जांच करके सदन को अवगत करा दूंगा ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, दोनों के खिलाफ आरोप हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैंने निवेदन कर दिया है

(व्यवधान)

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि इस सरकार ने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का संकल्प ले लिया है । दो अधिकारी इस मामले में दोषी सिद्ध पाये गये हैं और उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप अतिरिक्त जिलाधिकारी की जांच में सामने आये । किन्तु अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि उसका परीक्षण कराया जा रहा है । उसके बाद शासन परीक्षण करायेगा और इसमें सालोंसाल लग जायेंगे। इस प्रकार इस मामले में सरकार की साजिश है । मैं जानना चाहता हूं कि उस अधिकारी को तत्काल निलंबित न किये जाने का क्या कारण है जब कि उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया रिपोर्ट में गम्भीर आरोप पाये गये हैं? उन्हें अब तक निलंबित क्यों नहीं किया गया ? मंत्री जी स्पष्ट बताये कि उन्हें कब तक निलंबित करके उनके खिलाफ अग्रिम कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य अशोक बाजपेयी जी को स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है । जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है शासन की मंशा साफ है और उसी के तहत तीन आरोप उनके खिलाफ सिद्ध हुये थे और इनके अतिरिक्त कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ । यह बात स्वयं शासन कह रहा है । इन आरोपों का परीक्षण कराया जा रहा है । शासन उनको चार्जशीट देगा । उनको एक मौका दिया जायेगा निश्चित रूप से उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने का अवसर देगा । यदि यह आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी यह मैं सदन को आश्वस्त करता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि उसने फर्जी नियुक्तियां की हैं और फर्जी भुगतान लिया है । अब कह रहे हैं कि आरोपों का परीक्षण हो रहा है उनको अब तक अभियोग-पत्र क्यों नहीं दिया गया । तीन माह हो गये हैं । इससे संदेह पैदा होता है कि शासन उस भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण दे रहा है। श्रीमन्, आप मुख्य मंत्री जी से उत्तर दिलायें ।

(मुख्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर, श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़ा होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाही जी, आप बैठें । (व्यवधान) । जब नेता सदन खड़े हों तो मैं आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि आप कृपया बैठें । जब नेता सदन खड़े हुये हैं तो कृपा करके कुछ तो लिहाज कीजिये ।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, मुझे इस बात का खेद है कि जिला मैजिस्ट्रेट ने इस संबंध में अपनी जांच रिपोर्ट देने में कुछ विलम्ब कर दिया है श्रीमन् मैं उन्हें बुलाऊंगा हफ्ते भर के अन्दर कि वह अपनी रिपोर्ट लेकर आयें । इस प्रकार जो देर हुई है यह बहुत अनुचित है । उनकी रिपोर्ट आते ही कार्यवाही करेंगे । मसला अदालत में भी जा सकता है इसलिए जरूरी है कि जैसा सम्मानित साथी राज्य मंत्री जी ने कहा प्रक्रिया पूरी होनी चाहिये । उनसे एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्राप्त कर इस संबंध में जो उनकी पुरानी गतिविधियां रही हैं उनको देख कर शासन यथाशीघ्र कार्यवाही करेगा ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, एक सवाल सुन लें . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब इस पर कोई सवाल नहीं ।

मंगलवार, दिनांक 21 फरवरी, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्यों में वृद्धि

*1–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष (पिराई सत्र 1988-89) हेतु राज्य सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की सामान्य प्रजातियों के लिए फैक्ट्री गेट पर परामर्शित क्रय मूल्य क्रमशः 29 रु0 तथा रु0 28.50 पैसे प्रति कुंतल किस आधार पर घोषित किया है ? गन्ने पर कृषक को प्रति कुंतल औसतन क्या लाभ इस मूल्य में निहित है ? क्या सरकार गन्ना उत्पादन की बढ़ी हुई लागत को देखकर इसे तत्काल 40 रुपये प्रति कुंतल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग एवं गन्ना उप मंत्री (श्री निसार हुसैन)–

पेराई सत्र 1988-89 हेतु राज्य सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की सामान्य प्रजातियों के लिये फैक्ट्री द्वारा परामर्शित गन्ना मूल्य क्रमशः रु0 29.00 प्रति कुंतल तथा रु0 28.50 प्रति कुंतल निर्धारित किया था जिसे बढ़ा कर रु0 30.00 प्रति कुंतल कर दिया गया है । इस मूल्य निर्धारण के निम्न आधार हैं :–

(1) भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य ।

(2) चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य देने की क्षमता ।

(3) चीनी मिलों द्वारा चीनी के प्रति कुंतल अर्जित भाव आदि ।

गन्ना उत्पादन लागत का आंकलन करके ही भारत सरकार न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित करती है और उसी के आधार पर राज्य सरकार गन्ने का परामर्शित मूल्य निर्धारित करती है ।

राज्य सरकार ने बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष की तुलना में रु0 3 तथा 3.50 रु0 प्रति कुंतल की वृद्धि की है। शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के गन्ने की मूल्य रु0 34.00 प्रति कुंतल गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है।

जी नहीं। इससे और अधिक मूल्य निर्धारित करना चीनी मिलों की गन्ना मूल्य भुगतान करने की क्षमता के परे होगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने अपने मूल प्रश्न में पूछा था "गन्ने पर कृषक को प्रति कुंतल औसतन क्या लाभ इस मूल्य में निहित है" लेकिन उत्तर में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि जो लिखित प्रश्न है उस भाग का उत्तर दिलवा दें।

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष में बढ़ी हुई लागत का उल्लेख किया। तो क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि पिछले साल जो लागत थी जिसको आपने कहा है कि बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुये मूल्य निर्धारित किये गये तो वह क्या थी और इस साल लागत मूल्य क्या माना है?

गन्ना विकास एवं गृह राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

मान्यवर, कन्ट्रोल आफ इंडस्ट्रियल कास्ट एण्ड प्रासेसिंग की संस्तुतियों के आधार पर और कमीशन फार एग्रीकल्चरल कास्ट एण्ड प्रोसेसिंग की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुये 1988-89 और 1989-90 के लिये न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित किये गये।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैंने तो गन्ने के कृषक को जो मूल्य मिला है, उसके बारे में पूछा है कि कृषक को प्रति कुंतल औसत क्या लाभ इस मूल्य में निहित है? यह पूछा है उसका उत्तर दिलवा दें। इसमें लाभांश कृषक को क्या मिल रहा है। मेरे प्रश्न का उत्तर जो लिखित दिया है, उसमें नहीं है।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, गन्ना उत्पादन का मिनिमम 1988-89 के लिये एग्रीकलचरल कास्ट एण्ड प्रासेसिंग भारत सरकार के द्वारा 14.11 पैसा प्रति क्विंटल आंकी गयी तथा 2.41 पैसा यातायात का सम्मिलित करके 16.52 पैसा होता है। प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को बढ़ी हुई लागत की प्रति पूर्ति तथा लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये 20.75 पैसे उत्पादन लागत की मांग की लेकिन भारत सरकार ने 88-89 के लिये 19.50 रुपये निर्धारित किया था जो कि गन्ने का औसत मूल्य है किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने कल्याणकारी मूल्य को ध्यान में रखते हुए 34 और 30 रुपये निर्धारित किया है, जो अधिकतम है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूर्व और पश्चिम का भेद समाप्त किया। लेकिन इसी के साथ उनकी सदाशयता में शक नहीं है कि उन्होंने महसूस किया होगा कि गन्ने की लागत मूल्य काफी बढ़ गयी है, इसलिये मूल्य बढ़ाया है।

श्री बरार जी ने पूछा है कि लागत मूल्य क्या आ रहा है और दूसरी बात 34 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना शीघ्र पकने वाली प्रजातियों पर रखा है। मेरा निवेदन है कि

इस प्रजाति के पैदा करने में वही लागत मूल्य आता होगा 34 रुपये । इसलिये इस आधार पर सभी गन्ने का मूल्य 34 रुपये प्रति क्विंटल क्या करने का कष्ट करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, कई किस्म की प्रजातियां हैं लेकिन मुख्य रूप से अग्रेतर पैदा होने वाली जातियां हैं सी0 ओ0 जे0 64 और 687 जो पहले पकती हैं और रिकवरी ज्यादा देती हैं, गन्ना लम्बा और मोटा होता है, इसकी कीमत 34 रुपये निर्धारित कर दी गयी है पूरे प्रदेश में । सामान्य गन्ने की कीमत 30 रुपये है जिसकी रिक्वरी सी0 ओ0 जे0 64 और 687 से कम आंकी गयी है । तो रिकवरी के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाता है ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी गन्ने को जानते हैं कि कैसा होता है ? क्या गन्ना आपने कभी देखा है ?

मान्यवर, श्री जयदीप सिंह बरार का सीधा सवाल है कि एक क्विंटल गन्ना पैदा करने पर किसान का कितना खर्चा आता है ? मेरी जानकारी में है कि इन्हीं के रिटायर्ड अधिकारी के आंकड़े के अनुसार 38.25 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना पैदा करने पर इस साल खर्च आया है और इन्होंने बेशर्मी के साथ भाव 28 और 29 रुपये तय किया है । अब तो मुख्य मंत्री जी का गन्ने से संबंध है और इनके क्षेत्र में गन्ना पैदा होता है और मिलें भी हैं । मान्यवर, हमारे यहां क्रेशर्स 32 और 35 रुपये तक गन्ना ले रहे हैं । हरियाणा में 40 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना बिक रहा है और पता नहीं इन्होंने इतनी कम कीमत क्यों रखी है ? इसलिये मेरा निवेदन है कि जिनका गन्ने से संबंध न हो उनको गन्ना मंत्रालय न दिया करें ।

आज मुख्य मंत्री जी इस हाउस में घोषणा करें, 40 रुपये की माननीय मंत्री जी घोषणा करें, वरना यह अपने क्षेत्र में जीत नहीं पायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनका जिला रामपुर, नैनीताल जो हैं वहां पर जो क्रेशर लगे हैं साढ़े पांच प्रतिशत लेबी करते हैं और 33 रुपये प्रति कुन्टल पर गन्ना खरीदते हैं ।

(व्यवधान)

लेकिन मान्यवर, फ्री सेल की चीनी जो है वह क्रेशर की चीनी से डेढ़ सौ रुपये कुन्टल महंगी मिल रही है, तो मैं जानना चाहता हूं तिवारी जी से, जिनके क्षेत्र में यह भाव चल रहा है क्या इस बाजार की स्थिति को देखते हुए 40 रुपये प्रति कुन्टल गन्ने का मूल्य करने की कृपा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, जो गन्ने का . . .

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, निसार साहब के क्षेत्र में 33 और तिवारी जी के क्षेत्र में 33 का भाव है और तिवारी जी भी बैठे हैं तो इनसे उत्तर दिलवा दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

माननीय सदस्य, मीरगंज बरेली ने मेरा क्षेत्र घोषित किया है, मान्यवर, मेरा क्षेत्र तो पूरा उत्तर प्रदेश है मैं तो वैसे परिषद् का सदस्य हूं फिर भी इन्होंने मेरा क्षेत्र मान लिया है––

(हंसी)

श्रीमन्, जो प्रश्न गन्ने के मूल्यों का है मैंने इसका उल्लेख किया था कि गन्ने की जो लागत है, कीमत है, इस प्रदेश में आज जो गन्ने की कीमत दी जा रही है अगर माननीय सदस्य अपने अन्तर के अन्तर्तः में झांककर देखेंगे, तो वह सहमत होंगे कि इस प्रदेश में इस वर्ष जो कीमत दी जा रही है वह इतिहास में सबसे ज्यादा है ।

(मेजें थपथपाई गईं)

सन् 1979-80 में कुल 150 करोड़ रुपया, 157 करोड़ रुपया थी जबकि साढ़े 12 रुपये और 13 रुपये कीमत गन्ने की थी तो उसकी तुलना में 30–34 रुपये दिए जा रहे हैं, तो तुलना में आप देख लेते । हमारे गन्ना विकास मंत्री जी ने बताया सब उल्लेख कर दिया, उन्होंने यह भी कहा अगर आप कहें तो पढ़ दूं, लेकिन जितनी लागत भारत सरकार के एक्सपर्ट ने आंकी है उसकी दुगनी से ज्यादा कीमत उत्तर प्रदेश दे रहा है ।

श्री रामशरण दास–

सबसे ज्यादा हरियाणा दे रहा है ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

आपका मैं आदर करता हूं आप हमारे साथी हैं और आगे भी रहेंगे । आप हरियाणा की गलत फहमी में हैं कि हरियाणा ज्यादा दे रहा है 35 रुपये में से वह 2 रुपये ट्रांसपोर्ट कास्ट ले रहे हैं अगर आप कहें तो मैं भी दो रुपये ट्रांसपोर्ट कास्ट लगा दूं ।

(व्यवधान)

यहां जो ट्रांसपोर्ट कास्ट है वह एक रुपया है । हरियाणा हमारा पड़ोसी है मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बार-बार हरियाणा का नाम लिया जाता है तो आप ट्रांसपोर्ट कास्ट देख लें मूल्यों को देख लें ।

उनके यहां केवल 7-8 मिलें हैं जिनमें एक यमुना नगर मिल है जो 7 हजार टन की है । हमारे यहां फैक्ट्रियां साढ़े 4 हजार टन से बड़ी नहीं हैं । जो बड़ी फैक्ट्री होती है वह ज्यादा रुपया दे सकती है । हमारे यहां पश्चिम से लेकर पूरब तक 103 जो चीनी मिलें हैं उनमें एक दाम दिया जा रहा है । अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा दाम दिया जा रहा है ।

जनपद फैजाबाद में हत्या, अपहरण तथा फिरौती मांगने की घटनाओं में हो रही वृद्धि के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र एवं जांच

*2–श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के 5वें मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की खुफिया जांच का आदेश कब और किस अधिकारी को कितने समय में जांच पूरी करने के निर्देश के साथ दिया गया और अब तक की जांच से प्रकाश में आये तथ्यों का विवरण क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्रश्नगत पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जांच के आदेश पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिनांक 29-11-1988 को दिये गये । कितने समय में जांच पूरी की जाय इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं ।

सी0 आई0 डी0 की जांच प्रचलित है जांच पूरी होने के बाद तथ्यों से अवगत कराया जायेगा ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और आपका संरक्षण भी चाहूंगा । 1-11-88 को आपके सचिवालय में प्रश्न दिया गया था और उसके बाद 29-11-88 को सरकार ने इस पर सी0 आई0 डी0 की जांच का आदेश दिया । सन् 88 से पहले जब सदन के सामने यह बातें आयीं थीं कि दर्जनों हत्यायें, अपहरण, बलात्कार के मामलों में पुलिस नाकामयाब रही है तब यहां पर मंत्री जी ने सी0 आई0 डी0 जांच का आश्वासन दिया था । अगर यह प्रश्न भेजा न होता तो सी0 आई0 डी0 की जांच का आदेश न होता । तो मैं जानना चाहता हूं कि आश्वासन के बाद यह जो असाधारण विलम्ब हुआ है उसका कारण क्या है । जांच किस स्तर के अधिकारी से करायी जा रही है । किसी मामले में जांच से कोई चीज पता लग पायी या नहीं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने 27-1-88 को माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र दिया था । 29-3-88 को सदन में आश्वासन दिया गया था । 31-10-88 को गृह विभाग को भेजा गया और 29-11-88 को सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश चले गये । गृह विभाग में एक दिन का भी विलम्ब नहीं है । जैसे ही सचिवालय से पत्र प्राप्त हुआ वैसे ही सी0 आई0 डी0 के आदेश भेजे गये । इसमें कोई बहुत विलम्ब नहीं हुआ है । जांच डी0 आई0 जी0 सी0 आई0 डी0 को दी गयी है और सी0 आई0 डी0 ने कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है ।

बाढ़ प्रभावित जनपदों के लिए स्थाई योजना बनाने पर विचार

*3–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष बाढ़ से कितने जनपद प्रभावित हुए तथा कितने धन की फसलें नष्ट हो गयी हैं ? कितने व्यक्ति मरे तथा कितने जानवर समाप्त हुए ? सरकार द्वारा बाढ़ राहत कार्य पर किन-किन प्रयोजनों में कुल कितना धन खर्च किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए कोई स्थायी योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

वर्ष 1988 में अतिवृष्टि, बाढ़ तथा भू-स्खलन से प्रदेश के 46 जनपद प्रभावित हुए तथा 685.76 करोड़ रु0 के फसलों की अनुमानित क्षति हुई । 765 व्यक्तियों तथा 2102 जानवरों की मृत्यु हुई ।

बाढ़ राहत कार्यों पर दिनांक 31-12-1988 तक अहेतुक सहायता, अनुग्रह अनुदान, गृह अनुदान तथा नाव किराये की मदों में कुल 859.96 लाख रु0 व्यय किये गये।

राजस्व विभाग में कोई स्थाई योजना विचाराधीन नहीं है ।

राजस्व/राहत विभाग का कार्य बाढ़ पीड़ितों को त्वरित रूप से राहत पहुंचाना होता है । बाढ़ से बचाव के लिये स्थाई योजना बनाने का सम्बन्ध राजस्व/राहत विभाग से नहीं है ।

*4–श्री मित्रसेन–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*5–श्री नरेन्द्र सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*6–श्री हर्षवर्धन–

[9वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 2 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी के थाना टोड़ी फतेहपुर के ग्राम विक्रम पुरा के ग्रामवासियों की मारपीट के संबंध में पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही

*7–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जिले के थाना टोड़ी फतेहपुर के ग्राम विक्रमपुरा में 18 जनवरी, 88 को पुलिस द्वारा समस्त ग्रामवासियों के साथ की गयी मारपीट, दुर्व्यवहार एवं लगभग 50 लोगों की सार्वजनिक रूप से पिटाई व गिरफ्तारी की घटना पर मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट में कौन-कौन पुलिस कर्मी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार मजिस्ट्रेट की पूरी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

प्राप्त मजिस्ट्रीरियल जांच का परीक्षण किया गया । सम्यक विचारोपरांत प्रकरण की गहराई से जांच की आवश्यकता पाये जाने पर मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गई है । जांच पूरी होने के उपरांत यदि कोई पुलिस कर्मी दोषी पाये गये तो उनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जांच प्रचिलित होने की वजह से मजिस्ट्रीरियल जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, झांसी जिले में 18 जनवरी, 88 को इतनी बड़ी घटना घटी और उस घटना के बाद माननीय नेता विरोधी दल भी वहां गये थे और मैं स्वयं वहां गया था ।

वहां पर पुलिस ने गांव के लोगों और महिलाओं के साथ अमानुषिक अत्याचार किया पुलिस ने गांव के 50–60 लोगों को पकड़ कर रस्सी से बांधा और एक दूसरे को आपस में जूते मरवाती हुयी और गालियां दिलवाती हुयी लायी ।

मान्यवर, यह प्रदर्शन हुआ था और इसके बावजूद पुलिस विभाग ने जो इसकी जांच की, उन्होंने सारे दोषी पुलिस के कर्मचारियों को बचा दिया था । मैजिस्टेरियल जांच को यहां पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, ऐसा मंत्री जी ने कहा, क्योंकि सदन के पटल पर आ जाती तो यह स्पष्ट हो जाता कि कौन-कौन से पुलिस कर्मी इस घटना के दोषी हैं । कृपया यह बता दें कि सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश कब और किस तारीख को किये गये ?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 की जांच 18-2-89 को दी गयी थी, ताकि गम्भीरता से इसमें जांच हो जाय और जैसी आपने इच्छा की, उसी के अनुसार उसमें सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आज 21 तारीख है, आज से 3 दिन पूर्व 18 फरवरी को माननीय मंत्री जी ने सी0 आई0 डी0 से जांच कराने के आदेश दिये इस नियत से कि मैजिस्टेरियल जांच से दोषी पुलिस कर्मियों का नाम सदन में न आने पाये । माननीय मंत्री जी कृपया यह भी बता दें कि मैजिस्टेरियल जांच में कौन-कौन से पुलिस कर्मी दोषी पाये गये ?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, जो मैजिस्ट्रेट की जांच थी, उसमें जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें सी0 आई0 डी0 की जांच होनी चाहिए और वह पूरी जांच जो है, वह सी0 आई0 डी0 को दे दी गयी है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैजिस्ट्रेट की जांच की रिपोर्ट क्या है, वह बता दें ? मैजिस्ट्रेट की जांच का निष्कर्ष क्या है, वह बता दें ?

श्री मैनेजर सिंह–

मैजिस्ट्रेट की जांच की रिपोर्ट क्या है ? सवाल स्पष्ट है, उसका सही उत्तर आना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

माननीया गृह मंत्री जी जो सूचना हो, वह बता दें ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, मामले की मैजिस्टेरियल जांच से पाया गया कि दिनांक 14-1-88 को श्री सरमन जिसे अभियोग संख्या 7/88के संबध में छानबीन हेतु पुलिस द्वारा बुलाया गया था, उसकी गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही के परिणाम स्वरूप थानाध्यक्ष श्री राम सहोदर सिंह तथा श्री धरमदास निवासी विक्रमपुरा के मध्य बहस हुई और बहस के दौरान श्री धरमदास ने थानाध्यक्ष के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग

किया जिस पर थानाध्यक्ष ने धरमदास को एक थप्पड़ मारा एवं इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पुरुषों एवं महिलाओं ने एकत्र होकर पुलिस पर खप्पर बरसाये । भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुलिस ने हवाई फायर किये और अपनी औपचारिक कार्यवाही के उपरान्त थाने पर जाकर अभियान संख्या 8/88 जिसमें 30 व्यक्ति नामजद एवं 10-15 अज्ञात हैं कायम किया । जांच कर्त्ता मैजिस्ट्रेट ने यह संस्तुति की है कि उक्त अभियोग की विवेचना किसी राजपत्रित अधिकारी से कराया जाना न्यायोचित होगा । जांच से पाया गया कि पुलिस बल द्वारा अभियोग सं0 8/88 के अभियुक्तों के गिरफ्तारी के दौरान 35 लोगों को पकड़ा गया एवं जब यह निश्चित हो गया कि वे अभियुक्त नहीं हैं, उन्हें छोड़ दिया गया । जांच से पाया गया कि दिनांक 18-1-88 को पुलिस दविश के दौरान आठ लोगों के दरवाजा उखाड़ने की बात स्पष्ट होती है, जिस पर अभियुक्तों के घर वालों द्वारा दरवाजा न खोलने के कारण यह घटना घटी ।

जांच से पाया गया कि ज्यादा संख्या में कांस्टेबिल और होमगार्ड होने के परिणाम स्वरूप उस पर प्रभावी नियंत्रण न रखने के कारण यह घटना घटी हुई प्रतीत होती है । जांच से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की पुष्टि नहीं हुई । जांच से पाया गया कि पुलिस द्वारा प्रमुख गवाहों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिससे यह सम्भव है कि सामान चोरी करने के जो आरोप पुलिस पर लगाये गये हैं, वह इन्हीं कारणों के परिणाम है । मैजिस्ट्रीरियल जांच से प्रश्नगत घटना के संदर्भ में किसी पुलिस कर्मी को दोषी नहीं पाया गया ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, 18 जनवरी, 1988 की घटना है और जब यह महसूस किया गया कि यह प्रश्न सदन में आयेगा, तो मंत्री जी ने 18-2-89 को सी0 आई0 डी0 की जांच का आदेश दे दिया ।

मान्यवर, इसके पूर्व प्रश्न में एक परगनाधिकारी के खिलाफ भी आरोप सिद्ध हुए थे और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि वह कहीं कोर्ट में न चला जाय, इसलिए एक हफ्ते के अन्दर कार्यवाही हो जाय । लिहाजा मेरा ख्याल है कि परगनाधिकारी को कल परसों तक हाईकोर्ट चला जाना चाहिए । आपने एक मौका दिया परगनाधिकारी को कोर्ट जाने का बल्कि उसको सजेस्ट किया कि चला जाय । उसी तरह से आप देखें कि अगर माननीय मंत्री जी की बात को सही मान लें कि मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी में कोई बात सही नहीं निकली तो बेकार में सरकार ने सी0आई0डी0 का वक्त खराब करने की क्या जरूरत महसूस की और इसकी रिपोर्ट आने के बाद यह कैसे पता चलेगा कि मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी सही थी या सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी सही थी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, मैं इसमें इतना जोड़ना चाहूंगी कि मैजिस्टीरियल जांच के दौरान थाना-ध्यक्ष राम सहोदर सिंह को निलम्बित किया गया था तथा मैजिस्टीरियल जांच में उन्हें निर्दोष पाये जाने पर बहाल करके फिर थानाध्यक्ष नियुक्त कर दिया तो जहां संदेह था वहां निलम्बित किया गया और जब जांच हो पायी तो बहाल कर दिया गया ।

जिला मुख्यालयों पर स्टाम्प पेपरों की आपूर्ति

*8–श्री हरदेव–

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर एक रुपये, दो रुपये, 5 रुपये आदि के स्टाम्प पेपर्स उपलब्ध नहीं हैं जिससे जनता को इनकी जगह पर 10 रुपये के स्टाम्प पेपर्स लगाने पड़ रहे हैं ? यदि हां, तो स्टाम्प पेपर्स की कमी को दूर करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंजीयन , स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

प्रदेश के समस्त जिलों से सूचना एकत्रित की गयी । केवल 44 जनपदों से ही सूचना प्राप्त हो पायी है । 20 जनपदों में प्रश्नगत स्टाम्पों का अभाव नहीं है । 4 जिलों में केवल दो रुपये के स्टाम्पों की कमी है । नैनीताल जिले में एक रुपया, दो रुपया तथा पांच रुपये के स्टाम्पों की कमी होने पर उनके स्थान पर 10 रुपये के स्टाम्पों का प्रयोग किये जाने की सूचना मिली है । शेष जिलों में उपरोक्त स्टाम्पों के स्थान पर 10 रुपये का स्टाम्प प्रयोग करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । जिन जनपदों में स्टाम्पों की कमी है उनको दूर करने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा अपने निकटवर्ती कोषागारों से स्टाम्प प्राप्त किये गये तथा स्टाम्प अधिनियम की धारा–10 क के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क का नकद भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है । इसके अतिरिक्त कन्ट्रोलर आफ स्टाम्प नासिक रोड से टेलेक्स/पत्र-व्यवहार द्वारा स्टाम्पों की आपूर्ति अविलम्ब करने का अनुरोध भी किया गया है ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने बतलाया है कि बीस जनपदों में प्रश्नगत स्टाम्पों का अभाव है तो वह कौन-कौन जनपद हैं और 4 जिले जो आपने बताये हैं कि वहां भी कमी है तो वह कौन-कौन से जिले हैं, यह बताने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, यह जो कमी वाले जिले हैं वह हैं अलीगढ़, मैनपुरी, मथुरा, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, गोण्डा, चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी, आजमगढ़, जालौन, नैनीताल, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर तथा जौनपुर जिलों में स्टाम्पों की कमी है।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह स्टाम्पों की कमी जिसका अभाव कृत्रिम रूप से सरकार पैदा करती है और अनाधिकृत धन बटोरने के लिए ताकि पब्लिक 2 रुपये की जगह 10 रुपये का स्टैम्प लगाये और 10 रुपये की जगह 25 रुपये का लगाये। मेरे जिले में भी माननीय मंत्री जी ने बताया मान्यवर, हम लोग भी महसूस करते हैं कि लम्बे समय से कृत्रिम रूप से स्टैम्प की कमी पैदा की जा रही है। क्या इसमें सरकार कोई ऐसा निश्चित समय बतायेगी कि यह कमी कब तक पूरी कर दी जायेगी और इस तारीख के बाद कोई कमी नहीं आयेगी?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, यह बात सही नहीं कि कृत्रिम रूप से इसकी कमी की जाती है, यदि कहीं पर 10 रुपये के स्टैम्प नहीं है तो 25 रुपये के लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है 5 रुपये के दो स्टैम्प लगा सकते हैं। स्टैम्प अधिनियम की धारा 10 क में यह अधिकार जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है कि यदि कहीं पर किसी मूल्य के स्टैम्प की कमी है तो वह उसका ट्रेजरी में नकद भुगतान करके रसीद प्राप्त कर लेगा और उसको स्टैम्प की तरह ही माना जायेगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि नैनीताल जिले में एक रुपया, दो रुपया तथा पांच रुपये के स्टैम्पों के अभाव में 10 रुपये का स्टाम्प लगाया जा रहा है। इन बीस जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में स्टैम्प का अभाव है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इस अभाव से शासन की विश्वसनीयता समाप्त हो रही है, तो क्या इसको दूर करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, चूंकि ये नासिक में सिक्योरिटी प्रेस में छपते हैं, इसलिए जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है, नासिक से टैलेक्स द्वारा इनकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*9–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[दि0 14-2-89 के अता0 प्र0 सं0 42 द्वारा उत्तरित]

*10–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

*11–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

[दि0 14-2-89 को ता0 प्र0 सं0 17 द्वारा उत्तरित]

ग्राम सैदापुर थाना माल जनपद लखनऊ के हरिजन श्री मैकू पुत्र कालीचरण व उनके पुत्र श्री रमेश चन्द्र की पुलिस द्वारा मार-पीट करने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

*12–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 88 के प्रथम मंगलवार के अता0 प्र0 सं0–148 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले की जांच किस अधिकारी से करायी गयी है? श्री मैकू के संलग्न प्रार्थना-पत्र में डाक्टरी रिपोर्ट जिसमें श्री मैकू के हाथ पैर की हड्डी टूटी हुई दिखाई गयी है, के सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है? क्या श्री मैकू की चोटों के बारे में जांच की गयी? यदि हां, तो

नोट :–नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

क्या निष्कर्ष निकला? यदि नहीं, तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी मलिहाबाद एवं पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) लखनऊ से कराई गई थी। श्री मैकू ने 4 पुलिस कर्मियों एवं 3 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध [illegible] के संबंध में न्यायालय में एक इस्तगासा दायर किया है। इस्तगासा न्यायालय के विचाराधीन है। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पुलिस द्वारा श्री मैकू के प्रार्थना पत्र में अंकित हड्डी टूटने आदि से संबंधित मामले के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। उक्त प्रार्थना-पत्र में निहित बिन्दुओं पर पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच से पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। अतएव पुलिस के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जनपद लखनऊ में स्थित बृह्मनगर में दो सगे भाइयों की हत्या के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

*13–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 27/28 अप्रैल, 1988 की रात्रि हसनगंज लखनऊ स्थित बृह्मनगर मोहल्ले में सर्वश्री राजेन्द्र कुमार तिवारी (24 वर्ष) तथा सुरेन्द्र कुमार तिवारी (21 वर्ष) जो कि दोनों सगे भाई थे, की हत्या कर दी गई? यदि हां, तो इस बारे में अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 27-4-88 को श्री बाबूराम तिवारी निवासी बृह्मनगर सीतापुर रोड, हसनगंज, लखनऊ ने अपने दो पुत्रों सर्वश्री राजेन्द्र कुमार तिवारी एवं सुरेन्द्र कुमार तिवारी की हत्या दो नामजद तथा एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कर दिये जाने के संबंध में थाना हसनगंज पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी, जिसके आधार पर धारा 302 भा0 दं0 वि0 का अपराध कायम किया गया। पुलिस द्वारा एक नामजद अभियुक्त वाहिद हुसैन को दिनांक 28-4-88 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तथा दूसरे नामजद अभियुक्त इजहारुल हक के विरुद्ध गिरफ्तार न होने की दशा में धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही करके दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 13-5-88 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। श्री हक ने 17-5-88 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। विवेचना से तीसरे अज्ञात अभियुक्त का पता नहीं चल सका है। दोनों अभियुक्तों की जमानत न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है।

अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

जनपद बरेली महानगर में स्थित विमको व आई0 टी0 आर0 फैक्ट्री द्वारा भारी जल प्रदूषण फैलाने की कार्यवाही

*14–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को [illegible] महानगर में स्थित फैक्ट्री विमको व आई0 टी0 आर0 भारी जल प्रदूषण फैला रही है? यदि हां, तो अभी तक उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मेसर्स विमको लिमिटेड एवं मेसर्स इन्डियन टरपैन्टाइन एण्ड रेजिन कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपना उत्प्रवाह बिना पर्याप्त शुद्धिकरण के निस्तारण किये जाने के कारण जल प्रदूषण हो रहा है ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सन्दर्भित उद्योगों की जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत सहमति (जल) अस्वीकृत कर उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 (1) के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही की गयी है ।

लागू नहीं होता है ।

शासन द्वारा जमींदारी प्रथा समाप्त की तिथि तथा नीति

*15–कुंवर रेवती रमण सिंह तथी श्री देवेन्द्र पाण्डे–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–7 के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्र की अकृषि भूमि की जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिये शासन की नीति कब और किस तिथि को निर्धारित की गयी थी ? उक्त प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय को कब से लागू कर दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद—

राजस्व सचिव के कक्ष में दिनांक 6 मई, 1986 को हुई बैठक में विचारोपरान्त प्रदेश के नागर क्षेत्रों में अकृषि भूमि की जमींदारी समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था । उक्त निर्णय के फलस्वरूप विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा चुका है, जिसे अधिनियमित कराये जाने के लिये प्रस्तावित प्राविधानों के कार्यान्वयन में अन्तर्गत वित्तीय भार के अनुमान राजस्व परिषद् से मांगे गये हैं, जो प्रतीक्षित है ।

प्रदेश के अल्प वेतन भोगी, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आवासीय तथा यात्रा परिव्यय की कठिनाइयों को दृष्टिगत करते हुए जनपदों के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने पर विचार

*16–श्री राज किशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अल्पवेतन भोगी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आवासीय तथा यात्रा परिव्यय की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित कमिश्नरी क्षेत्र के जनपदों के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण करने की कोई नई नीति शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या सरकार उक्त नीति को शीघ्र कार्यान्वित करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अल्पवेतन भोगी तृतीय श्रेणी के लिपिक वर्गीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्रमशः अपने मण्डल अथवा जिले में ही स्थानान्तरित करने की नीति पहले से ही विद्यमान है जिसका कार्यान्वयन संबंधित विभागों /विभागाध्यक्षकों द्वारा किया जाता है । अतः नई नीति बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

पैरवी लिपिकों के वेतन में बढ़ोत्तरी

*17—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताएंगे कि ग्राम समाज के मुकदमों की पैरवी हेतु पैरवी लिपिकों की नियुक्ति का प्राविधान मात्र 250/- प्रतिमास वेतन पर हर जिले में किया गया है ? यदि हां, तो, 10 बजे से 5 बजे तक पैरवी में संलग्न रहने वाले इन लिपिकों के वेतन में बढ़ोत्तरी न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

पैरवी लिपिकों के वेतन में वृद्धि का प्रकरण विचाराधीन है ।

*18—श्री धनराज यादव—

[दिनांक 14-2-89 को अता0 प्र0 सं0 158 द्वारा उत्तरित]

*19—श्री हरेन्द्र सिंह—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

*20—श्री महेन्द्र भाटी—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

जिलाधिकारी फैजाबाद से मांगी गयी रिपोर्ट आख्या एवं दैवी आपदा की क्षतिपूर्ति सहायता

1—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 43 के दिये गये उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बताएंगे कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच परगनाधिकारी सदर फैजाबाद के द्वारा कराये जाने के परिणाम-स्वरूप क्षति के आंकलन की सूची क्या है एवं क्षतिग्रस्त सूची में कौन-कौन चीजें दर्शायी गई हैं और उनका मूल्यांकन क्या है ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नगत प्रकरण की जांच परगनाधिकारी सदर के माध्यम से कराये जाने के फलस्वरूप अग्निकांड में हुई क्षति का विवरण निम्न लिखित है—

क्रम सं0	मद	अनुमानित कीमत रु0
1	मोटर सायकिल	10,000
2	फर्नीचर/आलमारी	3,000
3	दरी	450
4	लाइब्रेरी	1,000
5	चारपाई/बिस्तर आदि	2,000
6	सायकिल एवं अन्य सामान	2,500
	कुल योग	18,950

फैजाबाद पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी द्वारा अपराधिक घटनाओं की जांच

2—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को संबोधित तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद को पृष्ठांकित पत्र जो आपराधिक घटनाओं से संबंधित था, दिनांक 21-10-87 के संदर्भ में जिलाधिकारी के पत्रांक अ0 स0 पत्र सं0 22/आ0 लि0/अ0पृ0 87 जिलाधिकारी निवास फैजाबाद दिनांक 24 अक्तूबर, 1987 के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई तथा कब और किससे जांच कराई गई तथा जांच आख्या क्या है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्रश्नगत मामले की जांच सहायक पुलिस अधीक्षक से करायी गयी।

दिनांक 30-12-87 को यह जांच श्री जो0 पी0 शर्मा, क्षेत्राधिकारी इनायत नगर द्वारा पूर्ण की गयी। जांच के तथ्य निम्नलिखित हैं :—

(क) मु0 अ0 सं0 380/86 एवं मु0 अ0 सं0 216/87 थाना इनायतनगर में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गयी तथा शेष अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हुए। दोनों अभियोगों में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है, जो विचाराधीन है।

(ख) मु0 अ0 सं0 306/87 धारा 395/397/436 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना से अपराध 323/504 भा0 दं0 वि0 का पाया गया। इसमें पुलिस द्वारा चार्जशीट दिनांक 17-10-87 को प्रेषित की गयी।

(ग) ग्राम अछौरा के रामलखन यादव की रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 427/504 भा0 दं0 वि0 एवं दिनांक 4-10-87 की रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 395/भा0 दं0 वि0 जो विवेचना से 323 भा0 दं0 वि0 की हद तक के ही पाये गये। दोनों मामलों में चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है।

(घ) ग्राम परसपुर सथरा में मौके पर जांच से वहां के कुछ लोगों की पुलिस द्वारा अकारण पिटाई सम्बन्धी बात प्रकाश में नहीं हुई।

(ङ) ग्राम डीह पूरे बीरबल थाना इनायतनगर के हरिजन दयाराम का मकान भूपचन्द्र तिवारी द्वारा गिराने के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ कि दयाराम ने अपना छप्पर इनके चक में डाल दिया था, जिसे हरिनाथ ने वापस इनके चक में कर दिया। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।

राज्य सरकार द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के स्थाना पर उच्च शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि

3—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से उच्च शैक्षिक

योग्यता वाले अभ्यर्थियों को कुछ अंक ज्यादा देकर उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इससे निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले अभ्यर्थियों की बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हो जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले अभ्यर्थियों को रखने हेतु कोई नियम बनाने पर विचार करेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 में न्यूनतम अर्हता इन्टरमीडिएट परीक्षा से उच्चतर शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक उच्चतर परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 10% अतिरिक्त अंक प्रदान करने की व्यवस्था है। चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

यद्यपि उक्त व्यवस्था से न्यूनतम योग्यता वाले अभ्यर्थियों की बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हो सकती है किन्तु उच्चतर शिक्षा प्राप्त अधिक दक्ष अभ्यर्थियों को रोजगार मिलता है अतः शासन का वर्तमान व्यवस्था में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

बलिया जनपद के प्राणपुर गांव में पुलिस ज्यादती की जांच

4–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के प्राणपुर गांव में पुलिस की ज्यादती की जांच तथा नागरिक उत्पीड़न बन्द कराये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-10-88 शासन को प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति की सूचना मुख्य मंत्री सचिवालय ने पत्र सं0 सी0 एम0 (वि0 को0) एम-1-ब/234-46/88 एनेक्सी भवन, लखनऊ दिनांक अक्टूबर 31, 1988 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी है ? यदि हां, तो इस गम्भीर प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट की जा चुकी है ।

लखनऊ बिक्री कार्यालय में फर्म कमल ट्रेडर्स के पंजीयन के बारे में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

5–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 86 के तीसरे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 42 के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 242 सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 22-5-87 को मिला है । यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां । प्रश्न में सन्दर्भित माननीय विधायक का पत्र संख्या 242 दिनांक 22-5-87 प्राप्त हुआ ।

कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

जालौन (उरई) बिक्रीकर कार्यालय खण्ड-2 व 3 में कतिपय व्यापारियों के पंजीयन में अनियमितता

6—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के पांचवें मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0 80 के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विभागीय जांच के क्या परिणाम रहे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में नियुक्त जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । उस पर विचार किया जा रहा है ।

7—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

8—श्री यदुनाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

9—श्री यदुनाथ सिंह—

[उरे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री विजय शंकर, नि0 ग्राम कुसहरी, जनपद बाराबंकी को थाना रामसनेही घाट बाराबंकी की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की जांच

10—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विजय शंकर नि0 ग्राम कुसहरी, जनपद बाराबंकी को थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी की पुलिस ने 10 जून, 88 को गिरफ्तार किया था और थाना में रोके रखा और 21-6-88 को एक मुकदमा अपराध संख्या निल/88 धारा 410, 411 आई0 पी0 सी0 थाना रामसनेही घाट में अंकित कर चालान करके जेल भेज दिया ? क्या इस संबंध में दिनांक 14-6-88 को मैकू लाल ने गृह सचिव, उत्तर प्रदेश को तार तथा दिनांक 20-6-88 को जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी एवं गृह सचिव तथा गृह मंत्री को प्रार्थना पत्र दिया ? क्या मंत्री जी की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता 20-6-88 व 21-6-88 को मैकूलाल यादव के साथ स्वयं जिलाधिकारी, बाराबंकी से मिले तथा थाना में मजिस्ट्रेट को भेजकर जांच की मांग की ? यदि हां, तो सरकार 11 रोज तक एक व्यक्ति को अवैध रूप से थाना में बन्द रखने तथा फर्जी मुकदमें में फंसाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

श्री विजय शंकर नि0 ग्राम कुसहरी, जनपद—बाराबंकी को थाना रामसनेही घाट बाराबंकी की पुलिस ने 10 जून, 88 को नहीं वरन् 21 जून, 88 को अप0 सं0 निल/88 अन्तर्गत धारा 411 भा0 दं0 वि0 में गिरफ्तार किया था ।

इस संबंध में श्री मैकूलाल का तार दिनांक 14-6-88 प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु उनका प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-6-88 शासन को प्राप्त हुआ था ।

जी हां ।

चूंकि श्री विजय शंकर को फर्जी मुकदमे में फंसाकर अवैध रूप से बन्द नहीं रखा गया । अतः उच्चस्तरीय जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के कस्बा देवा के निकट रोडवेज बस से हुई दुर्घटना में श्री अब्दुल बहाव व मो0 इफरान की मृत्यु पर मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता संबंधी कार्यवाही

11—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 19 मई, 88 को जनपद बाराबंकी के कस्बा देवा के निकट रोडवेज बस से हुई दुर्घटना में बाराबंकी नगर के अब्दुल बहाव व मो0 इरफान की मृत्यु हो गई थी ? क्या शासन का ऐसा कोई आदेश है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को 15 दिन के अन्दर आर्थिक सहायता दे दी जानी चाहिए ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मृतकों के आश्रितों को कुछ आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो कब और कितनी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी हां ।

इस संबंध से शासन स्तर से निर्गत राजकीय अधिसूचना संख्या—484/टी/30-4-87-11 पी/81 दिनांक 4-2-87 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 92 (ए) के अन्तर्गत मृतकों के आश्रितों के लिए नियमानुसार आर्थिक सहायता दिनांक 8-2-89 को (रु0 15,000/-प्रत्येक मृतक के वारिसों को भुगतान करने के लिए) कुल धनराशि रु0 30,000/-परिवहन निगम द्वारा जिलाधिकारी, बाराबंकी को दे दी गयी है । उक्त अधिसूचना दिनांक 4-2-87 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत यात्री बीमा योजना के तहत परिवहन आयुक्त के स्तर से देय आर्थिक सहायता के संबंध में परिवहन आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

12—श्री देवेन्द्र पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद फैजाबाद की जिला योजना एवं अन्य समस्याओं के संबंध में पत्र एवं कृत कार्यवाही

13—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की जिला योजना के लिए धन की व्यवस्था किए जाने तथा अन्य समस्याओं के संबंध में मुख्य मंत्री को संबंधित प्रश्नकर्त्ता का 29 जुलाई, 88 का पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो उनमें से किन-किन मामलों पर कार्यवाही का दायित्व सचिव नियोजन विभाग को सौंपा गया है और उनके द्वारा उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

नियोजन मंत्री (श्री रघुबीर सिंह यादव)–

मा0 सदस्य का मुख्य सचिव को सम्बोधित एवं मुख्य मंत्री को पृष्ठांकित 29 जुलाई, 1988 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें वर्ष 1988–89 के लिए जनपदों को जिला योजना हेतु धनराशि आवंटित करने से संबंधित बिन्दु नियोजन विभाग से संबंधित है।

विभिन्न जिलों को संलग्न वस्तु परक मानक के आधार पर जिला योजना हेतु परिव्यय आवंटित किया जाता है। तत्पश्चात जनपद विशेष को उपलब्ध हुए परिव्यय को जिला स्तर पर गठित जिला समितियों की संस्तुति के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों हेतु आवंटित किया जाता है। इसलिए जनपदों तथा जनपद के अन्दर विभिन्न विकास कार्यक्रमों हेतु उपलब्ध होने वाले परिव्यय में भिन्नता होना स्वाभाविक है। मा0 सदस्य के पत्र का उत्तर पहले ही दिनांक 2-9-1988 को दिया जा चुका है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 192 पर)

जनपद फैजाबाद के राजकीय परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के आवागमन में लापरवाही

14–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में राजकीय परिवहन निगम के फैजाबाद डिपो द्वारा संचालित फैजाबाद वाराणसी बस सेवा बस नम्बर यू0 एच0 यू0 970 अक्सर बिगड़ी रहने के कारण महीने में केवल 4 या 5 दिन चलती है? क्या यह सही है कि वर्क शाप की लापरवाही के कारण फैजाबाद डिपो द्वारा संचालित सेवायें अक्सर अस्त-व्यस्त रहती हैं और दिनांक 30-8-88 को इसी कारण फैजाबाद से अकबरपुर की तरफ 5-30 बजे प्रातः के बाद 8.30 बजे तक कोई बस नहीं जा सकी और 29-8-88 की शाम को ही फैजाबाद डिपो की वर्कशाप में ही बस नं0 यू0 एच0 यू0 970 का टायर 30-8-88 को प्रातः 9 बजे तक नहीं बदला गया? यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार को दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने में क्या कठिनाई है?

श्री प्रमोद कुमार–

यह सत्य नहीं है। फैजाबाद डिपो की बस सं0–यू0 एच0 यू0–970 जुलाई, 1988 में 3 दिन, अगस्त, 88 में 6 दिन एवं सितम्बर, 88 में केवल एक दिन नहीं चली।

यह सत्य नहीं है। बस सं0–962 फैजाबाद से आजमगढ़ के लिये 5-45 बजे गयी थी। इसके पश्चात एक-एक बस आजमगढ़ और बलिया डिपो की इस मार्ग पर जानी थी परन्तु 29-8-88 को यह सेवायें उक्त डिपो से नहीं आयी थीं, इसलिए दिनांक 30-8-88 को नहीं गयीं।

बस सं0–यू0 एच0 यू0–970 दिनांक 29-8-88 को फैजाबाद से 94 किमी0 वाराणसी मार्ग पर बेलवाई में खराब हो गयी थी जो कि 20.00 बजे मरम्मत होकर फैजाबाद आयी । इसे चेक करने के उद्देश्य से रोक लिया गया और इसके स्थान पर बस सं0–9070 दूसरे मार्ग से हटाकर 30-8-88 को प्रातः 8.30 बजे वाराणसी भेजी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कल्लू पुत्र श्री विपती निवासी ग्राम अजीनी खेड़ा, वि0 खण्ड सुमेरपुर, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाया जाना

15–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16-8-88 के साथ श्री कल्लू पुत्र श्री विपती, निवासी ग्राम अजीनी खेड़ा, वि0 खण्ड सुमेरपुर, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव का कोई ऐसा प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ जिसमें श्री कल्लू को आवंटित भूमि नं0 30 ख 21 पर कब्जा दिलाने की प्रार्थना की गयी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? इसके साथ ही मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इससे 2 वर्ष से श्री कल्लू ने जिलाधिकारी, उन्नाव तथा परगनाधिकारी, पुरवा को कुल कितने प्रार्थना-पत्र दिये हैं और उन पर अब तक कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

भूमि संख्या–30 का रकबा मौके पर अभिलिखित रकबे से कम होने के कारण आवंटी को भूमि का कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं था अतएव उसके स्थान पर कल्लू पुत्र विपती को भूमि संख्या–87 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा आवंटित कर कब्जा दिया जा चुका है ।

अक्टूबर, 1987 से 5 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिसके आधार पर गत वर्ष ही अन्य भूमि आवंटित करने की कार्यवाही की जा चुकी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में स्थित फायर ब्रिगेड में फायर मैन के पद पर भर्ती हेतु साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों की घोषित सूची में परिवर्तन किया जाना

16–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में फायर ब्रिगेड में फायर मैन पद पर भर्ती हेतु दिनांक 17-3-88 को लिये गये साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों की सूची घोषित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि घोषित सूची में क्रमांक 70 (सत्तर) पर श्री उमेश चन्द्र मिश्र पुत्र श्री विद्यासागर निवासी–हरदोई का नाम अंकित था इसको काट कर किसी अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो चयनित अभ्यर्थियों का नाम काट कर दूसरे के चयन का क्या औचित्य है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

यह सही है कि घोषित सूची में क्रमांक 70 पर श्री उमेश चन्द्र मिश्र पुत्र श्री विद्यासागर निवासी हरदोई का नाम अंकित था और इसको काट कर अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किया गया । क्योंकि क्रमांक 70 पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का नाम टंकित होना था किन्तु त्रुटिवश श्री उमेश चन्द्र मिश्र का नाम टंकित हो गया था । तदनुसार श्री उमेश चन्द्र मिश्र का नाम काट कर आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थी का नाम टंकित किया गया ।

17–श्री राम आसरे वर्मा–

[दि0 14-2-89 को अता0 प्र0 सं0 157 द्वारा उत्तरित]

बी0 एन0 के0 बी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अकबरपुर, फैजाबाद में फर्जी बयान देकर प्रवेश पाना

18–श्री शिव दर्शन–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23-12-86 को बी0 एन0 के0 बी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अकबरपुर, फैजाबाद ने कोतवाली अकबरपुर को कोई सूचना उक्त विद्यालय के किसी छात्र द्वारा फर्जी बयान हल्फी देकर बी0 ए0 कक्षा में प्रवेश सम्बन्धित दर्ज कराने को भेजा था ? यदि हां, तो सम्बन्धित छात्र का नाम तथा उसके पिता का नाम क्या है ? इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

छात्र का नाम श्री फरहत अब्बास रिजवी पुत्र श्री अकबर हुसैन बाबर है।

प्रश्नगत अपराध सं0 79/89 धारा 420/467/468/471 भा0 दं0 वि0 की विवेचना की जा रही है।

19–श्री शेर बहादुर सिंह–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद फर्रुखाबाद में जनसंख्या के आधार पर बसों में बढ़ोत्तरी करने पर विचार

20–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़–फर्रुखाबाद नगरों के बीच नगर बस सेवा की कुल कितनी बसें संचालित हो रही हैं ? आज से दस वर्ष पूर्व नगर बसों की संख्या इस रूट पर क्या थी? क्या बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के बीच चलने वाली बसों की संख्या बढ़ायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

फर्रुखाबाद–फतेहगढ़ नगरों के मध्य 4 नगर बसें टाउन हाल–नेहरू रोड-बस स्टेशन फर्रुखाबाद-फतेहगढ़-कचहरी तक के 9 कि0मी0 लम्बे मार्ग पर संचालित हैं।

आज से दस वर्ष पूर्व अगस्त, 1978 में उक्त मार्ग पर 5 बसों का संचालन निर्धारित था।

जी नहीं।

उपरोक्त नगर में सिटी बस का संचालन टाउन हाल से नेहरू रोड बस स्टेशन फर्रुखाबाद होते हुए फतेहगढ़ कचहरी तक के 9 किमी0 लम्बे मार्ग पर किया जाता रहा परन्तु ट्रैफिक की समस्या को स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा बस स्टेशन फर्रुखाबाद से नेहरू रोड होकर टाउन हाल तक के 3 किमी0 व्यस्त मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबन्धित कर दिया गया जो जुलाई, 88 तक प्रभावी रहा है। इस अवधि में नगर बस का मार्ग 9 किमी0 से घटकर मात्र 6 किमी0 रह गया इसलिए बस स्टेशन फर्रुखाबाद से पतेहगढ़ कचहरी तक के 6 किमी0 भाग पर 3 नगर बसों द्वारा 18 ट्रिप प्रतिदिन बढ़ाकर संचालन किया गया।

जिला प्रशासन द्वारा केवल नगर बसों को नेहरू रोड होते हुये टाउन हाल तक चलाने की अनुमति वर्तमान में प्रदान कर दी गयी है। जिसके फलस्वरूप 3 नगर बसों को अगस्त, 88 से टाउनहाल से फतेहगढ़ कचहरी तक संचालित कर दिया गया है। वर्तमान में 4 बसों का संचालन किया जा रहा है।

वर्ष 1978 में नगर बस के उपरोक्त मार्ग पर थ्री व्हीलर आदि का संचालन नहीं होता था इसलिए यात्री की निर्भरता मात्र नगर बसों पर ही थी। वर्तमान में थ्री व्हीलर्स का संचालन काफी बढ़ गया है और अतिरिक्त नगर ट्रैफिक इन वाहनों की सुविधा पा रहा है। सड़कों की संकीर्णता के कारण और अधिक सिटी बस बढ़ाना सम्भव न होगा।

जनता की मांग पर जैनापुर महेशपुर के पास बस स्टाप स्थापित करने की मांग

21–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनता की भारी मांग को देखते हुए एवं उसकी कठिनाई को दूर करने हेतु फर्रुखाबाद से शाहजहांपुर बरेली मुरादाबाद एवं मेरठ आदि को जाने वाली बसों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए फतेहगढ़ व अल्लागंज के बीच कोई अन्य बस स्टाप जैनापुर महेशपुर के पास स्थापित करने का कष्ट करेंगे ? क्या इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा चुका है ? यदि हां, तो तेईस कि0 मी0 की इस दूरी के बीच कोई बस स्टाप न बनाने का औचित्य क्या है ?

श्री प्रमोद कुमार–

फर्रुखाबाद से शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ की ओर आने-जाने वाली सभी बसों का जैनापुर में फेयर स्टापेज है जो अल्लागंज व फतेहगढ़ के मार्ग पर स्थित है।

जी हां।

यह सत्य नहीं है कि 23 किमी0 के मध्य कोई स्टापेज नहीं है । मार्ग का सर्वे करने के उपरान्त जैनापुर में सभी बसों का फेयर स्टापेज बनाया गया है । साथ ही ही लोकल बसों हेतु इसी मार्ग पर फर्रुखाबाद-फतेहगढ़-घाटवा घाट, राजपुर मोड़ गांधी-ग्राम, उजरामऊ, जैनापुर, उवरी, राम गंगा ब्रिज बैरियर, हुल्लापुर तथा अल्लागंज फेयर स्टापेज हैं । सभी मेल बसें जैनापुर में रुककर यात्रियों को उठाती-उतारती हैं तथा उपरोक्त लोकल बसें भी उक्त स्टापेजों पर रुककर यात्रियों को इठाती उतारती हैं ।

बलिया जनपद के राजपुर ग्राम सभा के प्रधान पर अवांछनीय तत्वों द्वारा जानलेवा पिटाई एवं मुजरिम की गिरफ्तारी न किया जाना

22—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र लोक दल के उपाध्यक्ष एवं सीयर ब्लाक के उभांव थाना क्षेत्र में ग्राम सभा राजपुर के प्रधान श्री देवनाथ मौर्य को दिनांक 3-11-88 को उस गांव के सामन्त पुत्रों व अवांछनीय तत्वों ने हमलाकर जान-लेवा निर्मम पिटाई की जो पांच दिन तक मूर्छित रहे तथा आज तक (14-11-88) गम्भीर रूप से अस्पताल में घायलावस्था में इलाज करा रहे हैं लेकिन कई असरदार मुलजिम गिरफ्तारी से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 3-11-88 को ग्राम राजपुर के प्रधान श्री देवनाथ मौर्य व महादेव शरण सिंह तथा उनके सहयोगियों के बीच मारपीट हुई थी जिसमें श्री देवनाथ मौर्य व अन्य को चोटें आयी थीं । इस सम्बन्ध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/323 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया गया था । विवेचना के दौरान दि0 3-11-88 को ही 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गये शेष 10 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । इस अभियोग में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दि0 30-11-88 को न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में विपक्षियों द्वारा भी एक अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/336/323 भा0 दं0 वि0 श्री देवनाथ मौर्य आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था इस अभियोग में भी विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

परिवहन निगम गोरखपुर मण्डल द्वारा ड्यूटी पर मृत चालकों की विधवाओं को सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किये जाने पर विचार

23—श्री मौलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या परिवहन मंत्री को यह ज्ञात है कि उ0 प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम के गोरखपुर मण्डल के जनपद बस्ती में ड्यूटी पर मृत चालकों की विधवाओं को कई वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अभी तक सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी विधवायें हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी हेतु आवेदन दे रक्खे हैं और उनको कब तक नियुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी ऐसी विधवाओं के नाम और पते क्रमवार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम गोरखपुर मण्डल के जनपद बस्ती में मृत चालकों की विधवाओं को रिक्तियों के अभाव में अभी तक सेवायोजित नहीं किया जा सका है।

मृत चालकों की ऐसी चार विधवाएं हैं जो सभी अशिक्षित हैं जिन्होंने आवेदन पत्र दे रखे हैं। चतुर्थ श्रेणी में मानक से अधिक कर्मचारी कार्यरत होने के कारण नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही उन्हें क्रमवार नियुक्त किया जाना संभव होगा।

विधवाओं को अब तक नियुक्त न किये जाने का कारण बस्ती डिपो में चतुर्थ श्रेणी के पदों का रिक्त न होना। चारों विधवाओं का नाम व पता निम्नवत् है:–

शैक्षिक योग्यता	पता	टिप्पणी
अनपढ़	ग्राम व पोस्ट डूमरियागंज बस्ती	: :
अनपढ़	तदैव	: :
दोनों अनपढ़	ग्रामम व पो0 खर भिटवा पो0 सल्टीवा, गोपालनपुर जिला–बस्ती।	स्व0 श्री मो0 याकूब की दोनों पत्नियों में से एक ने स्वयं को नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया है, दूसरी ने अपने पुत्र के लिये।
अनपढ़	मो0– पिकौराबक्श गांधी नगर बस्ती।	

जनपद बाराबंकी के बिक्रीकर कार्यालय द्वारा फर्म गणेश ट्रेडर्स का पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाना तथा बकाये कर की वसूली

24–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बाराबंकी बिक्रीकर कार्यालय में फर्म गणेश ट्रेडर्स का पंजीयन वर्ष 81-82 से 83-84 तक का किया गया ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने किस आधार पर इस फर्म को पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया था ? इन तीनों वर्षों में कितना-कितना कर लगाया गया ? कितने-कितने रुपये की मांग निकाली गयी ? बकाया में कितना वसूल हुआ ? क्या यह सही है कि इस फर्म के पंजीयन का अनुमोदन सहायक आयुक्त (शा) लखनऊ ने किया था ? क्या यह भी सही है कि कालान्तर में यह फर्म फर्जी साबित हुई ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी को कब यह बात ज्ञात हुई ? इस प्रकरण पर अधिकारी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां, उल्लिखित फर्म को पंजीयन तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी–2 श्री के0 सी0 सक्सेना ने फर्म द्वारा वेजीटेबुल घी, शुगर खाण्डसारी मैदा, पाम आयल तथा मस्टर्ड आयल आदि की प्रान्त के अंदर से क्रय की गयी वस्तुओं की बिक्री का कारोबार किये जाने के आधार पर दिया था। वर्ष 81-82 में व्यापारी को कर मुक्त किया गया है, वर्ष 82-83 में रुपये 3,50,000 व वर्ष 83-84 के प्रथम भाग में रु0 1,80,000 एवं द्वितीय भाग में रु0 7,22,500 कर आरोपित किया गया है।

वर्ष 82-83 में रु0 3,50,000 व वर्ष 83-84 में प्रथम भाग में रुपया 1,80,000 तथा वित्तीय भाग में रु0 7,22,500 की मांग निकाली गयी।

वसूली अभी नहीं हुई है । वसूली प्रमाण पत्र जारी है ।

जी नहीं ।

जी नहीं, चूंकि फर्म फर्जी नहीं पायी गयी अतएवं कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में बिक्रीकर कुर्क अमीन के साथ किये गये अभद्र व्यवहार की जांच

25–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0–106 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राम प्रसाद कुर्क अमीन के साथ डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर द्वारा अभद्र व्यवहार की जांच किस अधिकारी ने की थी ? जांच रिपोर्ट का परिणाम क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राम प्रसाद कुर्क अमीन के साथ डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर, द्वारा कथित अभद्र व्यवहार के संबंध में कोई जांच नहीं हुई ।

संदर्भित प्रकरण डा0 ज्ञानेन्द्र वर्मा, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) के कार्यकाल का है । डा0 ज्ञानेंद्र वर्मा सेवा निवृत्त हो चुके हैं । प्राप्त जानकारी के अनुसार चार अमीनों द्वारा कतिपय मांगों के सम्बन्ध में क्रमिक अनशन किया गया था जिनमें से एक मांग श्री राम प्रसाद अमीन के साथ डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर द्वारा कथित अभद्र व्यवहार की थी । दूसरे ही दिन तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा स्वयं जाकर मामले का समाधान करा दिया गया था ।

रीना ट्रेडर्स लखनऊ से बिक्रीकर की वसूल की गई धनराशि का ब्यौरा

26–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड–4 में स्थित रीना टेडर्स का अंतिम कर आदेश वर्ष 82-83 का मार्च, 87 में पारित किया गया था और 128,000 रु0 की मांग निकाली गयी थी ? यदि हां, तो वर्ष के दौरान करदाता ने कितने रूपपत्र–4 भरकर दाखिल किये और कितनी बिक्री दिखायी और कितना कर जमा किया ? क्या वर्ष के दौरान अथवा बाद में सर्वेक्षण किया गया ? चौथी साल के अंत में किस आधार पर एक पक्षीय आदेश पारित किया गया ? बकाया में कितना वसूल हुआ ? बकाया पर क्या अर्थदण्ड लगाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

चार रूप पत्र (चारों तिमाही के) भरकर दाखिल किये गये । रूप पत्रों में कुल रु0 5,862.50 की बिक्री दिखायी गयी । कोई कर जमा नहीं किया । वर्ष के दौरान अथवा बाद में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया । बाद में सुनवाई की तिथि प्रथम बार दिनांक 20-9-86 निश्चित की गयी परन्तु व्यापारी के अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई तिथि बढ़ाई जाती रही । बार-बार मौका दिया गया परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ फलस्वरूप एक पक्षीय आदेश पारित किया गया । कुछ भी वसूल नहीं हुआ । व्यापारी ने एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध अपील दायर की । सहायक आयुक्त (न्याय)

के निर्णय दिनांक 4-1-88 द्वारा वाद प्रति प्रेषित कर देने के कारण अर्थदण्ड नहीं लगाया गया । प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण दिनांक 8-12-88 को पारित करते हुये व्यापारी को कर मुक्त घोषित किया गया ।

सतर्कता विभाग की जांच के संबंध में श्री खान अब्दुल वदूद खां के पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

27—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के चौथे मंगल के अता0 प्र0 सं0—32 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सतर्कता विभाग की जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? क्या इस सम्बन्ध में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0—795 मुख्य मंत्री को तारीख 14-7-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

सतर्कता जांच रिपोर्ट में सत्यनिष्ठा रोकने व विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव किया गया है ।

जी हां ।

उपर्युक्तानुसार दण्डात्मक कार्यवाही विचाराधीन है ।

कानपुर बिक्री कर अधिकारी द्वारा निलम्बित लिपिक श्री आर0 के0 चौधरी के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट एवं प्रश्नकर्ता के पत्र पर विभागीय कार्यवाही

28—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर के बिक्रीकर अधिकारी श्री आर0 एल0 मौर्य ने माह फरवरी/मार्च, 87 में थाना काकादेव में निलम्बित लिपिक श्री आर0 के0 चौधरी के विरुद्ध एक रपट लिखायी थी ? क्या यह सही है कि इस लिपिक ने अपनी पत्नी कुन्ती रानी के नाम से फर्जी पते पर पंजीयन प्रमाण-पत्र लिया था और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0—116 सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 30-3-87 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या विभागीय कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

जी नहीं, प्रमाणित नहीं होता ।

जी हां ।

माननीय विधायक के उक्त पत्र में किसी फर्म का नाम नहीं दिया गया है। उक्त पत्र के सम्बन्ध में बिक्रीकर आयुक्त से रिपोर्ट प्राप्त की गयी । स्थिति यह ज्ञात हुई कि वर्ष 1981-82 में एक फर्म आर0 के0 इण्डस्ट्रीज, प्लाट नम्बर 396 शास्त्री नगर, कानपुर के पते पर पंजीकृत कराई गयी जिसके दो भागीदार क्रमशः श्री हरीश कुमार पुत्र स्व0 श्री राम प्रकाश शर्मा एवं श्रीमती कुन्तीरानी शर्मा पत्नी स्व0 राम प्रकाश दर्शाये गये हैं। कदाचित माननीय विधायक का मन्तव्य इसी फर्म से है । लिपिक का नाम श्री ऋषि कुमार चौधरी है।

उक्त फर्म का पंजीयन करने तथा फार्म जारी करने के लिए दोषी पाये गये अधिकारियों में से एक बिक्रीकर अधिकारी को आरोपित किया गया है, एक बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 को तथ्यात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकी गई हैं और एक अन्य बिक्रीकर अधिकारी तथा एक बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी–2 को चेतावनी दी गई है।

29–श्री मूलचन्द तथा श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित]

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में चार लाख रुपयों की धोखाधड़ी एवं उसके सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

30–श्री मूल चन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड 9 व 11 में चार लाख रुपयों के चेकों को धोखा धड़ी की जांच के बारे में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 477 उनके कार्यालय में ता0 14-8-87 को व पत्र सं0 857 उनके कार्यालय में ता0 5-8-88 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां, मा0 सदस्य का पत्र सं0–477 तो प्राप्त हुआ है, परन्तु पत्र सख्या–857 नहीं प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत प्राप्त पत्र में उल्लिखित कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जाच अपराध अनुसंधान शाखा से कराई जा रही है। जांच का परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है।

31–श्री मूल चन्द्र–

[3रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

परिवहन निगम सीतापुर स्टेशन के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण का विवरण

32–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के सीतापुर स्थित स्टेशन के कर्मचारियों ने दिनांक 27 तथा 28 अगस्त, 88 को हड़ताल रक्खी जिससे सीतापुर डिपो की एक भी बस नहीं चली ? यदि हां, तो क्यों ? उनकी मांगें क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां ।

दिनांक 27 तथा 28 अगस्त 88 को सीतापुर डिपो के कर्मचारियों द्वारा अप्रत्याशित रूप से हड़ताल कर दी गई, जिसके कारण सीतापुर डिपो की कोई बस उक्त तिथियों को नहीं चली ।

सीतापुर डिपो के कर्मचारियों ने अचानक बिना पूर्व नोटिस के हड़ताल कर दी बाद में उनके द्वारा बताया गया कि सीतापुर डिपो के चालक श्री चन्द्र भाल मिश्रा के परिवार को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपया दिया जाए तथा सीतापुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक का स्थानान्तरण किया जाए ।

स्व0 श्री चन्द्र भाल मिश्रा की मृत्यु उनके लम्बी अवधि से क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण उनके निवास स्थान पर हुई अतएव मुआवजे के रूप में एक लाख दिए जाने का कोई प्रश्न नहीं है तथा कर्मचारियों द्वारा बताए गए अन्य मुआवजे के लिए निगम प्रशासन द्वारा प्रधान प्रबन्धक द्वारा जांच किए जाने के आदेश दिए गए थे। जांच में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध लगाए गए अभिकथन आधार हीन पाये गये। प्रशासनिक दृष्टि से श्री सिन्हा, तत्कालीन सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीतापुर का स्थानान्तरण बलरामपुर डिपो, गोण्डा कर दिया गया है।

प्रधानाचार्य आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज शाहजहांपुर पर सरकारी धन के गबन एवं कालेज सम्पत्ति के दुरुपयोग की शिकायत के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण

33—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आसुतोष चन्द्र मिश्र प्रबन्धक आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, शाहजहांपुर द्वारा रजिस्टर्ड डाक से कोई सूचना 13-6-88 के आस-पास किसी दिन थाना सदर बाजार शाहजहांपुर में इस आशय से मिली कि उसे प्रथम सूचना के रूप में अंकित कर लिया जाय जिसका विषय उपरोक्त कालेज की प्रधानाचार्य के विरुद्ध गबन तथा कालेज सम्पत्ति के दुरुपयोग आदि के बारे में था तथा इसी आशय की सूचना 18-6-88 के आस-पास किसी दिन थाना सदर बाजार में क्षेत्राधिकारी पुलिस शाहजहांपुर द्वारा भी जांच हेतु मिली ? यदि हां, तो दोनों पत्रों में मुख्य-मुख्य आरोप क्या थे ? प्रथम सूचना किस तिथि को अंकित की गई ? दोनों पत्र किस-किस तिथि को थाने में प्राप्त हुए ? जांचकर्ता अधिकारी का नाम क्या है ? जांच स्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

श्री आशुतोष चन्द्र प्रबन्धक आर्य कन्या पाठशाला शाहजहांपुर के नाम से थाना सदर बाजार पर को प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

दिनांक 17-6-88 को डा0 सुशील चन्द्र प्रबन्धक आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज शाहजहांपुर का प्रेषित किया हुआ प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा थाना सदर बाजार पर प्राप्त हुआ जिसमें श्रीमती पी0 चन्द्रा पत्नी श्री निर्मल चन्द्रा नि0 रूफस चरन लेन थाना सदर बाजार शाहजहांपुर प्रधानाचार्य आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, शाहजहांपुर के विरुद्ध सरकारी धन का गबन करने के आरोप लगाये गये थे तथा एक प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकारी नगर के माध्यम से दिनांक 17-6-88 को ही इस थाने पर प्राप्त हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र जांच हेतु उप निरीक्षक श्री महातम सिंह को दिनांक 17-6-88 को दिये गये थे। बाद जांच प्रार्थना पत्रों पर मु0 अ0 सं0 276/88 धारा 406/409 भा0 दं0 वि0 बनाम श्रीमती चन्द्रा थाना सदर बाजार पर पंजीकृत हुआ।

प्राप्त प्रार्थना पत्रों में श्रीमती पी0 चन्द्रा के विरुद्ध गबन करने, कालेज सम्पत्ति का दुरुपयोग करने के आरोप थे।

उप निरीक्षक श्री महातम सिंह ने जांच के बाद दिनांक 5-7-88 को प्रथम सूचना पंजीकृत कराई गई ।

उप निरीक्षक श्री महातम सिंह हैं ।

श्री सुशील चन्द्र मिश्र प्रबन्धक आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज शाहजहांपुर ने श्रीमती पी0 चन्द्रा प्रधानाचार्य आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज के विरुद्ध आरोप लगाया कि उन्होंने राजकीय अल्प बचत योजना संचायिका का 55 हजार रुपया गबन किया है । जांच से संचायिका का 55 हजार रुपया जो सावधि खाते में बहादुरगंज डाकखाने में दिनांक 22-9-86 को जमा किया गया था एक वर्ष बाद मय ब्याज के यानि कुल 59125/- रुपये दिनांक 27-1-87 को निकाल कर विद्यालय के संचायिका खाता सं0 727073 में उसी दिन जमा कर दिया है तथा प्रबन्धक ने अन्य कई आरोप जैसे चाट, आइसक्रीम के ठेलों से प्राप्त धन के गबन के संबंध में लगाये हैं । लेकिन प्रबन्धक ने अभी तक श्रीमती पी0 चन्द्रा प्रधानाचार्या के विरुद्ध कोई सबूत (रिकार्ड) प्रस्तुत नहीं किया है । उक्त मुकदमें की विवेचना अभी जारी है ।

बरेली महानगर में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के कारण एवं उसकी रोकथाम पर विचार

34–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर में जून, 87 से जून, 88 तक कितनी सड़क दुर्घटनायें हुईं ? उनमें कितने लोग मारे गये ? क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्षों के अनुपात में इस वर्ष दुर्घटनाओं में मृत्यु अधिक हुई है ? इसका क्या कारण है ? दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार बरेली महानगर में 1 जून, 1987 से 30 जून, 1988 तक कुल 189 सड़क दुर्घटनाए हुई और इनमें कुल 67 लोगों की मृत्यु हुई । यह सच है कि वर्ष 1988 में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या अधिक है किन्तु सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी आयी है ।

कारण यह है कि आम तौर पर हर प्रकार के वाहनों में वृद्धि, वाहन चालकों द्वारा यातायात के नियमों का पालन न करना एवं लापरवाही से वाहन चलाना, भीड़भाड़ वाले इलाके में अधिक गति से वाहन का चलाना एवं सड़कों की चौड़ाई सीमित होना आदि है ।

दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के श्री रविशंकर तिवारी, बनारसी टोला, अलीगंज द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर पर गलत मुकदमा कायम करने का आरोप

35–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवि शंकर निवासी बनारसी टोला, अलीगंज लखनऊ का कोई आवेदन पत्र माह जुलाई, 88 के अंतिम सप्ताह में श्री जयराज

सिंह सब इंस्पेक्टर द्वारा गलत मुकदमा कायम कराने तथा उत्पीड़ित करने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित कई पत्र उनको एवं पुलिस महानिदेशक, तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त सब इंस्पेक्टर के कार्यकलापों की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-7-88 श्री रवि शंकर वर्मा निवासी बनारसी टोला, लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 15-7-88 सहित शासन को प्राप्त हुआ । इस संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ को मामले की किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराने के लिये निर्देश दिये गये थे । जांच से उक्त सब इन्सपेक्टर जयराज सिंह आदि के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

सेशन जज ललितपुर के निर्णय दिनांक 6-5-88 के विरुद्ध जिलाधिकारी ललितपुर को अपील करने की संस्तुति पर कृत कार्यवाही

36–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि एस टी नं0 109/86 अन्तर्गत धारा 323 व 302 भारतीय दण्ड विधान थाना कोतवाली जनपद ललितपुर में सेशन जज ललितपुर के निर्णय दिनांक 6-5-88 के विरुद्ध जिलाधिकारी ललितपुर ने न्याय विभाग को सरकारी अपील करने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने अपील दाखिल की है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 16 अगस्त, 1988 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय मुख्य मंत्री के टेलीफोन बिल्स के भुगतान का विवरण

37–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विधान भवन तथा अनेक्सी भवन स्थित मुख्य मंत्री कार्यालयों में 23 जून, 88 से 31 अक्टूबर, 88 तक टेलीफोन बिलों की अदायगी में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया तथा विदेशों में किये गये ट्रंक-काल्स पर अदा की गयी कितनी धनराशि इसमें शामिल है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्नगत अवधि में मुख्य विधान भवन तथा एनेक्सी भवन स्थित मुख्य मंत्री कार्यालयों से सम्बन्धित टेलीफोन बिलों के भुगतान की स्थिति निम्नवत है :–

1–मुख्य विधान भवन–रु0 12,625.00
2–एनेक्सी भवन–रु0 2,58,365.00

उक्त धनराशि में विदेश में की गई एक काल की बुकिंग चार्ज की धनराशि रु0 आठ सम्मिलित है ।

हाडा फूड्स प्रा0 लि0 एवं रूही केमिकल्स प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम गुलिस्तानपुर जिला गाजियाबाद की भूमि पर अवैध निर्माण गिराया जाने के बाद पुनर्निर्माण हेतु आदेश का स्रोत

38–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि धडा फूड्स प्रा0 लि0 एवं रूही कैमिकल्स प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम-गुलिस्तानपुर, तहसील दादरी , जिला गाजियाबाद की भूमि पर कराये गये अवैध निर्माण को जिला प्रशासन द्वारा नवम्बर, 86 में गिराये जाने पर उसके पुन: निर्माण के आदेश कहां से प्राप्त हुए ? क्या यह अवैध निर्माण सूरतपुर नोएडा रोड से ग्राम दवेला जाने वाले सार्वजनिक रास्तों पर किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस अवैध निर्माण को पुन: गिराये जाने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम गुलिस्तानपुर, तहसील दादरी (गाजियाबाद) की भूमि पर कथित फर्मों द्वारा कराये गये अनाधिकृत निर्माण को जिला प्रशासन द्वारा दिसम्बर, 86 में गिराये जाने के उपरांत किसी भी अधिकारी द्वारा पुर्ननिर्माण करने के आदेश नहीं दिये गये हैं ।

हाडा फूड्स प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम गुलिस्तानपुर की बंजर भूमि तथा रूही कैमिकल्स प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम दवेला की सड़क के रूप में अंकित भूमि पर पुन: अवैध निर्माण किया गया है, जो दादरी सूरजपुर नोएडा रोड के निकट स्थित है ।

कथित फर्मों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अवैध निर्माण न गिराये जाने के संबंध में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए गये हैं । उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी पर जिलाधिकारी द्वारा भी स्थगन आदेश दिये गये हैं जिनके प्रभावी रहने तक कथित अवैध निर्माण का गिराया जाना संभव नहीं है ।

बांदा जिले में बेबरू तहसील के ग्राम टोलाकलां के हरिजन और निर्बल वर्ग की जमीन की पैमाइस न कराने व कब्जा न दिये जाने संबंधी शिकायत पर की गयी कार्यवाही

39–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में बेबरू तहसील के ग्राम-टोलाकला के राम प्रताप व राम लाल आदि हरिजन और निर्बल वर्ग के लोगों ने 9-11-88

के जिलाधिकारी बांदा को प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत की है कि उनके पट्टे की जमीनों की पैमाइश नहीं की गयी और कब्जा नहीं दिलाया गया है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट संख्या शून्य 1988 विश्वम्भर सिंह बनाम नियत अधिकारी तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 22-9-88 के अनुसार कार्यवाही स्थगित है ।

जनपद नैनीताल के श्री भगवत सिंह रावत बुकिंग क्लर्क को उच्च वेतनमान दिया जाना

40–श्री किशन सिंह तड़ागी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भगवत सिंह रावत, बुकिंग क्लर्क नैनीताल को उच्च वेतन मान शासनादेश संख्या 558511–xxx–ए0–420 एन-59 दिनांक दिसम्बर, 29, 1961 तथा परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 19 बी0 ई0 एम0 टी0–76 आर0 एस0 ई0 पी0/59 दिनांक 31-3-62 के बावजूद उप प्रधान प्रबन्धक (कार्मिक) उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 लखनऊ द्वारा अभी तक न दिये जाने के क्या कारण हैं ? इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

श्री भगवत सिंह रावत, बुकिंग क्लर्क नैनीताल को उच्च वेतनमान रु0 60-4-80 द0रो0 80-4-100, दिनांक 1-8-63 से दे दिया गया है । अतएव अब इसके भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता है।

वाराणसी जिलाधिकारी कार्यालय भवन की जर्जर स्थिति व स्थानाभाव के कारण बहुखण्डी भवन निर्माण का प्रस्ताव

41–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद अंतर्गत स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय भवन में स्थानाभाव होने तथा उसकी जर्जर स्थिति को देखते हुए उक्त भवन को तोड़कर कोई बहुखण्डी भवन बनाये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

42–श्री मैनेजर सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद डिपो के मिझौंड़ा से कानपुर जाने वाली बस के कन्डक्टर को विभाग के लिए अच्छी आमदनी अर्जित के लिए ईनाम एवं उसके विरुद्ध साजिश

43–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में राजकीय परिवहन निगम के फैजाबाद डिपो द्वारा चालू की गयी मिझौंड़ा से कानपुर की सेवा हेतु उपलब्ध करायी गयी दो बसों में से एक बस के कन्डक्टर को विभाग के लिए अच्छी आमदनी अर्जित करने का इनाम मिल चुका है जबकि दूसरी बस के ड्राइवर और कन्डक्टर उक्त सेवा को समाप्त करने हेतु तरह-तरह की साजिश कर रहे हैं और उनके द्वारा अर्जित आमदनी हमेशा पहली बस की अपेक्षा कम रहती है और समय से पहले या बहुत बाद में चलने की उनकी आम शिकायत है ? यदि हां, तो इस पर प्रभावी अंकुश लगाने और उक्त सेवा को से तथा नियमित चलाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री प्रमोद कुमार–

यह सत्य है कि दिनांक 1-4-88 से मिझौंन से कानपुर सेवा का संचालन दो बसों से प्रारम्भ किया गया । इनमें से एक सेवा पर कार्यरत परिचालक को जून 88 में 4.68 पैसे प्रति किमी0 की दर से आय देने के कारण उसके आचरण भत्ते में वृद्धि की गयी । दोनों सेवाओं के प्रति प्राप्त आय प्रति किमी0 निम्नवत है :–

प्रथम बस परिचालक			द्वितीय बस परिचालक	
माह	परि0 का नाम	आय प्रति कि0मी0	परि0 का नाम	आय प्रति कि0मी0
अप्रैल, 88	श्री एस0के0 शुक्ला	3.07	श्री ड़स0के0 सिंह	3.12
मई, 88	,,	4.07	,,	4.29
जून, 88	,,	4.68	श्री डी0आर0 शर्मा	4.40
जूलाई, 88	,,	2.81	,,	4.00
अगस्त, 88	,,	3.81	श्री सियाराम वर्मा	3.40

उक्त से स्पष्ट है कि दूसरे बस के चालक/परिचालक द्वारा किसी सेवा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है और न ही उसके द्वारा हमेशा कम आमदनी दी जाती है और न ही उसके विरुद्ध कोई शिकायत है । समय से पहले या बहुत बाद में चलने की कोई शिकायत नहीं है ।

संचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये इन सेवाओं के समय में परिवर्तन किया गया जिसके फलस्वरूप आय व समय पालन में सुधार आया है सेवा नियमित रूप से चल रही है ।

देवरिया जनपद की बैतालपुर शुगर फैक्ट्री से बकाये धन की वसूली

44—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद की बैतालपुर शुगर फैक्ट्री को रिसिवरशिप में लेने का क्या कारण था ? क्या उस समय देवरिया बैतालपुर, भटनी, गौरी बाजार तथा कसिया के गन्ना विकास सहकारी संघों का 61 लाख 50 हजार रुपये से अधिक का बकाया उक्त चीनी मिल पर था जिसके भुगतान न होने के कारण उक्त मिल को अधिग्रहीत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त बकाये गन्ना मूल्य, कमीशन तथा ब्याज की वसूली उक्त मिल को की जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो उक्त देनदारियों की वसूली अब तक न करने के कारण क्या है और उसके लिए उत्तरदायी कौन है ? वर्तमान में पूर्वोक्त गन्ना सहकारी संघों को कितनी देनदारी भुगतान के लिए अवशेष है ? राज्य सरकार ने इस मिल को अक्टूबर, 86 से अब तक कितना ऋण दिया है ? क्या उस ऋण की अदायगी हो चुकी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

गन्ना मूल्य कमीशन तथा ब्याज का भुगतान न होना था ।

जी हां ।

गन्ना मूल्य तथा कमीशन की वसूली हो चुकी है ।

गन्ना मूल्य का रु0 3364068.50 तथा कमीशन का रु0 97350.64 कुल रु0 3461419.14 वसूल हो चुकी है ।

ब्याज की रकम रु0 26991,66.77 शेष है । मिल की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ब्याज की वसूली नहीं हो सकी है ।

वर्तमान में पूर्वोक्त गन्ना सहकारी संघों के देनदारियों में सिर्फ ब्याज की रकम ही अवशेष रह गयी है ।

राज्य सरकार ने अक्टूबर , 1986 से लगायत अब तक कुल 125.00 लाख रु0 की ऋण गन्ना मूल्य भुगतान मिल के मरम्मत तथा मजदूरों की बकायों के लिये दिया है । जिसकी अदायगी मिल की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नहीं हो सकी है

जनपद फर्रुखाबाद में कृषि उत्पादन मण्डी समिति, छिबरामऊ द्वारा उप मण्डी स्थल तालग्राम देहात के लिए पुनर्ग्रहण की गयी भूमि की धनराशि का बैंक में जमा किया जाना

45—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में उप मण्डी स्थल तालग्राम के निर्माण हेतु तालग्राम देहात गांव सभा से ली गई भूमि के मूल्य के रूप में मण्डी समिति छिबरामऊ ने कब और कितनी धनराशि स्टेट बैंक शाखा छिबरामऊ में जमा की ? क्या वह धनराशि गांव सभा तालगांव देहात को प्रदान कर दी गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक दे दी जायेगी ?

श्री माता प्रसाद–

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, छिबरामऊ द्वारा उप मण्डी स्थल तालग्राम के लिए पुनर्ग्रहण की गयी भूमि का मूल्य रु0 42,348.00 (ब्यालिस हजार तीन सौ अड़तालिस रुपये) भारतीय स्टेट बैंक शाखा छिबरामऊ में चालान सं0–टी/3, दिनांक 29-3-84 एवं चालान सं0–13 दिनांक 19-4-48 द्वारा जमा किया गया है ।

ग्राम सभा की पुनर्ग्रहीत भूमि की प्राप्त धनराशि लेखा शीर्षक कि "029-भू-राजस्व-ड0-अन्य प्राप्तियां-8-मालिकाना राजस्व-च-प्रकीर्ण प्राप्तियों" में जमा की जाती है । इसे गांव सभाओं को दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामफल कनिष्ठ लिपिक कलेक्ट्रेट, गोरखपुर को कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियुक्त करने का आधार

46–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलेक्ट्रेट कार्यालयों में कार्यरत अधीक्षक के पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार राजस्व परिषद् उ0 प्र0 लखनऊ को है ? यदि नहीं, तो श्री रामफल कनिष्ठ लिपिक, कलेक्ट्रेट गोरखपुर को कार्यालय अधीक्षक के पद पर राजस्व परिषद् उ0 प्र0 लखनऊ ने किस आधार पर सीधे नियुक्ति कर दिया ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री माता प्रसाद–

जी नहीं । यह अधिकार उ0 प्र0, जिला कार्यालय (कलक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1980 के नियम 18(1) में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार संबंधित मंडलायुक्त को है ।

श्री राम फल लिपिक कलेक्ट्रेट गोरखपुर को जब मंडलायुक्त द्वारा कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति नहीं दी गई तो श्री राम फल ने सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उच्च प्राधिकारी राजस्व परिषद् को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया । राजस्व परिषद् द्वारा श्री रामफल के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए मंडलायुक्त गोरखपुर को आदेशित किया गया कि श्री रामफल वरिष्ठ स्थायी लिपिक को कार्यालय अधीक्षक गोरखपुर के पद पर नियुक्त किया जाय ।

स्पष्ट है कि परिषद् श्री राम फल को सीधे कार्यालय अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया ।

बांदा जिले के हरिजन युवक द्वारा अपने ऊपर लगाये गये अपराधिक घटनाओं की सी0 आई0 डी0 जांच की मांग

47–श्री राम सजीवन तथा श्री राज किशोर सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के थाना राजापुर के अन्तर्गत ग्राम गनीवा परसिद्धपुर के मजरा गंगापुरवा निवासी मन्नी लाल पुत्र गिरधारी धोबी (हरिजन) ने 14-9-88 को पुलिस अधीक्षक बांदा को एक शिकायती पत्र भेजा है जिसकी प्रतियां

शासन को भी भेजी गई है ? क्या उक्त हरिजन ने अपने ऊपर हुई तीन आपराधिक घटनाओं की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की मांग की है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां, प्राप्त सूचनानुसार श्री मुन्नी लाल आत्मज गिरधारी निवासी ग्राम गनीबा परसिद्धपुर मजरा गंगापुरवा का दिनांक 14-9-88 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने अपने ऊपर घटित तीन अपराधिक घटनाओं की सी0 आई0 डी0 जांच कराने की मांग की थी ।

प्रथम घटना के संबंध में थाना राजापुर मे मुकदमा अपराध संख्या 40/85 धारा 147/148/149/302 भा0 द0 वि0 दिनांक 4-4-85 को अभियुक्त सुरेन्द्र तथा 6 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचना से अभियुक्त सुरेन्द्र पर अपराध सिद्ध होने से उसके विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–50 दिनांक 29-7-87 को न्यायालय प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

द्वितीय घटना डकैती की थाना राजापुर पर मु0 अ0 सं0 70/85 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 दिनांक 8-6-85 को सुरेन्द्र तथा अन्य पांच व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया । विवेचना से घटना असत्य पायी गयी फलस्वरूप दिनांक 9-6-85 को अन्तिम रिपोर्ट संख्या–77 मय जुर्म खारजा प्रेषित की गयी ।

तीसरी घटना आगजनी की है जिसके संबंध में थाना राजापुर में मु0 अ0 सं0 21/86 धारा 436/427 अपने लड़के भोंदू व अन्य दो लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराया था । विवेचना से इनके विरुद्ध किसी प्रकार का साक्ष्य न पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट संख्या–11 दिनांक 16-3-86 को न्यायालय प्रेषित की गयी जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है ।

उपरोक्त मामलों की पुनः जांच अथवा सी0 आई0 डी0 जांच की कोई आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

48–श्री राज किशोर सिंह तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[दि0 14-2-89 को अत0 प्र0 सं0 54 द्वारा उत्तरित]

श्री बलजोर सिंह नायब तहसीलदार, अलीगढ़ की विभागीय कार्यवाही में लम्बित अपील निपटाने के सम्बन्ध में पत्र

49–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि श्री बलजोर सिंह, नायब तहसीलदार जिला अलीगढ़ की विभागीय कार्यवाही में राजस्व परिषद् के आदेश दिनांक 16-12-86 के खिलाफ शासन में लम्बित अपील को शीघ्र तय कराने के लिये श्री प्रदीप माथुर, विधायक मथुरा वृन्दावन ने दिनांक 6-4-88 व 26-4-88 को कोई पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां, किन्तु माननीय विधायक के दिनांक 6-4-88 व 26-4-88 के नहीं बल्कि 5-4-88 व 10-6-88 के पत्र प्राप्त हुये हैं।

मामले से संबंधित जिले के अभिलेख/पत्रावलियां मगाई गयी हैं।

श्री मुल्ला पुत्र उमराव निवासी ग्राम रामनगर मजरा ससान थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ में हमला की गयी रिपोर्ट की जांच

50–श्री नत्था राम रावत–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि श्री मुल्ला पुत्र उमराव निवासी ग्राम रामनगर मजरा ससान थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ पर कल्लू पुत्र भालू, हरीचंद पुत्र बाबू आदि ने हमला करके गम्भीर रूप से घायल कर दिया जिसकी रिपोर्ट श्री मुल्ला ने दिनांक 20-10-88 को थाना मलिहाबाद में की थी परन्तु सम्बन्धित थाने के अधिकारियों ने इस मामले की जांच न करके अपराधियों को संरक्षण दिया जिससे अपराधी निडर होकर घूम रहे हैं ? क्या इस मामले की जांच किसी उच्चाधिकारी से करवाकर अपराधियों को दंडित करवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20-10-88 को श्री मुल्ला पुत्र उमराव, निवासी रामनगर मजरा ससान जिला लखनऊ ने थाना मलिहाबाद पर कथित घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट अंकित नहीं कराई थी, बल्कि उक्त दिनांक को श्री मुल्ला व होरी लाल तथा उनके विपक्षीगण कल्लू लल्लू एवं हरिशचन्द के मध्य आपसी झगड़े के कारण चौकी रहीमनगर की पुलिस द्वारा उक्त व्यक्तियों को धारा 151 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध धारा 107/116 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गई थी। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री नबीहसन पुत्र श्री बुद्धन आरक्षी होम गार्ड्स शाहजहांपुर को सेवा मुक्त करने का कारण

51–श्री नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या होम गार्ड्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री नबीहसन पुत्र श्री बुद्धन आरक्षी होम गार्ड्स नं0-1586, ग्राम बाडी गांव थाना रामचन्द्र मिशन, शाहजहांपुर में तैनात थे तथा 1973 से होम गार्ड्स में सेवारत थे, को फरवरी, 1988 में जिला कमांडेन्ट होम गार्ड्स शाहजहांपुर ने सेवामुक्त कर दिया ? यदि हां, तो किन कारणों से ऐसा किया गया ?

जेल एवं होम गार्ड्स राज्य मंत्री (श्री मान पाल सिंह)–

जी हां।

कम्पनी कमान्डर भावल खेड़ा एवं बी0 ओ0 होम गार्ड ने उनके होम गार्ड्स संगठन के लिये उपयुक्त न होने की रिपोर्ट प्रेषित की थी जिसके आधार पर जिला कमांडेन्ट, होम गार्ड, शाहजहांपुर ने उन्हें होम गार्ड संगठन से फरवरी, 1988 में निष्कासित कर दिया था।

जिला देहरादून मेजर कबूल चन्द्र बनाम मस्जिद करनपुर से सम्बन्धित वाद

52—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या राजस्व मंत्री को विदित है कि उ0 प्र0 बोर्ड आफ रेवेन्यू न्यायालय ने रेफरेन्स नं0—1 एल0 आर0 आफ 1984-85 देहरादून मेजर कबूल चन्द्र बनाम मस्जिद करनपुर देहरादून का निर्णय 30-12-85 को दे दिया था और मुकदमें को कलेक्टर देहरादून की अदालत को रिमाण्ड किया ? यदि हां, तो क्या उक्त मुकदमें की फाइल मातहत अदालत को भेजी गई है ? यदि नहीं भेजी गई, तो इसके क्या कारण है ? तीन साल की अवधि बीतने पर भी मातहत अदालत को फाइल न भेजने के लिए कौन अधिकारी दोषी है ? क्या शासन उक्त अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

निर्देश संख्या-1 एल0 आर0 84-85 जिला देहरादून मेजर कबूल चन्द्र बनाम मस्जिद करनपुर से सम्बन्धित वाद राजस्व परिषद् द्वारा दिनांक 30-12-86 को निर्णीत किया गया है । सम्बन्धित पत्रावलियां आयुक्त गढ़वाल मंडल को दिनांक 29-2-88 को भेजी जा चुकी है ।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

नियोजन विभाग द्वारा भ्रष्ट अनुभाग अधिकारी को बोनस का भुगतान

53—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नियोजन सचिव शाखा में एक ऐसे अनुभाग अधिकारी को वर्ष 1987-88 में बोनस का भुगतान किया है जिसके विरुद्ध मुख्य सचिव स्तर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच चल रही है ? यदि हां, तो बोनस का भुगतान कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

नियोजन सचिव शाखा में बोनस का भुगतान वर्ष 86-87 के लिए वर्ष 87-88 में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या-वे0 आ0-1-2780/दस-256 (एम)/87, दिनांक 11 दिसम्बर, 1987 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा वर्ष 87-88 के बोनस का भुगतान शासनादेश संख्या-वे0 आ0-1-3452/दस-89 (एम)/88, दिनांक 2 नवम्बर, 1988 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया गया है । ऐसी दशा में किसी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की फैजाबाद डिपो द्वारा संचालित मिझौड़ा कानपुर बस सेवा को मिझौड़ा-लखनऊ सेवा में परिवर्तित करने की मांग

54—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माननीय परिवहन राज्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्न-कर्ता का दिनांक 28-10-88 का पत्र उन्हें मिल गया है जिसमें उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की फैजाबाद डिपो द्वारा संचालित मिझौड़ा-कानपुर बस सेवा को मिझौड़ा-लखनऊ सेवा में परिवर्तित करने अथवा उसके संचालन में ऐसा संशोधन करने का अनुरोध किया गया है ताकि उक्त बस हर हालत में सायं 7.30 बजे तक मिझौड़ा पहुंच जाया

कर और मिझौड़ा से प्रातः 7 बजे प्रस्थान कर दिया करे ? यदि हां, तो जनहित में उक्त सुझाव को स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां ।

संदर्भित पत्र दिनांक 28-10-88 क्षेत्रीय प्रबन्धक, फैजाबाद को राज्य मंत्री परिवहन के कार्यालय के माध्यम से दिनांक 19-11-88 को प्राप्त हुआ ।

पत्र में उल्लिखित सुझाव के संबंध में वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी फैजाबाद एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, फैजाबाद द्वारा माननीय विधायक जी से सम्पर्क स्थापित कर सेवा के संचालन की नई सारिणी बनाई गयी और मिझौड़ा से लखनऊ सेवा को निम्न समय सारिणी पर दिनांक 1-12-88 से संचालित किया गया ।

1	फैजाबाद	लखनऊ	फैजाबाद	मिझौडा
	8-00	11-30/12-30	16-00/16-30	18-00
2	मिझौड़ा	फैजाबाद	लखनऊ	
	7-45	9-15/9-45	13-15/13-45	18-45

कठिनाई का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद परिवहन और पुलिस अधिकारियों तथा प्राइवेट वाहनों के मालिकों के षडयंत्र से विभाग में भ्रष्टाचार

55–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का 27-9-88 का पत्र जिसमें अन्य बातों के अलावा राजकीय परिवहन निगम, पुलिस विभाग के अधिकारियों और प्राइवेट वाहनों के मालिकों के षडयंत्र से होने वाले भ्रष्टाचार की शिकायत की गयी है तथा दिनांक 28-10-88 का पत्र श्री राम पाल के प्रार्थना-पत्र के साथ मिल गया है? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किसके द्वारा करायी गयी और जांच रिपोर्ट तथा उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय विधायक जी का दिनांक 27-9-88 का मुख्य सचिव को संबोधित पत्र प्राप्त हो गया है, परन्तु उनका दिनांक 28-10-88 का पत्र निगम कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

दिनांक 27-9-88 के पत्र में उल्लिखित परिवहन निगम से संबंधित बिन्दुओं पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, फैजाबाद ने जांच की । निगम की परिचालन स्थिति निम्न प्रकार है:–

माह	किमी0 1987 गतवर्ष	(लाख में) 1988	आय 1987	(लाख में) 1988	टिप्पणी
सित0	7.71	8.17	23.33	27.04	
अक्टू0	7.20	6.69	24.35	22.59	दि0
नव0	8.25	8.39	29.09	31.89	21–
दिस0	8.08	9.00	27.43	32.53	10–
जन0	8.23	9.74	27.68	32.66	88 से कर्फ्यू लागू रहा

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि फैजाबाद जनपद के अन्तर्गत के दोनों डिपों की आय तथा किमी0 में 1987 की अपेक्षा वृद्धि हुयी है।

यह सत्य है कि फैजाबाद–गोसाईंगंज–भीटी–महरुआ के बीच अनाधिकृत दो बसें एवं जीपें चल रही हैं यह भी सत्य है कि उक्त अनाधिकृत संचालन से परिवहन निगम आय की क्षति होती है परन्तु इस मार्ग पर संचालित निगम की कोई भी सेवा नहीं बन्द की गयी है।

फैजाबाद जलालपुर के मध्य चलने वाली प्राईवेट बसों की संख्या शून्य है एवं जीपों की संख्या लगभग 5 है। फैजाबाद डिपो की फैजाबाद–जलालपुर सेवा फरवरी, 88 से आय कम आने के कारण बन्द कर दी गयी, परन्तु जलालपुर से अकबरपुर एवं अकबरपुर से फैजाबाद की सेवायें संचालित हैं। अकबरपुर एवं फैजाबाद के मध्य लगभग 75 जीपें संचालित हैं।

यह सत्य है कि टैक्सी वाले बस स्टेशनों के पास अपनी वाहनें खड़ी करते हैं यह भी सम्भव है कि वाहनों में से बहुत सी वाहनें अवैध रूप से चलती हैं। जहां तक निजी बस मालिकों द्वारा मार्ग में पड़ने वाले थानों को मासिक रकम देने का विषय है, यह पुलिस विभाग का मामला है।

यह सम्भव है कि प्रमुख दिन परिवहन निगम की कुछ बसें कार्यशाला से देर से निकली हैं। जिसका मुख्य कारण वाहनों में तकनीकी खराबी का हो जाना है। चालकों एवं परिचालकों द्वारा अवैध वाहनों को सहयोग देने की शिकायत की, जांच में पुष्टि नहीं हो सकी।

बसों के सामानों की हेरा फेरी के सम्बन्ध में कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। परिचालक द्वारा टिकटों की चोरी के नियंत्रण हेतु प्रत्येक डिपों में यातायात निरीक्षक एवं यातायात अधीक्षकों की तैनाती है। इसके इलावा मुख्यालय के निरीक्षक दल द्वारा भी आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है। तथा क्षेत्रीय एवं मुख्यालय के अधिकारी भी जब दौरे पर जाते हैं तो आकस्मिक निरीक्षण भी करते हैं। माह अप्रैल, 1988 से सितम्बर, 1988 तक 522 भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गये जिसमें बिना टिकट यात्रियों की संख्या 2,845 थी। यात्रियों से रुपया 16,065.75 की वसूली की गयी।

यह कहना सही नहीं है कि निगम प्रशासन का कोई नियंत्रण निगम की सेवाओं पर नहीं है, वस्तुतः उक्त अवधि में भ्रष्टाचार में लिप्त 48 कर्मचारियों को निलंबित किया गया तथा 108 कर्मचारियों को आरोपित किया गया।

नियोजन विभाग के उपसचिव अधिष्ठान पर भ्रष्टाचार का आरोप

56–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन सचिव शाखा/राज्य योजना आयोग/पी0 पी0 एम0 सैल/नियोजन विभाग के अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों का अधिष्ठान कार्य देखने हेतु जो उपसचिव नियुक्त हैं उनके विरुद्ध उसके पूर्व सूचना विभाग में विभागीय तथा सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार आदि के मामलों में जांच चल रही है? यदि हां, तो क्या उस अधिकारी को अधिष्ठान से हटाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुवीर सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की आवास विकास कालोनी राजीजीपुरम् के निवासी श्री गोकरन प्रसाद पर प्राणघातक हमला

57–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-2-88 को श्री गोकरन प्रसाद निवासी-ई–3560, राजाजीपुरम्, आवास विकास कालोनी, लखनऊ पर प्राणघातक हमला श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव व श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव द्वारा लाठियों से किया गया, जिससे उनकी अस्पताल में 23-2-88 को मृत्यु हो गयी? यदि हां, तो क्या उक्त हत्याकाण्ड से संबंधित हत्या का अभियोग दर्ज किया गया है? यदि नहीं, तो उक्त हत्या काण्ड में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22-2-88 को श्री राजू पुत्र श्री गोकरन प्रसाद नि0 ई–3560 आवास विकास कालोनी, ताल कटोरा ने थाना तालकटोरा पर इस आशय की मौखिक सूचना दी कि उसके पड़ोसी सन्तोष कुमार श्रीवास्तव एवं सुशील कुमार श्रीवास्तव ने उसके पिता को लाठी, डंडों से मारा पीटा जिससे उनके सिर, पैर में चोटें आईं और उसके भाई द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उक्त सूचना पर धारा 323/504 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत हस्तक्षेपीय अपराध पंजीकृत किया गया जो श्री गोकरन प्रसाद की मृत्यु के उपरान्त धारा 304/504 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं का अपराध सिद्ध होने पर उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। अभियुक्त सुशील कुमार श्रीवास्तव को दिनांक 29-2-88 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तथा अभियुक्त संतोष कुमार श्रीवास्तव ने दिनांक 14-3-88 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया उक्त अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

58–श्री सुखपाल पाण्डे–

[विस्तीर्ण एवं सीमित महत्व के होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ के थाना हसनगंज के तैनात सब इन्सपेक्टर कैलाश यादव द्वारा श्री शिव प्रसाद पुत्र स्व0 चेतराम की गिरफ्तारी

59–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना हसनगंज जनपद लखनऊ में तैनात सब इन्सपेक्टर कैलाश यादव ने मार्च, 86 में श्री शिव प्रसाद पुत्र स्व0 चेतराम निवासी बरौलिया, डालीगंज लखनऊ पर अपनी सर्विस रिवाल्वर से तीन फायर कर घायल करके पकड़ा और मारपीट कर उसका चालान किया था? क्या सर्विस रिवाल्वर से फायर करने के लिए किसी उच्च अधिकारी ने आदेश दिये थे? यदि हां, तो किसने? यदि नहीं, तो क्या दोषी सब इन्सपेक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शिव प्रसाद पुत्र स्व0 चेतराम निवासी बरौलिया, डालागंज लखनऊ थाना हसनगंज पर पंजीकृत मु0 अ0 सं0 442/85 धारा 452/323/504/506 भा0 दं0 वि0 में वांछित अभियुक्त था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु दिनांक 28-3-86 को उप निरीक्षक श्री कैलाश यादव पुलिस दल सहित उसके मकान पर गये थे। पुलिस दल को देखकर अभियुक्त शिव प्रसाद भागा जिसे आवश्यक बल प्रयोग करके पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा थाने ले जाया जा रहा था तो उसने शोर मचाते हुए भागने का प्रयास किया और उसकी मदद के लिए 25, 30 आदमी आ गये जिन्होंने उसे छुड़ाने के उद्देश्य से गाली गलौज व जान माल की धमकी देते हुए पुलिस दल पर पथराव किया। इस घटना के सम्बन्ध में मु0 अ0 सं0 162/86 धारा 147/224/225/336/504/506 भा0 दं0 वि0 उक्त अभियुक्त शिव प्रसाद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उपरोक्त दोनों अभियोग न्यायालय के विचाराधीन हैं। उप निरीक्षक श्री कैलाश यादव द्वारा सर्विस रिवाल्वर से कोई फायर नहीं किया गया था। अतएव उसके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सीतापुर में सिधौली महमूदाबाद मार्ग पर निर्धारित मात्रा में बसें चलाने की कार्यवाही

60–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में सिधौली महमूदाबाद मार्ग पर 25-6-88 से 6-7-88 तक प्रतिदिन सिधौली से महमूदाबाद कितनी-कितनी बसें गईं तथा कितनी-कितनी बसें महमूदाबाद से सिधौली आईं? कितनी कितनी बसें जाने आने का प्राविधान समय सारिणी के अनुसार था? स्थिति सुधारने अर्थात् निर्धारित मात्रा में बसें चलाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी तथा अब स्थिति क्या है?

श्री प्रमोद कुमार–

दिनांक 25-6-88 से 6-7-88 के मध्य सिधौली से महमूदाबाद 40 ट्रिप्स एवं महमूदाबाद से सिधौली 40 ट्रिप्स संचालित हुये।

समय सारिणी के अनुसार प्रतिदिन 9 ट्रिप्स अप तथा 9 ट्रिप्स डाउन के संचालन का प्राविधान है।

निर्धारित मात्रा में बसें/ट्रिप्स संचालन हेतु अतिरिक्त कार्मिकों की व्यवस्था की गई है।

अब स्थिति में काफी सुधार है। दिनांक 25-6-88 से दिनांक 6-7-88 के मध्य 63 प्रतिशत ट्रिप्स उक्त मार्ग पर निरस्त हुये थे परन्तु वर्तमान में अर्थात् 16-1-89 से 31-1-89 के मध्य मात्र 16 प्रतिशत ट्रिप्स अपरिहार्य कारणों से निरस्त हुये। इस तरह से स्थिति में काफी सुधार आया है।

61–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[प्रशासनिक मामला होने के कारण निरस्त]

सरकारी पेंशनरों को दी जाने वाली रिलीफ में त्रुटियां

62–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी पेंशनरों को दी जाने वाली रिलीफ से संबंधित शासनादेश सं0-सा-4 जी0 आई0 18/दस-86-300-85 दिनांक 6-5-1986 के

संलग्न रेडीरेकनर में अनेकों त्रुटियां हुई हैं? क्या यह सही है कि दि0 1-1-86 से पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी पेंशनरों की पेंशन से सम्बन्धित शासनादेश सं0-सा-4-1120/दस-87-301/87 दिनांक 28-7-1987 से संलग्न रेडीरेकनर/टेबुल में भी काफी त्रुटियां हो गयी हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार तुरन्त संशोधित शासनादेश निकालते हुए उन पेंशनरों को एरियर के साथ उस पर अब तक का ब्याज दिलवाने की कृपा करेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-जी0 आई0–18-दस-86-300/85, दिनांक 6 मई, 1986 में राहत की जो धनराशियां अनुमन्य बताई गई हैं उनमें कुछ मामलों में प्रतिशत राहत की गणना में 50 अथवा उससे अधिक पैसे की धनराशि को बढ़ाकर अगला रुपया नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-1120/दस-87-301/87, दिनांक 28 जुलाई, 1987 के रेडीरेकनर में ऐसे मामलों में दर्शायी गई पेंशन की समेकित धनराशि में उक्त वृद्धि नहीं हो सकी। यह जानकारी होने पर शुद्धि पत्र संख्या सा-3-2413/दस-89-302/87, दिनांक 1 फरवरी, 1989 जारी कर दिया गया है एवं तदनुसार भुगतान/समायोजन करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। चूंकि पेंशन पर ब्याज दिये जाने का कोई नियम नहीं है अतः ब्याज का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के रजिस्ट्रार कार्यालय में इन्डेक्स फार्म का अभाव

63–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बरेली स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में इन्डेक्स फार्म उपलब्ध न होने के कारण रजिस्ट्रियां अपूर्ण हैं व जनता को वापस नहीं मिल पा रही हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में इन्डेक्स फार्म यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री कार्यालय द्वारा समुचित आपूर्ति न होने के कारण कुछ समय के लिए इन्डेक्स फार्म की कमी हो गयी थी, परन्तु अब इन्डेक्स फार्म उपलब्ध हो गये हैं और लेखपत्र भी जनता को यथाशीघ्र वापस किये जा रहे हैं।

मैसर्स आगरा कारपेट पैलेस खामरिया वाराणसी द्वारा संग्रह व्यय माफ करने की मांग

64–श्री कल्लू राम रत्नाकर–

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मैसर्स आगरा कारपेट पैलेस खामरिया वाराणसी के और प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-5-88 संख्या-ब 12/336/88 के द्वारा संग्रह व्यय माफ करने तथा वसूली न किये जाने का आदेश सचिव राजस्व को दिये गये थे? यदि हां, तो आदेशों का पालन न होने के क्या कारण हैं?

श्री माता प्रसाद–

जी नहीं ।

उक्त पत्र पर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा संग्रह व्यय माफी के आदेश नहीं दिये गये थे बल्कि निम्न आदेश दिये गये थे :—

"संग्रह व्यय वसूल करना उचित न होगा क्योंकि विभाग द्वारा वसूली नहीं की गयी है।"

उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद मिर्जापुर में एक अलग जनपद की मांग

65—श्री कल्लू राम रत्नाकर—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के क्षेत्रफल की विशालता को ध्यान में रख कर एक अलग जनपद बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो कब तक जनपद को दो भागों (जनपदों) में विभाजित करने की कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद—

जी हां।

नये जनपद में शामिल किये जाने वाले क्षेत्रों तथा मुख्यालय चयन का मामला विचाराधीन है, जिसके विषय में निर्णय होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

जनपद इलाहाबाद में लम्बित लेखपालों के स्थाईकरण सम्बन्धी कार्यवाही

66—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसील चायल सदर जनपद इलाहाबाद में जनवरी, 1988 से लम्बित लेखपालों का स्थाई करण अभी तक नहीं किया गया? स्थाईकरण कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद—

जनपद इलाहाबाद की तहसील चायल सदर में जनवरी, 1988 से 21 लेखपालों के स्थायीकरण का मामला विचाराधीन था जिसमें से 12 लेखपालों का स्थायीकरण कर दिया गया है। शेष 9 लेखपालों को स्थायीकरण का पात्र न होने के कारण स्थायी नहीं किया गया है।

मंत्रियों द्वारा दौरे के दौरान सरकारी धन का व्यय

67—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष जुलाई व अगस्त माह में मुख्य मंत्री सहित उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने दौरे में प्रदेश के बाहर कितने दिन बिताये? इन दौरों के दौरान कितना सरकारी धन व्यय हुआ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्नगत सूचनाएं संलग्नक में अंकित हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 193/194 पर)

लखनऊ के लाल कुआं निवासी सरदार महिमा सिंह की सम्पत्ति पर पेशेवर अपराधियों द्वारा जबरदस्ती कब्जा

68—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरदार महिमा सिंह, निवासी 67/13, लालकुआं, शहर लखनऊ का मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन लखनऊ को सम्बोधित दिनांक 30-1-88 का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र मिल गया है जिसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद उनकी सम्पत्ति पर कुछ लोगों द्वारा पेशेवर अपराधियों की मदद से जबरदस्ती कब्जा कर लेने की शिकायत की गयी है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही के विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी?

श्री सुशीला रोहतगी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण

69—चौधरी श्याम लाल—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों में अलग-अलग कुल कितने अधिकारी एवं कर्मचारी हैं? उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलग-अलग कुल कितने अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या प्रत्येक श्रेणियों में 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों? रोस्टर शासनादेश सं0-15/28-73/-रा0 एकी0-13 दिनांक 26 फरवरी, 1976 एवं प्रोन्नति शा0 सं0-22/51/1982-कार्मिक-2, दिनांक 5 जुलाई, 1984 तथा शा0 सं0-22/21/1982 दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 के आधार पर अविलम्ब उपरोक्त सभी श्रेणियों में आरक्षण कोटा कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उच्च न्यायालय में प्रथम श्रेणी में 32 पद, द्वितीय श्रेणी में 121 पद, तृतीय श्रेणी में 1070 पद व चतुर्थ श्रेणी में 398 पद हैं।

उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में प्रथम श्रेणी में शून्य, द्वितीय श्रेणी में शून्य, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर क्रमशः 62 व 80 अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत हैं । किसी श्रेणी में अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी नहीं है । इस प्रकार तृतीय श्रेणी में आरक्षण कोटा 16 प्रतिशत से कम है। चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति के कर्मचारी 18 प्रतिशत से अधिक कार्यरत हैं। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में आरक्षण कोटा कम होने का कारण योग्य अभ्यर्थियों का उपलब्ध न होना है। इसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है । प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । उच्च न्यायालय द्वारा इन पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्राविधान नहीं किया गया है।

सीधी भर्ती में रोस्टर सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन हो रहा है। प्रोन्नति के लिए आरक्षण का प्राविधान न होने के कारण रोस्टर नहीं बनाया जा रहा है।

पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने वाली समिति के गठन की मांग

70—कुंवर मानवेन्द्र सिंह

क्या सूचना मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने वाली समिति का गठन कब से और क्यों नहीं हुआ है तथा अब कब तक होगा ? जब तक गठन नहीं होता तब तक मान्यता देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)—

प्रेस मान्यता समिति का पुनर्गठन दिनांक 1-1-86 से नहीं किया जा सका, जिसका कारण विभिन्न पत्रकार संगठनों में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर आपसी मतभेद था । शासन द्वारा समिति के पुनर्गठन का निर्णय ले लिया गया है । समाचार पत्र संगठनों से प्रतिनिधि नामित करने के लिये अनुरोध किया गया है । प्रतिनिधियों के मनोनीत होने के पश्चात् समिति गठन के आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

जब तक प्रेस मान्यता समिति, का गठन नहीं होता तब तक सूचना निदेशक द्वारा अस्थायी मान्यता, विशेष परिस्थितियों में, दी जाती है ।

जनपद जालौन में स्थित कोंच की पुलिस द्वारा श्री बुद्ध सिंह खंगार की पिटाई से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 की जांच

71—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि कोंच (जालौन) की पुलिस के विरुद्ध वर्ष 84 के अन्तिम महीनों में बुद्ध सिंह खंगार नामक एक निर्दोष व्यक्ति को इतना पीटने के मामले में कि जिससे बुद्ध सिंह की जेल में अगले ही दिन मृत्यु हो गयी सी0 आई0 डी0 क्राइम ब्रांच ने जांच करने के बाद आरोप सत्य पाते हुए कोंच थाने में कुछ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी अंकित करायी गयी है ? यदि हां, तो इसमें आरोप पत्र कब दिया गया और किस-किस अभियुक्त को निलम्बित किया गया ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

इस प्रकरण में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की प्रारम्भिक जांच में थाना कोंच, जनपद जालौन के साथ पुलिस कर्मियों सर्वश्री तुलसी दास गोस्वामी, उप निरीक्षक, बी0 डी0 पाण्डेय, उप निरीक्षक, श्री विशाल, कान्सटेबिल, रामपाल सिंह, का0 हरदत्त तिवारी, का0 देवी प्रसाद, का0 छबिनाथ सिंह हेड का0 को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध अप0 सं0-564/87 धारा 147/342/323/304/218 330 भा0 दं0 वि0 थाना कोंच में पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना अपराध शाखा द्वारा की जा रही है । चूंकि जांच अभी प्रचलित है, अतः किसी भी अभियुक्त को निलंबित नहीं किया गया है ।

श्री बुद्ध सिंह की मृत्यु के कारणों के संबंध में राज्य चिकित्सा विधि विशेषज्ञ, उ0 प्र0 का अभिमत प्राप्त हो गया है, किन्तु मृतक का विसरा रासायनिक परीक्षण हेतु रासायनिक परीक्षक को भेजा गया है, जिसकी परीक्षण आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है । उनकी परीक्षण आख्या तथा मामले की अंतिम जांच/विवेचना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरान्त तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद झांसी में नये इंजीनियरिंग कालेज के भवन का निर्माण

72—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी में नये खुलने वाले इंजीनियरिंग कालेज के भवन निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा अब तक कार्य प्रारम्भ में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इंजीनियरिंग कालेज झांसी में छात्रों का प्रवेश इसी शिक्षा सत्र अर्थात् जुलाई, 88 से लिया जाने लगा है ? यदि नहीं, तो कब से छात्रों का प्रवेश प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

भवन निर्माण कार्य जनवरी, 89 के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भ हो गया है । कार्य प्रारम्भ होने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है । बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज झांसी में छात्रों का प्रवेश अत्यावश्यक भवनों के निर्माण के पश्चात आगामी शिक्षा सत्र 1989 से प्रारम्भ कराये जाने का विचार है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में नियुक्त अवर वर्ग सहायकों की सूची

73—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—159 के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा अधिकरण, उ0 प्र0 में सचिवालय कर्मियों द्वारा किए गए कुल कितने और कौन-कौन से मामले लम्बित हैं ? क्या इन सभी में शासन द्वारा प्रति उत्तर/लिखित विवेचन दाखिल कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? उक्त मामलों के त्वरित निस्तारण की दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रकरणों की सूची संलग्न है ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रति उत्तर/लिखित विवेचन समय से दाखिल कर दिए गए हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 195 पर)

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अस्थायी प्रवर वर्ग सहायकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया

74—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0—158 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष तक अनवरत रूप से प्रोन्नति पाए हुए कर्मचारियों को कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत कहने का आधार क्या है ? वर्ष 1980 तक सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग—5 द्वारा अस्थाई प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर प्रोन्नति के लिए क्या नीति प्रक्रिया/मापदण्ड निर्धारित किए गए थे जिनके आधार पर वर्ष 1980 तक सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग—5 द्वारा प्रोन्नतियां की गई थीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्नगत कर्मचारी किसी नियम के प्राविधान के अनुसार प्रोन्नत न होने के कारण काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत कहे गए हैं । प्रवर वर्ग सहायक के अस्थायी पदों पर तथाकथित प्रोन्नति शाखाओं में उनकी ज्येष्ठता के आधार पर की गई है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायकों का विनियमितीकरण

75–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0–160 के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-3-81 से दिनांक 8-6-88 (लगभग 7 वर्ष) के दौरान उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक के स्थायी पद तथा 66 अस्थायी पद क्या समाप्त कर दिए गए ? यदि नहीं, तो गलत सूचना देने के लिए कौन-कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी प्रवर वर्ग सहायक के पद पर विनियमित किए जाने संबंधी बिन्दु का उत्तर न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले बुधवार के उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–160 में दिनांक 31-3-81 को दर्शाये गए प्रवर वर्ग सहायक के स्थायी/अस्थायी पदों में से प्रवर वर्ग सहायक का एक स्थायी पद समाप्त कर दिया गया तथा उक्त तिथि को दर्शाए गए अस्थायी पदों में 66 अस्थायी पद ऐसे थे जिनमें से कालान्तर में कुछ समाप्त कर दिए गए एवं कुछ स्थायी कर दिए गए थे । प्रश्न ही नहीं उठता । प्रवर वर्ग सहायक के अस्थायी पदों पर विनियमितीकरण नहीं किया जाता, इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यह उत्तर दिया गया था कि विनियमितीकरण स्थायी पदों के विरुद्ध लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है ।

जनपद वाराणसी की सदर तहसील के प्रांगण की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण

76–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि वाराणसी जिला अन्तर्गत तहसील कार्यालय वाराणसी सदर के प्रांगण की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं ? यदि हां, तो कब तक उसका निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

धन की व्यवस्था होने पर क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराया जायेगा ।

श्री अजय नायब तहसीलदार के विरुद्ध गबन की कार्यवाही

77–चौधरी महाराज सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् ने अपने पत्र सं0–4651/3त0ना0त0-12/68 (80), दिनांक 21-10-86 द्वारा यह लिखा है कि श्री अजय नायब तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है और आरोप पत्र परिषद् से अनुमोदित होकर परिषद् के अर्धशा0 पत्र सं0-डी-149/3-त0 ना0 त0-94/66, दिनांक 12-2-1986 द्वारा भेजा जा चुका है ? क्या यह सही है कि उक्त विभागीय कार्यवाही श्री अजय के विरुद्ध एक संग्रह अमीन द्वारा सन् 1968 में किए गए सरकारी गबन के संबंध में है ? यदि हां, तो लगभग 18 वर्ष के बाद नायब तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का क्या औचित्य है ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

जी हां ।

मामला गबन का था । सम्पूर्ण मामले की छानबीन एवं जांच पूरा होने के उपरान्त ही विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी, अतएव इसमें समय लगना स्वाभाविक था । विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश 4-2-1989 को पारित हो चुके हैं ।

जनपद बलिया के कतिपय क्षेत्रों से राज्य सरकार को प्राप्त बिक्रीकर

78–श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री राम जनम–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1984-95, 85-86, 86-87 व 1987-88 में बलिया नगर क्षेत्र, रसड़ा नगर क्षेत्र, सिकन्दरपुर नगर क्षेत्र और बिल्थरा रोड नगर क्षेत्र से वर्षवार कितना-कितना बिक्रीकर सरकार को प्राप्त हुआ है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 1984-85, 85-86, 86-87 व 87-88 में बलिया नगर क्षेत्र, रसड़ा नगर क्षेत्र, सिकन्दपुर व बिल्थरा रोड नगर क्षेत्र से निम्न प्रकार बिक्रीकर प्राप्त हुआ :–

क्षेत्र का नाम	वर्ष 1984-85	वर्ष 1985-86
1–बलिया नगर क्षेत्र	रु0 31,47,113·98	33,52,553·75
2–रसड़ा नगर क्षेत्र	रु0 1,94,934·96	2,14,424·54
3–सिकन्दरपुर	रु0 6,936·00	7,133·25
4–बेल्थरा रोड नगर क्षेत्र	रु0 7,10,317·00	8,25,000·00

	वर्ष 1986-87	वर्ष 1987-88
1–बलिया नगर क्षेत्र	44,07,942·51	54,64,017·40
2–रसड़ा नगर क्षेत्र	2,33,934·45	2,53,763·80
3–सिकन्दरपुर	7,864·80	9,217·85
4–बेल्थरा रोड नगर क्षेत्र	9,16,000·00	10,90,113·00

जनपद बलिया में हरिजनों, भूमिहीनों व निर्बलों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने की कार्यवाही

79—श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री राम जनम—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के रसड़ा तहसील में तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के न्यायालयों में हरिजनों, भूमिहीनों व निर्बलों को आवंटित भूमि पर कब्जा न दिए जाने संबंधी कितने मामले विचाराधीन हैं ? क्या सरकार एक नीति बनाकर इस समस्या का स्थायी समाधान करने पर विचार जनहित में करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अल्मोड़ा के ग्राम जखेड़ा में पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में शिकायतों की जांच

80—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्मोड़ा जिले के ग्राम जखेड़ा क्षेत्र में 23-24 जुलाई, 87 से सितम्बर, 87 के बीच पुलिस द्वारा मकान जलाने तथा 2 की हत्या किए जाने संबंधी शिकायतों की जांच किस एजेन्सी से कराई गई ? क्या तथ्य प्रकाश में आए तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री पदम सिंह निवासी सोराग पट्टी जखेड़ा (मल्ला कत्यूर) तहसील बागेश्वर जनपद अल्मोड़ा धारा 307 भा0 दं0 वि0 तथा धारा 435 भा0 दं0 वि0 के मुकदमों में वांछित था, की गिरफ्तारी के लिए नायब तहसीलदार बागेश्वर द्वारा पुलिस बल के साथ उसके घर पर दिनांक 23-7-87 को प्रातः 5 बजे दबिश दी गई । गोपाल सिंह तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पुलिस बल पर पत्थरों से हमला किया गया तथा श्री गोपाल सिंह ने अपनी बन्दूक से गोली चलाई जिसके फलस्वरूप कान्सटेबिल श्री सुरेश लाल की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी तथा नायब तहसीलदार के चपरासी श्री शिवराज सिंह एवं कान्सटेबिल श्री हेमराज गम्भीर रूप से घायल हो गए । इस पर गोपाल सिंह आदि के विरुद्ध धारा 302/201/147/148/149/34/396 भा0 दं0 वि0 एवं धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का अपराध राजस्व पुलिस क्षेत्र के कानूनगो क्षेत्र कोसानी में अंकित किया गया । इसकी विवेचना नियमित पुलिस द्वारा की गई और अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया ।

दिनांक 23-7-87 को ही गोपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए उनके घर गए पुलिस बल पर गोपाल सिंह के भाई श्री हयात सिंह तथा उनकी पत्नी द्वारा बन्दूक एवं धारदार हथियारों से हमला किया गया । इसके संबंध में धारा 307/353 भा0 द0 वि0 तथा धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया । विवेचना के उपरान्त रेगुलर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया ।

श्री गोपाल सिंह तथा श्री हयात सिंह पुत्रगण श्री पदम सिंह निवासी सोराग पट्टी जखेड़ा (मल्ला कत्यूर) तहसील बागेश्वर जनपद अल्मोड़ा के ग्राम जखेड़ा व सोराग में स्थित मकानों में किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आग लगाने की घटना की रिपोर्ट राजस्व पुलिस क्षेत्र डंगोली में धारा 436 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दिनांक 24-7-1987 को रात्रि लगभग 8 बजे अंकित की गई । जिसमें राजस्व पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया तथा साक्ष्य के अभाव में मामले में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई । उक्त घटनाओं में पुलिस द्वारा आग लगाने का कोई साक्ष्य अनुसंधान के दौरान नहीं पाया गया ।

अभियुक्त गोपाल सिंह जो हत्या एवं जघन्य अपराधों में गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार था, जिसकी तलाश पुलिस सक्रिय रूप से कर रही थी, पुलिस के साथ दिनांक 15-9-88 को मुठभेड़ में मारा गया । इसके संबंध में भी धारा 307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा गोपाल सिंह के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

इस मामले में की गई शिकायतों की जांच राजस्व पुलिस के पटवारी कानूनगो एवं तहसीलदारों द्वारा की गई । जांच से आरोप असत्य एवं तथ्यहीन पाए गए । मामले में कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया । अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

81—श्री मूलचन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह—
[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

82-83—श्री मूलचन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह—
[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद फैजाबाद में चकबन्दी के कार्य में विलम्ब तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

84—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम गौहनियां परगना अमोसिन सर्किल गोशाईगंज जनपद फैजाबाद में वर्ष 1981—82 से चकबन्दी कार्य प्रारम्भ हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि अभी भी उक्त ग्राम सभा के विवाद सी0 ओ0 (चकबन्दी अधिकारी) स्तर पर लम्बित हैं ? यदि हां, तो उक्त चकबन्दी प्रक्रिया में इतना विलम्ब क्यों तथा इसके लिए कौन-कौन लोग दोषी हैं ?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं । ग्राम गौहनियां परगना अमोसिन जनपद फैजाबाद में चकबन्दी कार्य दिनांक 15-7-83 से प्रारम्भ हुआ ।

जी हां ।

चक निर्माण और अपीलों के निस्तारण में विलम्ब हुआ है, अधिकारियों के स्थानान्तरण व वादों का अन्तरण भी कारण रहा । प्रथम दृष्टया संबंधित सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा चकबन्दी अधिकारी विलम्ब के लिए दोषी प्रतीत होते हैं ।

जनपद फैजाबाद की तहसील टांडा में मत्स्य पालन हेतु दिये गये पट्टों की धनराशि की वसूली

85—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के अंतर्गत तहसील टाण्डा में ग्राम भरहा देवहट, बलाया-जगदीशपुर तालाब को मत्स्य पालन हेतु दस वर्षीय पट्टा दिनांक 23-4-82 को क्रमशः राम अचल पुत्र दगपाल ग्राम भरहा, सीताराम पुत्र जगमोहन भरहा, राम सूरत पुत्र राम सेवक भरहा व बाबूलाल पुत्र वासदेव ग्राम रामपुर कला, कन्हई पुत्र पांचू ग्राम बलया जगदीश पुर तहसील टाण्डा जनपद फैजाबाद को प्रति-वर्ष 7866 रु0 की दर पर दिया है ? यदि है, तो क्या उक्त पट्टेदार प्रतिवर्ष निर्धारित धनराशि का भुगतान कर रहे हैं एवं पट्टा देते समय निर्धारित अन्य शर्तों को भी पूरा कर रहे हैं ?यदि नहीं, तो क्या उक्त शर्तों व उक्त धनराशि का भुगतान न करने के एवज में दिये गये पट्टे को निरस्त किया जायेगा तथा नियमानुसार देय धनराशि को भी पट्टेदारों से वसूल कराया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

जी नहीं ।

पट्टा निरस्त करने तथा देय धनराशि की वसूली की कार्यवाही विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में पट्टेदार द्वारा दीवानी न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बरेली के अपर जिलाधिकारी प्रशासन के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच

86—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ जून, 88 माह में बरेली जनपद के वर्तमान अपर जिलाधिकारी प्रशासन के विरुद्ध बरेली निवासी श्री ललित रावत का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

बरेली जनपद के तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता माननीय विधायक की संस्तुति सहित बरेली निवासी श्री ललित रावत का एक शिकायती पत्र माह अप्रैल, 1988 में प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र पर जांच कराई जा रही है ।

फैजाबाद गोरखपुर मण्डल के डी0 आई0 जी0 कार्यालय में इन्सपेक्टर व सब इन्सपेक्टर की लम्बित अपीलें

87—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर तथा फैजाबाद मण्डल में कितने सब इन्स्पेक्टर तथा कितने इन्स्पेक्टर्स की अपीलें डी0 आई0 जी0 गोरखपुर तथा फैजाबाद

के कार्यालय में 1 नवम्बर, 88 तक लम्बित है ? कितनी ऐसी अपीलें हैं जो साल भर से अधिक की है ? विलम्ब का क्या कारण है तथा उन पर निर्णय कब तक होने की सम्भावना है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

डी0 आई0 जी0, गोरखपुर तथा फैजाबाद के कार्यालयों में दिनांक 1-11-88 तक लम्बित इन्सपेक्टरों तथा सब इन्सपेक्टरों की अपीलों की स्थिति निम्नवत है :–

	इन्सपेक्टर	स0 ई0
गोरखपुर–	शून्य	शून्य
फैजाबाद–	10	293

साल भर से अधिक लम्बित अपीलों की स्थिति निम्नवत् है :––

	इन्सपेक्टर	स0 ई0
गोरखपुर–	शून्य	शून्य
फैजाबाद–	5	172

फैजाबाद परिक्षेत्र में लम्बित अपीलों का निस्तारण पुलिस उपमहानिरीक्षक के शान्ति व्यवस्था संबंधी मामलों में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण नहीं किया जा सका । निस्तारण का कार्य जारी है ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम दुगौली कलां में पीठासीन अधिकारी श्री राम प्रकाश वर्मा के लापता होने के सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 जांच

88–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के बदलापुर विकास खण्ड के ग्राम दुगौली कलां में दिनांक 1-7-88 को पीठासीन अधिकारी का कार्य कराने हेतु श्री राम प्रकाश वर्मा सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक को नियुक्त किया गया था तथा वहीं पर कुछ झगड़ा झंझट हुआ था और उस दिन से उक्त श्री वर्मा का आज तक पता नहीं है ? क्या इस संबंध में उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी वर्मा का प्रार्थना पत्र दिनांक 28-7-88 जिलाधिकारी जौनपुर को दिया गया था ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस सम्बन्ध में उनके पता लगाने हेतु क्या कार्यवाही की गई ? क्या कोई मुकदमा जिलाधिकारी द्वारा कायम कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचनानुसार पीठासीन अधिकारी श्री राम प्रकाश वर्मा का किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था । निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् उन्होंने मत पेटिका व अन्य संबंधित कागजात उसी दिन ब्लाक मुख्यालय पर जमा किया तथा दिनांक 2-7-88 को प्रातः अपने निवास स्थान ग्राम ढकवा, थाना आसपुर देवसरा जिला प्रतापगढ़ चले गये थे और वहां से उन्होंने अपरान्ह में भूमि संरक्षण कार्यालय शाहगंज के लिए प्रस्थान किया और तब से लापता है । इस संबंध में उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28-7-88 नहीं वरन् 4-10-88 जिलाधिकारी, जौनपुर के यहां प्राप्त हुआ था । श्री वर्मा की गुमशुदगी के मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट की जा चुकी है ।

जनपद बाराबंकी में रोड निर्माण हेतु किसानों की भूमि का अधिग्रहण तथा उसका भुगतान

89—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम कुरौली त0 नवाबगंज जनपद बाराबंकी में कुरौली मौथरी रोड निर्माण हेतु किसानों की भूमि वर्ष 86 में रिक्यूजीशन की गई थी तथा बाद में अधिगृहीत की गयी थी ? यदि हां, तो कुल कितने लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई तथा उन्हें कितना प्रतिकर प्रस्तावित था ? क्या प्रतिकर दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां, कुरौली मौथरी मार्ग के निर्माण हेतु दिनांक 11-7-1986 को भूमि का रिक्वीजीशन किया गया था । भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाराबंकी द्वारा दिनांक 23-5-1988 को भूमि अध्याप्ति कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जिसमें 146 कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है । भूमि अर्जन की विज्ञप्ति धारा—4 (1) व 6 (1) जारी करने हेतु भूमि अर्जन प्रस्ताव मुख्य अभियंता कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ को दिनांक 8-6-1988 को भेजा गया था । शासनादेश संख्या 2369/46 (9) एल-32 ओ0 एस0 डी0/81 दिनांक 29-6-88 में विज्ञप्ति धारा-4 (1) निर्गत की जा चुकी है । राजकीय गजट में अभी धारा—4 (1) की विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं हुआ है । राजकीय गजट में धारा—4 (1) व 6 (1) की विज्ञप्ति के प्रकाशनोंपरान्त ही प्रतिकर के निर्धारण एवं भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी ।

जनपद उन्नाव के ग्राम समाधा के निवासी श्री रामेश्वर पुत्र परागी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन का भुगतान

90—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामेश्वर पुत्र परागी नि0 ग्राम समाधा जनपद उन्नाव की पेंशन (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) शासनादेश 1442 जेड ए/6-87-1225/87, दिनांक 28-5-87 द्वारा स्वीकृत की गई है ? क्या इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी उन्नाव ने अपने पत्र सं0—मेमो/xx पेंशनर रामेश्वर (86-87) रा0 स0 दिनांक 6 जनवरी, 88 को महालेखाकार उत्तर प्रदेश को पत्र भी लिखा है, परन्तु आज तक उक्त रामेश्वर को पेंशन नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मान पाल सिंह—

जी हां ।

महालेखाकार द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र जारी कर दिया गया है । किन्तु कोषाधिकारी, उन्नाव द्वारा सूचित किये जाने के बावजूद श्री रामेश्वर भुगतान प्राप्त करने हेतु उनके कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये हैं ।

जनपद गोरखपुर में ग्राम समाज तथा सीलिंग की भूमि को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में आवंटित किया जाना

91—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अमहिया (टोला मैसहिया) क्षेत्र खोराबार तहसील सदर जिला गोरखपुर में ग्राम समाज तथा सीलिंग की कितनी एकड़ भूमि किस-किस खसरा संख्या की उपलब्ध है ? क्या इन ग्राम सभाओं में उपलब्ध ग्राम समाज सीलिंग की भूमि को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? ग्राम-अमहिया (टोला मैसहिया) क्षेत्र खोराबार के प्रधान द्वारा कितने एकड़ भूमि को अपने कब्जे में करके निजी प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

ग्राम सभा अमहिया (टोला मैसहिया) क्षेत्र खोराबार तहसील सदर, जिला गोरखपुर में वर्तमान में ग्राम समाज तथा सीलिंग की कोई भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। पूर्व में उपलब्ध ग्राम सभा की 29.21 एकड़ भूमि 33 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को तथा सीलिंग की 3.60 एकड़ भूमि 30 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित की जा चुकी है।

ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा की भूमि को अपने निजी प्रयोग या आबादी के लिए प्रयोग में नहीं लिया गया है।

सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति में बर्ती गयी अनियमितता

92—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समूह "ग" पदों पर चयन सम्पन्न कराने हेतु कार्मिक अनुभाग—3 के अधीन एक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया है जिसके लिए सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग 5 के अशासकीय पत्र सं-2198/20-ई 5-111/88 दिनांक 17-5-1988 द्वारा उ0 प्र0 सचिवालय में कार्यरत इच्छुक कर्मचारियों से अनुभाग अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक तथा अवर वर्ग सहायक के 1-1 पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 31-5-1988 तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 31-5-1988 तक कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, चरित्र पंजिका आदि का अवलोकन किये बिना ही प्रश्नगत पदों पर कार्मिक विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्तियां कर ली गयी हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है तथा इस अनियमितता के लिए कौन-कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार प्रश्नगत तीनों पदों पर उक्त अभ्यर्थियों में से नियमानुसार चयन करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद की जिला योजना को धन की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

93—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की जिला योजना के लिए धन की व्यवस्था किये जाने तथा अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का 29 जुलाई, 1988 का पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उनमें से किन-किन मामलों पर कार्यवाही का दायित्व सचिव, चीनी उद्योग को सौंपा गया है और उनके द्वारा उस पर अब तक कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां । माननीय विधायक द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र दिनांक 29-7-88 मुख्य मंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ । उक्त पत्र के बिन्दु संख्या—2 जो चीनी उद्योग विभाग से संबंधित है, पर माननीय सदस्य ने जनपद फैजाबाद के अकबरपुर में प्रस्तावित चीनी मिल की स्थापना हेतु एकत्रित अंश पूंजी का उल्लेख करते हुए चीनी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी चाही है जो निम्न प्रकार है :—

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर में सहकारी चीनी मिल की स्थापना के लिए भारत सरकार से आशय पत्र 166 (74) दिनांक 20-4-74 स्वीकृत हुआ था जिसके शर्तों के अनुसार कृषकों द्वारा 20 लाख रुपये अंशपूंजी के रूप में एकत्रित किया जाना था किन्तु जनवरी, 78 तक मात्र 10.23 लाख रुपये की अंशपूंजी जमा हो पाई जिसके कारण भारत सरकार ने प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल के आशय पत्र को अपने पत्र संख्या एफ—25 (45)/73-एस0 टी0/1174, दिनांक 18-3-78 को निरस्त कर दिया।

इस निरस्तीकरण के विरुद्ध भारत सरकार को प्रत्यावेदन भेजे गए परन्तु भारत सरकार ने प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए अंतिम रूप से उपरोक्त आशय पत्र को अपने पत्र दिनांक 6-12-78 द्वारा निरस्त कर दिया । तत्पश्चात प्रबन्धक (गन्ना आयुक्त) ने चीनी मिल समिति अकबरपुर को परिसमापित करने हेतु अपने आदेश दिनांक 20-7-79 द्वारा जिला गन्ना अधिकारी, फैजाबाद को परिसमापक नियुक्त किया एवं परिसमापक को यह निर्देश दिया है कि वे स्थानीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति कर मिल समिति के लेखे को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करावें जिससे अंशपूंजी की वापसी की कार्यवाही सम्भव हो सके ।

भारत सरकार की वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के अनुसार अकबरपुर में चीनी मिल की स्थापना का औचित्य नहीं बनता ।

इस प्रकार यह सही नहीं है कि राज्य सरकार ने किसी प्रकार के दबाव में आकर अकबरपुर में चीनी मिल की स्थापना नहीं की है ।

जनपद फैजाबाद में कायरत पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

94—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में सी0 ओ0 सदर के विरुद्ध शिकायत के कारण प्रशासनिक आधार पर पी0 ए0 सी0 के लिए गत वर्ष स्थानान्तरण किया गया था जो बाद में निरस्त कर दिया गया ? क्या यह भी सत्य है कि सी0ओ0 सिटी के विरुद्ध भी शिकायतें हैं ? यदि हां, तो उक्त दोनों पुलिस अधिकारियों को स्थानान्तरित करके उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की उच्च-स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर, फैजाबाद को वर्ष 1987 में सामान्य स्थिति में जनपद प्रतापगढ़ स्थानान्तरित किया गया था । किन्तु कालान्तर में एक अन्य अधिकारी की प्रतापगढ़ में नियुक्ति के कारण उनका स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया था ।

सी0 ओ0 सिटी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं । जांचोपरान्त उन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा सी0 ओ0 सदर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के भियांव ब्लाक के ग्राम सभा मिर्जापुर के प्रधान द्वारा भूमिहीन के नाम पर ग्राम समाज की भूमि का पट्टा लेने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कार्यवाही

95—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के भियांव ब्लाक में ग्राम सभा मिर्जापुर के प्रधान श्री रामप्रकट पुत्र श्री राम समझ सिंह ने फर्जी तौर पर भूमिहीन बनकर गांव सभा किशुनपुर कबिरहा में अवैध रूप से अपने नाम ग्राम समाज की भूमि पट्टा करवा लिया है, जबकि उनके पास काफी पैतृक आराजी है ? क्या इस सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ सिंह तथा अन्य लोगों का दिनांक 26-2-87 का रजिस्टर्ड शिकायती प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री को मिल गया है ? यदि हां, तो दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री माता प्रसाद—

ग्राम सभा किशुनपुर कबिरहा में श्री राम प्रकट पुत्र राम समुझ प्रधान गांव सभा मिर्जापुर के नाम गांव सभा द्वारा कृषि हेतु दिनांक 5-9-66 को पट्टा दिया गया जो न्यायालय द्वारा धारा 198(2) उ0 प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत नियमित माना गया है। इस सम्बन्ध में वाद चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

जी हां, इसे जिला अधिकारी को मूलरूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

चकबन्दी न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णयोपरान्त यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद लखीमपुर खीरी दुधवा के ए0 एस0 आई0 ओ0 में कार्यरत श्री राम केवल पाण्डे की मृत्यु के पश्चात पत्नी श्रीमती माया देवी को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति

96–श्री देव कुमार यादव–

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि स्व0 श्री केवल पाण्डेय है0 कां0 अभिसूचना विभाग (विशेष शाखा) ए0 एस0 आई0 ओ0 स्टाफ दुधवा, लखीमपुर खीरी की मृत्यु दिनांक 27-8-86 को राजकीय सेवा में कर्तव्य पालन करते हुए हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक कर्मचारी की बेवा को असाधारण परिस्थितियों में मृत्यु होने के कारण उनके स्वर्गीय पति को मिलने वाले पूरे वेतन की पारिवारिक पेंशन नहीं दी जा रही है ? क्या इस सम्बन्ध में स्व0 श्री पाण्डेय की पत्नी श्रीमती माया देवी का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र सहित दिनांक 17-11-88 को मुख्य मंत्री उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी, हां । ए0 एस0 आई0 ओ0 स्टाक दुधवा खीरी में नियुक्त हेड कान्सटेबिल श्री राम केवल पाण्डे की मृत्यु दिनांक 27-8-86 को राजकीय सेवाकाल के दौरान ज्वर के कारण हुई । स्व0 श्री पाण्डे हेड कान्स0 की मृत्यु के फलस्वरूप उनकी विधवा पत्नी श्रीमती माया देवी को दिनांक 27-8-93 अर्थात सेवानिवृत्त की तिथि तक 200 रु0 तदोपरान्त 100 रु0 प्रतिमाह की दर से पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दी जा चुकी है। श्री पाण्डे की विधवा पत्नी के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-11-88 शासन में प्राप्त हुआ था । मृतक हेड कान्स0 की विधवा पत्नी को असाधारण पेंशन दिये जाने के प्रस्ताव का पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद आजमगढ़ में श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव की तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति अवधि

97–कर्नल केशरी सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति परिवहन विभाग में वाराणसी रीजन के आजमगढ़ जिले में तृतीय श्रेणी के पद पर करते हुए उनसे अन्तिम कार्यवाही हेतु जमानत की धनराशि आदि जमा करा ली गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनसे कनिष्ठ लोगों की नियुक्ति कर ली गयी जबकि श्री श्रीवास्तव की नियुक्ति नहीं की गयी है ? इनकी नियुक्ति कब तक कर ली जायेगी ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी नहीं ।

चूंकि श्री श्रीवास्तव विभागीय परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुए । अतः इनको परिचालक (तृतीय श्रेणी) के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

नियमानुसार चयनित होने के उपरान्त इनकी नियुक्ति सम्भव हो सकेगी ।

जिलाधिकारी, जालौन के आदेश के बाद दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

98—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि 26 सितम्बर, 87 को जालौन के तत्कालीन जिलाधिकारी सुश्री नीता चौधरी के आदेश के बाद क्षेत्राधिकारी यू0 एस0 जायसवाल, निरीक्षक अनारसिंह आदि के विरुद्ध धर्मादारविणी सभा कोंच (जालौन) के मंत्री हरीशंकर लोइया द्वारा धारा—307 आदि के अन्तर्गत अंकित कराये गये मुकदमें में अभी तक दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचनानुसार इस अभियोग की विवेचना श्री कंबल सिंह, क्षेत्राधिकारी जालौन द्वारा की गई । विवेचना से अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, बल्कि यह तथ्य प्रकाश में आया कि मु0 अ0 सं0 486/87 धारा—147/148/149//395/397/336/427/332/353/307 भा0 दं0 वि0 व 7 क्रिमनल ला एमेंडमेन्ट से बचने के लिये तथा पेशबंदी में पंजीकृत कराया गया था, जो विवेचना से साबित नहीं हुआ। अतः इस मुकदमें की जुर्म खारिज रिपोर्ट (अन्तिम आख्या) न्यायालय में दिनांक 1-12-88 को प्रेषित की जा चुकी है।

जनपद जालौन की पुलिस द्वारा हरिजनों पर अत्याचार एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

99—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि हरिजन मेहतरों के बच्चों, महिलाओं, पुरुषों को उनके घर में घुस कर अकारण जानवरों की तरह पीटने और पिछड़े वर्ग के काछियों के घर में घुस कर लाठियों की मार से महिलाओं को चोट पहुंचाने की जो घटना गत 11 जुलाई को जालौन जिले के कोंच नगर में पुलिस द्वारा की गई थी, उसमें की गई जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया और किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत प्रकरण की जांच सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से करवाई गई । किन्तु इसी बीच तत्कालीन थानाध्यक्ष, कोंच तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध धारा 452/323/504/506/447/147/148/149/427 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत परिवाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उरई, जनपद जालौन के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया, जो अभी विचाराधीन है। इस वाद में मा0 न्यायालय के निर्णयानुसार यदि पुलिस कर्मी दोषी पाये जाते हैं, तो नियमानुसार उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा, ग्राम सिलहटा, पो0 विशुनपुरा के हरिजन श्री परदेशी की झोपड़ी को सवर्णों द्वारा जलाया जाना

100—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत थाना झंगहा, ग्राम सिलहटा, पो0 विशुनपुरा के श्री परदेशी हरिजन (धोबी) की रिहायशी झोपड़ी सवर्णों द्वारा दिनांक 4-3-84 को जलायी गयी थी ? यदि हां, तो कितनी धनराशि की सहायता किन-किन को दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

101—श्री राजेन्द्र शर्मा—

[3रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देवरिया के बरहज मार्ग पर स्थित गड़ेर चौराहा नामक स्थान पर फेयर बस स्टापेज पर निगम की बसों के रुकने के आदेश

102—श्री बालेश्वर—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—154 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि गड़ेर चौराहा देवरिया को प्रयोगात्मक रूप से फेयर स्टापेज घोषित करने के बावजूद तथा लम्बी यात्रा के यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या एवं मांग के बावजूद भी मेल व एक्सप्रेस बसें आज भी नहीं रुक रही हैं जिससे लांग रूट के यात्रियों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मंडलीय प्रबन्धक को गड़ेर चौराहा (देवरिया) पर मेल व एक्सप्रेस बसों को जनहित में रोके जाने का निर्देश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

देवरिया जनपद में देवरिया—बरहज मार्ग पर स्थित गड़ेर चौराहा नामक स्थान बहुत पूर्व से फेयर बस स्टापेज घोषित है जहां पर निगम की बसें खड़ी होकर यात्रियों को उतारती-चढ़ाती हैं । पुनः जनहित को देखते हुए मेल व एक्सप्रेस बसों को गड़ेर चौराहा फेयर बस स्टापेज पर रुकने हेतु आदेश दे दिया गया है, जिससे यात्रियों को निगम बस की सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ बिक्री-कर कार्यालय में फर्जी चालानों का खेल

103—श्री मूलचन्द्र—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0—163 के उत्तर के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र सं0—493 सचिव, संस्थागत वित्त को दिनांक 15-7-87 को व सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0—619 मुख्य सचिव को दिनांक 9-6-88 को मिला है ? यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां । मा0 सदस्य ने अपने पत्रों में जिन बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी हैं, उनके सम्बन्ध में बिक्रीकर आयुक्त से कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं किन्तु उनका परीक्षण करके कुछ बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचनायें उनसे मांगी गयी हैं। जैसे ही सूचना उपलब्ध होंगी, मा0 सदस्यों को उनके पत्रों के उत्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि 500 रु0 से अधिक की धनराशि चैक या बैंक ड्राफ्ट से जमा करने की व्यवस्था नियम 48 में 3-10-81 से ही की गयी थी । फलतः उससे पूर्व की अवधि में यदि व्यापारी ने 500 रु0 से अधिक की धनराशि भी ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा की हो तो उसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की ।

104—श्री मूलचन्द्र—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

डिप्टी कलेक्टर संग्रह बिक्रीकर, लखनऊ द्वारा बकाया धनराशि न वसूल किये जाने विषयक जांच

105—श्री मूलचन्द्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के सातवें मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0—82 के सन्दर्भ में राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र सं0—461 मुख्य मंत्री को तारीख 2-5-88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम कुमार वर्मा पर अधिक बिक्रीकर लगाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

106—श्री मूलचन्द्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0—98 के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र सं0—953 मुख्य मंत्री को ता0 30-8-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्न में संदर्भित माननीय विधायक श्री यदुनाथ सिंह का पत्र संख्या–953/88 लोकदल (अ) दिनांक 30-8-88 प्राप्त हुआ है।

आवश्यकतानुसार जांच की जा रही है।

107–श्री मूल चन्द्र–

[दि0 14-2-89 के अता0 प्र0 सं0 88 द्वारा उत्तरित]

108–श्री यदुनाथ सिंह–

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 150 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

109–श्री यदुनाथ सिंह–

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

110–श्री यदुनाथ सिंह–

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

111–श्री यदुनाथ सिंह–

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में करवी तहसील के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार न दिया जाना

112–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में करवी तहसील के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों को 30 जून, 1985 से पूर्व ग्राम समाज की जमीनों के अध्यासन के आधार पर असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिए गये? कितने व्यक्तियों ने तहसीलदार करवी को प्रार्थना-पत्र देकर ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जे के आधार पर खसरा-खतौनी में अपने नाम अंकित कराने के लिए प्रार्थना-पत्र दिए थे ? कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये ? ग्राम गडोली के ऐसे व्यक्तियों को ग्राम समाज की जमीनों पर असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री माता प्रसाद–

जनपद बांदा की तहसील करवी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 30 जून, 1985 से पूर्व ग्राम समाज की जमीन के अध्यासन के आधार पर असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार नहीं दिए गये क्योंकि 1392 फसली के खसरे में उनके अध्यासन संबंधी इन्द्राज नहीं पाये गये ।

कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतएव स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम गडोली में 1392 फसली खसरे में अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति का नाम कब्जे में दर्ज नहीं पाया गया । फलस्वरूप उन्हें असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार नहीं दिए गये ।

जनपद वाराणसी के सुरियांवा ब्लाक के अन्तर्गत तुलापुर बहादुरान ग्राम में चकरोड का अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

113—श्री राम संजीवन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के सुरियांवा ब्लाक के अन्तर्गत तुलापुर बहादुरान ग्राम में चकरोड नं0 297 पर अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया गया है ? क्या ग्रामीणों के आवागमन अवरुद्ध हो जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या यह भी सही है कि अपर जिलाधिकारी, ज्ञानपुर, वाराणसी ने दिनांक 24-2-88 को अतिक्रमण हटाये जाने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो अतिक्रमण करने वालों के नाम व पते क्या हैं और अभी तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया? उक्त अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं । कथित ग्राम के चकरोड नं0 297 पर अतिक्रमण करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थीं, परन्तु अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में अपर जिलाधिकारी (प्र0) ज्ञानपुर वाराणसी द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया था । जांच कराये जाने पर यह पाया गया कि चकरोड सं0 297 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है । ग्रामीणों का आवागमन अवरुद्ध नहीं है बल्कि सुचारु रूप से चालू है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

114—श्री शेर बहादुर सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

फैजाबाद जिला योजना में धन की व्यवस्था विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

115—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की जिला योजना के लिए श्रम की व्यवस्था किये जाने तथा अन्य समस्याओं के संबंध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का 29 जुलाई, 1988 का पत्र शासन को मिल गया है? यदि हां, तो उनमें से किन-किन मामलों पर कार्यवाही का दायित्व गृह सचिव को सौंपा गया है और उनके द्वारा उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

उक्त पत्र में फैजाबाद के दो पुलिस उपाधीक्षकों सर्व श्री बी0 एल0 आर्या तथा सरयू प्रसाद सानिकर के विरुद्ध कथित आरोपों के दृष्टिगत कार्यवाही गृह विभाग को करनी थी ।

प्राप्त सूचानुसार इन दोनों अधिकारियों को जनपद फैजाबाद से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

जनपद गोरखपुर के इंजीनियरिंग कालेज के छात्र श्री अमूल्य गुप्ता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के संबंध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

116—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर (डा0 ओम प्रकाश) का दिनांक 22 मार्च, 88 का सचिव, मुख्य मंत्री श्री एस0ए0टी0 रिजवी उत्तर प्रदेश को सम्बोधित और आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर तथा प्राचार्य मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को पृष्ठांकित पत्र जो दिनांक 21-3-88 की सड़क दुर्घटना में श्री अमूल्य गुप्ता इंजीनियरिंग चतुर्थ वर्ष के छात्र की मृत्यु तथा श्री धीरेन्द्र जोशी के घायल होने के संबंध में है, शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उस पत्र और उस पर अब तक कृत कार्यवाही के विवरण को सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्र दिनांक 22 मार्च, 1988 की फोटो प्रति दिनांक 3-2-1989 के पत्र के साथ प्राप्त हुई है । पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

जनपद फैजाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना तथा प्रश्नकर्ता द्वारा ज्ञापन का दिया जाना

117—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 4-7-88 को जनता पार्टी फैजाबाद ने जिलाधिकारी फैजाबाद के कार्यालय के सामने एक धरने का आयोजन किया था जिसके अन्त में प्रश्नकर्ता तथा अन्य कई पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से एक 9 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया था? यदि हां, तो उसमें से किन-किन बिन्दुओं पर कार्यवाही का कार्य ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को सौंपा गया है और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मा0 विधायकों को आग्नेयास्त्र का लाइसेंस दिया जाना

118—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या गृह मंत्री कृपया जानकारी देंगे कि माननीय विधायकों को यदि उनके पूरे जीवन में किसी भी समय कहीं भी कोई आपराधिक आरोप न हों, अन्य बातें सामान्य हों, तो शस्त्र लाइसेंस दिये जाने में प्रार्थना-पत्र देने की तिथि से कितना समय सामान्यतया लगता है ? एक माननीय विधायक को अधिकतम कितने शस्त्र लाइसेंस दिए जा सकते हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

शस्त्र लाइसेंस, आयुध अधिनियम, 1959 तथा आयुध नियमावली, 1962 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए

जाते हैं । लाइसेंस स्वीकृत करने में लगने वाले समय के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं है । उक्त अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति तीन से अधिक आग्नेयास्त्र नहीं रख सकता है । किसी भी श्रेणी/वर्ग के व्यक्तियों को, जिसमें माननीय विधायक भी सम्मिलित हैं, उक्त से छूट देने का अधिनियम में प्राविधान नहीं है ।

जनपद आगरा में श्री उपेन्द्र नाथ चतुर्वेदी डी0 जी0 सी0 आर0 आगरा विकास प्राधिकरण के स्थायी अधिवक्ता के स्थान पर श्री हरेन्द्र पाल सिंह की नियुक्ति

119—श्री विजय सिंह राणा—

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि विधि मंत्रालय के शासनादेश संख्या-डी-419/7बी/79/1969, दिनांक 27-4-71 के अनुसार डी0 जी0 सी0 आर0 किसी महापालिका या स्थानीय स्वशासकीय संस्था के स्थायी अधिवक्ता नियुक्त नहीं किये जा सकते एवं शासनादेश संख्या—डी0-4295/7बी/म0-128/81, दिनांक 8-4-82 के प्रस्तर—4 के अनुसार कोई व्यक्ति जो नोटरी, विवाह अधिकारी, कालेज प्रवक्ता आदि पद धारण करता है, तो वह डी0 जी0 सी0 के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता ? क्या उक्त दोनों शासनादेश वर्तमान में प्रभावी हैं ? यदि हां, तो आगरा जनपद में श्री उपेन्द्र नाथ चतुर्वेदी डी0 जी0 सी0 आर0 आगरा विकास प्राधिकरण के स्थायी अधिवक्ता के पद पर किस प्रकार कार्यरत हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

विधि परामर्शी निर्देशिका में दिए गये प्राविधान के अनुसार जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के लिये यह निषेध है कि वह किसी गैर सरकारी पक्षकार को किसी राजस्व मामले में राय दे या उसमें उपस्थित हो ।

शासनादेश दिनांक 8-4-82 के अनुसार वर्तमान में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा नोटरी, विवाह अधिकारी, कालेज प्रवक्ता इत्यादि का पद शासकीय अधिवक्ता के पद के साथ-साथ धारण नहीं किया जा सकता ।

जनपद आगरा में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व—1) के पद से विचारोपरान्त श्री उपेन्द्र नाथ चतुर्वेदी को कार्यमुक्त किया जाकर उस पद पर श्री हरेन्द्र पाल सिंह की नियुक्ति की गई है, जिन्होंने दिनांक 7-12-88 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

जिलाधिकारी आगरा द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति

120—श्री विजय सिंह राणा—

क्या श्री उपेन्द्र नाथ चतुर्वेदी को शासन द्वारा 4-8-79 को जिलाधिकारी आगरा के पत्र संख्या-038971 रा0 स0 द्वारा पदमुक्त किया जा चुका है और अन्य अधिवक्ता को शासनादेश संख्या—डी-4635/सात वि0 म0 5 (1) 59, दिनांक 25-10-89 द्वारा नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो फिर किस आधार पर विधि परामर्शी निर्देशिका के प्राविधानों के प्रतिकूल आवेदन-पत्र आमंत्रित किए बिना श्री चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

शासनादेश संख्या डी-273/सात-वि0म0-5(1)/59, दिनांक 30-7-79 के अनुसार श्री उपेन्द्र नाथ चतुर्वेदी को जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व–1) के पद से कार्यमुक्त किया गया था और रिक्त पद पर शासनादेश दिनांक 25-10-79 द्वारा उस समय जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व-2) के पद पर कार्यरत श्री के0पी0 सिंह को जिला शासकीय अधिवक्ता (माल-1) नियुक्त किया गया किन्तु श्री चतुर्वेदी ने उनको कार्यमुक्त किये जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया तब विचारोपरान्त उनका प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए उनको जिला शासकीय अधिवक्ता (माल–1) के पद पर प्रतिस्थापित करते हुए पुनः नियुक्त किया गया और श्री के0 पी0 सिंह को पुनः जिला शासकीय अधिवक्ता (माल-2) बनाया गया ।

जनपद फतेहपुर के थाना चांदपुर में कार्यरत थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही

121–श्री अचल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के थाना चांदपुर में कार्यरत थानाध्यक्ष श्री सिद्दीकी के द्वारा की गई तमाम अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच मजिस्ट्रेट से कराने का आदेश जिलाधिकारी फतेहपुर ने दिया था? यदि हां, तो क्या मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गयी और जांच में थानाध्यक्ष दोषी पाये गये थे? क्या प्रश्नकर्ता का उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती पत्र दिनांक 23-6-86 भी प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार जांच से दोषी पाए गए श्री एम0 ए0 सिद्दीकी, तत्कालीन थानाध्यक्ष चांदपुर के विरुद्ध पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 478 (ए) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । प्रश्न में संदर्भित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-6-86 प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है ।

जनपद फतेहपुर के थाना जहानाबाद के थानाध्यक्ष द्वारा हत्या कराये जाने के विरुद्ध गुप्तचर शाखा द्वारा जांच

122–श्री अचल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के थाना जहानाबाद में दर्ज अपराध संख्या–92 सन् 1986 धारा 302 में तत्कालीन थानाध्यक्ष (श्री सुख सागर शुक्ला) द्वारा हत्या कराने की शिकायत श्री हरि प्रसाद, निवासी जरारा, थाना जहानाबाद, जनपद फतेहपुर ने की है और उपरोक्त अपराध संख्या की जांच गुप्तचर शाखा से कराने की मांग की है ? यदि हां, तो उपरोक्त अपराध संख्या की जांच गुप्तचर शाखा से करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सशीला रोहतगी–

जी हां ।

जनपद फतेहपुर में कार्यरत क्षेत्राधिकारी श्री के0 एन0 दुबे के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

123—श्री अचल सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1987 के प्रथम सप्ताह में उन्होंने कानपुर में हुए प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सही जांच तभी सम्भव है जब उसका स्थानान्तरण करके जांच की जाय ? यदि हां, तो फिर जनपद फतेहपुर में कार्यरत क्षेत्राधिकारी श्री के0 एन0 दुबे के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा एवं अन्य विधायकों द्वारा कई शिकायती प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी उनका स्थानान्तरण करके जांच न कराने का क्या कारण है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी नहीं ।

श्री के0 एन0 दुबे तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, जनपद फतेहपुर को स्थानान्तरित किया जा चुका है । इनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच प्रचलित है ।

जनपद फतेहपुर में तैनात क्षेत्राधिकारी (पुलिस) खागा (श्री के0 एन0 दुबे) के विरुद्ध शिकायती पत्र पर प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

124—श्री अचल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में तैनात क्षेत्राधिकारी (पुलिस) खागा (श्री के0 एन0 दुबे) के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता से दिनांक 7-11-86 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ ।

उक्त पत्र में श्री के0 एन0 दूबे, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, खागा के विरुद्ध उल्लिखित आरोपों की जांच पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन से कराई गई । जांच आख्या के अनुसार श्री दूबे के विरुद्ध उक्त पत्र में उल्लिखित एक आरोप के अतिरिक्त शेष सभी आरोप अप्रमाणित पाये गये । उक्त एक आरोप के सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त की जा रही है।

जनपद गोरखपुर में कतिपय थानाध्यक्षों की एक ही स्थान पर अधिक समय तक तैनाती

125—श्री हर्ष वर्धन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में 1 नवम्बर, 1988 को कितने थानाध्यक्ष ऐसे थे जो एक ही थाने पर 3 वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत रहे हैं ? उक्त थानाध्यक्षों को किन कारण वश सम्बन्धित थानों पर लम्बे समय तक रखा गया है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

गोरखपुर जनपद में 1 नवम्बर, 1988 को केवल दो थानाध्यक्ष एक्सेज थे जो एक ही थाने पर 3 वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत रहे हैं।

उपरोक्त दोनों थानाध्यक्षों को जनहित में वहीं बने रहने दिया गया है।

जनपद लखनऊ के कारागार से उच्च श्रेणी के बन्दियों का स्थानान्तरण

126–श्री हर्षवर्धन–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में दोष सिद्ध उच्च श्रेणी बन्दियों को किन-किन कारणों से उन कारागारों में नहीं रखा जाता है जहां उच्च श्रेणी बन्दियों का बन्दीगृह अलग से बन गया है ? क्या गोरखपुर जनपद के जिला कारागार में उच्च श्रेणी बन्दीगृह होने के बाद भी उस कारागार के उच्च श्रेणी बन्दियों को फैजाबाद कारागार में स्थानान्तरण करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार गोरखपुर में ही ऐसे बंदियों को बन्द रखने हेतु आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश की कुछ कारागारों में आन्दोलनकारी एवं राजनैतिक बन्दियों की निरुद्धि के लिए उच्च श्रेणी क्षमता का विस्तार किया गया है, दोषसिद्ध बन्दियों के लिये नहीं । प्रशासनिक कारणों से दोषसिद्ध उच्च श्रेणी बन्दियों को उन कारागारों में रखा जाना सम्भव नहीं है।

जी हां ।

जी नहीं ।

सामान्य दोषसिद्ध उच्च श्रेणी बन्दियों को गोरखपुर कारगार में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि कारागार में उच्च श्रेणी क्षमता का जो विस्तार किया गया है वह केवल आन्दोलनकारी एवं राजनैतिक बन्दियों के लिये है।

127–डा0 दिनेश जौहरी–

[दि0 14-2-89 को अता0 प्र0 सं0–136 द्वारा उत्तरित]

जनपद नैनीताल के सरदार जोध सिंह की पत्नी श्रीमती तेज कौर को निःशुल्क आवासीय पट्टा दिलाये जाने की मांग

128–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री को श्रीमती तेज कौर पत्नी सरदार जोधा सिंह जनपद नैनीताल को निःशुल्क आवासीय पट्टा दिलाये जाने के विषय में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 9 जून, 88 का प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गाजीपुर के स्वर्गीय राजा तिवारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी द्वारा राज्य सरकार से पेंशन हेतु आवेदन

129–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि श्रीमती ताप्ती देवी पत्नी स्वर्गीय राजा तिवारी ग्राम कुसुम्ही कलां, जनपद गाजीपुर को उनके स्वर्गीय पति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

होने के कारण पेंशन केन्द्र सरकार द्वारा सन् 1971 से दी जा रही है परन्तु राज्य सरकार द्वारा उन्हें आज तक अनेकों प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी पेंशन नहीं स्वीकृत की गई है ? क्या इस सम्बन्ध में श्रीमती ताप्ती देवी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-5-88 को अनुसचिव, गृह सामान्य अनुभाग को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मान पाल सिंह–

जी हां ।

श्रीमती ताप्ती देवी को दिनांक 14 अक्तूबर, 1988 को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

कोषागार में मुख्य लिपिकों को उपकोषाधिकारी के पद पर पदोन्नति

130–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 से 1 दिसम्बर, 1988 तक कितने कोष मुख्य लिपिकों की उप कोषाधिकारी के पद पर प्रोन्नति की गई ? उसमें कितने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को रखा गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्नगत अवधि में कुल 72 कोषागार मुख्य लिपिकों को उप कोषाधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया जिसमें अनुसूचित जाति के 17 कोषागार मुख्य लिपिक हैं ।

नियुक्ति बाद कार्य के पश्चात 1 दिन अधिक होने पर नियुक्ति निरस्त

131–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुभाष चन्द्र वर्मा ने 12 जनवरी, 76 से जून, 80 तक लोकल फण्ड एकाउन्ट विभाग में आडीटर के पद पर कार्य किया ? क्या इसके बाद सेवा नियमितीकरण के समय इनकी आयु 1 दिन अधिक होने के कारण इन्हें सेवा से निकाल दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 87 को सरकार द्वारा इनको 1 दिन की छूट प्रदान करके तथा इन्हें बहाल करने का निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय का अनुपालन शासन द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं । वस्तुतः श्री सुभाष चन्द्र वर्मा ने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा संगठन के अंतर्गत लेखा परीक्षक के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 12-2-76 से 13 दिसम्बर, 1979 तक कार्य किया । तदर्थ सेवाओं को विनियमित करने हेतु गठित की गई चयन समिति ने श्री वर्मा की आयु को निर्धारित सीमा से अधिक पाया जिसके कारण उन्हें सेवा से हटा दिया गया था । श्री वर्मा द्वारा अधिकतम आयु सीमा से छूट प्रदान करने के प्रत्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1987 को उन्हें अधिकतम आयु सीमा से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया ताकि वे सेवा में लिये जा सकें । परन्तु बाद में मामले के सभी पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद राज्य सरकार ने अपने पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया ।

जनपद बांदा में चित्रकूट तीर्थस्थल में यात्रियों की सुविधा हेतु कर्वी में डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव

132–श्री राम सजीवन–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में चित्रकूट तीर्थस्थल में यात्रियों को आने जाने की यातायात की सुख-सुविधा देने हेतु कर्वी में एक डिपो स्थापित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी और डिपो कब तक स्थापित कर दिया जायगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

वर्तमान में कर्वी-चित्रकूट क्षेत्र की यातायात की व्यवस्था निगम के बांदा डिपो से पूरी की जा रही है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय चरण में कर्वी में एक डिपो कार्यशाला स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ।

जनपद मैनपुरी के अतिरिक्त जिलाधिकारी के यहां लम्बित मुकदमों का निर्णय

133–श्री राज किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिलाधिकारी मैनपुरी के यहां सन् 1985 से ऐसे कितने मुकदमें लम्बित हैं जो खसरा (आकार पत्र-41) के अनुसार सही नहीं है ? उक्त मामलों का निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री माता प्रसाद–

अतिरिक्त जिलाधिकारी मैनपुरी के न्यायालय में सन् 1985 से अब तक 28 ऐसे वाद लम्बित है जो खसरा आकार पत्र 41 के अनुसार सही नहीं है । इन वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश भेज दिये गये हैं ।

जनपद बरेली के विकास खण्ड भदपुरा के ग्राम जगतपुर के निवासियों द्वारा पलायन तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था

134–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली के विकास खण्ड भदपुरा का ग्राम जगतपुर पिछले वर्ष ग्राम में पड़ी कई डकैतियों तथा चोरियों इत्यादि के फलस्वरूप उजड़ रहा है और उसके अधिकांश निवासी ग्राम छोड़-छोड़कर भाग गये हैं ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इसके अतिरिक्त बरेली के विकास खण्ड फतेहगंज के ग्राम डोरा खेड़ा भी इन्हीं कारणों से पूरी तरह से उजड़ चुका है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस ने इन ग्रामों में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की तथा ग्रामीणों को आत्मसुरक्षा लाइसेंस क्यों नहीं दिए ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बरेली के विकासखण्ड भदपुरा के ग्राम जगतपुर में वर्ष 1987 में डकैती, चोरी या अन्य किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है । ग्राम डोरा खेड़ा थाना फतेहगंज पश्चिम में वर्ष 1987 में केवल एक घटना हत्या की घटी है ।

उपर्युक्त ग्रामों के निवासी अपराधिक घटनाओं के कारण नहीं बल्कि भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति आवागमन के साधनों के अभाव व अन्य कारणों से दूसरे स्थानों पर जा कर रहने लगे हैं ।

उपरोक्त गांवों की तरफ पुलिस गश्त नियमित रूप से होती रहती है । उक्त ग्रामों में ग्राम जगतपुर के केवल श्री लाखन सिंह के पास बन्दूक का लाइसेन्स है । शेष ग्रामीणों के पास शस्त्र रखने के लिए सुरक्षित मकान नहीं है इन्हीं कारणों से उन्हें शस्त्र के लाइसेन्स नहीं दिए गये हैं ।

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान

135—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 1987, 31 अगस्त, 1987 तथा 31 दिसम्बर, 1987 को प्रदेश में कृषकों का पिराई सत्र 1986-87 का कितना-कितना गन्ना मूल्य बकाया था ? उक्त तिथियों पर बकाया मूल्य अदा न करने की दोषी चीनी मिलें कौन-कौन सी थीं तथा सरकार ने इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? क्या इस बकाया पर नियमानुसार सरकार ने किसानों को उनकी बकाया पर ब्याज दिलाया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रदेश की चीनी मिलों पर सीजन 1986-87 में गन्ना किसानों का 30 जून, 1987 31 अगस्त 1987 तथा 31 दिसम्बर 1987 को क्रमशः 34.50 करोड़ रु0 9.99 करोड़ रु0 तथा 0.94 करोड़ रु0 बकाया था । बकाया मूल्य अदा न करने की दोषी चीनी मिलों की क्षेत्रवार स्थिति निम्नवत है :—

क्रम0 सं0	क्षेत्रवार चीनी मिलें	अवधि		
		30-6-87	31-8-87	31-12-87
1	निजी क्षेत्र	29	21	1
2	सरकारी	25	19	—
3	राज्य चीनी निगम	21	16	—
		75	56	1

चीनी मिलों पर बकाया भुगतान करने के लिए नोटिस तथा वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये तथा विलम्बित गन्ना मूल्य भुगतान कर नियमानुसार ब्याज देने के लिए सभी सम्बन्धित चीनी मिलों को निर्देशित किया जा चुका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं तथा पीलीभीत में सूखा राहत कार्यों पर वास्तविक व्यय

136—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से सूखा राहत कार्यों पर जिला बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं तथा पीलीभीत में 31 मार्च, 1988 तक कितना-कितना वास्तविक व्यय किया गया ?

श्री माता प्रसाद–

जिलाधिकारी बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं तथा पीलीभीत से प्राप्त सूचनानुसार सूखा राहत कार्यों पर 31 मार्च, 1988 तक जो वास्तविक व्यय किया गया, उसका विवरण निम्न प्रकार है–

जनपद	वास्तविक व्यय (लाख रु0 में)
1–बरेली	425.51
2–शाहजहांपुर	199.88
3–बदायूं	527.89
4–पीलीभीत	67.56

उपरोक्त चारों जनपदों की मदवार सूखा राहत कार्यों पर हुये व्यय की सूचना काफी विस्तीर्ण होने के कारण प्रश्नोत्तर के साथ दिया जाना संभव नही है । माननीय प्रश्नकर्ता विधायक इस संबंध में विस्तीर्ण सूचना मेरे कार्यालय कक्ष में आकर देख सकते हैं ।

गन्ना किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं दिया जाना तथा चीनी मिलों पर करोड़ों रु0 का बकाया

137–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिराई सत्र 1985-86 तथा 1986-87 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम स्टैच्युटरी गन्ना मूल्य तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थित चीनी मिलों से गन्ना किसानों को दिलाया गया परामर्शित गन्ना मूल्य क्या-क्या था ? वर्ष 1986-87 में पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ाए गए न्यूनतम स्टैच्युटरी गन्ना मूल्य के अनुपात में प्रदेश सरकार द्वारा परामर्शित मूल्य न बढ़ाये जाने के कारण क्या थे, जबकि केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों का फ्री सेल की चीनी का कोटा भी बढ़ा दिया था तथा चीनी की कीमतें भी बढ़ा दी थीं ? क्या सरकार पिराई सत्र 1986-87 में बढ़े हुए न्यूनतम स्टैच्युटरी गन्ना मूल्य के अनुपात में परामर्शित मूल्य का पुनर्निर्धारण करके पुराने गन्ना मूल्य का बकाया कृषकों को दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

पिराई सत्र 1985-86 तथा 1986-87 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 8.5 प्रतिशत चीनी परते से सम्बद्ध घोषित स्टैच्युटरी आधार गन्ना मूल्य क्रमशः रु0 16.50 व रु0 17.00 प्रति क्विंटल तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थित चीनी मिलों से गन्ना किसानों को उक्त वर्ष में दिलाया गया परामर्शित गन्ना मूल्य क्रमशः पश्चिम व मध्य शुगर जोन हेतु रु0 24.00 तथा रु0 25.00 एवं पूर्वी शुगर जोन हेतु रु0 23.00 व 24.00 रु0 था । राज्य सरकार ने वर्ष 1986-87 में पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ाए गए न्यूनतम स्टैच्युटरी आधार गन्ना मूल्य के अनुपात 1:1.03 से अधिक अनुपात 1:1.04 में परामर्शित गन्ना मूल्य बढ़ाया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

138—श्री यदुनाथ सिंह—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

इलाहाबाद में बिक्रीकर भवन हेतु क्रय किए गए भवन विषयक जांच पर कार्यवाही

139—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के सातवें मंगल हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0 45 के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0—481 सचिव संस्थागत वित्त को ता0 7-5-88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, माननीय विधायक का पत्र संख्या—481 दिनांक 7-5-88 को प्राप्त हुआ जिसके सन्दर्भ में सूचना निम्न प्रकार है :—

(1) इलाहाबाद स्थित स्वर्गीय कन्हैयालाल मिश्र के भवन को क्रय करने के लिए रु0 2.00 लाख की अग्रिम धनराशि स्व0 मिश्र को दि0 7-7-75 को दी गयी ।

(2) दिनांक 6-10-75 को अति0 आयुक्त, बिक्रीकर, इलाहाबाद गए परन्तु स्व0 मिश्र के बीमार होने के कारण अनुबन्ध पत्र उस दिन निष्पादित नहीं हो सका और दिनांक 15-10-75 को श्री कन्हैया लाल मिश्र का स्वर्गवास हो गया ।

(3) अग्रिम की वसूली हेतु वाद दायर करने के लिए वांछित कार्यवाही न्याय विभाग के परामर्श अनुसार की जा रही है ।

बिक्रीकर अधिकरण के सदस्यों की अपील सुनवायी का कोटा पूर्व की भांति की मांग

140—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि पूर्व में बिक्रीकर अधिकरण के सदस्यों का प्रतिदिन द्वितीय अपील सुनवायी का कोटा 3 था जिसको घटाकर एक अपील प्रतिदिन का कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या द्वितीय अपीलों की सुनवायी का कोटा पूर्व की भांति तीन किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

जी नहीं, परन्तु विशेष परिस्थितियों में अपील के शीघ्र निस्तारण हेतु दो वर्ष से अधिक पुरानी लम्बित अपीलों का कोटा एक अपील प्रतिदिन करना उपर्युक्त समझा गया । इसका उद्देश्य यह है कि निर्णयों में गुणात्मक स्तर बढ़े एवं एक पक्षीय निस्तारण अथवा अपील प्रतिप्रेषण तथा अधिवक्ताओं के असहयोग से उत्पन्न सदस्यों के मानसिक तनाव और परेशानी कम हो सके ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिक्रीकर अधिकारी द्वारा महिला अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार

141—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्रीकर अधिकरण सहारनपुर पीठ के सदस्य श्री वी0 के0 सरन द्वारा एक महिला अधिवक्ता श्रीमती सुशीला सिंह बिजनौर के साथ तारीख 28-4-88 को अभद्र व्यवहार की शिकायत अध्यक्ष बिक्रीकर अधिकरण के पास आ गयी है ? यदि हां, तो जांच रपट में कौन-कौन से आरोप पूर्णतया सही और कौन-कौन से आरोप आंशिक रूप से सही पाये गये ? क्या जांच रपट को सदन के पटल पर रखी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

महिला अधिवक्ता श्रीमती सुशीला सिंह के साथ श्री वी0 के0 एरेन, सदस्य बिक्रीकर अधिकरण सहारनपुर द्वारा अभद्र व्यवहार करने की शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

142—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

कृषि विभाग से उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में विलीनीकृत अधिकारियों के स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता निर्धारण में विलम्ब का कारण

143—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा में कृषि विभाग से आये एकीकृत संवर्ग के कुछ अधिकारियों के स्थायीकरण आदेश जारी करने में शासन द्वारा 15 वर्ष तक का विलम्ब किये जाने का क्या कारण है ? उक्त आदेश के जारी होने के 4 वर्ष बाद अभी भी उनके ज्येष्ठता निर्धारण करने तथा उनसे कनिष्ठ अधिकारियों के अनुरूप उन्हें भी अनुवर्ती पदोन्नतियां देने के आदेश न जारी किये जाने का क्या कारण है ? यह कार्यवाही शासन द्वारा कब तक कर दी जायगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

9 अक्टूबर, 1975 को एकीकृत उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा तथा सहायक लेखाधिकारी सेवा के गठन के फलस्वरूप 12 विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में विद्यमान लेखाधिकारी के 50 पद पदधारकों सहित एकीकृत लेखा सेवा में सम्मिलित हुये । चूंकि विभिन्न विभागों से सूचना अपेक्षित थी अतः एकीकृत सेवा से संबंधित नियमावली, अप्रैल, 1980 में ही प्रख्यापित हो सकी । नियमावली के प्रख्यापन के तुरन्त बाद ही कृषि विभाग से एकीकृत सेवा में आमेलित अधिकारियों में से एक ने जिनका प्रकरण कृषि विभाग ने अन्य दो अधिकारियों के साथ एकीकृत सेवा के सृजन के पूर्व लेखाधिकारी के पद पर विनियमन हेतु आयोग को भेजा था तथा जिस पर आयोग ने अपनी सहमति नहीं दी थी, लोक सेवा अधिकरण में याचिका दायर कर दी । अन्ततः याचिका पर अधिकरण के निर्णय दिनांक 16-6-82 में दिये गये निदेशानुसार कृषि विभाग से एकीकृत सेवा में आमेलित 3 अधिकारियों के मामले सेवा आयोग को एकीकृत सेवा के सृजन के पूर्व कृषि विभाग में अधिकारियों के मामले लोक सेवा आयोग को एकीकृत सेवा के सृजन के पूर्व कृषि विभाग में

उपलब्ध लेखाधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध विनियमन हेतु संदर्भित किये गये तथा आयोग की संस्तुति के आधार पर एक अधिकारी को दिनांक 1-7-69 से तथा एक अधिकारी को दिनांक 1-1-74 से लेखाधिकारी के पद पर दिनांक 24-9-84 के आदेशों द्वारा स्थायी किया गया । तीसरे अधिकारी को आयोग ने अस्थायी रिक्ति के विरुद्ध चयनित किया, अतः उसे स्थायी नहीं किया गया । स्थायी किये गये दोनों अधिकारियों को दिनांक 8-5-85 के आदेशों द्वारा तथा तीसरे अधिकारी को दिनांक 13-2-86 के आदेशों द्वारा वेतनमान 1250-2050 के समूह "क" के पद पर पदोन्नत किया गया। तीनों में से वरिष्ठतम अधिकारी को निचले पद पर अनिवार्य सेवा की शर्त से छूट देकर दिनांक 30-7-87 के आदेशों द्वारा वेतनमान रु0 1840-2400 में पदोन्नत किया गया तथा वरिष्ठतम क्रम में दूसरे अधिकारी को भी उक्त वेतनमान में 1 फरवरी, 1989 के आदेशों द्वारा पदोन्नत कर दिया गया है ।

144—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में कृषि विभाग से बिलीनीकृत अधिकारियों का नियमन लोक सेवा आयोग से लगभग 15 वर्ष के विलम्ब से वर्ष 1984 में कराया गया था उसमें आरक्षण सम्बन्धी तत्समय लागू नियमों के अनुसार कार्यवाही न करके 1984 में लागू नियमों के अनुसार कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप कुछ अधिकारियों का स्थायीकरण देय तिथि के 4 वर्ष बाद की तिथि से किया गया और कुछ अधिकारी उक्त स्थायीकरण से बिल्कुल ही वंचित रह गये ? यदि हां, तो क्या सरकार इस त्रुटि का सुधार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न सं0 143 के उत्तर में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें प्रश्नगत अधिकारियों के विनियमन में विलम्ब हुआ। प्रश्नगत विनियमन लोक सेवा आयोग के परामर्श के आधार पर किया गया है तथा इसमें कोई त्रुटि नहीं है ।

उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में विभागीय चयन समिति के समक्ष अधिकारियों के प्रोन्नति की कार्यवाही

145—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 में उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के किन-किन अधिकारियों का वेतनमान रु0 1250—2050 से वेतनमान रु0 1840—2400 में पदोन्नति का मामला विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष रखा गया था और उनके नाम वरिष्ठता के अनुसार किस क्रम में थे? क्या यह सही है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-4-86 द्वारा परिचालित ज्येष्ठता सूची में कुछ अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो उनकी वरिष्ठता निर्धारण की कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 30 अप्रैल, 1988 को हुई बैठक में विभागीय चयन समिति के समक्ष संलग्न सूची में दिये गये अधिकारियों के मामले उसी वरिष्ठता क्रम में वेतनमान 1840—2400 में पदोन्नति हेतु विचारार्थ रखे गये थे ।

कतिपय अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत अनन्तिम वरिष्ठता सूची के विरुद्ध दिये गये प्रत्यावेदनों तथा कुछ अधिकारियों द्वारा उनकी वरिष्ठता के संबंध में न्यायालयों में संस्थित वादों में निर्णय के उपरान्त ही वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 196 पर)

जनपद फतेहपुर के थाना चांदपुर में दर्ज अपराध की जांच एस0 आई0 एस0 से न कराया जाना

146—श्री अचल सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के थाना चांदपुर में दर्ज अपराध सं0 11, 12, 13, सन् 86 की जांच एस0 आई0 एस0 से कराने का आदेश जिला अधिकारी फतेहपुर ने दिया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त अपराध सं0 की जांच पुलिस अधीक्षक फतेहपुर ने एस0 आई0 एस0 से करायी ? यदि नहीं, तो एस0 आई0 एस0 से जांच न कराने के क्या कारण थे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा किन्हीं कारणों से विवेचना एस0 आई0 एस0 से नहीं करायी गयी । कारणों का उल्लेख उपलब्ध अभिलेखों में नहीं है ।

परिवहन निगम कानपुर में रिक्त पदों के चयन की परीक्षा के पश्चात् भी नियुक्ति न किया जाना

147—श्री अचल सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कानपुर क्षेत्र में कार्यालय सहायक द्वितीय के रिक्त पदों के चयन हेतु दिनांक 5-1-87 को परीक्षा ली गयी थी ? उस परीक्षा का परिणाम क्या रहा और क्या सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अन्य किसी को उपरोक्त पद पर नियुक्त इसके उपरान्त हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी हां, दिनांक 5-1-87 को परिचालक पद से कार्यालय सहायक द्वितीय पद पर प्रोन्नति हेतु एक परीक्षा ली गयी थी ।

अर्ह एवं योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण उक्त परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया, इसलिए नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 5-1-87 के पश्चात किसी अन्य को उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया गया ।

गन्ना विकास समिति की धनराशि सह0 गन्ना विकास समिति कांठ (मुरादाबाद) को स्थानान्तरित

148—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दि0 8-1-88 को निबंधन के समय मुरादाबाद गन्ना विकास समिति की धनराशि नव निर्मित स्वतंत्र सह0 गन्ना

विकास समिति कांठ को स्थानान्तरित कर दी गई है जिसका ब्यौरा गन्ना समिति मुरादाबाद में उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के करने के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा वर्णित धनराशि मुरादाबाद समिति को वापस दिला दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

इसका ब्यौरा सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, मुरादाबाद में उपलब्ध है । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

शाखा कार्यालय कांठ, मुरादाबाद के लिए भवन का शिलान्यास के बाद भी भवन निर्मित न होना

149–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम महमूदपुर माफी (कांठ) मुरादाबाद में 0.50 एकड़ जमीन जो दिनांक 31-10-73 को गन्ना वि0 समिति मुरादाबाद के नाम बजरिये बयनामा खरीद की गई थी पर राज्य मंत्री सहकारिता उ0 प्र0 ने दिनांक 9-10-88 को सह0 गन्ना समिति लि0 कांठ के कार्यालय हेतु भवन निर्माण का शिलान्यास किया है ? यदि हां, तो उक्त भूमि जो आज भी स0 ग0 वि0 समिति मुरादाबाद के नाम दर्ज है पर सह0 गन्ना समिति कांठ के कार्यालय भवन के निर्माण का क्या औचित्य है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 मुरादाबाद के क्षेत्र से ही कुछ क्षेत्र निकाल कर सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 कांठ का गठन किया गया । इस नई समिति के निबंधन हो जाने के फलस्वरूप उक्त भूमि अब सहकारी गन्ना विकास समिति कांठ के कार्यक्षेत्र में आ गई है ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 मुरादाबाद की शाखा कांठ का निबंधन

150–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना समिति लि0 मुरादाबाद की शाखा कांठ का निबंधन दिनांक 8-1-88 को हुआ है और उसे एक स्वतंत्र सह0 गन्ना वि0 समिति का दर्जा मिल गया है ? यदि हां, तो क्या इस शाखा का निबंधन सह0 ग0 वि0 स0 लि0 मुरादाबाद की साधारण सभा बुलाकर औपचारिकताएं पूर्ण करके नियमानुसार किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 मुरादाबाद को विभाजित करके कांठ (जि0 मुरादाबाद) में एक स्वतंत्र सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 का निबंधन दिनांक 8-1-88 को किया गया है ।

उक्त निबन्धन से पूर्व निबंधक द्वारा नियमतः उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 126 के अन्तर्गत, सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 मुरादाबाद के विभाजन के आदेश दिए गए हैं, जिसके समाचार पत्र में प्रकाशित होने

के बाद तथा विभाजन आदेश पर कोई आपत्ति न प्राप्त होने के प्रकाश में नई गन्ना समिति का निबंधन किया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम शेरामपुर, बुलन्दशहर में ट्रक द्वारा कुचले और घायल हरिजनों को आर्थिक सहायता

151—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष स्याना कोतवाली क्षेत्र जनपद बुलन्दशहर में ग्राम शेरामपुर विकास खण्ड जहांगीराबाद के चार हरिजनों की मृत्यु एवं चार हरिजनों को गम्भीर रूप से एक अनजान ट्रक द्वारा घायल कर दिया गया ? यदि हां, तो जिला प्रशासन या शासन द्वारा उपरोक्त पीड़ित परिवारों को क्या आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा 5 व्यक्ति घायल हुए थे। घायल व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का नाम व पता नहीं चल पाया है। जांच के दौरान इस घटना से संबंधित वाहन तथा उसके चालक का पता न चल सकने के कारण मुकदमे की विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गई।

जहां तक पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बुलन्दशहर में बाढ़ पीड़ितों हेतु आर्थिक सहायता तथा आवास हेतु आर्थिक सहायता

152—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बाढ़ से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता वितरण करने हेतु धनराशि स्वीकृत की थी? यदि हां, तो कितनी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि तहसील अनूपशहर तथा बुलन्दशहर के ग्रामों के समस्त पीड़ित परिवारों को जिनके मकान अतिवृष्टि से पूर्णरूप अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये थे ? मकान बनाने हेतु तत्काल आर्थिक सहायता दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां। जनपद बुलन्दशहर में वर्तमान वित्तीय वर्ष में बाढ़ से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता हेतु 8,06,250 रु0 की धनराशि स्वीकृत की गई है।

तहसील अनूपशहर में अतिवृष्टि के कारण पूर्णरूप अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये 607 परिवारों को रु0 57,550 वितरित किये गये हैं। तहसील बुलन्दशहर में अतिवृष्टि से 193 मकान आंशिक रूप से प्रभावित हुए जिनके लिये मुख्य मंत्री कोष से 105 मकानों को बनाने हेतु 23,750 रु0 तथा दैवी आपदा में रु0 8,950 वितरित किया गया है।

फर्जी न्यायालय आदेश पर नाम परिवर्तित करने की शिकायत

153—श्री राम संजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मुरली यादव प्रधान तह0 ग्राम सभा विहयापुर, तहसील भदोही, जिला वाराणसी ने चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0 को प्रार्थना

पत्र भेजकर शिकायत की है कि गया प्रसाद ग्राम सुरियावा की आराजी नम्बर 252/0-8-व 660/0-13-0 व 498/0-4-16 मौजा विहियापुर ता0 चौथार तहसील भदोही को चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय के एक फर्जी आदेश के आधार पर नाम हटाकर दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या फर्जी आदेश रद्द कर दिया गया है तथा प्रार्थी का नाम पुनः दर्ज कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या प्रभावी कार्यवाही की गई ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा की मनोहरगंज हरिजन बस्ती की जमीन अवैध रूप से भूमिधारकों को पट्टे पर दिया जाना

154–श्री राम संजीवन–

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के 2रे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 47 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि बांदा जिले के चित्रकूट विकास खण्ड के ग्राम खोही के प्रधान श्री रघुनाथ प्रसाद के भाई ठाकुरदीन के नाम मनोहरगंज की हरिजन बस्ती की जमीनें तथा कुंआ रास्ता आदि सार्वजनिक विस्तार की जमीनों के पट्टे अवैध तरीके से किये गये थे ? क्या उस समय पट्टाधारक के भाई श्री रघुनाथ प्रसाद ग्राम मनोहरगंज के प्रधान थे और अपने भाई के नाम पट्टे कर दिये थे ? यदि हां, तो उन पट्टों को खारिज करने की कोई कार्यवाई क्यों नहीं की गई ? क्या यह सही है कि ठाकुरदीन दूसरी ग्राम सभा खोही के निवासी हैं और वहां पर उनके पास कई बीघे जमीनें हैं ? यदि हां, तो पट्टों की अवैधानिकता की जानकारी होने के बाद क्या उन्हें खारिज करने की कड़ी कार्यवाई की जायेगी और यह कार्यवाई कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री माता प्रसाद–

जी नहीं ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

यह सही है कि ठाकुरदीन दूसरी ग्राम सभा खोही के निवासी हैं तथा उनके नाम से 21 बीघा भूमि है परन्तु किसी भूमि का पट्टा उनके नाम से नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर देहात के ग्राम दौदापुर में हरिजन जमीन पर असरदार लोगों का कब्जा

155–श्री राम संजीवन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर देहात जिले में तहसील पूरवा, परगना डाडियाखेर के ग्राम दौदापुर के श्री बच्चू लाल गरीब हरिजन की जमीन को गांव के ही कुछ सरकश व्यक्तियों द्वारा छीन लेने की शिकायत पर विगत तीन चार माह पूर्व कोई जांच की गई थी ? क्या जांच के दौरान हल्का लेखपाल ने उक्त हरिजन की पत्नी से धोखा देकर निशान अंगठा लगवा लिया था और फर्जी जांच रिपोर्ट भेज दी गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? उक्त हरिजन को अभी

तक जमीनों पर कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया ? उसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां, किन्तु ग्राम दौंदापुर, परगना डौंडियाखेड़ा, तहसील पुरवा, जनपद कानपुर देहात में नहीं, बल्कि जनपद उन्नाव में स्थित है।

जी नहीं ।

मामले की जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त ग्राम में स्थित भूमि श्री बच्चूलाल की है तथा इस पर श्री बच्चू लाल का कब्जा है। शिकायत सत्य नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना हरदी, जनपद बहराइच में मुल्जिम की गिरफ्तारी

156–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मु0 अपराध संख्या 103/88 अन्तर्गत धारा 498 ए/302 आई0 पी0 सी0 थाना हरदी, जनपद बहराइच में मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब और यदि नहीं, तो क्यों ? रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु क्या हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी नहीं ।

जांच में पाया गया कि मृतका श्रीमती निर्मला देवी की मृत्यु कालरा से हुई थी । अतः किसी को गिरफ्तार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :—

1–वादी श्री बांके लाल की लड़की निर्मला देवी की शादी श्री राम सुहावन के साथ 12 जून, 1985 को हुई थी । राम सुहावन व उसके माता-पिता दहेज के लिए लड़की को बराबर प्रताड़ित करते थे और दहेज में घड़ी, साइकिल, सोने की जंजीर व अंगूठी की मांग करते थे, जिसे वादी गरीबी के कारण नहीं दे सका । इसलिए लड़की को उसके ससुराल वाले अक्सर मारते पीटते एवं शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देते थे । दिनांक 21-7-88 को वादी को सूचना मिली कि उसकी लड़की को मार डाला गया जबकि दिनांक 20-7-88 को वह पूर्ण स्वस्थ थी, जिस पर थाना हरदी पर अभियोग सं0 103/88 धारा 498ए/302/306 वी, आई0 पी0 सी0 पंजीकृत कर विवेचना की गई ।

157–श्री जयदीप सिंह बरार–

[दि0 14-2-89 को ता0 प्र0 सं0 5 द्वारा उत्तरित]

158–श्री जयदीप सिंह बरार–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद गाजियाबाद के गन्ना कृषकों के आरोप पर की गई जांच

159—श्री कनक सिंह—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 5-5-88 जो सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 सिम्भावली, जनपद गाजियाबाद के गन्ना कृषकों का 19 आरोपों सहित शिकायत पत्र था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस संबंध में जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5-5-88 में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गई । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद में सहकारी गन्ना विकास समिति के चुनाव में धांधली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर जांच

160—श्री कनक सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-5-88 जो सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 सिम्भावली, जनपद गाजियाबाद के चुनाव में सचिव श्री नरेन्द्र पाल तथा एस0 डी0 एम0 गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद द्वारा धांधली करने के सम्बन्ध में था, पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या इन शिकायतों की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2-5-88 में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गई । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अब्दुल गनी बन्ने मियां बनाम बिक्रीकर अधिकारी के अपील के निर्णय के विरुद्ध अपील

161—श्री मूलचन्द्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 137 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या 1014 मुख्य मंत्री जी को तारीख 15-9-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? 71933.00 राजस्व की हानि के लिए तत्कालीन उपायुक्त (शा) मुरादाबाद व तत्कालीन आयुक्त, बिक्रीकर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं । मा0 विधायक श्री यदुनाथ सिंह का पत्र संख्या—1014 दिनांक 15-9-88 को प्राप्त नहीं हुआ है।

फर्म नारायण भण्डार, अलीगंज, लखनऊ के पजीयन प्रार्थना पत्र में हेराफेरी पर सी0 आई0 डी0 जांच

162—श्री मूलचन्द्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 57 के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या 555 व पत्र संख्या 880 माननीय मुख्य मंत्री जी को क्रमशः तारीख 28-5-88 व 5-8-88 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्रों में उल्लिखित कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जांच अपराध अनुसंधान शाखा से कराई जा रही है। जांच का परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहायक आयुक्त बिक्रीकर मुख्यालय श्री मुन्नी सिंह संत के विरुद्ध शिकायती पत्र

163—श्री मूलचन्द्र—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 153 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या 923 माननीय मुख्य मंत्री जी को तारीख 18-8-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

164—श्री मूलचन्द्र—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

आयुक्त बिक्रीकर बनाम यूनिवर्सल टूल्स कारपोरेशन राजपुर के निर्णय के सन्दर्भ में पत्र

165—श्री मूलचन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 171 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र सं0 626 मा0 मुख्य मंत्री जी को तारीख 9-6-88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां । विचारोपरान्त कोई कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नहीं होती ।

कानपुर बिक्रीकर कार्यालय में फर्म आयडियल रेडियो कम्पनी, नेहरू नगर के पंजीयन के सम्बन्ध में कार्यवाही पत्र

166—श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के दूसरे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 97 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या 551 मुख्य मंत्री जी को तारीख 29-5-88 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ था । उस पर जांच कराई गई । जांच से ज्ञात हुआ कि सर्वश्री आयडियल रेडियो कानपुर के विरुद्ध वर्ष 1978-79 में रु0 4984-40 और 79-80 में रुपया 11,990.00 कर आरोपित किया गया और व्यापारी द्वारा यह कर क्रमशः दिनांक 27-5-83 व 8-6-83 को जमा कर दिया गया । अपील से करमुक्त होने के कारण दिनांक 30-5-86 को व्यापारी को वापस कर दिया गया। यह कथन निराधार पाया गया कि रु0 25,000 से ऊपर राजस्व की हानि हुई ।

बिक्रीकर विभाग में हर पर्चों की खरीद फरोख्त के बारे में उच्च स्तरीय जांच

167—श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगल के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 178 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या 459 माननीय मुख्य मंत्री जी को तारीख 2-5-88 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्नगत पत्र के माध्यम से मांगी गई सूचना मा0 सदस्य को शासन के पत्र संख्या—बि0क0-4-147 ज0 प्र0/दस-88, दिनांक 8-2-89 द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।

पर्यटन विभाग द्वारा मानचित्र में नैमिषारण्य के साथ मिश्रिख तीर्थ का नाम अंकित किया जाना

168—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्यटन विभाग के सभी मानचित्रों तथा गाइड पुस्तकों आदि में नैमिषारण्य के साथ ही मिश्रिख तीर्थ के नाम मिलाकर लिखे जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 11-5-88 के आस पास किसी दिन उन्हें मिला जिस पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश की जानकारी प्रश्नकर्ता को पर्यटन अनुभाग के संयुक्त सचिव (श्री सत्येन्द्र कुमार) ने अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या 114 सी0 एम0/41-88-106/98 (पर्यटन अनुभाग) दिनांक 12 अक्टूबर, 1988 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गई ? यदि हां, तो नाम जोड़ने के बारे में आदेश कब हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)–

जी हां ।

दिनांक 12-10-1988 को शासन के पत्र संख्या–114 सी0 एम0/41-88-106/88 में दिये गये निर्देशानुसार पर्यटन मानचित्र में मिश्रिख तीर्थ स्थल का नाम अंकित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के ग्राम सभा बाराबारी, परगना खैराबाद की श्रीमती विद्या देवी, त्रिमोहन लाल तथा स्वामी दयाल को आबादी की भूमि के आवंटन का प्रस्ताव स्वीकृत

169–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा बाराबारी, परगना खैराबाद, तहसील एवं जिला सीतापुर द्वारा श्रीमती विद्या देवी, त्रिमोहन लाल तथा स्वामी दयाल को आबादी भूमि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु एस0 डी0 एम0, सीतापुर को अगस्त अथवा सितम्बर, 88 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो स्वीकृति कब प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ।

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रस्ताव नियमानुसार न होने के कारण परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 19-9-88 द्वारा निरस्त कर दिया गया । पुनः श्री राम विलास पुत्र स्वामी दयाल, दुर्जन लाल पुत्र शंकर, त्रिमोहन लाल पुत्र गंगू राम के पक्ष में प्रस्ताव पारित हुआ जिसको नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य होने पर परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 27-1-89 को स्वीकृत किया जा चुका है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

फर्म न्यू बाथम शुगर इण्डस्ट्रीज उमरिया, जनपद लखीमपुर के विरुद्ध अस्थायी कर निर्धारण आदेश पर कार्यवाही

170–श्री मूल चन्द्र तथा श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के चौथे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 56 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या 400 मुख्य मंत्री जी को तारीख 26-4-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्नगत पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना मा0 सदस्य को शासन के पत्र संख्या–बि0क0-4-21 ज0 प्र0/दस-89, दिनांक 9-2-89 द्वारा उपलब्ध करा दी गई है ।

जनपद लखनऊ के सिटी स्टेशन पर अवैध रूप से लाये गये सामान पर फर्म कन्हैया लाल प्रागदास यहियागंज के अवैध माल पर बिक्रीकर लगाया जाना

171—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मार्च, 1986 के प्रथम सप्ताह में बिक्रीकर अधिकारियों ने सिटी स्टेशन पर फर्म कन्हैयालाल प्रागदास यहियागंज, लखनऊ को 5 लाख रुपया का अवैध माल लाते हुए पकड़ा और बिक्रीकर वसूला ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 525 सचिव, संस्थागत वित्त को तारीख 18-7-87 को मिला है ? यदि हां, तो वर्ष 85-86 का अंतिम कर आदेश पारित हो गया ? यदि हां, तो कब आदेश पारित हुआ और कितना अतिरिक्त बिक्री पर कितना कर लगाया गया ? पकड़े गये अवैध माल से कितना अर्थ दण्ड वसूला गया ? क्या जगाधारी बम्बई व हाथरस के स्टेशनों से भी इस बात की जांच की गयी कि इस कर दाता का कितने रुपये का माल आया और उस माल में से कितने रुपयों का माल इनके बहीखाते में दर्ज था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं । दिनांक 4 मार्च, 1986 को बिक्रीकर विभाग के अधिकारियों द्वारा सिटी स्टेशन पर श्री रामदीन पुत्र स्वर्गीय श्री महावीर को 5000 रुपये कीमत के बर्तनों सहित पकड़ा था । अभिग्रहण के बाद श्री रामदीन ने उक्त माल सर्वश्री कन्हैया लाल प्रागदास का बताया था । किन्तु उक्त फर्म द्वारा उक्त माल उनका होना स्वीकार नहीं किया गया ।

जी हां ।

वर्ष 1985-86 का अंतिम कर-निर्धारण आदेश अभी पारित नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पकड़ गए उक्त माल पर रुपए 1320 की जमानत वसूल की गई थी । अभी अर्थदण्ड आदेश पारित नहीं हुआ ।

जगाधारी, हाथरस, बम्बई के स्टेशनों से इस सम्बन्ध में जांच नहीं की गयी है ।

172—श्री शारदा नन्द अंचल—

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

173—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम-कुंभीखाल (सिगड्डी) कोटद्वार भावर, जिला-पौडी गढ़वाल में लगभग 100 वर्ष पूर्व से बने भूमिहीन निवासियों को अभी तक शासन की नीति के अनुसार भूमि प्रदिष्ट नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उपरोक्त जनपद के ही ग्राम-झण्डीचौड़, हल्दूखाला व कोटद्वार भावर में 50 वर्ष पूर्व से बसे भूमिहीन निवासियों को शासन द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा ग्राम कुंभीखाल (सिगड्डी) कोटद्वार में रह रहे भूमिहीन निवासियों को भूमि प्रदिष्ट न करने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम कुम्भीखाल, लैन्सडौन वन प्रभाग के लालढांग रेंज के अंतर्गत मात्र एक खत्ता है, जहां ये लोग अपने भैंस, गाय आदि पशुओं को पालने के लिए ले गये हैं और दुग्ध व्यापार हेतु वहां पर रह रहे हैं ।

कुम्भीखाल में बसे हुए उक्त लोग भूमिहीन नहीं हैं बल्कि उनकी सिगड्डी, दलीपपुर, जयदेवपुर व गन्दीरयाखाल में भूमिधरी जमीन मौजूद है, जहां उनके अपने निजी आवास भी बने हैं । ये लोग मात्र पशुओं को चुगाने एवं दुग्ध व्यापार हेतु उक्त क्षेत्र में रहते हैं ।

चूंकि कुम्भीखाल में बसे व्यक्तियों की अपनी निजी भूमिधारी जमीन एवं मकान बने हुए हैं और वे मात्र दुग्ध व्यवसाय हेतु उक्त क्षेत्र में अपने पशुओं को चुगाने हेतु ले जाते हैं और अस्थाई तौर पर वहां रहते हैं, ऐसी स्थिति में भूमि आवंटन हेतु पात्र व्यक्ति न होने के कारण उन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई है ।

ग्राम झण्डीचौड़ व कोटद्वार भावर के भूमिहीन खेतिहर पात्र परिवारों को समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार भूमि आवंटित की गयी है और आवंटित भूमि पर उन लोगों का स्वामित्व है ।

नयी डायरियों के वितरण में घपला एवं अनियमितता के सम्बन्ध में कार्यवाही

174–श्री विष्णु देव–

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें संस्थापक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा उत्तर प्रदेश एवं एक भूतपूर्व विधायक का पत्र दिनांक 29-1-88 एवं 4-2-88 प्राप्त हुआ है, जो वर्ष 1988 की नयी डायरियों के वितरण में घपला एवं अनियमितता से संबंधित है ? यदि हां, तो क्या वांछित मांगों के प्रति कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे?

श्री नरेश चन्द्र–

जी हां ।

वर्ष 1988 की डायरी वितरण में घपला एवं अनियमितता विषयक संस्थापक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा, उ0 प्र0 का पत्र दिनांक 29-1-88 प्राप्त हुआ था, परन्तु किसी भूतपूर्व विधायक का इस विषय से संबंधित पत्र दिनांक 4-2-88 प्राप्त नहीं हुआ। पत्र दिनांक 29-1-88 के आधार पर विभागीय जांच करायी गयी, वर्ष 1988 के डायरी वितरण से किसी प्रकार का घपला एवं अनियमितता नहीं पायी गयी ।

175–श्री विष्णु देव–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

176–श्री राज किशोर सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आज गन्ना राज्य मंत्री सही उत्तर दे रहे हैं । आज वाराणसी चुनाव में मिली टोपी नहीं लाए हैं । आप इनको निर्देशित कर दें कि वह टोपी यहां न लगाया करें । इनको जिला परिषद् के चुनाव में जवाहर प्रसाद द्वारा टोपी बख्शीश में मिली थी, उसको आज यहां नहीं लाए इसलिए आज सही जवाब दे रहे थे ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह जी जो सम्मानित सदस्यों की टोपी उछालने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वे कृपया ऐसा न करें ।

नियम 301 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अंतर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से श्लाका द्वारा 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं । ये सूचनाएं हैं पहली सर्वश्री हृदय नारायण दीक्षित जी की, दूसरी शारदा नन्द अंचल जी की, तीसरी अवनीश कुमार सिंह जी की, चौथी कौशिक रमाशंकर जी की, पांचवी मूलचन्द्र जी की, छठी श्याम बिहारी सिंह जी की, तथा सातवीं बदन सिंह जी की। ये सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।

(सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जिला उन्नाव के विभिन्न कस्बों की उपेक्षा के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[मान्यवर, उन्नाव जिले की पुरवा तहसील केन्द्र का कस्बा पुरवा अब 20 हजार से अधिक आबादी से युक्त है । विद्युत उपकेन्द्र व उच्चीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन हैं । तहसील-केन्द्र पुलिस कोतवाली दो राष्ट्रीयकृत बैंकों, डाकघर ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक के कार्यालयों पशु चिकित्सालय, सिनेमाघर दो इण्टर कालेज व सप्ताह में दो बार बहुत बड़ी बाजार से युक्त इस कस्बे में विकसित कस्बे के सारे गुण हैं । मगर इसकी एक भी सड़क पक्की नहीं है । तीन साल से तो लगातार मैं ही लिख रहा हूं मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

इसी तरह 18 हजार आबादी वाले मौरावां कस्बा में दो इण्टर कालेज दो सरकारी अस्पताल, दो बड़े साप्ताहिक बाजार, पुलिस स्टेशन, डाकघर आदि की सुविधाएं हैं । मगर एक भी सड़क पक्की नहीं है ।

निवेदन यह भी करना है कि 1947 के बाद से आजाद भारत के दौरान इन दोनों कस्बों में एक भी सड़क पक्की नहीं हुई है ।

समय-समय पर विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक संगठनों ने आन्दोलन भी किये अभी हाल में ही टाउन एरिया पुरवा के सदस्यों राजकुमार सोनकर, मो0 गौस, आलमगीर, शरफुद्दीन आदि ने इस व अन्य मुद्दों को लेकर आन्दोलन किया था। जन रोष है ।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जिला बलिया की सीयर व नगरा ब्लाक में सम्पर्क मार्गों की कमी के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री शारदानन्द अंचल–

[मान्यवर, आपके माध्यम से बलिया जनपद के अपने विधान सभा क्षेत्र सीयर के विकास खण्ड सीयर व नगरा में मार्ग समस्या, सम्पर्क मार्गों की बेहद कमी, सा0 नि0

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वि0 द्वारा बनाई गयी मार्गों में निर्माण घोटाला अधूरा निर्माण, प्रथम दरजे के स्थान पर तीसरे दरजे के ईंट प्रयोग, शासन में शिकायत करने पर जांच कार्य अभियंताओं व ठेकेदारों द्वारा असफल कर देने की ओर माननीय सदन व सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । पन्द्रह राजवहा मार्ग, पूरा-पशुहारी मार्ग, आखोंप राजबहा मार्ग, टी0 एस0 बांध मार्ग, चकरा-बरौली मार्ग, छिदोर किरिहड़ापुर मार्ग, अवराई राजवहा मार्ग, सोना डीह-हाहानाला मार्ग, शाहपुर तेलमा-करनी मार्ग, करनी नहर मार्ग सीयर चरौवां मार्ग का कार्य प्राक्कलन की दृष्टि से बार-बार मांग के बावजूद पूर्ण नहीं है । घटिया किस्म की सामग्री तो लगाई गयी ही है, प्राक्कलन के मुताबिक बहुत कम सामग्री लगाई गयी है तथा मिट्टी का कार्य भी कम करके अधिक या पूर्ण दिखलाया गया है । जब शिकायत कर जांच कराने या सही कार्य कराने की मांग की जाती है और उच्चाधिकारी देखने जाते हैं तो स्थानीय अभियंता षणयंत्र करके एन-केन प्रकारण मौके पर जाने ही नहीं देते तथा बलिया डाक बंगले से ही जांच रिपोर्ट लिख देने तथा शासन को असत्य, वास्तविकता से रहित टिप्पणी देने की स्थिति पैदा कर निर्माण के साथ धोखाधड़ी करते हैं । यही नहीं जांच अधिकारियों के मौका देखने आदि के कार्यक्रम को जन प्रतिनिधियों को भी नहीं देते जिस स्थिति से शासन की मंशा के विपरीत कार्य से लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतः आपके माध्यम से माननीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब स्थल जांच, कार्यवाही व कार्य सही प्राक्कलन के अनुसार कराये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बदायूं की टाउन एरिया दातागंज को श्रेणी–4 की नगरपालिका में वर्गोत्थान के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अवनीश कुमार सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । दातागंज टाउन एरिया बदायूं की एक मात्र टाउन एरिया है, जो कि तहसील मुख्यालय होने के बावजूद अभी तक नगर पालिका का दर्जा नहीं प्राप्त कर पायी है । यह जनपद बदायूं की सबसे बड़ी टाउन एरिया है । जनहित की दृष्टि से इसका वर्गोत्थान होना अत्यन्त आवश्यक है ।

दातागंज नगर की वर्तमान जनसंख्या–20,000 से अधिक है । यहां की विकास गति अत्यन्त धीमी होने के कारण सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है । नालियों के अभाव के कारण सर्वत्र गन्दगी का सामाज्य है, जिसके कारण यहां के निवासियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है । शासन की राजाज्ञा संख्या 308/11-3-78-243 मिस/77, दिनांक 1-2-78 में स्पष्ट अनुदेश निर्गत है कि तहसील मुख्यालय की टाउन एरिया को नगर पालिका में वर्गोस्थानित किया जाये, परन्तु खेद है कि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

जनहित की दृष्टि से आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि टाउन एरिया दातागंज को श्रेणी–4 की नगरपालिका में तुरन्त वर्गोत्थानित किया जाये ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला मुरादाबाद में बाढ़ से सुरक्षा हेतु प्रस्तावित दत्तियाना बांध को ग्राम शेरपुर तक ले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशिक रमाशंकर–

[मान्यवर, मुरादाबाद जनपद में धनौरा ब्लाक के अन्तर्गत गांव पपसरी, मोहसनपुर, रसूलपुर, आसूवाला, इब्राहीमपुर, नाववाला, मुकारमपुर, पहाड़पुर, शाहजहांपुर तथा चान्दरा आदि गांव प्रति वर्ष गंगा की बाढ़ से तबाह हो जाते हैं । फसलें नष्ट हो जाती हैं और घर-झोपड़े धराशायी हो जाते हैं ।

गंगा की बाढ़ से जनपद बिजनौर के भी अनेक गांव तबाह रहते हैं शासन बिजनौर जनपद के गांव दत्तियान से एक सुरक्षा बांध का निर्माण करने जा रहा है । इस प्रस्तावित बांध को मुरादाबाद की सीमा तक बनाया जाना निश्चित किया है । इसी बांध को मुरादाबाद जनपद के शेरपुर गांव तक यदि बना दिया जाय तो हजारों लोगों को बाढ़ से बचाया जा सकता है ।

अतः, श्रीमन्, मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि दत्तियाना (जिला–बिजनौर) में प्रस्तावित बांध को जनपद मुरादाबाद के धनौरा ब्लाक में स्थित गांव शेरपुर तक बनाया जाय ।]

जिला वाराणसी की भदोही नगरपालिका के कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि में गड़बड़ी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूल चन्द–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद वाराणसी के अन्तर्गत भदोही नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों के भविष्य निधि, लगभग 6 लाख रुपया उनके वेतन से काटा गया । भविष्य निधि के खाते में जमा करने के लिए की ओर आकर्षित करते हुए चाहूंगा कि उक्त धनराशि खाते में जमा न करके निर्माण कार्य दिखा कर संबंधित लोग हजम कर गए जिससे गरीब कर्मचारीगण बहुत ही कठिनाई व मुसीबत का सामना कर रहे हैं और सफाई कर्मचारियों में से जो व्यक्ति मर गए हैं उनको सामूहिक जीवन बीमा अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि अभी तक नहीं दिया गया । जबकि मरने के तत्काल उनके आश्रितों को रुपया दे देना चाहिए था । मरने वालों की संख्या इस प्रकार है । सलामत दिनांक 17-8-85 को मर गए व गनी 10-10-87 को व श्रीमती सुमारी देवी 15-11-87 व श्रीमती जैतुन 2-3-87 आदि कर्मचारियों की सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि नहीं दिया गया । इसी प्रकार अन्य सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भी नहीं दिया गया है । समस्त कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश व क्षोभ व्याप्त हो गया है।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के इस गम्भीर विषय की सरकार व सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला बरेली के थाना प्रेमनगर के श्री बाबूराम शर्मा की पुत्री की बलात्कार व हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बिहारी सिंह–

[मान्यवर, बरेली शहर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शाहबाद मोहल्ले के बाबूराम शर्मा की 7 वर्ष की कन्या विमलेश जो कि सरस्वती विद्या मंदिर की कक्षा–1 छात्रा थी, को 13 फरवरी को घर के पास की दुकान से सामान लेने गई किन्तु लौटी नहीं । दूसरे दिन उसकी लाश शाहबाद प्राइमरी स्कूल में मिली । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार उससे बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में व्यापक तनाव व्याप्त है । घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में लोगों ने बच्चों को घर से निकलना बन्द कर दिया है ।

अत: मैं मांग करता हूं कि इस घृणित कृत्य में लिप्त लोगों को यथा शीघ्र पता लगाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जावे ।]

जनपद आगरा की तहसील किरावली में पाले से फसलों की हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह–

[मान्यवर, जनपद आगरा की तहसील किरावली के अकोला, अछनेरा और फतेहपुर सीकरी माह दिसम्बर में पड़े पाले से रबी की फसल में बड़ी हानि हुई है । विशेषत: फतेहपुर सीकरी ब्लाक में असिंचित क्षेत्र के ग्राम पाली पतसाल, सोनाठी, मोहम्मदपुर सहनपुर, जाजौली, समरा, दाउदपुर, उत्तू, घुरौली, नगला सराय सिरौली, ओलौंडा, खेड़ाभोपुर मिर्जाखां जौताना, जहानपुर, नगर, रसूलपुर, गोठरा आदि गांवों में लाही, आलू, बरसीम, मिर्च और विभिन्न प्रकार रबी फसल में पैदा होने वाली सब्जियों की खेती पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है किसानों की रबी फसल के चौपट हो जाने से उनमें हाहाकार मचा हुआ है और वे भुखमरी का सामना कर रहे हैं ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उक्त पाला प्रभावित क्षेत्र के किसानों का लगान आपपासी एवं विभिन्न प्रकार के देय कर्ज माफ हों उनकी आर्थिक सहायता की जाय और इस असिंचित क्षेत्र के लिए सिंचाई साधन जुटाए जायें ।]

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, कुल 14 सूचनाएं स्वीकार की जानी थीं, 7 कैसे स्वीकार की गयी हैं । रोजाना का नियम है कि 14 स्वीकार की जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष–

जो 4 दिन राज्यपाल के अभिभाषण के लिए थे, उन दिनों में 14 सूचनायें ली जानी थीं । आपके नेता आपके पास बैठते हैं । आपको सूचनाएं नहीं देते हैं । अब कृपा करके आप सब बैठें । अब मैं नियम 300 पर आ रहा हूं ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, मेरी सूचना नहीं ली गई ।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष–

सारी सूचनाएं शलाका द्वारा निकाली जाती हैं । इसमें मेरा अख्तियार नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, इसमें भी आरक्षण करा दें, इनको मौका दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आपका रिजर्वेशन कर दिया जायगा ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं पहली सूचना मा0 सूर्य प्रताप शाही जी की आ0 सी0 आर0 में चोरी के बारे में है, दूसरी सूचना मा0 राम आसरे वर्मा और मा0 शेर बहादुर सिंह जी की शस्त्रों के लाइसेंस के बारे में है, तीसरी सूचना मा0 हृदय नरायन दीक्षित जी की प्रश्नकाल में 20 तारांकित प्रश्न लिए जाने चाहिए, लेकिन किसी भी दिन . . .

("सुनाई नहीं दे रहा है" की आवाजें)

अब सुनाई दे रहा है ? तीसरी सूचना मा0 हृदय नारायण जी की है। उनका कहना है कि प्रश्न काल में 20 तारांकित प्रश्न लिए जाने चाहिए मगर किसी भी दिन यह नहीं हो पाता है । चौथी सूचना मा0 शारदा नन्द अंचल जी की जिलाधिकारी बलिया के प्रोमोशन के बारे में है । पांचवीं सूचना मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की पिछले साल स्वीकृत योजनाओं का धन संबंधित विभागों को अभी तक न मिलने के बारे में है । छठी सूचना मा0 बदन सिंह जी की प्रश्नों का उत्तर और आज का एजेण्डा न मिलने के बारे में है । ये जितनी सूचनाएं हैं, ये नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, एक सूचना मैंने भी दी थी प्रश्नों के संबंध में, लिखित दी थी, उसके बारे में बता दें । मुझे विश्वास था कि आज उस पर विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

उस पर हम विचार कर रहे हैं । शाही जी, आप क्या कह रहे हैं ? आपकी चोरी के बारे में सूचना नियम 300 में नहीं आयेगी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, विधायक निवास आपके अन्तर्गत आता है ?

श्री अध्यक्ष–

मेरे अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, वहां की हालत बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाही जी वह मेरे अन्तर्गत आता ही नहीं, विधायक निवास मेरी देख-रेख में नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, वहां की हालत बहुत खराब है, यह मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

(श्री हरदेव के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरदेव जी आप बैठें, मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पूरे प्रदेश का यह महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, मैं खड़ा हुआ हूं, आप बोल रहे हैं।

माननीय बदन सिंह जी आपकी शिकायत यह थी कि आपको आज एजेन्डा नहीं मिला, तो आपके यहां उसे किसी किशोरी लाल ने लिया है, उनके दस्तखत मौजूद हैं। जहां तक प्रश्नों का उत्तर समय से न मिलने की बात है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, उत्तर समय से आना चाहिये और यह शिकायत नहीं होनी चाहिए।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें, मैं खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि अभी तक धन नहीं गया है, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था, स्पष्ट किया था कि 87 प्रतिशत पैसा जा चुका है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, कहां 87 प्रतिशत चला गया ?

श्री अध्यक्ष–

वह प्रश्न भी इस नियम के अन्तर्गत नहीं आता।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिला योजना का आधा पैसा नहीं गया।

(व्यवधान)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, 87 प्रतिशत पैसा गया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

आप उस दिन की कार्यवाही देख लें, माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या उत्तर दिया है, आप संतुष्ट हो जायेंगे।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सत्र जब चल रहा हो, यहां बैठक हो रही है। मान्यवर, आप खड़े हो जाते हैं तो दूसरों को बैठना पड़ जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह सवाल 300 के अन्तर्गत आता ही नहीं । दूसरा, यह जो निर्णय हुआ है, यह जो फैसला हुआ है यह केन्द्र का है, प्रान्त से ताल्लुक ही नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह केन्द्र से सम्बन्धित जरूर है, लेकिन इसी सदन में माननीय मंत्री जी की तरफ से यह खुद घोषणा की गयी कि हमारी शस्त्र देने की नीति क्या है । माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि शस्त्र देने के लिए एक प्रतिबंधित नीति अपनायी गयी है। अभी दो तीन दिन पहले 17 तारीख को अखबारों में खबर छपती है कि जिलाधिकारी जिले स्तर का लाइसेंस देंगे । प्रान्तीय स्तर का प्रान्त सरकार देगी । और पूरे भारत का भारत सरकार देगी ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना में यह है नहीं कि घोषणा किसने की, अपूर्ण सूचना है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह शासन की घोषणा है, शासन ने इस तरह की घोषणा की है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना अपूर्ण है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, उन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सी नीति अपनायी है, जो प्रतिबंधित नीति बनी है, वही चल रही है, या वह संशोधित हो गई है ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आप हमारे अधिकारों के और विधान सभा के कार्य संचालन और प्रक्रिया के आप सजग प्रहरी हैं, रक्षक हैं।

मान्यवर, बजट पास हो जाता है, यह अपेक्षा की जाती है कि वित्त विभाग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में धन जारी कर देगा । जून तक धन अवश्य भेज देगा । जब यह बजट समय से नहीं भेजा जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मान्यवर, आप इस तरह का निर्देश देंगे, व्यवस्था करेंगे इस सदन की कमेटी बनाकर, ताकि कोई इसका हल निकल सके । जैसा आपने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 87 प्रतिशत धन चला गया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिलों में 50 प्रतिशत बजट भी ठीक से नहीं गया है सभी विभागों को जोड़ करके । ऐसी कोई व्यवस्था देंगे, जिससे बजट समय से पहुंच जाय । यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

यह भी सरकार से आशा करूंगा कि इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए, जो भी आपका बजट का एलाटमेंट है, वह जिलों में शीघ्र ही पहुंच जाना चाहिए । इस किस्म की शिकायत भविष्य में नहीं आनी चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

(श्री शारदा नन्द अंचल, श्री बाबूराम यादव तथा श्री सूर्य प्रताप शाही के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

*श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, यहां पर माननीय मंत्री गण सदन को गुमराह करते हैं । मान्यवर, अभी तक 50 फीसदी बजट भी नहीं पहुंचा है, इस संबंध में आप निर्देश जारी करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने भी यही विषय नियम 300 में दिया था, लेकिन आपने सुनने की कृपा नहीं की और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि 87 फीसदी पैसा जा चुका है, जबकि वास्तविकता यह है कि अभी 40 फीसदी से ज्यादा पैसा नहीं गया है । यही प्रश्न जब माता प्रसाद जी ने दिया, तो आपने उनको सुन लिया । मुझे इसमें आपत्ति नहीं है । मुझे आपत्ति इस बात की है कि यह महत्वपूर्ण विषय इस आदरणीय सदन में ठीक ढंग से सामने नहीं आ सका । मान्यवर, यह सदन भारतीय संविधान और बनायी गयी नियमावली द्वारा संचालित होता है और मैंने उसका भी उद्धरण यहां पर दिया था और यह बताने का प्रयास किया था कि वास्तविक आय-व्ययक और विनियोग विधेयक विधान सभा को यह अधिकार देती है कि सरकार को निर्धारित अवधि में जो भी पैसा दिया गया है, वह खर्च कर लिया जायगा । अब साल पूरा हो रहा है और जो 87 फीसदी की बात यहां कही गयी है, वह बिल्कुल सत्य से परे है । जिला योजनाओं को अभी तक 40 फीसदी से ज्यादा पैसा नहीं पहुंचा है यह आखिरी त्रैमास है और अब इसमें मुश्किल से 10 फीसदी पैसा यहां से गया होगा । इसका परिणाम यह हो रहा है कि पूरा विकास कार्य ठप्प है और कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं बन रही है । डी0 आर0 डी0 ए0 के निरीक्षण में जब हम लोग पी0 डब्लू0 डी0 में जाते हैं, आर0 ई0 एस0 में जाते हैं तो वह लोग हमसे यही कहते हैं कि गुप्ता जी पैसा दिलवाइये । वित्त विभाग के जरिये जो वित्तीय अधिकार सरकार को दिये गये हैं, उसके अंतर्गत निर्धारित समय में उसका उपयोग न करके यह सरकार यह विधान मंडल की अवमानना कर रही है । मैंने इस पर आपकी व्यवस्था चाही थी और अब भी चाह रहा हूं कि आप उसमें क्या व्यवस्था कर रहे हैं । मान्यवर, यहां लिये गये निर्णयों की यह सरकार परवाह नहीं करती । मान्यवर, यदि आप उचित समझें तो इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पाण्डेय जी से जो कहा था, वही आपके लिए भी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने कहा कि 40 फीसदी से ज्यादा पैसा नहीं गया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि 87 फीसदी पैसा गया है । आप वित्त विभाग की पत्रावली मंगाकर देख लें और इसमें जो गलती हो, उसका सुधार लें । अगर सरकार की गलती हो, तो उसे प्रताड़ित करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने एक सूचना 16 की शाम को दिया था, उसे आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

वह मेरे विचाराधीन है, मैं उसे देखूंगा ।

(श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी तथा श्री सूर्य प्रताप शाही व श्री राम आसरे वर्मा के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस बारे में आपने कोई निर्णय नहीं दिया । मैंने कहा आप पत्रावली मंगाकर देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको देखूंगा ।

(श्री जयदीप सिंह बरार व श्री गुप्ता जी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने देखने के लिए कह दिया है । किन्तु मेरा एक अनुरोध और है कि देखने के बाद आप अपने अभिमत से कब तक इस सदन को अवगत करा देंगे ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–4 पुकारे जाने पर)

(श्री हरदेव व श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं । श्री बरार जी, मैंने कह दिया है कि मैं आपको सूचना दूंगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आप पहले मुझे सुन लें । फिर अपना निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप कृपा करके बैठ जायं ।

(मद संख्या–4 नहीं पढ़ा गया ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 53 वां प्रतिवेदन†

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 53वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

† छपा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 54 वां प्रतिवेदन

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 54 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 55 वां प्रतिवेदन†

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 55 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 36 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 56 वां प्रतिवेदन †

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 56 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 57 वां प्रतिवेदन†

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 57 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 58 वां प्रतिवेदन†

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 58 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–56 के अन्तर्गत 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना सर्वश्री सूर्य प्रताप शाही, बालेश्वर व श्री धनराज यादव जी की है, दूसरी श्री सुखपाल पाण्डे जी की है, तीसरी सर्वश्री हर्ष वर्धन, रवीन्द्र नाथ तिवारी, शारदा नन्द अंचल, विक्रमादित्य पाण्डेय, मैनेजर सिंह, राकेश धर त्रिपाठी, मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ, कमल किशन पाण्डेय, विष्णु देव, गौरी शंकर भइया, जमुना प्रसाद बोस व श्री बालेश्वर जी की है, चौथी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है, पांचवी सूचना सर्वश्री जयदीप सिंह बरार, सैय्यद अली अशरफी, राम आसरे वर्मा, हरीशंकर तिवारी, रामपाल वर्मा, काशी सिंह एरी, डा0 अच्युतानन्द तिवारी, कामेश्वर उपाध्याय एवं श्री शेर बहादुर सिंह जी की है, छठीं सूचना सरदार सिंह जी की है, सातवी सूचना श्री अवनीश कुमार सिंह जी की है, आठवीं सूचना श्री बदन सिंह जी की है, नवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद

† छापा नहीं गया ।

जी की है और दसवीं सूचना कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी की व श्री देवेन्द्र कुमार सिंह जी की है ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री सूर्य प्रताप शाही जी का नाम पुकारा गया ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने जिस विषय पर काम रोको प्रस्ताव दिया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और त्वरित घटना है । गोरखपुर में 16 फरवरी को हजारों वकीलों का मौन जुलूस निकाला था जो बिक्रीकर विभाग के अधिकारियों द्वारा की गयी मारपीट के सम्बन्ध में था । उस जुलूस पर 16 फरवरी को लाठीचार्ज हुआ, एक दर्जन से अधिक वकील घायल हुए । एक वकील सुभाष चन्द्र यादव की हालत गम्भीर है, उनको मेडिकल कालेज में भर्ती किया गया है । 30 जनवरी को जब पूरा देश दो मिनट का मौन रखकर शहीद दिवस मना रहा था, उस समय बिक्रीकर विभाग, गोरखपुर के अधिकारी वकीलों के साथ मारपीट कर रहे थे इसके विरोध में दीवानी और कलेक्ट्रेट सभी के वकीलों अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले गये । इसी के विरोध में उन्होंने 16 फरवरी, 1989 को मौन जुलूस निकाला था । पूरा का पूरा प्रशासन हठवादिता पर आमादा है । वकीलों को बुलाकर बात नहीं की गयी, समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं की गयी । उनकी अदूरदर्शिता और सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण यह घटना हुई । इस प्रकार का अदूरदर्शिता पूर्ण लाठीचार्ज शान्तिपूर्ण जुलूस पर, जो कि जिम्मेदार लोगों का जुलूस था, एक हजार से अधिक तादाद थी, उस पर जिला कलेक्टर, गोरखपुर ने लाठीचार्ज कराया । सारे प्रदेश में इस तरह से वकीलों के साथ दुर्व्यवहार की घटनायें हो रही हैं । गोरखपुर की हालत गम्भीर है । इसके समर्थन में देवरिया, गोरखपुर और कसिया के वकील भी हड़ताल पर चले गये हैं । ऐसी गम्भीर और त्वरित घटना पर सदन की कार्यवाही रोककर दो घण्टे की चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, गोरखपुर की घटना के सम्बन्ध में काम रोको प्रस्ताव पेश किया गया है, एक ओर बिक्रीकर विभाग के अधिकारी वकीलों को मारने में हिचक नहीं करते, वहीं दूसरी ओर मौन जुलूस पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज, यह बहुत ही शर्मनाक विषय है । इसलिए आपसे मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें. और दोषी अधिकारियों को दण्डित करें ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

मान्यवर, वकीलों और कर्मचारियों के बीच में जो आपस में थोड़ा-बहुत दुर्व्यवहार हुआ, पुलिस ने बीच-बचाव किया । किसी वकील को गम्भीर चोट नहीं आयी है, न कोई अस्पताल में दाखिल है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह उत्तर सत्य से परे है । जानबूझकर गोरखपुर का प्रशासन वकीलों और कर्मचारियों का विवाद पैदा कर रहा है । बिक्रीकर विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को

संरक्षण देने का काम हो रहा है । खुले आम लाठीचार्ज हुआ है, एक दर्जन से अधिक वकील घायल हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जिम्मेदारी पूर्वक घटना की जांच कराकर दोषी लोगों को हटायें और इस सदन में चर्चा होनी चाहिए । जो माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है, [xxx] का है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज सदन की कार्यवाही को रोक करके इस विषय पर आप चर्चा करा दें ।

*श्री हर्ष वर्धन–

माननीय उपाध्यक्ष जी, गोरखपुर में 30 जनवरी को अधिवक्ता श्री महेन्द्र यादव को मारा गया और वे बेहोशी की हालत में आज भी अस्पताल में पड़े हुए हैं । वहां के जिलाधिकारी, जिनको शासन से संरक्षण प्राप्त है, 16 तारीख को उन्होंने जानबूझ करके ऐसी स्थिति पैदा की जिसके कारण लोगों को मारा-पीटा गया । अधिवक्ताओं का जुलूस निकल रहा था उन पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज हुआ । इसलिए जो इस सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं चाहता हूं और इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोक कर आप इस पर चर्चा करा दें ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई गम्भीर चोटें नहीं हैं, तो कितनी चोटें हैं, वे सही बतला दें ?

सार्वजनिक निर्माण एवं ससदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो कुछ सूचना माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में चाही है और इसके लिए यहां पर कुछ बिन्दु उठाये गये हैं गोरखपुर की हड़ताल के बारे में, आपका आदेश हो चुका है कि ऐसा ही एक विषय यहां वक्तव्य के लिए आना है, मेरा अनुरोध है कि यह सारी बातें जो अभी यहां पर उठायीं गयी हैं, उस वक्तव्य में जोड़ दी जायं तो इस संबंध में भी पूरी सूचना सदन में आ जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नहीं मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो अभी भावनायें व्यक्त की हैं एक घटना के संबंध में और लाठी चार्ज के सम्बन्ध में की हैं, दूसरी बात जो जनतांत्रिक व्यवस्था में प्रदर्शन हो रहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार जो नीति अपना रही है, यह नीति सम्बन्धी मामला है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आप चर्चा को स्वीकार करें, यह नीति का प्रश्न है । हम प्रजातंत्र के सजग और जागरूक प्रहरी होने के कारण शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो कि हमारा अधिकार है तो ऐसी छोटी-छोटी बातों पर सरकार इस तरह से बल का प्रयोग करेगी ? इसलिए मेरी भी मांग है कि इस विषय पर आप चर्चा करा दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने विषय की गम्भीरता को समझ लिया है । शान्तिपूर्ण जुलूस पर बर्बर लाठी चार्ज किया जाना, यह सबसे बड़ा तानाशाही का रवैया है । इस पर आप चर्चा करा दें और दोषी अधिकारियों को वहां से स्थानान्तरित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार की जाती है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोण्डा और बस्ती की सबसे बड़ी समस्या है कि जो नवाबगंज की चीनी मिल है जो कि 41 हजार किसान परिवारों की गन्ना की पेराई का काम करती थी और उसमें 1500 मजदूर काम करते थे। उस मिल पर 4 करोड़ 15 लाख रु0 सरकार का और एक करोड़ 55 लाख रु0 किसानों का पुराना बकाया था। 1 करोड़ 30 लाख रु0 मजदूरों का है। यह सरकार, अधिकारियों और मिल मालिकों की सांठ-गांठ से वह चीनी मिल जो कि रिसीवरशिप में थी, उसके सम्बन्ध में एक त्रिपक्षीय समझौता करके वहां एक मिल मालिक को नियुक्त कर दिया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि वह चीनी मिल चल नहीं रही है, यहां विधान सभा के सामने मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जन प्रतिनिधियों से और अधिकारियों से बीतचीत की थी, अधिकारियों की इच्छा है कि इस मिल पर जो लगभग 7 करोड़ रु0 बकाया है । इसकी वैल्यु साढ़े 27 लाख रु0 की है और यहां पर लोग 7 करोड़ रु0 की चीनी बेंच चुके हैं और इसके अतिरिक्त उस मिल का सारा सामान धीरे-धीरे बेंच रहे, इससे यह प्रतीत होता है कि वह मिल चलाना नहीं चाहते हैं ।

इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि इस मिल को वह शीघ्रातिशीघ्र रिसीवर शिप में ले लें और जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाये । मैंने एक पत्र भी इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को लिखकर दिया है, लेकिन इस मामले में उन्होंने यही लिखकर हमें जवाब दिया है कि हम इस मामले को दिखवा रहे हैं। मान्यवर, मात्र दिखवाने से काम वहां पर चलने वाला नहीं है। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, जो बहुत ही अच्छे आदमी हैं और बातें भी बहुत सुन्दर ढंग से करते हैं। अगर माननीय मंत्री जी किसानों और मजदूरों की समस्याओं को गम्भीरता से सुलझाना चाहते हैं, तो इस मामले में यथाशीघ्र कोई सक्रिय कम उठाने की कृपा करें क्योंकि वहां पर इस समय रोज कि रोज बगैर किसी पुर्जी व इंडेंट के हर प्रकार की चोरी हो रही है और मैं समझता हूं कि सरकार इस मामले में उनको प्रोत्साहन दे रही है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

पाण्डे जी अब आप विराजें, बात आप की हो गयी । इस पर चर्चा कोई नहीं होगी, काम रोको पर, कृपया सभी लोग पधारें ।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, अभी इससे पूर्व के प्रश्न पर आपने जिनके कोई नाम नहीं थे, उनको उस पर बोलने का अवसर प्रदान किया था, इसलिए मुझे भी इस मामले में दो मिनट का अवसर दे दें । मान्यवर, नवाबगंज चीनी मिल के मामले को लेकर मैं कई माननीय मंत्रियों व माननीय मुख्य मंत्री जी के पास गया था, परन्तु वह मेरी दरख्वास्त आज भी कोल्डस्टोरेज में पड़ी हुई है और अगर इन किसानों का गन्ना इधर न लिया गया तो वहां पर कोई ऐसा कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है जहां इसे रख सके इतने अधिक गन्ने को और कहीं नहीं रखा जा सकता जैसा कि मा0 सुखपाल पाण्डे जी कह रहे हैं, उससे मैं अपने आपको 3/4 भाग तक सम्बद्ध करता हूं कि यदि वहां पर रिसीवर शिप न की गयी तो बहुत बड़ी परेशानी वहां के किसानों और मजदूरों पर आ जायेगी क्योंकि मौजूदा हालत में उस मिल की स्थिति बहुत ही खराब है, वहां आये दिन सामान चोरी हो रही है और वहां पर जो माल पड़ा हुआ था उसको भी बेचकर मालिक लोग पैसा खड़ा कर रहे हैं। इस समय वह फैक्ट्री बिल्कुल बन्द की सी स्थिति में हो गयी है। अगर यही स्थिति रही तो रिसीवर शिप में आने के बाद भी कुछ दिनों तक वह मिल चलने के योग्य न रहेगी इसलिए मान्यवर. आप इस मामले में शासन को निर्देश दें कि अविलम्ब रिसीवर एप्वाइन्ट करके इस फैक्टरी को चलाया जाये । मुख्य मंत्री जी से रिसीवर एप्वाइन्ट करने के लिये वार्ता हो गयी है और उन्होंने इस मामले को केन्द्रीय सरकार को भेजा है । आप निर्देश दें कि फैक्टरी चले जिससे वहां के मजदूरों को रोजी रोटी मिल सके ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, यह दूसरी घटना है कि सत्ता-पक्ष के विधायक कार्य-स्थगन का समर्थन कर रहे हैं । गत सत्र में जिलाधिकारी, बलिया का मामला आया तो मा0 हरदेव जी ने उसकी अगुआई की थी और आज उपाध्याय जी ने काम रोको प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो आप इस पर चर्चा करा दें ।

*श्री राम शरण दास–

श्रीमन्, कोई जरूरत नहीं है कि मंत्री जी बोलें । पाण्डे जी ने काम रोको प्रस्ताव रखा और उपाध्याय जी ने इसकी ताईद की है । जब सत्ता पक्ष से ताईद हो गयी तो कौन सी बात रह गयी है। कौन सी नई बात मंत्री जी बतावेंगे । आप चर्चा के निर्देश दे दें । आप उन को क्या सुनेंगे । या तो पाण्डे जी गलत कह रहे हैं या उपाध्याय जी गलत कर रहे हैं। आपको मंत्री जी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

आप चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

सुनना चाहिये, फिर निर्णय दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

आप किसलिये वहां पर बैठे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सुनने के लिये बैठा हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

आप माननीय मंत्री जी को सुनना चाहते हैं और क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब हो गयी है। यह तो जो सचिव कह देंगे वही करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप इनको बोलने दें ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर दें ।

श्री हरदेव–

गोरखपुर घुघली से तीन लाख पचास हजार रुपये का फर्जी भुगतान कर लिया गया है और एक भी पैसे का गन्ना नहीं आया है। पचास लाख रुपये सड़क निर्माण के लिये घुघली में लिया गया था लेकिन उस रुपये का सड़क बनाने में कोई उपयोग सही नहीं किया गया । इसी प्रकार 1980 से 1988 तक मेरे क्षेत्र के किसानों को एवं चीनी मिल रसड़ा का उत्पादन सरकार को धोखा देकर मिल में तथा गन्ना विभाग बलिया के अधिकारियों ने लूट खाया है। जिससे मिल करोड़ों रुपये के घाटा में फंस गयी है। $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया पुनर्स्थापित हेतु सरकार से भिजवा चुका हूं। 1987-88 में लूट रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

हरदेव जी आप आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

[x x x]

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप आसन ग्रहण करें। बिना इजाजत के न बोलें।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को बुलायें। दो आदमी भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

गन्ना विकास एवं गृह राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

आप सुनेंगे नहीं। बोलते ही रहेंगे। अगर आप मेरी बात से संतुष्ट न हों तो कहें कि मुख्य मंत्री को बुलाया जाय। पाण्डे जी, आप सुनेंगे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरह से सदन का चलना मुश्किल हो जायेगा। आप को इस बात का हठ नहीं करना चाहिए।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

आप मेरी बात सुन लीजिये। अगर उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर कह लीजियेगा।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मुख्य मंत्री जी को बुलाइये।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

पहले मेरी बात सुन लें। मान्यवर, नवाबगंज चीनी मिल के सम्बन्ध में जो यह मसला उठाया जा रहा है उससे सरकार बहुत चिन्तित है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार का ध्यान उधर नहीं है। किसानों का 1986-87 और 1987-88 का जो बकाया है वह कुल मिलाकर 757.40 लाख रुपया बकाया है। ...(व्यवधान) आप सुन लें। वहां पर इस चीनी मिल की हालत खराब जरूर है। बीच में वहां पर हड़ताल हुई। उससे नुकसान हुआ। चीनी मिल में खराबी आ गई है और उससे किसानों का गन्ना लेने के मामले में संकट पैदा हो रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इस चीनी मिल को अधिग्रहीत कर लें। यह निर्णय सरकार ने ले लिया है और इसे भारत सरकार के अनुमोदन के लिये भेज दिया गया है और जल्दी यह अनुमोदन आ जाने के बाद सरकार आगे इस चीनी मिल को चलाने की कार्यवाही करेगी। इस समय वह चीनी मिल नहीं चलाई जा सकती क्योंकि उसकी मरम्मत में दो-ढाई महीने लग जायेगा। इसलिये नहीं चलायी जा सकती। इसीलिये किसानों का गन्ना डाइवर्ट कर दिया गया है, दूसरी मिलों को। इस प्रकार किसानों का किसी प्रकार से कोई अहित नहीं होने पायेगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं बनता है इसलिये कृपया इसे अस्वीकार करें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने कहा कि इस चीनी मिल को अधिग्रहण करने का निर्णय भारत सरकार ने ले लिया है और रिसीवर एप्वाइन्ट करने के बारे में उन्होंने केन्द्र को लिखा है। अधिग्रहण करने के बाद रिसीवर नियुक्त होता है और माननीय

मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने अधिग्रहण कर लिया है और भारत सरकार को लिखा है। जबकि अधिग्रहण के बाद ही रिसीवर नियुक्त होता है। तो यह जानकारी आप कर लें। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक आप इस निर्णय को लागू कर देंगे और कब तक रिसीवर नियुक्त करके इस मिल को चालू करा देंगे ताकि जो घेराव और अनशन हो रहा है, वह समाप्त हो सके।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

उपाध्यक्ष जी, यह जो मामला माननीय सुखपाल पांडे जी ने उठाया है और श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय जी ने तथा अन्य सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, उसके सम्बन्ध में जहां तक किसानों के हित का सवाल है उसके लिए सरकार जागरूक है। पहले ही मंत्रि-परिषद् ने यह निर्णय ले लिया था कि इस मिल का अधिग्रहण कर लिया जाय। जो बात माननीय सदस्यों ने कही है उसके लिए सरकार प्रयत्नशील है और जो हमने अनुमोदन के लिए भेजा है उसे जल्दी से जल्दी मंगाकर इस मिल को चालू कर दिया जायेगा ताकि किसानों का अहित न हो। यह मैं आपके माध्यम से सदन के दोनों पक्षों को आश्वस्त करना चाहता हूं।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मेरा आपसे निवेदन है कि अभी कुछ दिन पहले फैजाबाद में एक कांफ्रेंस हुई थी और उसमें मुख्य मंत्री जी ने भी भाग लिया था और उसमें गोण्डा की जो मिल है उसके किसानों ने मुख्य मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम उसके अधिग्रहण पर विचार कर रहे हैं। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, उन्हें सदन में बुला लिया जाय। यह एक अहम् समस्या है, किसानों की समस्या है, सारे सदन के लोगों की दिलचस्पी है और एक गम्भीर प्रश्न है। वहां पर लोग अनशन पर बैठे हैं इसलिए उस पर आप स्थिति स्पष्ट करा दें और मुख्य मंत्री जी को बुला लें और उनको सुनने के बाद कोई निर्णय दें क्योंकि माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उन्हें खुद कोई जानकारी नहीं है। उन्हें किसानों के उस ज्ञापन की जानकारी भी नहीं है और न ही मुख्य मंत्री जी ने वहां पर श्रमिक प्रतिनिधियों और किसानों को जो आश्वासन दिया था उसकी कोई जानकारी है। श्रीमन्, इस तरह से जो अनुत्तरदायित्वपूर्ण उत्तर दे रहे हैं इसमें आप हमारा संरक्षण करें और इस प्रश्न पर जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी न आ जायं और स्थिति स्पष्ट न करें तब तक आगे न बढ़ें। (व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

पहले अधिग्रहण होता है उसके बाद रिसीवर की नियुक्ति होती है।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी हम लोगों को है। बहुत नम्रतापूर्वक मैं आपके माध्यम से तिवारी जी की सेवा में अर्ज करना चाहूंगा कि इन्हीं सारी चीजों को नजर में रखते हुए जैसा उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री जी जब फैजाबाद गए थे, शासन के विचार व्यक्त किए थे। उसके बाद मंत्रिपरिषद् में इस पर निर्णय लिया कि वहां पर मिल नहीं चल रही है किसानों का अहित हो रहा है इसलिए केन्द्र सरकार को तुरन्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संदर्भित किया जाय और उनकी स्वीकृति मांगी गयी है । इस पर पूरी तरह से कार्यवाही हो रही है कि इसे टेकओवर कर लिया जाय । तो जो भावना माननीय सदस्यों ने यहां व्यक्त की है उनसे सम्बद्ध करते हुए इसमें पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है जो आपकी चिन्ता है वही हमारी भी है । हम शीघ्र ही मिल को टेकओवर करेंगे और किसानों का अहित नहीं होने देंगे ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

कब तक हो जायेगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

मान्यवर, यह जो माननीय पाण्डे जी ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया है इसका इधर और उधर दोनों तरफ से स्वागत हुआ है उनकी भावनाओं से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपका ध्यान नियमावली के नियम 60 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । आपने माननीय पाण्डे जी को सुना उसके बाद तिवारी जी बोले फिर मैनेजर सिंह जी बोले और उधर से उपाध्याय जी बोले और उनकी बात का समर्थन करते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोले भले ही उन्होंने नीति स्पष्ट की हो या जो भी किया हो । लेकिन उन्होंने कहीं भी कार्यस्थगन प्रस्ताव का विरोध नहीं किया । यह ऐसा संयोग है किसानों के हित में प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष एक हैं । क्योंकि सत्ता पक्ष में माननीय रघुराज प्रसाद उपाध्याय बोले और उनकी बात का संसदीय कार्य मंत्री जी ने समर्थन किया । इसलिए मैं नियमों में जो व्यवस्था है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें व्यवस्था है कि जब मामला ऐसा हो और सबकी राय एक हो तो उस स्थिति में आप प्रस्ताव रखने की अनुज्ञा के लिए कहेंगे । तो मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों में आप 4 बजे का समय निर्धारित करें और उसमें माननीय मुख्य मंत्री उत्तर दें । यह किसानों के हित का मामला है इसलिए मैं आपका ध्यान नियमों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । आप इसे प्रस्तुत करने की अनुज्ञा ले लें (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष–

गन्ना विकास मंत्री जी ने कार्यस्थगन का विरोध किया है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपोज नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह तो स्पष्टीकरण कर रहे थे, गन्ना विकास मंत्री जी ने अपोज किया था।

श्री सरदार सिंह–

संसदीय कार्य मंत्री जी राजी हैं (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर लेते हैं । (व्यवधान) एक घंटे की चर्चा स्वीकार हो गयी है ।

*श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, यह जो कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा है यह राज्य विद्युत परिषद् द्वारा करोड़ों रुपए की चोरी के संबंध में है। यह परिषद् करोड़ों रुपए के घाटे में जा रही है जिसका मुख्य कारण यह है कि वहां भ्रष्टाचार और चोरी हो रही है और यह शासक दल द्वारा कराई जा रही है इसका उदाहरण है। अभी 10 ता0 को कांग्रेस अध्यक्ष यहां आये थे अपनी पार्टी को सम्बोधित करने के लिए। लखनऊ में जगह-जगह बोर्ड लगाए गए थे और उनको आलोकित किया गया था। यहां से दो सौ गज की दूरी पर एक बोर्ड इलाहाबाद बैंक के चौराहे पर आलोकित किया गया। डालीगंज पुल पर आलोकित किया गया और मेरी निश्चित जानकारी है कि आलोकित करने के लिये शासक दल ने विद्युत की चोरी की। इस प्रकार यह विद्युत चोरी का स्पष्ट मामला है। इसी तरह से सारे प्रदेश में विद्युत चोरी बढ़ गयी है। शासक दल के लोग चोरी करा रहे हैं। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है इसलिये इस पर आप चर्चा करा दें।

*श्री शारदानन्द अंचल

मान्यवर, पूरे प्रदेश में एक तरह से विद्युत वसूली के लिये विद्युत लाईनें काटी जा रही हैं और दूसरी तरफ प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सरगना श्री बलराम सिंह यादव ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के आगमन पर बिजली की चोरी करवाया और उसके लिए लाईनें बिछाने के लिए जब विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मना किया कि इस तरह से अवैधानिक तरीके से विद्युत के बल्ब न लगाये, इससे चोरी होती है, तो मेरी निश्चित जानकारी है कि कांग्रेस कार्यालय में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर को बुलाकर गालियां दी गयीं, यह सब कांग्रेस पार्टी के उ0 प्र0 के अध्यक्ष, श्री बलराम सिंह यादव के इशारे पर विद्युत विभाग के अधिकारियों को गालियां दी गयीं और कहा कि तुम लोगों ने विरोध किया तो नौकरी से हटा दिया जायेगा। इस तरीके से नियोजित ढंग से षड़यंत्र करके विद्युत की चोरी की गयी और पूरे प्रदेश में की जा रही है। इसलिए यह लोक महत्व का मामला है आप इस मामले में सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायें।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, कार्यस्थगन की जो सूचना दी गयी है उसके पीछे एक तर्क है कि पिछले साल इसी सदन में घोषणा की गयी और 7 हजार कनेक्शन बिजीलेंस ने जांच में काटे। किसानों के कनेक्शन विजीलेंस ने छापे डालकर काटने का काम किया। लखनऊ में बैठकर पूरे प्रदेश में विद्युत व्यवस्था का काम किया जाता है। जहां करोड़ों रुपये पिछले साल ही 1500 करोड़ रुपये ऋण लिया गया था और काफी घाटा इस विभाग को है। अवैध कनेक्शनों को विजीलेंस के अधिकारी छापा डालकर काटते हैं और लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में भेजते हैं। इसलिये अनुरोध है कि मा0 विद्युत मंत्री जी भी इस [xxx] रहे हैं इसलिये उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए और तय होना चाहिए कि जिन लोगों ने 10 फरवरी को बिना रुपये जमा किये अवैध कनेक्शन द्वारा बिजली की चोरी की है उनके खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा आज ही सदन में करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10 फरवरी को जो बलात मुख्य लाईन से मुख्य मार्ग पर विद्युत की चोरी करके झालरें चमकाई गयीं कांग्रेस अध्यक्ष के स्वागत में तो मैं इसको चोरी नहीं मानता बल्कि यह तो साफ डकैती है। यह सीधे डकैती का मामला है । यहां मुख्यालय लखनऊ में विद्युत परिषद् के चेयरमैन और सेक्रेटरी मौजूद रहते हैं । विद्युत मंत्री मौजूद हैं, तो यह सारे लोग इस [xxx] शामिल हैं । मान्यवर, इस तरह से विद्युत की [xx] होगी । तो जो छीजन 26 प्रतिशत बताते हैं उससे ज्यादा यहां चोरी बिजली की होती है । तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी पार्टी के लिए विद्युत पर [xxx] डालेंगे ? और [ ]करेंगे तो फिर गांवों के लोग क्यों नहीं बिजली चोरी करेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज आप इस सदन का कार्य रोक कर इस पर चर्चा करावें, जिससे निश्चित रूप से विचार हो जाए । आज यदि शासन में बैठे लोगों को इस तरह से विद्युत के लूट की छूट दे दी जाएगी, तो सारे प्रदेश में विद्युत की लूट धड़ल्ले से होती रहेगी, बढ़ती रहेगी और आप इसे रोक नहीं सकेंगे । यह विद्युत परिषद् हर साल भारी घाटे में लगातार जाता रहा है। यह भी सुना है कि कोई कमेटी बन रही है दर पुनरीक्षण करने हेतु। ऐसे ही दर इतना अधिक बढ़ा हुआ है और इस कमेटी के माध्यम से और आप दर बढ़ाकर किसानों का गला काटना चाहते हैं। इसे हम और प्रदेश की जनता कतई बरदास्त नहीं करेगी । इसलिए आप इसपर चर्चा करायें और माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें कि जितने मूल्य की बिजली इस तरह चोरी से ली गई है, उतने का भुगतान कांग्रेस पार्टी द्वारा वह विद्युत परिषद् को करायें ।

श्री रामशरण दास–

मान्यवर, इससे ज्यादा खराब और कोई काम हो नहीं सकता है, [xxx] यह विद्युत मंत्री जी हंस रहे हैं, इन्हें [xxx] नहीं आ रही है । आप इस प्रदेश को लूटे खा रहे हैं, कुछ [xxx] है आपको। अगर कोई किसान जरा सी भी बिजली ले ले और उसके यहां कोई चोरी मिल जाए तो इनके अधिकारी मोटर ले जाते हैं, पंखे खोल ले जाते हैं और सारा सामान इसका साथ में उठा ले जाते हैं । अपने दफ्तर में और इतना ही नहीं उसको भी बन्द कर देते हैं । तो श्रीमन्, आप हिम्मत करिये, इनसे डरिये मत । आप इनसे डरिये न, अब इनका टाईम खत्म हो रहा है . . . (व्यवधान) आप सख्त निर्देश दीजिए, इनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराइये बलराम सिंह, नरेन्द्र सिंह और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ । मैं आपको इस सम्बन्ध में एक वाकिया बताता हूं । उस समय मैं विधान परिषद् में था । इनके दल के एक मंत्री जी उस समय बिजली चोरी कर रहे थे और उस समय हमारे राजा साहब मुख्य मंत्री पद पर विराजमान थे। तो मैंने उस समय इस चीज को हाउस में मुख्य मंत्री राजा साहब के सामने उन [xxx] मंत्री का नाम लेकर उठाया था और कहा था कि तुम्हारा एक मंत्री इस-इस तरह से भारी बिजली चोरी कर रहा है । तो हमारी बात से प्रभावित होकर राजा साहब ने छापा मारा था, उन्होंने छापा मरवाया था, उनके कारखाने में तो उसमें भारी बिजली चोरी पकड़ी

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

गयी थी । हमारी बात की उसमें सत्यता सिद्ध हुई थी । उन मंत्री जी को हटा भी दिया जाता . . . (व्यवधान) तो मान्यवर, ऐसे मंत्री को तुरन्त त्याग पत्र देना चाहिए, जो लखनऊ में बिजली की चोरी कर रहा हो और करा रहा हो । इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मैं कोई बात रिपीट नहीं करना चाहता हूं । लेकिन आज प्रदेश में कैसी असंवैधानिक स्थिति पैदा हो गई है, इस पर आप ध्यान दें । आज स्थिति यह है कि सत्तारूढ़ दल की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस प्रदेश के मुख्य मंत्री और मंत्रि परिषद् पर भारी पड़ रहे हैं और उनकी मौजूदगी में और जानकारी में यह बिजली चोरी की गई । यह जघन्य चोरी का अपराध इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कराया है और अपने राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत में कराया है । आज पूरा मंत्रि परिषद् उनके सामने बौना बन गया है और उसमें हिम्मत और नैतिक साहस नहीं था कि वह बलराम सिंह के गलत कामों, निर्देशों की अवहेलना कर पाता ।

इतना ही नहीं इस कामरोको प्रस्ताव की सूचना के बाद विभागीय अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं से बैकडेट में अप्लीकेशन लेकर इस अवैध काम की लीग्लाईज कर दिया जाए । इसकी आप जानकारी ले लें । राम शरण दास जी ने कहा है कि इस मामले में नरेन्द्र सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, किन्तु मेरी समझ से सही बात तो यह है कि इस सरकार के मुखिया-मुख्य मंत्री नरायण दत्त तिवारी को पहले इस्तीफा देना चाहिए कि वह इस खुली चोरी को निरीह देखते रहे हैं । वह इसलिए कि अगर वह इसका विरोध करते तो उनकी मुख्य मंत्री की कुर्सी ही खतरे में पड़ जाती । अतः इस मामलें में मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन के दोनों पक्षों से विनती करना चाहता हूं कि यदि आप नैतिक मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं और समाज में अच्छा वातावरण बनाना चाहते हैं तो आचरण की शुरुआत अपने से करनी होगी। अपने घर से करनी चाहिए-चैरिटी बिगिन्स एट होम लेकिन मैं जानता हूं कि आप इतने हयादार नहीं है कि इस्तीफा दे दें। लेकिन फिर भी यदि आप खेद प्रकाश कर लें, सदन में क्षमा मांग लें और इस बात का वायदा करें कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा तो यही काफी होगा ।

*ऊर्जा मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, अभी सम्मानित सदस्य हर्ष वर्धन जी, अचल जी, राम शरण दास, मैनेजर सिंह जी, राकेश धर त्रिपाठी जी और रवीन्द्र तिवारी जी ने एक चिन्ता व्यक्त की कि पिछली 10 फरवरी को बिजली की बड़ी तादाद में चोरी की गई । . . .

श्री हर्ष वर्धन–

10 फरवरी, को ही नहीं, उसके कई दिन पहले से यह विद्युत चोरी का कार्य शुरू किया गया । तीन-चार दिन पहले से चोरी की गई । 10 फरवरी की बात नहीं कह रहा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इन सभी सम्मानित सदस्यों का कहना है कि 10 फरवरी को जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष , . . . (व्यवधान) मैंने आपकी बात बिना किसी इन्ट्रेशन के सुनी है, आप भी कृपया सुनिए । माननीय राजीव जी लखनऊ पधारे तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से उनके स्वागत की अपील की गई और बड़ी तादाद में झालर आदि लगाए गये । ऐसा माननीय सदस्यों का कहना है । . . . (व्यवधान) 10 फरवरी को साढ़े आठ बजे सुबह दिन में वह पधारे, और 10 तारीख को सुबह साढ़े आठ बजे आकर, 11 बजे वह वापस चले गये। तो इस बीच दिन में कोई रोशनी करने का कहीं से कोई तुक नहीं है . . . (व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल–

यह चोरों को संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं । यह [xxx] बिजली चोर को संरक्षण दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप इनकी बात सुनिये पहले . . .

(व्यवधान)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

एक तरफ सदन में शोरगुल होने लगता है, उसका कारण यह है कि वह मंत्री जी सदन को [xxx] ही नहीं कर रहे हैं, समय भी सदन का बर्बाद कर रहे हैं । कार्य-स्थगन सूचना में ही जब कहा गया है कि जब वह आए तो उनके आने के पहले उनके स्वागत की अपील करते हुए यह किया गया था, तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि वह दिन में आए और दिन में ही चले गये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

वह धीरे-धीरे आपके पास आ रहे हैं, आप सुन तो लीजिए ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

तो मान्यवर, प्रधानमंत्री जी साढ़े 8 बजे आए और 11 बजे चले गये, इसलिए यह बात सीधे-सीधे है कि दिन में लाईटनिंग के इंतजाम का कोई प्रश्न नहीं उठता है और यह कहना कि किसी ने अपील की और किसी ने स्वागत किया और विद्युत अधिकारियों को किसी ने डांटा फटकारा, इसमें भी कोई तथ्य नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों को किसी ने डांटा डपटा हो।

(कई विरोधी सदस्यों के अपने-अपने स्थान पर एक साथ खड़े होने से घोर व्यवधान)

*श्री बाबूराम यादव–

बिना कनेक्शन के झालरें लटकीं या नहीं यह बता दें।

(व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने स्पष्ट किया कि विद्युत परिषद् के लेसू के किसी अधिकारी को किसी ने धमकी नहीं दी।

(व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल–

संबंधित इंजीनियरों को बुलाकर डांटा गया?

(घोर व्यवधान)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सम्मानित सदस्यों ने जो-जो बातें कहीं हैं मैं एक-एक का जवाब दे रहा हूं। अंचल जी ने कहा कि धमकाया गया, तो यह बात सत्य से परे है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। दूसरी बात विज्ञापन के बारे में कही गई तो विद्युत परिषद् ने किसी को झालर लटकाने को नहीं कहा यह बात सत्य से परे है। कांग्रेस कमेटी ने हजरतमहल पार्क के लिए, 8 से 10 तारीख के लिए 25 किलोवाट अस्थाई कनेक्शन के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था और इसके लिए पैसा भी दिया गया था, तो मान्यवर, उन्हीं के आवेदन पत्र पर हजरत महल पार्क में कनेक्शन दिया गया था। इसके अलावा और कोई व्यवस्था विद्युत परिषद् से नहीं की गई। माननीय सदस्यों ने जो जानकारी दी है इसको मैं दिखवा लूंगा (घोर व्यवधान) अगर कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी इसमें दोषी पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। (घोर व्यवधान) जहां तक बिजली की चोरी का सवाल है सरकार की तरफ से विद्युत परिषद् की तरफ से चोरी रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है किसी को बिजली चोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी।

(घोर व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल–

डांट-डांटकर बिजली की चोरी कराई गई।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो वह कह रहे हैं, उसको तो सुन लें।

(घोर व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव–

माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उनको अपनी बात को कहने दीजिए।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

जब तक वह खड़े हैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है जब वह बैठ जायेंगे तब व्यवस्था का सवाल उठाया जाएगा ।

(घोर व्यवधान)

आप लोग उनकी बात सुन लीजिये । उसके बाद एक-एक करके अपनी बात कह लीजियेगा ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जहां तक बिजली की चोरी का सवाल है किसी को बिजली चोरी की इजाजत नहीं है और न दी जायगी । हमने 35 हजार छापे डलवाये हैं और 11 हजार लोगों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 करायी गयी जिसमें से 8 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, सत्तापक्ष की नैतिकता से संबंधित यह बहुत बड़ा प्रश्न है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने छापे डलवाये और बिजली की चोरी को रोकने का प्रयास किया । माननीय तिवारी जी ने भी कहा है कि विद्युत चोरी के सम्बन्ध में वह कठोर कदम उठायेंगे। मंत्री जी ने कहा कि 25 के0वी0 के लिये एप्लाई किया गया, बेगम हजरत महल पार्क के लिये। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 25 के0वी0 के लिये किस तारीख को एप्लाई किया गया और किस तारीख को स्वीकृति हुई ? कितना रुपया जमा किया गया और किस तारीख को किस बैंक या कहां जमा किया, उसका रसीद नम्बर आप बतायें ? आपके अध्यक्ष जी बेगम हजरत महल पार्क में आये । मुख्य बात तो यह है कि आपने 10 तारीख के पहले स्वागत की जो जनता से अपील की और जो झालर लटकायी गयी थी क्या उसके लिये पहले से कनेक्शन लिया गया था । अगर उसके लिये कनेक्शन नहीं लिया गया तो जैसा कि माननीय तिवारी जी ने अभी सुझाव दिया था कि आप खेद प्रकट करें और आश्वासन दें कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जायगी तो मैं समझता हूं कि इस प्रसंग को यहां पर समाप्त कर दिया जाय । यह आपका बड़प्पन होगा कि आप चोरी को मानेंगे ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो यह पूछा कि कितना रुपया जमा किया गया था तो 2150 रुपये शुल्क सिक्योरिटी आदि के लिए जमा किया गया । रसीद नं0 था आर0 पी0 475 एवं 476 दिनांक 8-2-89 । तो यह धनराशि जमा करायी गयी थी ।

लेसू में यह पैसा जमा कराया गया । ऐसा नहीं है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पैसा जमा नहीं कराया । विद्युत का अस्थायी कनेक्शन 8 फरवरी से 10 फरवरी तक के लिये लिया गया था ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बीच में बोलकर गड़बड़ कर देते हैं। आप पूरी बात सुनिये तो।

श्री बाबूराम यादव–

जो झालर लटकायी गयी उसके बारे में बता दें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने अभी बताया कि 8 फरवरी से 10 फरवरी तक के लिए एप्लाई किया गया और पैसा जमा किया गया था और विद्युत कनेक्शन लिया गया था। जहां तक झालर लटकाने की बात है, माननीय सदस्यों ने जो यह शिकायत की है तो इसकी जानकारी करायेंगे, इसको दिखवा लेंगे कि कैसे कहां पर क्या हुआ? अगर कोई दोषी पाया जायगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। विद्युत चोरी का जहां तक सवाल है सरकार किसी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, झालर के विषय में मंत्री जी स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको दिखवा लूंगा तो मेरा कहना है कि माननीय सदस्यों की सूचना को सही मानते हुए क्या इस कृत्य पर खेद प्रकट कर रहे हैं या नहीं। या तो आप इसका भी पैसा जमा करवा दीजिये।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसमें कोई खेद प्रकट करने की बात नहीं है। अगर मैंने कोई गलत बात की होती, तब तो मैं खेद प्रकट कर सकता था।

(घोर व्यवधान)

(श्री बाबू राम यादव, श्री शारदानन्द अंचल, श्री हर्षवर्धन, श्री गया प्रसाद वर्मा आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये।)

श्री उपाध्यक्ष–

यह युद्ध स्थल नहीं है, आप आसन ग्रहण करें। जो कुछ आपको पूछना हो, अपने आसन पर जाकर पूछें। यह कोई अखाड़ा नहीं है।

(श्री मैनेजर सिंह एवं श्री राम शरण दास के प्रयास से श्री बाबूराम यादव, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री हर्षवर्धन, श्री गया प्रसाद वर्मा अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनकी हठ-वादिता के रवैये के विरोध में हम और हमारा दल सदन का त्याग करते हैं।

(श्री सत्यपाल सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री बाबूराम यादव एवं शारदा नन्द अंचल सदन त्याग कर जाते समय यह नारा लगाते रहे कि "बिजली चोरों की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।")

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आजकल पूरे प्रदेश में राज्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सचिवालय के कर्मचारियों ने विरोध सप्ताह मनाने का फैसला किया है, उसका कारण यह है कि सरकार ने स्वतः यह स्वीकार किया था कि केन्द्र और राज्य कर्मचारी के वेतन में, उनकी प्रोन्नति में, उनकी सुविधाओं में समानता कर दी जायगी और जहां पर केन्द्र और राज्य में पद समान नहीं हैं, इस पर जानकारी के लिए समता समिति की नियुक्ति की गयी और उससे यह अपेक्षा की गयी थी कि उसकी रिपोर्ट अक्टूबर तक आ जायगी। मान्यवर, यह समता समिति गठित करने की बात केवल भुलावा देकर, धोखा देने की बात थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सरकार ने कहा कि रिपोर्ट मार्च तक आ जायगी, कौन सा कारण था कि घोषित समय तक वह रिपोर्ट नहीं आयी और अगर रिपोर्ट नहीं आयी तो मैं उनके इस असंतोष को अपने से सम्बद्ध करता हूं। सरकार अपनी विरोध नीति के कारण उनको हक नहीं देना चाहती है। कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इस समय राज्य कर्मचारियों में चारों तरफ असंतोष व्याप्त है। निगम के कर्मचारी तथा अन्य विभाग के कर्मचारी अपनी मांगें लेकर आज हड़ताल पर हैं। लेकिन उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार कोई भी थोथे आकड़े प्रस्तुत कर सकती है। अभी हम लोग अपने-अपने क्षेत्र में गये थे तो देखा कि सुदूर ग्रामों तक के कार्यालयों में ताले पड़े हुए हैं, जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सरकार की विरोधी नीति ही इसका कारण है। इसलिए मैंने कार्य-स्थगन की सूचना दी। मैं चाहता हूं कि आज इस पर चर्चा करा दें। सरकार जान-बूझकर कर्मचारियों का अहित क्यों करना चाहती है? हम लोग जो भी यहां पर निर्णय लेते हैं, उसका कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जो भ्रष्टाचार कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, लेकिन उनके पेट पर लात मारने का हमें कोई हक नहीं है। इसलिए मैं इस पर बल देता हूं। हड़ताल होती है, समझौता होता है, समझौता करा देते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार अपने वादे से मुकर जाती है। इन शब्दों के साथ, मैं अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं और मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले दिनों आपने स्वयं देखा होगा और सम्माननीय सदस्यों ने भी देखा होगा कि जब-जब राज्य कर्मचारियों की बात आई है तो जो-जो उनकी मांग रही है, सरकार ने उनसे वार्ता करके एक बहुत ही अच्छे वातावरण में उसके ऊपर निर्णय लिया है और अधिकांश उनके पक्ष में निर्णय लिया है चाहे स्थानीय निकाय की बात हो, चाहे कारपोरेशन की बात हो चाहे जनरल कर्मचारियों की बात हो जो गवर्नमेंट इम्प्लाइज हैं उनके बारे में हर मौके पर बहुत ही उदारतापूर्वक निर्णय लिया गया है। आज पूरे देश में जो इस समय स्थिति है उसको देखें तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश

में सबसे ज्यादा और सबसे समय पर उनकी मांगों को माना गया है और पूरी तरह से सहानुभूति पूर्वक रवैया रखा गया है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जिस प्रश्न की तरफ ध्यान आकर्षित किया वैसे यह ध्यान आकर्षण का मुद्दा नहीं बनता। अगर यह मैं नहीं कहूंगा तो यह फौरन कहेंगे कि इसके ऊपर चर्चा करायें।

मान्यवर, जहां-जहां उनकी समस्याओं की बात है इस कमेटी में मैं भी था, माननीय सिंचाई मंत्री थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और तमाम लोग थे उनसे बैठकर विचार विमर्श हुआ और यह तय हुआ था कि केन्द्र और प्रदेश में जहां-जहां पर एनामलीज हैं उनके ऊपर बैठकर बात की जाय और समता कमेटी बनायी गयी थी। समता कमेटी की रिपोर्ट में थोड़ा विलम्ब क्यों हुआ क्योंकि बहुत से विभागों में बहुत सी ऐसी जगह पर जो साक्ष्य नेतागणों को देने थे उनका पूरा परीक्षण कराया जाना था तो इसमें अब भी बहुत से डिपार्टमेन्ट हैं जिनका साक्ष्य नहीं दिला जा सका है इसलिए देर हो रही है। अगर कोई निर्णय बगैर साक्ष्य लिए हुए ले लिया जाय तो कल माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी इस हाउस में कह देंगे कि सरकार ने बगैर साक्ष्य लिए हुए जल्दबाजी में निर्णय दे दिया तो जहां तक गवर्नमेंट इम्पलाइज की बात है सरकार को पूरी हमदर्दी है जो समता कमेटी की रिपोर्ट है उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सब साक्षी उपस्थित हो जायं तो जल्द से जल्द यह रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र आ जाय, इसका प्रयास कर रहे हैं।

इस सदन के माध्यम से मैं गवर्नमेंट इम्प्लाइज को इत्तिला करना चाहता हूं कि किन-किन स्टेजेस के ऊपर सरकार ने उनकी मांगों को कितनी सहानुभूति पूर्वक तरीके से उनको देखा है और कितने अच्छे वातावरण में सारी बातें तय हुई हैं इसको अगर आप देखें, इसके फैक्ट्स को देखें तो कहने की बात नहीं है। मान्यवर, जिस वक्त हड़ताल शुरू हुई, उनमें वेतन में किस प्रकार बढ़ोत्तरी हुई है आपको यह भी मालूम होगा कि जो बाहर से कमीशन आया उन्होंने क्या रिमार्क्स किये। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है और संकल्पबद्ध है कि जो सही मांगे हैं, जहां असमानता है, जहां पर उनकी जायज मांग है, वह मानी जायेगी। केन्द्र के बारे में जो कुछ आपस में बैठकर निर्णय होगा इम्प्लाइज लीडर और गवर्नमेंट के बीच में उनका समन्वय किया जायेगा। जहां कहीं पर भी गवर्नमेंट के बीच में और गवर्नमेंट इम्प्लाइज के बीच में कुछ भी बात आती है तो बैठकर वह तय होगा। अगर कहीं कठिनाई होती है तो हम फिर उसे तय करेंगे। गवर्नमेंट इम्प्लाइज और गवर्नमेंट अलग नहीं है पूरी सहानुभूति पूर्वक इसमें विचार करेंगे। जो सरकार ने एग्रीमेन्ट किया है उस एग्रीमेंट के अनुसार सारी कार्यवाई होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य मैंने ध्यानापूर्वक सुना। जिस बिन्दु की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया समता समिति की रिपोर्ट के बारे में। इसमें सरकार ने क्या किया है इसमें यह बहाना ले लिया कि साक्ष्य नहीं आया था। इस प्रकार की बात का अगर यह बहाना करते रहेंगे तो इस प्रकार टाल कर मौका देने की बात करते रहेंगे एक

मार्च को भी रिपोर्ट नहीं आ पायेगी । मैं चाहता हूं कि कोई तिथि निर्धारित कर दें कि फरवरी महीने की इस तारीख को समता समिति की रिपोर्ट आ जायेगी और नहीं आयेगी तो जो हमारा कान्टेक्ट है उनके अनुसार घोषणा कर देंगे। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह समता समिति की रिपोर्ट कब तक आयेगी इसके बारे में शीघ्रातिशीघ्र का क्या तात्पर्य है वह भी इसको स्पष्ट करने की कृपा कर दें?

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत नम्रतापूर्वक आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कृपया वह कोई तिथि निर्धारित कर दें कि इस तिथि को रिपोर्ट समता समिति की आ जाय, हम रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन यदि उस समय तक कोई साक्ष्य न हो पाए या कोई कर्मचारी वर्ग संतुष्ट न हो पाए तो उसके लिए उत्तरदायित्व माननीय गुप्ता जी लेने को तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यह तिथि निर्धारित कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं जिम्मेदारी वहन करने के लिए तैयार हूं लेकिन तब, जबकि मुझे उस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जायगा । किसी भी कर्मचारी को असंतोष नहीं होगा और सबकी आपत्ति सुनी जायगी । मैंने रीजनेबिल बात कही है । 7 या 15 दिन में रिपोर्ट आ सकती है । मैंने उसकी नियमावली देखी है । साक्ष्य के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है । साक्ष्य कौन लेगा इसकी भी व्यवस्था की जा सकती है । यह चाहें तो दिन रात लग कर सैकड़ों लोगों का साक्ष्य लिया जा सकता है । मान्यवर, यह तिथि निर्धारित नहीं करते हैं, मेरे ऊपर छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं । कर्मचारी नेताओं से मेरी बात हुई है । केवल समता समिति की रिपोर्ट की ही बात नहीं है और भी बातें हैं लेकिन मुख्य बात समता समिति की रिपोर्ट की है । आप तय कर दें कि 7 दिन या 15 दिन में समिति की रिपोर्ट आ जायगी और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित कर दिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

गुप्ता जी, मार्च में तो हाउस चल ही रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हाउस तो चलता ही रहेगा ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी से भी परामर्श कर लेंगे । हम इनके सुझाव पर विचार करना चाहते हैं। क्या व्यवहारिक है, कैसे जल्दी काम हो, यह इनसे परामर्श कर लिया जायगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, नियम 56 के अंतर्गत यह सूचना देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है । पन्तनगर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का ही नहीं सारे भारत की एक बहुत

उत्कृष्ट शिक्षा संस्था है। इससे वहां के काश्तकारों को भी इतनी सहायता मिलती थी कि क्षेत्रीय विकास में इस विश्वविद्यालय का भारी योगदान रहा है । इसलिए आज वहां जो स्थिति है, उसके सम्बन्ध में यह प्रस्ताव इस सदन में रखने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा । मान्यवर, यह विश्वविद्यालय पिछले वर्ष एक शैक्षिक वर्ष में अधिकांश सत्र तो सत्रावसान में ही रहा । कुमारी रश्मि नामक एक प्रतिभाशाली छात्रा (पीलीभीत) द्वारा आत्महत्या की गयी । सदन में मामला उठा, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, केवल एक जांच आयोग बैठा दिया गया । इसके बाद वहां के एक छात्र राम औतार को भोजन में विष देकर हत्या कर दी गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । पिछले माह यू0 बी0 सिंह नामक एक छात्र, जो कि एक घंटे तक एक कमरे में तख्त लगाकर दरवाजे को रोकता रहा और बचाव के लिए चिल्लाता रहा, वहां विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारी है, पुलिस व्यवस्था है, लेकिन वह चिल्लाता रहा और उसकी निर्मम हत्या कर गयी । यह तो छात्रों की स्थिति है ।

अब श्रमिकों की स्थिति देखें। यहां श्रम मंत्री जी बैठे हैं, वह विश्वविद्यालय में जा चुके हैं और असमंजस में हैं कि क्या करें ? वहां रोजाना हड़ताल होती है । इसके अलावा यूनीवर्सिटी टीचर्स एसोसियेशन है, एक ही एसोसियेशन है, उसने प्रस्ताव पारित करके कुलपति को भेजा है, डा0 महातिम सिंह को । उनका सीधे कुलपति पर भ्रष्टाचार, पक्षपात और हिंसा को भड़काने का आरोप है । अगर इसके बारे में मा0 कृषि मंत्री जी जानना चाहते हैं तो मैं भेज दूंगा । वहां पर अब और कौन सा वर्ग रह गया है । श्रमिक, छात्र, टीचर सभी कुलपति को महाभ्रष्ट और अक्षम कह रहे हैं । दूसरी ओर कुलपति ने अमर उजाला में दिये गये अपने इन्टरव्यू में कहा है कि जाट ब्राह्मण और पहाड़ी मिलकर मुझे यहां से निकालना चाहते हैं । किसी जाति के बारे में, उस तराई क्षेत्र में जहां सारी जातियों के लोग आते हैं, प्रदेश के कोने-कोने से और देश के दूसरे इलाकों से लोग आते हैं और एक दूसरे पर जातिवाद का आरोप नहीं लगता है। कोई एक दूसरे पर जातिवाद का आरोप नहीं लगता है, जातिवाद की वजह से आज तक तराई क्षेत्र में कोई दंगा नहीं भड़का है । लेकिन, यह कुलपति अपने टीचर्स के ऊपर, अपने स्टूडेन्ट्स के ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हैं ।

आखिरी अवस्था जो हो सकती है, विश्वविद्यालय में जो स्थिति पैदा हो गयी है, उस पर शासन कतई ध्यान नहीं दे रहा है, जो वहां की प्रबन्ध परिषद् है उसने 2 फरवरी को बैठक करके एक चार्जशीट फ्रेम की है। उस चार्जशीट में 26 प्वाइन्ट्स हैं, उनको मैं यहां पूरा का पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से शासन से कहना चाहता हूं कि प्रबन्ध समिति में आपके नामांकित व्यक्ति हैं, वह प्रबन्ध समिति एक चार्जशीट देती है । उसमें मैं 4-5 लाइन आपकी अनुमति से पढ़ देना चाहता हूं । "चूंकि गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पतनगर में अनुशासन, कार्यकुशलता व सत्यनिष्ठा का स्तर बहुत ही गिर गया है और परिसर में 23 जुलाई, 1988 व 9 जनवरी 1989 के मध्य कई संगठित हिंसा की घटनायें आपके द्वारा कर्तव्यों व दायित्वों के अधिनियम, परिनियमों व नियमों के अनुसार कार्य करने में असफलता के कारण घटी, जैसे आगजनी, लूटपाट, दंगा, हड़तालें, भूख हड़तालें आदि, आप डा0 महातिम सिंह, कुलपति गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व-

विद्यालय पंतनगर नैनीताल के प्रमुख शैक्षिक एवं कार्यकारी अधिकारी होने के नाते स्वयं जिम्मेदार हैं । अतः प्रबन्ध परिषद् विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 9 (7) (7) (1) एवं 7 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों से आपके विरुद्ध निम्न आरोप (चार्जेज) लगते हैं :–

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय बरार साहब, अब समाप्त करें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आरोप नहीं पढ़ रहा हूं । वहां भयानक स्थिति है । प्रबन्ध परिषद् ने 11 फरवरी तक इन पर स्पष्टीकरण मांगे और उसमें यह हुआ कि 18 फरवरी को प्रबन्ध परिषद् प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार करेगी। लेकिन, कुलपति ने षडयंत्र करके उस 18 फरवरी की प्रबन्ध परिषद् की बैठक को स्थगित करा दिया । आज वह स्थिति है कि उनके कुलपति के जातिवादी आरोपों के फलस्वरूप जसपुर तक आग भड़क गयी है। मान्यवर, यह तमाम आगजनी लूटपाट आदि की घटनाओं और जातिवादी बातों को भड़कानें के कारण जसपुर कताई मिल में 10 हत्यायें हो गयी हैं । मान्यवर, इस कुलपति ने अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए जातिवाद का सहारा लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय बरार साहब समाप्त करें । ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी इसका जवाब देने के लिये सक्षम नहीं हैं, क्योंकि जो वहां पर कुलपति नियुक्त किये गये हैं, वह भू0पू0 मुख्य मंत्री के समय नियुक्त हुए थे। माननीय मुख्य मंत्री जी, जो मौजूदा हैं, वे उसे वहां से हटाना चाहते हैं, लेकिन नहीं हटा पा रहे हैं। कांग्रेस की अन्दरूनी पालिटिक्स पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री तिवारी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। माननीय तिवारी जी ने उस क्षेत्र में 40 साल पैदल घूमकर, कार में घूमकर हेलीकाप्टर में घूमकर, वहां समरसता की भावना देखी है। आज उस कुलपति के रहते स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। मान्यवर, कुलपति ने तमाम मामलों जिसमें एफ0आई0आर0 दर्ज होनी चाहिये, दर्ज नहीं करायी। और जिन मामलों में खुद कार्यवाही करना चाहते हैं कहते हैं कि सी0बी0आई0 जांच हो। वहां के कुलपति के हाथ खून से रंगे हैं प्रशासनिक व्यवस्था में अक्षमता है जिस कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो पा रही है। मैं चाहूंगा कि इस मामले में सदन में चर्चा करायी जाय, ताकि माननीय सदस्यों को पता चल सके कि किस तरह से राजनीति के आधार पर इस उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट संस्था का सत्यानाश किया जा रहा है।

श्री सैयद अली अशरफी–

मान्यवर, पन्तनगर विश्वविद्यालय की जो बात इस समय चल रही है, मान्यवर, वहां बड़ी भयावह स्थिति है। मान्यवर जिन छात्राओं ने आत्महत्या की थी या जो आत्म हत्या करने पर मजबूर हुई थी वह मेरे जनपद से सम्बन्धित छात्राएं थीं, मान्यवर, हत्याओं से आत्म हत्याओं से पंतनगर विश्व विद्यालय रंगीन होता जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

संक्षेप में बोलकर समाप्त करें, सारी बातें तो बरार साहब कह चुके हैं।

श्री सैयद अली अशरफी–

मान्यवर, महत्वपूर्ण मामला है सुन लें। एक छात्र अनुभव गुप्ता जो पीलीभीत से सम्बन्धित था उसने आत्महत्या की। रश्मि अग्रवाल जो पीलीभीत नगर से सम्बन्धित थी, एक प्रतिभाशील छात्रा थी वहां की डीन यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों ने उसे मजबूर किया, आत्म हत्या के लिए। कुमारी रश्मि अग्रवाल के पत्र पूरी तरह से इस बात का साक्ष्य है और जब उसका अभागा पिता अपनी बेटी के दुख और गम को लिये हुये जाता है, वाइस चांसलर के पास, तो उसे धमकी दी जाती है। आज उत्तरांचल के अन्दर बड़ी भयावह स्थिति फैली हुई है और जो भी हत्यायें हो रही हैं, उनसे बड़ा जन आक्रोश व्याप्त है, इसलिये मेरी मांग है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर इस समय श्मशानघाट बना हुआ है और एक के बाद दूसरी घटना घट रही है। वहां 30-31 दिसम्बर, 88 की रात से 4-5 जनवरी, 1989 तक जो स्थिति विश्वविद्यालय में रही और दो छात्रों के गुटों के बीच आपसी झगड़े के कारण जो स्थिति पैदा हुई, उस पर वहां के शिक्षक संघ ने इस बात की भविष्य वाणी की थी कि यदि स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये कोई उपाय नहीं किये गये, तो ऐसा हो सकता है कि कई हत्यायें हो सकती हैं। मान्यवर, 5-6 जनवरी के बाद 8-9 को वहां हत्या हो जाती है। मान्यवर, इस उदयवीर छात्र की हत्या के बाद वहां पर अध्यापक की पिटाई की गयी, कई छात्र घायल हुए और इस घटना के अलावा वहां पहले हुई तमाम घटनाओं का जिक्र माननीय बरार साहब ने अभी यहां पर किया। मान्यवर, इस समय वहां जो कुलपति हैं, यह सारी स्थिति उन्होंने पैदा कर रखी है, पूरा दायित्व इन घटनाओं का उन्ही पर है। प्रबन्ध परिषद् ने इस चीज को स्वीकार करते हुये अपनी बैठक में यह कहा है कि वहां अनुशासन शून्यता है। इस बात से भी जाहिर होता है कि वर्तमान कुलपति दोषी हैं और जो इस समय वहां आतंक और अराजकता का वातावरण व्याप्त है, उसमें इन्हीं कुलपति का हाथ बताया जाता है। किसी भी मसले पर निर्णय न लेना उनकी मुख्य कमजोरी है। अकेले पंतनगर में ही नहीं, बनारस में भी जब वह थे, उनके काले कारनामे मंगाकर देख लिये जायें, तो पूरा सदन दंग रह जायगा। मान्यवर, जिस तरह जातिवाद और अराजकता की स्थित उन्होंने वहां पैदा की थी, उसी तरह की परिपाटी को वह यहां भी दोहराना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब वहां के कुलपति की अक्षमता साबित हो गयी, उनका दोष साबित हो जाय, प्रबन्ध परिषद् भी दोषी करार कर दे, तो ऐसे कुलपति को वहां बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है, आप द्वारा उसे हटवाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, किसी भी विश्वविद्यालय के अन्दर 4 अंग होते हैं, वहां की प्रबन्ध परिषद् वहां का शिक्षक संघ, कर्मचारीगण और छात्र। यह चारों अंग वहां के कुलपति के आचरण से पूरी तरह से आक्रान्त हैं और इसी के चलते वहां उदयवीर छात्र की हत्या कर दी गयी। पी0एन0 सिंह अध्यापक की पिटाई की गयी। इसके बाद ए0डी0 तिवारी अध्यापक को जान से मारने की धमकी दी गयी। एक पी0एन0 मिश्रा शिक्षक संघ के, उनकी भी पिटाई की गयी और तब उन लोगों ने बैठक करके सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया कि वर्तमान कुलपति जबसे विश्वविद्यालय में आसीन हैं तब से शिक्षा का वातावरण खत्म हो गया है। यही नहीं मान्यवर, जो वहां की प्रबन्ध परिषद् है, विश्व विद्यालय की जो सर्वोच्च संस्था है, उसने सर्वसम्मति से पारित किया है कि जब से ये कुलपति इस विश्वविद्यालय में आये हैं, शिक्षा का वातावरण शून्य हो गया है और अनुशासनहीनता अपनी पराकाष्ठा में पहुंच गई है। इसलिए मान्यवर, इस गम्भीर व महत्वपूर्ण मामले पर आपसे अनुरोध है कि आज आप विधान सभा की शेष कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें और उस कुलपति को वहां से तत्काल हटाया जाय और उनके आचरण की जांच भी कराई जाय।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैंने यही मामला 17 तारीख को उठाया था तो आपने उस समय इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया था। उस समय मैं अपनी बात पूरी तरह से नहीं कह पाया था। माननीय श्री बरार जी ने जो बात कही है, उसमें मैं दो-तीन बातें और जोड़ना चाहता हूं। मान्यवर, इस वर्ष जब से सत्र शुरु हुआ है, बड़ी मुश्किल से 10 दिन पढ़ाई हुई है। सारे छात्र छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं। हत्या व आत्म हत्या व हिंसा का वहां पर वातावरण बना हुआ है। जातिवाद क्षेत्रवाद और इससे भी खतरनाक चमचावाद ने वातावरण पूर्ण रुप से दूषित कर दिया है। इसका सबसे बुरा असर वहां पर विद्यार्थियों और रिसर्च स्कोलर पर पड़ रहा है। जो जहां पर डिजर्व करता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। यदि आपका कोई प्रभाव नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। रोज हत्यायें हो रही हैं। वहां पर श्री उत्तम सिंह को मारा गया। और भी कई हत्यायें हुई हैं। बरेली के अनेक विद्यार्थी पकड़े गये। उन्हें झूठे मुकदमों में बन्द किया गया। इस गन्दे वातावरण के पीछे इस विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर का हाथ है और आज भी वह उस कुर्सी पर बैठा हुआ है। जब तक इस कुलपति को नहीं हटाया जायेगा तब तक वहां का वातावरण नहीं सुधर सकता है।

कृषि मंत्री (डाक्टर कृष्णवीर सिंह)–

मान्यवर, श्री बरार साहब श्री वर्मा जी श्री तिवारी जी और डाक्टर दिनेश जौहरी ने आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित कराया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। श्रीमन्, प्रश्न बहुत नाजुक है। इस नाजुक मसले पर जहां एक ओर हमारे सामने बैठे हुए सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की कि इस विश्वविद्यालय के माहौल को किस प्रकार से शान्तिपूर्वक बनाया जा सके और जो भी इस विश्वविद्यालय का पूर्व इतिहास रहा है और जो गरिमा रही है उसको पुनर्स्थापित किया जा सके, मुझे अपेक्षा थी कि शायद माननीय सदस्य अपना कोई रचनात्मक सुझाव देंगे. . .

(श्री जयदीप सिंह बरार व श्री दिनेश जौहरी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

इस पर चर्चा स्वीकार कर ली जाय। हम अपना सुझाव देंगे।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

दूसरे की बात को भी सुनने की सहनशीलता होनी चाहिए। यही धींगा-मुस्ती करेंगे तो विधान सभा नहीं चल पायेगी। आप अपनी बात कह सकते हैं तो दूसरे की बात भी सुननी चाहिए।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने के लिए कहा। विस्तार से चर्चा करने के लिए नहीं कहा यदि इसकी इजाजत आप देते तो मैं सुझाव भी देता। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सुझाव नहीं दिये। आप चर्चा स्वीकार कर लें, हमें सुझाव देंगे।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

माननीय सदस्य तो हमारे बहुत ही अच्छे सदस्य थे। इनमें यह परिवर्तन बहुत थोड़े दिनों से हो गया है।

श्री लक्ष्मी नारायण –

यह परिवर्तन तो आप में भी आने वाला था, पता नहीं कैसे रुक गया।

(एक सदस्य द्वारा कुछ कहे जाने पर)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

बरेली और आगरा तो हमेशा एक साथ रहेंगे। उनको तो अलग किया ही नहीं जा सकता है। तो मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था कि यह एक बहुत ही नाजुक व गम्भीर मामला है। इस विश्वविद्यालय का केवल भारतवर्ष में ही नहीं पूरे एशिया में नाम रहा है। आज भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को कृषि वैज्ञानिक इस विश्वविद्यालय ने प्रदान किये। कृषि में नवीनतम तकनीकी जानकारी और जो हरित क्रान्ति करने में हम सक्षम हुए हैं, उसमें इस विश्वविद्यालय का योगदान रहा है चाहे नई प्रजातियों की खोज के विषय में हो या जो नये-नये अनुसंधान हुए हैं उस विषय में हो, वे सब इसके द्वारा ही हुए हैं। दुर्भाग्य से इसको ग्रहण लग गया है। माननीय बरार साहब को खोजी जासूस की संज्ञा दे दूं तो अच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह शब्द असंसदीय है। तात्पर्य आपके कहने का यह है कि विरोध पक्ष जासूसी करके सत्ता पक्ष को दे रहे हैं या सत्ता पक्ष की जासूसी करके विपक्ष को दे रहे हैं? चूंकि यह स्पष्ट नहीं है, अतः यह शब्द असंसदीय है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, आपकी जासूसी नहीं कर रहे हैं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

हम इसमें सी0आई0डी0 इन्क्वायरी करा रहे हैं। कुमारी रश्मि आभा ने आत्म हत्या की, सी0आई0डी0 जांच के आदेश दिये गये। सी0बी0आई0 इन्क्वायरी के लिये भी भारत सरकार को लिखा था लेकिन भारत सरकार ने असमर्थता व्यक्त की थी कि चूंकि उनके पास कार्यभार अधिक है, अतः उचित होगा कि सी0आई0डी0 द्वारा जांच करा ली जाय। एक तरफ सी0आई0डी0 की जंच चल रही है, दूसरी तरफ यह 30/31 की रात को जो घटना हुई, एक छात्र की हत्या हो गयी 9 तारीख को बन्द रहा । शासन ने भारत सरकार से सी0बी0आई0 की जांच के लिए अनुरोध किया है । एक ओर सी0आई0डी0 की इन्क्वायरी चल रही है, सी0बी0आई0 की इन्क्वायरी के लिये लिखा है, आज इस वक्त पूरब पश्चिम और गुटबन्दी और जो कारण हैं, कारण बहुत हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में शासन सीधे-सीधे हस्तक्षेप नहीं करता है, ये शिक्षा के मन्दिर हैं। मा0 सदस्य भी सहमत होंगे कि इन शिक्षा के मन्दिरों में कम से कम अतिक्रमण होना चाहिये। वहां के कुलपति और प्रबन्ध परिषद् सक्षम है निर्णय लेने के लिये क्या प्रबन्ध किये जायें। शासन की नजर पूरी तरह से है। वहां पर अधिकारी गये हैं मैं भी गया हूं। कुलपति जी का भी प्रयास है कि विश्वविद्यालय को जल्द से जल्द खोलें। यह नितान्त उन्हीं के अधिकार क्षेत्र का मामला है, प्रशासन भी सतर्क है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द विश्व विद्यालय खुले और शिक्षा का कार्य चले। मैं अनुरोध करूंगा कि चूंकि सी0आई0डी0 की इन्क्वायरी चल रही है सी0बी0आई0 की इन्क्वायरी के लिये लिखा हुआ है, इसलिये इस प्रकरण को यहीं समाप्त किया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी स्थिति से अवगत हैं, वह वहां गये थे स्थिति को देखते हुए कुछ आश्वासन भी देकर आये थे। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आ गये हैं अगर पन्तनगर विश्वविद्यालय में कुछ आश्वासन देकर आये थे तो क्या कार्यवाही हुई सदन को अवगत करा दें तो बड़ी कृपा होगी।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, माननीय कृषि मंत्री जी ने हमारे विचार की अभिव्यक्ति की है मैं उससे सर्वथा सहमत हूं, जिस सन्दर्भ में मैंने वहां विचार व्यक्त किये हैं, उसी के अनुसार हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि मैंने इस सम्बन्ध में उन्हें कुछ सुझाव नहीं दिये हैं। मैं कार्यस्थगन के रूप में इस विषय को सदन में लाया था और केवल ग्राह्यता पर ही बोला था क्योंकि आपने मुझे ऐसे आदेश दिये थे । आज वहां पूरा शिक्षा सत्र समाप्ति पर है और तीन दफे वहां छात्रों को जबरदस्ती होस्टल से तत्काल 12 घण्टे की नोटिस पर निकाला गया है। अभी मा0 मंत्री जी ने जो प्रबन्ध परिषद् का उल्लेख किया है, उसकी 18 तारीख को मीटिंग होने वाली थी, कोई भी रेमेडी विश्वविद्यालय में शान्ति स्थापित करने के लिए कुलपति छोड़ नहीं रहे हैं। जब अविलम्बनीयता के अन्तर्गत आपने इसे स्वीकार कर लिया है तो

फिर इस पर चर्चा कराने में आपको क्या आपत्ति है ? सी0 आई0 डी0 या सी0 बी0 आई0 की जांच वहां के छात्रों की हत्या के सम्बन्ध में हो रही है, लेकिन वहां पर जो उन्होंने जातिवाद पैदा कर रखा है उसके सम्बन्ध में शासन क्या कर रहा है ? वहां पर दस श्रमिकों की हत्या हो गई जातिवाद के कारण और वहां बराबर जातिवाद का सहारा लिया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं उस क्षेत्र के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं कि जिस आम क्षेत्र में जातिवाद की कोई भावना नहीं थी उस क्षेत्र में यह भावना पैदा की जा रही है, जो कि चिन्ता का विषय है। सी0 आई0 डी0 की या सी0 बी0 आई0 की जांच हो रही है लेकिन शासन भी तो कुछ कार्यवाही करे ? उस विश्वविद्यालय में शान्ति स्थापना कायम करने की जो ज्वलन्त समस्या है, यह लोक-महत्व की समस्या है वहां के पैदा किये जातिवाद को समाप्त करने के लिये मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सदन में चर्चा करा दी जाय । माननीय कृषि मंत्री जी ने स्वयं मुझसे अपेक्षा की थी कि मुझे कुछ सुझाव इस सम्बन्ध में देने चाहिये, जब आप इस सम्बन्ध में चर्चा को स्वीकार कर लेंगे तो मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को सुझाव भी दे सकूंगा ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि यह बहुत ही नाजुक और सेन्सिटिव मामला है। इसमें सी0 आई0 डी0 की इनक्वायरी चल रही है और सी0 बी0 आई0 की इन्क्वायरी के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। अगर इस मौके पर सदन में इस विषय पर चर्चा होगी तो इससे वातावरण और विषाक्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

जो चर्चा इस विषय पर हो गयी, वह बहुत हो गयी ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, पूरा रुहेलखण्ड और उत्तराखण्ड का यह मामला है। इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हो पायी है । माननीय कृषि मंत्री जी ने स्वयं ही मुझे इंगित किया है कि माननीय सदस्य ने कोई सुझाव नहीं दिए तो यदि आप सुझाव चाहते हैं तो फिर इस पर चर्चा स्वीकार करा दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक तरफ तो आप चर्चा के लिए अनुमति नहीं देना चाहते हैं और दूसरी तरफ शासन की ओर से कोई उपाय भी नहीं बतलाये जा रहे हैं जिससे कि विश्वविद्यालय में शान्ति का वातावरण कायम हो और हम लोगों के रचनात्मक सुझाव के लिये आप चर्चा की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूं और जहां तक विश्वविद्यालय की स्थिति को सुधारने का सन्दर्भ है, उससे मैं सहमत हूं । मेरा सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन है और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बिना सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से जो क्षेत्रवाद की बात यहां उठायी जाती है, वह हम

सबके सामूहिक योगदान से जो विद्वेष को पैदा करता है, सामूहिक प्रयास हो तभी उसका श्रमण हो सकता है। हमारे सम्मानित सदस्य वर्मा जी तथा माननीय सदस्य बरेली जो हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा, वे पुराने पार्लियामेन्टेरियन हैं और पुरानी परिपाटियों के ज्ञाता हैं वे संसदीय पद्धतियों को देखें, जब बजट सामने होता है, उसमें पूरे विषय आते हैं और उस पर प्रकाश डाला जा सकता है। माननीय सदस्य के अधिकारों का मैं किसी प्रकार हनन नहीं करना चाहता हूं मैं केवल उनको पार्लियामेन्टरी परिपाटियों का स्मरण कराना चाहता हूं कि आमतौर पर इस प्रकार के विवाद बजट के मौके पर होते हैं और इसी अवसर पर हर प्रकार की बातों को उठाया जा सकता है और जब बजट पर इस प्रकार की चर्चा हो सकती है तो अन्य मदों पर इस प्रकार की चर्चा की मांग नहीं की जाती है और जब आपका सदन चल ही रहा है तो उसमें इस बात का आपको अवसर मिलेगा। मैं समझता हूं कि आप सभी पुराने सदस्य हैं, मेरी इस बात से सहमत भी होंगे और इस बात का निर्णय ले सकते हैं राजनीतिक वातावरण से ऊपर उठकर और मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य वहीं के रहने वाले हैं इसलिए हम सब मिलकर ऐसा वातावरण बनायें ताकि इस प्रकार की भावना कहीं पर उत्पन्न न होने पाये।

(समय 2 बजकर 20 मिनट पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जहां तक बजट की बात है, उस समय तो हम लोग सभी कुछ कह सकते हैं, लेकिन यहां पर यह बात नहीं है। (घोर व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी इस मामले में क्या करने जा रहे हैं, यह तो वह कृपया बतावें ?

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया विराजें, मैं इस मामले में शासन का ध्यान आकर्षित किये देता हूं और बाकी सभी सूचनाएं अग्राह्य कर दी गयी हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, हमारा जो सुझाव है उस पर यदि माननीय मुख्य मंत्री जी.....

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा––

मान्यवर, पंत नगर विश्वविद्यालय के सिलसिले में जो बातें उठायी गयी हैं, उनका उत्तर यदि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर दे देते तो अच्छा होता लेकिन बराबर इस ओर ऐसा आभास हो रहा है कि शासन इस मामले को टालने के प्रयास में है, और इसीलिए इस मसले पर चर्चा यहां स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं इसके विरोध में सदन का त्याग कर रहा हूं।

(तत्पश्चात् श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अब किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं, कृपया बरार साहब विराजें।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठें, मैं किसी प्रकार की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(शोर)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, फिर मैं सदन का इस मामले के विरोध में त्याग करता हूं क्योंकि सरकार इस पर उपेक्षापूर्ण रवैया अख्तियार किए हुए है।

(श्री जयदीप सिंह बरार सदन त्याग कर चले गये)

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं इस मामले पर सदन का त्याग करता हूं।

(श्री अवनीश कुमार सिंह भी सदन त्याग कर चले गये)

वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, 14 फरवरी, 89 को सायं 5 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने जो सदन के अन्दर अपना बजट भाषण पढ़ा । उस बजट भाषण को मान्यवर, मैंने और लगभग सभी सदस्यों ने ध्यान से सुना, उसको पढ़ा और समझने का प्रयास किया । आदरणीय तिवारी जी ने केन्द्र से लेकर प्रदेश तक एक बार नहीं अनेक बार बजट प्रस्तुत किया है । और वे वित्तीय मामलों में अच्छी सूझबूझ रखते हैं और उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है उस बजट के माध्यम से इस प्रदेश में भविष्य में संपादित किये जाने वाले कामों का ब्योरा दिया है । आंकड़ों के माध्यम से भौतिक मदों के माध्यम से आपने वर्ष 1989–90 का बजट प्रस्तुत किया है इस बजट में मान्यवर, यह भी कहा गया है कि जीरो बजटिंग प्रणाली के आधार पर यह सरकार मितव्ययता बर्तगी और मितव्ययता के द्वारा जो बजट में घाटा दिखाया गया है उसको पूरा किया जायेगा । इस बजट को पढ़ने के बाद और समझने के बाद मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रचलित भावों के आधार पर 1986–87 में 28 हजार दो सौ साठ करोड़ रुपये की आय उत्तर प्रदेश की दिखाई है और वर्ष 1987–88 में 31 हजार 636 करोड़ की आय इस प्रदेश की दिखलाई है, लेकिन जहां तक मान्यवर, इस बजट में, क्योंकि सातवीं योजना का यह अन्तिम वर्ष है और आपने कहा है कि सातवीं योजना का कुल अनुमानित परिव्यय 11 हजार करोड़ रुपये है और उससे प्रथम तीन वर्षों में 6400 करोड़ का परिव्यय बताया है ।

वर्ष 1988–89 में 2 हजार 680 करोड़ की योजना बतायी है और इसके बाद वर्ष 1989–90 में 2 हजार 970 करोड़ की योजना मुख्य मंत्री जी ने बतायी है और इस बात पर बल दिया है कि वर्ष 1988–89 से वर्ष 1989–90 में जैसे ही आयें

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो वार्षिक योजना में वृद्धि की है जो 10 प्रतिशत है । माननीय मुख्य मंत्री जी भली प्रकार समझते हैं, लेकिन अपने आंकड़ों के माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया है कि वार्षिक योजना में वृद्धि की है, लेकिन वास्तविकता है कि अस्थायी भाव के आंकड़े उन्होंने बताये हैं । वर्ष 1988-89 से वर्ष 1989-90 में ज्यों ही प्रवेश करते हैं हमारे प्रदेश की मंहगाई 10.5 प्रतिशत बढ़ चुकी है तो इस तरह से वर्ष 1989–90 के बजट वर्ष 1988–89 से अधिक नहीं है, बल्कि बढ़ी हुई मंहगायी को देखकर वर्ष 1988–89 के समान ही यह बजट है और सातवीं योजना का कुल अनुमानित व्यय 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने की आशा की है लेकिन यह जो अपने परिव्यय, वार्षिक योजना बतायी है और 57 करोड़ का घाटा बताया है, तो यह और बढ़ेगा । योजना का समय के अन्दर आपने तय किया है, वह पूरी नहीं होगी । अतीत में भी कभी पूरी नहीं हुई है और जो तीन साल के आंकड़े दिए हैं, अगर 5 वर्ष का परिव्यय देखा जाय तो 12 हजार 50 करोड़ होता है इसके लिए मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि 11 हजार करोड़ का परिव्यय हो रहा है । वर्ष 1989–90 का आय-व्ययक मान्यवर, आप देखें तो जैसा कि बजट भाषण में दिया गया है उसके अनुसार राजस्व व पूंजी लेखों की कुल प्राप्तियां 96 अरब 35 करोड़ रुपये हैं । राजस्व प्राप्तियां 61 अरब 60 करोड़ रुपये की हैं और 2009 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश, 1195 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त अनुदान, 22 अरब 9 करोड़ राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 745.84 करोड़ रुपये का करेतर राजस्व सम्मिलित है ।

मान्यवर, इस तरीके से पूरी धनराशि 61 अरब 60 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त होती है और जहां तक पूंजी लेखों की प्राप्तियां बतायी गई है । उनमें 34 अरब 75 करोड़ और तीन लाख पूंजी लेखों से प्राप्तियां बतायी है इसमें 34 अरब 27 करोड़ 96 लाख रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 47 अरब 7 लाख रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिम की वसूलियां दिखाई गई है । इस तरीके से इस सरकार ने ऋणों के आधार पर अपनी योजनायें बनायी हैं । जहां तक व्यय का सम्बन्ध है उसमें कुल राजस्व व्यय 86 अरब 14 करोड़ 89 लाख रुपये है जिसमें 19 अरब 93 करोड़ 5 लाख रुपया योजनागत मदों के लिए है और 66 अरब 48 करोड़ 84 लाख रुपया आयोजनेत्तर मदों के लिए है । 28 अरब 64 करोड़ 45 लाख पूंजीगत व्यय राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी और उसके वितरण के सम्बन्ध में है । इसमें 12 अरब 68 करोड़ 76 लाख रुपये की राशि योजनागत मदों से प्राप्त हो रही है और 15 अरब 95 करोड़ 69 लाख आयोजनेतर मदों की है । इस प्रकार कुल पूंजीगत और राजस्व व्यय 115 अरब 6 करोड़ 34 लाख रुपये का है जिस कारण समेकित निधि के अन्दर आपने जो घाटा बताया है वह 18 अरब 71 करोड़ और 31 लाख का है । इसमें जो आपूर्ति की आपने कोशिश की है वह 18 अरब 13 करोड़ और 53 लाख रुपये लोक लेखे के अन्तर्गत शुद्ध प्राप्ति को हिसाब में लेकर आपूर्ति की है और इस प्रकार 57 करोड़ 78 लाख रुपये का अनुमानित घाटा बताया गया है । इस घाटे को पूरा करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने बताया कि इसमें हम चालू टैक्स के ढांचे को प्रभावी उपयोग करेंगे, टैक्स प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करेंगे, आयोजनेत्तर मदों में अधिक से अधिक

मितव्ययिता बरतेंगे, सरकारी देयों की वसूली प्रभावी ढंग से करेंगे । इस तरीके से मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें एक वाक्य जो आपकी कहने की लालसा थी इस बजट के माध्यम से कि कोई भी नया टैक्स का प्रस्ताव हम नहीं कर रहे हैं । और इस लालसा को आपने अवश्य पूरा किया है कि आप कोई भी टैक्स इस बजट में माध्यम से नहीं लगायेंगे । आपने कोई गारंटी ऐसी नहीं की है कि वर्ष 89–90 के अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगायेंगे । बजट अथवा बजट के अलावा किसी मौके पर कोई टैक्स नहीं लगायेंगे ।

चुनावी वर्ष अगर नहीं होता तो शायद छोटे मोटे किसी कार्य से समायोजित करने के लिए घाटे को पूरा करने की बात मुख्य मंत्री जी करते । जो रास्ता बताया है कि हम जनता का पूरा सहयोग लेंगे, सरकारी देयों की वसूली करेंगे, योजनेत्तर मदों में अधिकाधिक मितव्ययिता बरतेंगे तो यह कह कर इस घाटे को माननीय मुख्य मंत्री जी ने ज्यों का त्यों छोड़ दिया और इसकी पूर्ति के विषय में कोई बात अपने बजट भाषण में नहीं की है । अब जहां तक आपने राजस्व लेखों में प्राप्तियां और उनके अनुमानित खर्चों के संबंध में कहा है उसमें मुझे कहना है कि 1989–90 के बजट में पूंजी व्यय दिखाया गया है 28 अरब 34 करोड़ 45 लाख और पूंजीगत प्राप्तियों से 34 अरब 75 करोड़ । यानी प्राप्तियां अधिक हैं और व्यय कम है करीब-करीब पूंजीगत प्राप्तियों से पूजीगत व्यय 6 अरब 58 लाख कम है । जब कि सामान्यतया पूंजीगत प्राप्तियों पूंजीगत व्ययों से अच्छे बजट में अधिक होने चाहिए । स्वस्थ वित्तीय प्रबंध के लिए पूंजीगत व्यय अधिक होता है । लेकिन इसमें पूंजीगत व्यय कम दिखाया गया है और प्राप्तियां अधिक दिखाई गयी हैं ।

उसी तरीके से जो आपने बजट भाषण दिया इसमें राजस्व व्यय के विषय में कहा है कि राजस्व व्यय 86 अरब 41 करोड़ 89 लाख रुपया होने का अनुमान है जिनमें से 1993.5 करोड़ तो योजना का और 66 अरब 48 करोड़ 84 लाख योजनेत्तर मदों का तो आयोजनेतर और आयोजनागत व्यय में अंतर 3 गुना है । मेरा कहना है कि वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत योजनागत मदों में स्टैण्डर्ड नाम के मुताबिक आयोजनागत मदों से आयोजनेतर मदों में खर्च दो गुने से अधिक नहीं होना चाहिए । लेकिन वर्तमान बजट में यह तीन गुने से अधिक दिखाया गया है ।

जहां तक राजस्व लेखों से प्राप्ति का सवाल है उसमें राजस्व प्राप्तियां कम है और राजस्व व्यय अधिक है । यानी 61 अरब 61 करोड़ अनुमानित राजस्व लेखों से प्राप्तियां है और 86 अरब 41 करोड़ 89 लाख राजस्व व्यय है । जो लगभग 24 अरब 81 करोड़ 89 लाख रुपये प्राप्तियों से अधिक हो जाता है । राजस्व आय और राजस्व व्यय की तुलना में अधिक होना चाहिए । लेकिन हमारे प्रदेश में उल्टी गंगा बह रही है । हमारे प्रदेश का राजस्व व्यय अधिक और राजस्व प्राप्तियां कम हैं । जो मैं समझता हूं कि जो हमारी योजनाएं हैं उसको सफलता पूर्वक पूरा नहीं किया जा सकता है और यह अंतर जो आपने दिया है वह 88-89 में राजस्व आय व्ययक के अनुमानों और राजस्व प्राप्तियों से मात्र 5 अरब 59 करोड़ 97 लाख कम थी । तो मेरा कहना है कि वर्तमान बजट में राजस्व आय और राजस्व व्यय में वित्तीय संतुलन नहीं है । उसी तरीके से यह पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय का जो वित्तीय संतुलन होना चाहिए था वह वित्तीय

संतुलन नहीं दिखाया गया है और इस वर्तमान बजट के विषय में मैं चार प्रकार की धारणाएं समझता हूं कि इस बजट के लिए हम चुनावी बजट भी कह सकते हैं । जिस प्रकार की इसमें घोषणायें की गयीं जिससे साफ तौर से आम नागरिक समझ सके कि वर्तमान मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने जो बहुत ही कुशल वित्त साधक मंत्री हैं कह सकते हैं कि हमने जनता के लिए बड़ी राहत दिया है ।

पिछले मुख्य मंत्री श्री बीर बहादुर ने प्रदेश के विकास की बात, वित्तीय संसाधन के, बजट के माध्यम से कहा था लेकिन पूरे साल जनता के सामने अनेकानेक कठिनाइयां आती रहीं और जनता उनको भुगतती रही । इस वर्ष हमारे मुख्य मंत्री ने जो चुनावी बजट पेश किया है उसमें जैसा एक घोषणा पत्र में कहा जाता है उसी तरह से आपने कह दिया कि कक्षा 7 और 8 की हम फीस माफ कर रहे हैं और यह भी कहा है कि कई लाख परिवार उससे लाभान्वित होंगे । मान्यवर, एवं परिवार का एक लड़का स्कूल में पढ़ता है तो कितनी फीस आपने माफ कर दिया चूंकि रुपये 4.30 प्रति छात्र की फ़ीस माफ करके आपने बजट में 5 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है । मैं समझता हूं कि 115 अरब का बजट हो जिसमें 29 अरब की वार्षिक योजना हो और उसमें केवल 5 करोड़ रुपये का प्राविधान ट्यूशन फीस को माफ करके आपने जो घोषणा किया है, उससे एक और चुनावी लक्ष्य परिलक्षित होता है । इसमें 13 लाख परिवार लाभान्वित होंगे ।

इसके अलावा जो आपसे जनता आस लगाये रहती है कि बजट में हमारे लिए कुछ लाभ की घोषणाएं होंगी उन लाभ की घोषणाओं के नाम पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान बजट में आपने कहा कि जितने हमारे विद्यालय हैं जो भवन विहीन हैं, 12500 विद्यालय हैं उनके लिए हम वित्त आयोग की सहायता के आधार पर उन भवनों का निर्माण करेंगे । वर्षों-वर्षों तक आपकी इन भवनों की तरफ निगाह नहीं गयी थी लेकिन अब चूंकि चुनावी वर्ष है इसलिए सभी विद्यालय के भवनों का निर्माण आप करने जा रहे हैं । यह बात आपने बजट भाषण में कही है । जबकि मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रदेश में 23 हजार से भी अधिक भवनहीन विद्यालय हैं । तो यह बजट के माध्यम से जैसा कि हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बोलते समय कहा था कि भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि केवल भवन बनवा देने से, इमारतें बनवा देने से किसी देश और प्रदेश की तरक्की नहीं होती है । केवल स्कूलों के भवन बन जाने से हमारे प्रदेश का विकास की गति नहीं मिल जायेगी । यह सही है कि स्कूल भवन बन जाने से बच्चों की कठिनाइयां दूर होंगी, बच्चों को पढ़ने के लिए जगह मिलेगी । मैं इस कदम की इस रूप में आलोचना नहीं कर रहा हूं, यह अच्छा हुआ, लेकिन यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था । परन्तु उस काम की आज बहुत पहले बिना किसी नीति के बिना सोचे विचारे घोषणा की है । वह केवल चुनाव के दृष्टिकोण से है, अन्यथा आपके बजट में जिन स्कूलों में टाटपट्टी नहीं है, ब्लैक बोर्ड्स नहीं हैं और जहां बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी कुछ अवश्य किया गया होता । आपके बजट भाषण में इस पर भी कुछ होना चाहिए था । इसलिए मैं वर्तमान 1989-90 का चुनावी बजट की संज्ञा देता हूं ।

इसके अतिरिक्त यह आंकड़ों का जाल है। क्योंकि वित्तीय जानकारी हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी की बहुत ही अधिक है और आप उसके मर्मज्ञ हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़ों के माध्यम से आपने प्रयास किया है। आपका यह बजट जिसमें आपने पिछले वर्ष आयोजनागत मदों में 26 अरब 80 करोड़ दिखाया था, उसको इसमें बढ़ाकर 29 अरब 70 करोड़ की जो वार्षिक योजना प्रस्तुत की है और जो इस बात का प्रयास किया, इसको बढ़ा दिया आयोजनागत मदों के लिए, उसमें मेरा कहना यह है कि 10 परसेंट से अधिक जब मंहगाई बढ़ी है, तो आंकड़े में भले ही यह वृद्धि कर दी हो परन्तु प्रदेश के प्रगति में जो धन दे रहे हैं, उस धन से कोई विशेष योगदान मिलने वाला नहीं है। उन्होंने इससे हमारे प्रदेश के लिए कोई ऐसा नक्शा नहीं प्रस्तुत किया है, जिस पर कुछ उम्मीद लगाई जा सके। इसलिए इस बजट को मैं आंकड़े की जादूगरी भी कहता हूं। आंकड़ों की जादूगरी की उसे संज्ञा देता हूं।

इसीलिए यह स्वादहीन बजट भी है, और प्रदेश की जनता की गरीबी प्रदेश की जनता की बेरोजगारी, और प्रदेश की जनता जो महंगाई से पीड़ित है, प्रदेश की जनता जो भ्रष्टाचार से पीड़ित है, उस जनता को इस बजट के माध्यम से कोई भी राहत नहीं मिली है। इससे उसकी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। महंगाई पर भी कोई नियंत्रण नहीं हुआ है। तो इस तरीके से इस बजट में कोई मिठास नहीं है और इसमें कड़ुवाहट इसलिए नहीं है कि आपने इस बजट के अन्दर यह कह दिया है कि हम कोई भी नया कर नहीं लगा रहे हैं। तो ऊपरी तौर पर देखने से इसमें कोई कड़ुवाहट भी नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए इस तरह से यह एक स्वाद-हीन बजट है।

यह अवश्य कहूंगा, जो मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है, एक बात में वह आज तक जितने बजट भाषण हुए हैं, उन सबसे अलग है और वह विशेषता इस बजट की यह है कि वीर बहादुर सिंह जी ने भी पिछले दिनों में बजट प्रस्तुत किये थे और आपने स्वयं वर्ष 85-86 का बजट यहां प्रस्तुत किया था, उस सबमें इस साल का बजट भाषण कागजी पन्नों की संख्या में सबसे बड़ा है। वीर बहादुर सिंह जी ने 18–19 पन्नों में अपना बजट भाषण प्रस्तुत कर अपने कर्तव्य का पालन कर दिया था और आपने भी पहले बिलकुल ऐसा किया था, किन्तु इस बार आपने 50 पन्नों का बजट भाषण पढ़कर आजादी के बाद इस दृष्टि से सारे रिकार्ड तोड़ दिये हैं। आपका यह बजट भाषा पन्नों की दृष्टि से बहुत आगे है। लेकिन इसके अलावा इस बजट से हमारे प्रदेश की जनता को कोई राहत मिलने की उम्मीद हमें नहीं है।

अब मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अपने बजट के अंदर कुछ घोषणाएं इन्होंने कीं, इन्होंने कहा कि विभाग और एक निगम को बनाया जाएगा। इन्होंने वानिकी फल उद्योग विभाग के गठन का निर्णय लिया, इन्होंने कहा कि अपहिल इलेक्ट्रानिक निगम बनाया जाएगा, लेकिन विभाग खोलने से अथवा निगम बनाने से इस प्रदेश का विकास नहीं होना है आप जितने निगम बनाते हैं उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार और नौकरशाही को पनपने की जगह मिलती है। हमारे देश का कोई घाटे का बजट प्रस्तुत होता है तो उसका मुख्य कारण हमारे देश के जितने निगम हैं वह इसका मुख्य कारण हैं, निर्यात आयात की व्यवस्था इसका मुख्य कारण है। हमारे प्रदेश के अन्दर जो घाटा हो रहा है इस घाटे का श्रेय हमारे निगमों को है और इन निगमों की श्रंखला

में एक निगम और जुड़ गया है । वह है अपहिल इलेक्ट्रानिक निगम । प्रदेश की जो घाटे की अर्थव्यवस्था है उसका कारण निगम हैं एसे निगमों की संख्या प्रदेश के अन्दर 114 है । मुख्य सार्वजनिक उपक्रमों में 464 है । चार से छः निगमों को छोड़कर, सेतू निगम को छोड़कर अधिकतर निगम घाटे में चल रहे हैं । जिसका कारण वर्ष 1986-87 का वार्षिक आडिट 22 अरब 49 करोड़ रुपये था । इन निगमों के अन्दर 64 अरब की पूंजी, आपके प्रदेश की नियोजित हो रही है । जितने निगम आपके हैं उसमें बहुत से एसे निगम हैं जिनका जबसे निर्माण हुआ है तबसे उनका सर्वेक्षण नहीं हुआ है । महालेखाकार द्वारा उनका कोई आडिट नहीं कराया गया है । 13-13 साल के एसे निगम हैं जिनका आकलन नहीं हो रहा है, जिससे वह दिन पर दिन घाटे में चल रहे हैं और जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही है मान्यवर, वर्ष 1980 में 120 लेखे अवशेष थे, 1987 तक आते-आते 341 लेखे अवशेष हो गये जिनका कि कोई परीक्षण कोई आकलन नहीं हुआ है ।

मान्यवर, उद्योग निगम कानपुर है जिसके द्वारा कम्पनियों का संचालन किया जा रहा है । सारी कम्पनियों की तरफ इसलिए ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि वहां पर जब से यह निगम बने हैं आज तक कभी भी इसमें कोई आडिट नहीं हुआ । इन निगमों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है । 1970 के अन्दर प्रदेश के अन्दर 11 निगम थे । 1975 में 39 निगम हो गये और 1985 में 57 निगम हो गये । 1987 में 61 मुख्य सार्वजनिक उपक्रम हो गये आपके कार्यकाल में 62 मुख्य सार्वजनिक निगम हो गये । 53 कम्पनियां और इकाइयां हैं जिनके माध्यम से प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं । इनकी संख्या बढ़ने के साथ-साथ इनमें पूंजी विनियोजन बढ़ता चला जा रहा है । उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि 1975 में इनमें 12 अरब 7 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन था उसके बाद 1986 में इनमें 63 अरब 61 करोड़ 18 लाख रुपयों का पूंजी विनियोजन हो गया । वर्तमान सरकार में कोई आंकड़े नहीं मिल रहे हैं जिसकी बिना पर मैं साबित कर सकता कि कितना बड़ा घाटा इन निगमों के माध्यम से प्रदेश को हो रहा है या कितनी बड़ी धनराशि हमारे प्रदेश की इन निगमों में विनियोजित हो रही है ।

आज अनुमान है कि 65 अरब से ज्यादा धन इन निगमों में लगा हुआ है । जिन निगमों में यह धन लगा हुआ उनको कम से कम 10 से 12 फीसदी ब्याज देना चाहिये और लाभांश भी देना चाहिए । यह जो निगमों में 65 अरब रुपये का इन्वेस्टमेन्ट है उसमें से आधे से ज्यादा कैपिटल डूब चुका है । इन निगमों द्वारा न तो कोई ब्याज दिया जा रहा है और न सरकार द्वारा ब्याज वसूलने की कोशिश की जा रही है लाभांश मिलने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता । यही वजह है कि आर्थिक विकास का सारा ढांचा ही गड़बड़ हो रहा है । मुझे खुशी होती कि जिस प्रकार से केन्द्र में सामान्य बजट अलग पेश होता है और रेलवे का बजट अलग पेश होता है उसी तरह से निगमों के सम्बन्ध में आंकड़े और उनका लेखाजोखा प्रस्तुत किया जाता तो सम्भवतः हमारे माननीय सदस्यों के लिये आसानी होती और माननीय सदस्य जो इनमें घाटा हो रहा है उस संबंध में अपने विचार और सुझाव देते । लेकिन एसा कोई भी प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है । जो पूंजी निगमों में लगी हुई है उससे प्रदेश के संचित राजस्व में हानि हो रही है ।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं वर्ष 1980-81 में हमारे प्रदेश की जो पूंजी इनमें लगी थी वह 19 अरब, 68 करोड़ और 6 लाख रुपये की थी और संचित हानि हो गयी 5 अरब, 40 करोड़, 30 लाख रुपये की । इसी तरह से 1981-82 में 25 अरब, 28 करोड़ 75 लाख की पूंजी लगी थी और संचित हानि हो गयी 5 अरब 80 करोड़ 94 लाख रुपये की । 1982-83 में 28 अरब, 45 करोड़ 22 लाख की पूंजी लगी थी और संचित हानि हुयी 6 अरब 29 करोड़ 69 लाख रुपये की । 83-84 में पूंजी बढ़कर 33 अरब, 18 करोड़, 25 लाख रुपये की हो गयी और संचित हानि 7 अरब, 41 करोड़ 25 लाख रुपये की हुयी । 84-85 में पूंजी लगी थी 33 अरब, 34 करोड़ 88 लाख रुपये की और संचित हानि हुयी 8 अरब, 55 करोड़ 85 लाख रुपये की । 1985-86 में पूंजी लगी थी 37 अरब, 26 करोड़ और 38 लाख रुपये की तथा संचित हानि हुयी 8 अरब, 82 करोड़, 54 लाख रुपये की । तो यह आंकड़े बताते हैं कि संचित हानि बढ़ती चली गयी है । 1986-87 में 1 अरब, 77 करोड़, 53 लाख रुपये की हानि राज्य विद्युत परिषद् को हुयी है ।

मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इस साल ऐतिहासिक तौर पर लोड फैक्टर बढ़ाया है । आपने विद्युत की क्षमता बढ़ाने के विषय में कहा है । लेकिन मुख्य मंत्री जी आपने बजट भाषण में राज्य विद्युत परिषद् में जिसमें सबसे ज्यादा पूंजी लगी हुई है उसके विषय में कुछ नहीं कहा है । क्योंकि यह विद्युत परिषद् के अन्दर, जब से यह कायम हुई है, दिनों दिन इसका व्यय-भार बढ़ता चला जा रहा है और उस व्यय-भार पड़ने का अन्जाम यह हो रहा है कि हमारे प्रदेश के अन्दर विद्युत की आपूर्ति भी सही रूप में नहीं हो पा रही है, यद्यपि हमारी सरकार बार-बार यह घोषणा करती है कि मैं 10 घंटे बिजली दूंगा । मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश के अन्दर 10 घंटे के अन्दर बिजली देने की बात कही है, ऐसे कितने जिले हैं ? कितने गांव हैं, जहां पर 10 घंटे आप बिजली दे रहे हैं ? आप 6 घंटे भी बिजली कहीं पर नहीं दे पा रहे हैं । आपका लोड फैक्टर बढ़ा है, लेकिन आपने कभी यह विचार किया है कि आपके प्रदेश के अन्दर लाइन लाश हो रहा है । मैंने पिछली बार राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय बताया था कि 1 परसेन्ट भी अगर हम लाइन लाश रोक लें, तो हमारे प्रदेश के अन्दर 5 करोड़ का विद्युत परिषद को लाभ होता है ।

बिहार के अन्दर केवल 2 परसेंट लाइन लास होता है । हमारे प्रदेश के अन्दर 22 परसेन्ट लाइन लास होता है, बिजली की चोरी हो रही है । आदरणीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम विद्युत की चोरी के लिए कड़े कदम उठायेंगे । आज ही नियम 56 के अन्तर एक समस्या आयी थी कि कांग्रेस (आई) के केन्द्रीय अध्यक्ष राजीव गांधी जी जब आये थे, अभी 10 फरवरी को, तो उनके आगमन से पहले हमारे प्रदेश के अन्दर जो प्रदेश की कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनकी स्वागत के लिए बड़ी तैयारी की । इसके लिए कई जगहों पर बड़ी संख्या में झालरें लटकाई गयीं और उसके लिए क्या आपने विद्युत परिषद् को उसका कोई भुगतान किया था । एक छोटे से आदमी के लिए आप इसमें संख्या दे देते हैं कि हमने इतने लोगों को पकड़ा है, लेकिन जो दिन दहाड़े आपकी सरकार अपनी सत्ता के बूते चोरी कर रही है, उसके लिए आप सही जवाब भी नहीं देते हैं । आपके मंत्री जी ने स्वीकार किया इस बात के लिए कि हम इस बात को दिखला लेंगे । उन्होंने यह नहीं कहा कि अगर कहीं पर इस तरह की

गड़बड़ी की गयी थी और पैसा नहीं जमा किया गया है, तो हम कार्यवाही करेंगे। आप सदन को गुमराह करने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन उस विद्युत की चोरी के लिए मैंने कहा कि अगर आपके अन्दर नैतिकता है, तो आप उसके लिए खेद प्रकट कीजिए। आप उस चोरी को छिपाने के लिए बहाना कर रहे हैं, लेकिन उस पर खेद प्रकट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, इनसे संबंधित जो-जो बड़े लोग हैं, जो करोड़-करोड़ रुपये का गोल-माल करते हैं, उन लोगों पर आप निगाहें रखें। उन लोगों की चोरी जब तक आप नहीं पकड़ते हैं, तब तक आप विद्युत परिषद् के अन्दर इस घाटे को पूरा नहीं कर सकते। इस विद्युत परिषद् के अलावा जो और अन्य निगम चल रहे हैं, उनमें से मैं कुछ निगमों के संबंध में कहना चाहता हूं कि ये कितने घाटे पर चल रहे हैं। उस पर मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी जब हमारे इस बजट भाषण पर समालोचना का जवाब देंगे, तो शायद इस पर प्रकाश डालेंगे कि इस प्रदेश की गर्दिश निवारण के लिए कि इन निगमों की दशा कैसे सुधरेगी ? अगर आप निगमों का बढ़ता हुआ घाटा नहीं रोक पा रहे हैं, तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अलावा जो अन्य निगम हैं, उनके घाटे इस प्रकार हैं:—

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में 32 करोड़ 15 लाख का घाटा है। सीमेन्ट कार्पोरेशन में 16 करोड़ 84 लाख का, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम में 9 करोड़ 71 लाख का, उत्तर प्रदेश जल निगम में 8 करोड़ का, आटो ट्रैक्टर लिमिटेड में 30 करोड़ 39 लाख का इसी तरह से यू0 पी0 एग्रो में 11 अरब 72 करोड़ और 68 लाख की संचित हानि हो चुकी है, यू0 पी0 हार्टिको में 293 करोड़ 76 लाख की संचित हानि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 5467 करोड़ 20 लाख की संचित हानि, नलकूप निगम में 163 करोड़ 71 लाख की, यू0 पी0 डेस्को में 4 करोड़ 69 लाख की, मण्डलीय विकास निगम गोरखपुर में 95 करोड़ 76 लाख की, वाराणसी मंडलीय विकास निगम में 3 करोड़ 87 लाख की मंडलीय विकास निगम आगरा में 29 करोड़ 20 लाख रुपये की, मण्डलीय विकास निगम पूर्वान्चल में 66 करोड़ 52 लाख, मण्डलीय विकास निगम पश्चिमी क्षेत्र में 74 करोड़ 33 लाख की और बुन्देलखण्ड विकास निगम में 78 करोड़ 96 लाख की तथा मण्डलीय विकास निगम में वर्ष 1986–87 के अन्त तक संचित हानि 347.74 लाख हो चुकी है।

मान्यवर, अब अपने चलचित्र निगम की दुर्दशा देखिये। इस चलचित्र निगम में वर्ष 1984–85 में 231 करोड़ 33 लाख का घाटा हुआ और 1985–86 में यह घाटा बढ़कर 322 करोड़ 33 लाख का हो गया और 1986–87 में इस घाटे में 396 करोड़ 25 लाख की वृद्धि हो गयी। पर्यटन निगम में वर्ष 1986-87 के अन्त तक 73 करोड़ 84 लाख की हानि रही। ब्रासवेयर कारपोरेशन का तो बहुत ही बुरा हाल है इसकी हानि को देखें। मान्यवर, 1984–85 में 149 करोड़ 86 लाख, 1985–86 में 211 करोड़ 86 लाख और 1986–87 में 273 करोड़ 86 लाख की संचित हानि हो चुकी है।

मान्यवर, पशुधन उद्योग में वर्ष 1986–87 में 85 करोड़ 57 लाख की संचित हानि हुई है चर्म विकास निगम भी उत्तर प्रदेश की आर्थिक रीढ़ तोड़ने में कम नहीं

रहा है । चर्म विकास निगम की स्थिति यह है कि वर्ष 1984–85 में 144 करोड़ 48 लाख की इसकी हानि, वर्ष 1985–86 में 214 करोड़ 71 लाख और 1986–87 में 274 करोड़ 40 लाख की संचित हानि हुई है ।

मान्यवर, भूमि सुधार निगम के अंदर 1984-85 में 18 करोड़ 55 लाख की, 1985-86 में 28 करोड़ रुपये की और 1986-87 में 31 करोड़ 68 लाख की संचित हानि हुई है । निर्बल वर्ग उपक्रम में वर्ष 1986-87 में संचित हानि 32 करोड़ 26 लाख रुपये की हो चुकी है और अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की हानि भी इसके पीछे नहीं है और वर्ष 1986-87 में निगम की हानि 15 करोड़ 55 लाख रुपये की है ।

मान्यवर, वित्तीय क्षेत्र में अगर मैं कहूंगा तो बहुत टाइम लग जायेगा इसलिए मैं यह कहना मुनासिब समझता हूं कि सारे वित्तीय निगम का आर्थिक ढांचा इतना गलत हो चुका है कि उन पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं हो रहा है और हालत बिगड़ रही है । मैं आटो टैक्टर के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । आटो ट्रैक्टर के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है कि 28 पावर का जो प्रताप ट्रैक्टर बनता है इसकी लागत 5 लाख 84 हजार रुपया है और इसकी बिक्री 68 हजार रुपये में होती है इस तरह से एक ट्रैक्टर के बेचने में 5 लाख रुपये का घाटा होता है । इसको बन्द करने की भी सलाह दी गयी है । सार्वजनिक उपक्रम विभाग में विशेषज्ञों ने इसकी आर्थिक समीक्षा की और इतने बड़े आर्थिक नुकसान को देखते हुए इसको बन्द कर देने की सलाह दी लेकिन न तो इस पर विचार किया गया और न ही बन्द किया गया । हमारा प्रदेश आर्थिक घाटे के बीच से गुजर रहा है । तो मैं जानना चाहूंगा मा0 मुख्य मंत्री जी से, जब वह जवाब देंगे कि मेरी यह जानकारी, जिसके आधार पर मैं कहता हूं कि ऐसे निगमों को बन्द होना चाहिए, जिनसे हमको प्रत्यक्ष रूप से घाटा देना पड़ता है, जिनके कारण हमें घाटा होता है, उनको चलाने की आवश्यकता नहीं है ।

इसके अलावा मेरा कहना यह है कि हमारे प्रदेश में इन निगमों के अलावा जो महंगाई बढ़ रही है, उस पर सरकार बार-बार घोषणाएं करती है कि हम रोक लगाएंगे । केन्द्र सरकार भी कहती है और प्रदेश सरकार भी कहती है कि रोक लगाएंगे और महंगाई को कन्ट्रोल करेंगे । लेकिन ज्यों-ज्यों नियंत्रण की बात करते हैं, त्यों-त्यों मर्ज और बढ़ता जा रहा है । इसी के साथ 1970 के सूचकांक को 100 मान लें तो इसके बाद पिछले 8-9 सालों में, मैं आंकड़े दे रहा हूं । इससे स्पष्ट हो जायगा कि कोई वर्ष ऐसा नहीं बचा जिसमें हमारी महंगाई कम हुई हो या रोक लगी हो । वर्ष 1970 में थोक मूल्य सूचकांक अगर 100 है तो 1980 आते-आते वह 232 हो गयी, 1981 में यह 270.7 हो गयी जिससे हमारे प्रदेश में महंगाई 16.7 फीसदी बढ़ी, 1982 में 277.1 हो गयी जिससे महंगाई 2.4 फीसदी बढ़ गयी । वर्ष 1983 में 295 सूचकांक हुआ जिससे 5.6 फीसदी महंगाई बढ़ी, 1984 में 321.7 हो गया जिससे 8.9 फीसदी महंगाई बढ़ी, 1985 में 346.3 हो गया जिससे 7.6 फीसदी महंगाई बढ़ी, 1986 में 359.3 सूचकांक हो गया जिससे 3.8 फीसदी महंगाई बढ़ी, 1987 में 378.2 सूचकांक हो गया जिससे 5.3 फीसदी महंगाई बढ़ी और वर्ष 1988 में 418.4 सूचकांक हो गया जिससे 10.6 फीसदी महंगाई बढ़ी ।

इसलिए आपका कहना कि हमने जो 10 फीसदी बजट बढ़ा दिया है 1989-90 का, इससे किसानों को राहत मिली है, प्रदेश का विकास कर रहे हैं, तो यह महंगाई के गाल में, महंगाई के रूप में हमारे प्रदेश में कोई भी बजट में बढ़ोत्तरी दिखाई नहीं दे रही है । ये जो सूचकांक बताए, 30 अप्रैल को 416.4 सूचकांक था जिससे 10.6 फीसदी महंगाई बढ़ी इसके बाद आप हफ्तों में देखें । मैं आंकड़े दे रहा हूं । मई, 28 को सूचकांक था 423.1 जो 16 जुलाई को 432.5 हो गया । इसी प्रकार की वृद्धि मूल्य सूचकांक में दिन प्रतिदिन होती जा रही है और इस पर कोई नियंत्रण हमारी वर्तमान सरकार नहीं कर पा रही है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जितने भी हिन्दी भाषा राज्य हैं, इनमें गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोग अधिक हैं, बमुकाबले उन प्रदेशों के जो हिन्दीभाषी नहीं हैं ।

हमारे प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिए कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिखाया गया है क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि जो भी खर्च आयोजनागत मदों का किया जाता है, जिला योजना में, वह जब खर्च हो गया तो उसको सम्पादित कार्य में मान लेते हैं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी लाभान्वित लोगों के नाम भी बताने की बात कह रहे थे । मैं कहना चाहता हूं कि नाम आप दे सकते हैं, किसी ने फ्री बोरिंग कराई, आंकड़े में आ जायगा, लेकिन मौके पर आप देखें तो बोरिंग वहां पर नहीं लगी । इसलिए आप दिनों दिन प्रयास कर रहे हैं 20 सूत्री कार्यक्रम और जिला विकास अभिकरण के माध्यम से कि गरीबी से उबर पाएं लेकिन आप जो लक्ष्य लेकर चले, आप आंकड़ों के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं कि कई लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया है आंकड़ों के माध्यम से आप कुछ भी साबित कर सकते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि आप गरीबी से उबार नहीं पाये हैं । मैं यह 31 मई 1988 के आंकड़े दे रहा हूं । गरीबी के नीचे रहने वालों की संख्या बिहार में 49.50 प्रति0 मध्य प्रदेश में 46 2 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 45.30 प्रतिशत थी । हमारे यहां बिहार और मध्य प्रदेश से गरीबी के नीचे रहने वालों की संख्या कम है । अखिल भारतीय जो प्रतिशत है वह 37.04 है गरीबी की रेखा के नीचे का अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो हम गरीबी पर नीचे हैं । तामिलनाडु का है 36.90, आंध्र प्रदेश 36.71 कर्नाटक 35.0 प्रतिशत, केरल 26 प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल में 39 प्रतिशत महाराष्ट्र में 34 प्रतिशत, उड़ीसा में 42 प्रतिशत । सबसे कम गरीबी जिन राज्यों में है वह बहुत छोटे-छोटे राज्य हैं । मणिपुर में 12.3 प्रतिशत, हिमांचल प्रदेश में 13.50 प्रतिशत, हरियाणा में 15.7 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 16.30 प्रतिशत, असम में 23.50 प्रतिशत, मेघालय में 28 प्रतिशत । आपने इस गरीबी से, इस महंगाई से (इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता श्री कौशिक रमाशंकर पीठासीन हुये ।) बचाने के लिए, कोई भी कारगर कदम अपने बजट भाषण में नहीं बताया है। जब तक यह गरीबी दूर करने के लिए आप कारगर कदम नहीं उठायेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है । जब तक भ्रष्टाचार को आप समूल जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, भ्रष्टाचार पर प्रहार नहीं करेंगे, तब तक प्रदेश का घाटा बढ़ता रहेगा । जब तक आप अधिकारियों पर होने वाले व्यय में मितव्ययिता नहीं बरतेंगे, मंत्रीगण मितव्ययिता नहीं करते हैं, तब तक आप इस घाटे को पूरा नहीं कर सकते हैं । आपका घाटा और आपके प्रदेश में गरीबी दिनों दिन बढ़ती चली जायेगी ।

हमारा प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन फिर भी हमारे यहां गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या केवल मध्य प्रदेश और बिहार को छोड़कर, सबसे अधिक गरीबी है तो हमारे प्रदेश के अंदर है । इस बजट में मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गरीबों की उपेक्षा का बजट रखा गया है । भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अपनी योजनाओं को सफलता के साथ कार्यान्वित करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाया है । हां किसानों की हमदर्दी में यह जरूर कहा कि गन्ने के भाव इस साल बढ़ा दिये हैं गन्ने का भाव सारे प्रदेश में एक किया, यह मांग भी थी । लेकिन मेरा कहना यह है, पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जिस गन्ने का भाव 34 रु0 आपने किया है वह सी0 ओ0 जी0 64 और 68 के लिए है, वह प्रदेश में नाममात्र का होता है । साधारण गन्ने की कीमत आप 30 रु0 दे रहे हैं । 30 रुपये गन्ने की कीमत आप दे रहे हैं, लेकिन किसान के लागत मूल्य के आधार पर, वह गन्ने की कीमत नहीं दे रहे हैं । पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि प्रदेश के अंदर किसी भी कृषि विशेषज्ञ की राय ले लें और उसके आधार पर देख लीजिए कि प्रदेश के अंदर गन्ने का लागत मूल्य क्या था और उसके आधार पर किसान को क्या दे रहे हैं ? मैंने एक छोटे से राज्य हरियाणा का उदाहरण दिया था, आपने कह दिया कि वहां ढुलाई 2 रु0 ली जाती है, यहां पर एक रु0 ली जाती है । हरियाणा जैसा छोटा सा प्रदेश अपने यहां 35 रु0 दे रहा है आप केवल 30 रु0 दे रहे हैं । जो आप किसानों को 30 रु0 गन्ना मूल्य दे रहे हैं, वह उसकी लागत के हिसाब से सही मूल्य नहीं है । 1948 में गन्ने की कीमत तय करने के लिए किदवई समिति बनायी गयी थी। किदवई साहब ने एक फार्मूला पेश किया था यदि उस फार्मूला पर विचार कर लिया होता तो भी बात दूसरी होती । जितने रु0 मन या कुन्टल चीनी उतने ही आने मन या कुंतल गन्ने का मूल्य होना चाहिए । अगर 600 रुपये कुंटल खुले बाजार है, और लेवी चीनी का मूल्य 500 रुपये कुन्टल है तो उस हिसाब से औसत 550 रुपये क्विंटल होता है । किदवई समिति की सिफारिश के अनुसार भी इस समय गन्ने का मूल्य 35 रुपये से कम नहीं होना चाहिए । आपके जो चीनी निगम हैं और जिनके माध्यम से 25-30 चीनी मिलें आपकी चल रही हैं, उनमें भी घाटा हो रहा है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक गन्ना किसानों की हालत नहीं सुधरती है, तब तक इस प्रदेश के किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है । गन्ना ही किसानों की आय का मुख्य स्रोत है । आपने अपने बजट भाषण में गन्ना भाव के संबंध में कोई विशेष नहीं किया है । जिससे किसानों को कोई राहत मिलती हो ।

अब मान्यवर, मैं शिक्षा विभाग के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । शिक्षा विभाग के विषय में मुख्य रूप से आपने यह कहा है कि छात्र कल्याण निधि बना दी है । बच्चों की फीस माफ करने के अलावा 20 हजार विद्यालयों के 13 लाख बच्चों के परिवार इससे लाभान्वित होने की बात आपने कही और फिर इसके बाद छात्र कल्याण निधि के माध्यम से 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव भी आपने पेश किया है, इसके अलावा आपने स्कूलों के भवन भी बनवाने की बात कही, यह सब शिक्षा के

सुधार के विषय में आपने कहा है। मैं मान्यवर, विशेषकर आपसे कहना यह चाहता हूं कि जनता पार्टी के 3 साल के शासन काल में अगर आप केवल आंकड़े देख लें कि एक-एक वर्ष में कितने-कितने विद्यालय खोले गये इसलिए नहीं कि वह जनता पार्टी की सरकार थी, बल्कि इसलिए कि उनके दिलो दिमाग में यह करने की भावना थी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक प्राइमरी शिक्षा नहीं सुधरती, तब तक इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। केवल स्व0 चौधरी चरण सिंह की पुस्तक को यहां पढ़ देने से काम चलने वाला नहीं है, जब तक उनकी नीतियों का सही पालन न किया जाय। केवल जवाब देने के लिए आप उनकी पुस्तक पढ़ते हैं, तो काम नहीं चलने वाला है। चौधरी साहब ने स्पष्ट तौर से कहा है कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, जहां प्राइमरी शिक्षा खराब हो, फिर भी वह देश समृद्धशाली हो। जिस देश में प्राइमरी शिक्षा खराब हो और फिर वह देश अमीर और समृद्धिशाली हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी देश में अगर प्राइमरी एजुकेशन अच्छी हो, तो वहां का विकास अवश्य होगा। वह अक्सर जापान, अमरीका, केरल आदि जगहों का उदाहरण दिया करते थे कि वहां प्राइमरी शिक्षा अच्छी है। जो आपने बजट भाषण में बातें कहीं हैं, वह प्राइमरी एजूकेशन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काफी नहीं है और इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

आज 43 सालों की आजादी के बाद अगर आपने कक्षा 7-8 की फीस माफ कर दी और 5 करोड़ का वित्तीय भार बढ़ा दिया, जिसके लिए आप सदन में तालियां बजवा रहे हैं, उससे कोई आप उत्तर प्रदेश को स्वर्ग नहीं बनाये दे रहे हैं। यह न समझें कि कोई अलौकिक परिवर्तन कर दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में 74–79 के प्रारम्भिक तीन वर्षों में केवल 2574 स्कूल खोले गये थे, लेकिन जनता सरकार के जमाने में संसाधनों की कमी होते हुए भी 1977-78 में 3162 प्राइमरी स्कूल खोले गये। जबकि कांग्रेस शासन के दौरान तीन साल में 2574 विद्यालय ही खोले गये। इसके अतिरिक्त जनता सरकार के जमाने में 612 मिडिल स्कूल भी खोले गये, वर्ष 1977-78 में 52 नये राजकीय हाईस्कूल खोले गये, इस बीच 22 राजकीय हाईस्कूलों को उच्चीकृत किया गया। इसी तरीके से 1978-79 में 2170 प्राइमरी स्कूल, 1020 मिडिल स्कूल, 34 राजकीय स्कूल, 10 राजकीय इण्टर कालेज में दो पाली व्यवस्था लागू की गई। मैंने जनता पार्टी का नाम इसलिए लिया क्योंकि उनके जमाने में विशेषकर प्राइमरी शिक्षा पर बड़ा जोर दिया गया। 1987-88 को आप देख लें डेढ़-पौने दो सौ से ज्यादा प्राइमरी स्कूल नहीं खुले हैं और 30 से ज्यादा मिडिल स्कूल नहीं खुले हैं और आगे आने वालों वर्षों में आप कोई भी प्राईमरी स्कूल व मिडिल स्कूल खोलने जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है। इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया है कि गांव के पिछड़े इलाकों में जो शिक्षा का कार्य कर रहे हैं 1984 से आज तक आप उन स्कूलों को ग्रान्ट की लिस्ट में भी नहीं लाये। हमें भरोसा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए कुछ न कुछ करेंगे।

बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने कोई भी प्राइमरी स्कूल व मिडिल स्कूल खोलने की बात नहीं की और न ही आपने इन स्कूलों को आर्थिक सहायता की सूची

में जोड़ने की बात कही । विद्यालयों को ग्रान्ट के अभाव में बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है । अब आप अपने प्रदेश का हाल देखिए और अन्य प्रदेशों का हाल भी देखिए । आपका प्रदेश कितना पीछे है, इसके आंकड़े मैं दे रहा हूं । यहां पर केवल 27-16 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं । इनमें से भी पुरूषों की संख्या 38.70 प्रतिशत है और महिलाओं की संख्या 14.4 प्रतिशत है । 1981 की जनगणना के आधार यह कहा गया है कि हमारे देश का जो औसत है साक्षरता का वह 37 प्रतिशत है । हमारे प्रदेश का इतना कम है । हां, बिहार इससे कम है, जहां पर साक्षरता केवल 26-20 प्रतिशत है । गुजरात में 43.70, हरियाणा में 36.14 प्रतिशत, हिमांचल प्रदेश में 42.18 प्रतिशत, जम्मू काश्मीर में 26.27 प्रतिशत, कर्नाकट में 38.46 प्रतिशत, केरल में 70.42 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 27.87 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 47.18 प्रतिशत मणिपुर में 41.35 प्रतिशत, मेघालय में 34.87 प्रतिशत, नागालैण्ड में 42.57 प्रतिशत और उड़ीसा में 34.23 प्रतिशत है । पंजाब में 40.46 प्रतिशत, राजस्थान में 24.38 प्रतिशत, सिक्किम में 34.05 प्रतिशत, तमिलनाडु में 47.76 प्रतिशत, त्रिपुरा में 42.12 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 40.94 प्रतिशत है । ये सब छोटे-छोटा प्रदेश हैं जो हमारे प्रदेश से ज्यादा साक्षर हैं । इसके बावजूद भी कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया गया है जिससे हमारे प्रदेश की निरक्षरता दूर हो सकती । इसका मुख्य कारण यह है कि आप अन्य प्रदेशों की तुलना में यहां पर शिक्षा पर कम पैसा खर्च कर रहे हैं, इसी वजह से हमारे प्रदेश में साक्षरता कम है । यही हाल शिक्षा पर प्रति व्यक्ति शिक्षा का व्यय है, जो अन्य प्रदेशों के मुकाबले काफी कम है । 1984-85 में सबसे अधिक शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय 288 रुपये लक्ष्यदीप ने और सिक्किम में 238 रुपए अण्डमान में 267 रुपए, नागालैण्ड ने 234 रुपये और मिजोरम में 200 रुपये प्रति व्यक्ति व्यय शिक्षा पर किया गया है।

परन्तु उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय प्रति व्यक्ति मात्र 52 रुपए रहा । आपने यह भी कहा कि 12500 स्कूल हमारे पास हैं, किन्तु मेरी जानकारी के हिसाब से 30363 स्कूल ऐसे हैं, जो बहुत ही खस्ता हालत में हैं या फिर भवनहीन हैं । 21505 भवनहीन हैं । आप जिला विकास अभिकरण के माध्यम से व आर0ई0एस0 के माध्यम से इन्हें बनवायेंगे । आप एक स्कूल पर 66 हजार रुपए खर्च करेंगे और 2 कमरे का विद्यालय बनायेंगे, वे विद्यालय बनाये जायेंगे ठेकेदारों के द्वारा । ये 12500 विद्यालय इतने अकुशल हाथों के द्वारा बनेंगे, ठेकेदारी में कमीशन बढ़ गया है, 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है, अगर नियंत्रण नहीं कर पाये, रोक नहीं लगा पाये तो आप वाहवाही लूट सकते हैं कि 12500 विद्यालय बना दिये लेकिन 5-6 साल से ज्यादा उनकी जिन्दगी नहीं होगी । आपने भी बहुत से विद्यालय देखे होंगे, सरकारी कोठियां बहुत सी ऐसी हैं कि नई बनती हैं और चूने लगती हैं । जब अकुशल हाथों के द्वारा वे बनाये जायेंगे तो आपने जो मानव दिवस सृजित करने का बीड़ा उठाया है, मजदूरी 13.50 रु0 से बढ़ाकर 18.00 रु0 देना, वह सपना कभी साकार नहीं हो पायेगा ।

मैंने जिले की गवर्निंग बाडी में जब अधिकारियों से बात की तो वे स्वीकार करते हैं कि 13.50 रु0 भी प्रतिदिन नहीं दे पाते हैं । गेहूं देने का जो प्राविधान

है, कहीं पर भी दिया नहीं जाता है, सारा बाजार में बिक जाता है। इसमें ठेकेदार अपनी जेब भरेंगे, अधिकारी अपनी जेब भरेंगे, लेकिन स्कूलों में पैसा नहीं लगेगा, जिसका सपना दिखाकर आप इस प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। इसलिये मेरा साफ तौर से कहना है कि वर्तमान शासन इस प्राइमरी एजूकेशन, माध्यमिक शिक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहा है। स्कूल की बिल्डिंग बनवा देने से दावा नहीं कर सकते हैं कि प्रदेश में शिक्षा की तरफ नया कदम उठा दिया है। आपने बजट भाषण में कहा कि चार नये जिले बना दिये—मऊ, हरिद्वार, सिद्धार्थनगर और फिरोजाबाद, सोनभद्र जिले का भी बता दिया कि होने वाला है, ये जिले आपने प्रशासनिक आधार पर बनाये हैं, जैसा अपने भाषण में कहा है। जिले बनाना ठीक काम है लेकिन इसमें बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है। जगह-जगह पर लोग आन्दोलित हो रहे हैं। आपने फिरोजाबाद बना दिया। आगरा से 10 कि0मी0 दूर का इलाका है, फिरोजाबाद के लोग चाहते हैं कि उनके यहां सम्मिलित होना चाहिये, मऊ के लोग चाहते हैं कि हमारे यहां होना चाहिये। सारे प्रदेश में केवल जिले की ही गड़बड़ी नहीं है, ऐसी बहुत सी गांव सभायें हैं जिनमें 14-15 हजार की आबादी है, 20-25 मजरे हैं, थाने ऐसे हैं जिनकी दूरियां विसंगति के रूप में हैं, सही तरीके से जिनका क्षेत्र नहीं बंटा हुआ है। मैं अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया, चंदौसी के लोग मांग करने लगे कि जिला होना चाहिये क्योंकि वहां पर पांच-पांच विद्यालय हैं। इसी तरह से हाथरस के लोग मांग कर रहे हैं। इसके लिये विशेष समिति बनानी चाहिये और उसके माध्यम से 2, 4 या 5 नहीं बल्कि सारे प्रदेश का आकलन कराना चाहिये। सारे प्रदेश का परीक्षण इस तरह से कराना चाहिये कि कहां-कहां नये जिले, नये ब्लाक और नये थाने बनाये जायं जिससे कि प्रदेश की जनता की मांग को हम पूरा कर सकें। नये जिलों के संबंध में मुझे बस आपसे यही कहना था, इस पर आप विचार कर लें।

जहां तक आपने बेरोजगारी की समस्या के संबंध में बात कही है इसमें बेरोजगारी के संबंध में आपने कृषि स्नातक को रोजगार का कार्यक्रम दे दिया। आपने उनको क्या कार्यक्रम दिया है? यही कि रिटेल पर खाद को बेचने का काम आपने उनको मुहैय्या कर दिया है कि इस तरह से उनको रोजगार मिलेगा और किसानों को साधारण तरीके से प्रचुर मात्रा में खाद मिलती रहेगी। आपने स्वरोजगार योजना की भी बात कही है कि इससे भी बेरोजगारों को बल मिलेगा। स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आपने ऐसा किया है कि ऐसे लोग रोजगारों के लिये शिक्षण दें ताकि वे दूसरे लोगों को रोजगार दे सकें। जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी आप भली प्रकार से जानते हैं कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। इसको समाप्त करने के लिये आपने इसमें दो उपाय बतलाये हैं कि इससे प्रदेश की बेरोजगारी दूर हो सकेगी।

उस दिन भी आपने मुझसे कह दिया, हांलाकि आपने चौधरी चरण सिंह का तो नाम नहीं लिया था लेकिन आपने यह जरूर कहा था कि कर्नाटक में बहुत ज्यादा कम्प्यूटर कार्य कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी आप समाजवादी नीतियों के ज्ञाता हैं और उसका अनुभव भी आपको है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप गांधीवादी

भी है और उसी गांधीवादी नीति पर यह सरकार चल भी रही है। गांधीवाद के फालोवर चौधरी चरण सिंह भी थे। क्या गांधी जी ने कभी कहा कि कम्प्यूटर सिस्टम के मैं पक्ष में हूं ? हमारे देश के अन्दर कमप्यूटर से बेरोजगारी की संख्या बेइन्तहा बढ़ी है। आपने कहा कि अभी हमारे प्रदेश में कमप्यूटर पर्याप्त नहीं है तब फिर आगे-आगे सारे प्रदेश का परीक्षण इस तरह से कराना चाहिये कि कहां-कहां नये जिले, नये ब्लाक और नये थाने बनाये जायं जिससे कि प्रदेश की जनता की मांग को हम पूरा कर सकें। नये जिलों के संबंध में मुझे बस आपसे यही कहना था, इस पर आप विचार कर लें।

जहां तक आपने बेरोजगारी की समस्या के संबंध में बात कही है इसमें बेरोजगारी के संबंध में आपने कृषि स्नातक को रोजगार का कार्यक्रम दे दिया। आपने उनको क्या कार्यक्रम दिया है ? यही कि रिटेल पर खाद को बेचने का काम आपने उनको मुहैय्या कर दिया है कि इस तरह से उनको रोजगार मिलेगा और किसानों को साधारण तरीके से प्रचुर मात्रा में खाद मिलती रहेगी। आपने स्वरोजगार योजना की भी बात कही है कि इससे भी बेरोजगारों को बल मिलेगा। स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आपने ऐसा किया है कि ऐसे लोग रोजगारों के लिये शिक्षा दें ताकि वे दूसरे लोगों को रोजगार दे सकें। जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी आप भली प्रकार से जानते हैं कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। इसको समाप्त करने के लिये आपने इसमें दो उपाय बतलाये हैं कि इससे प्रदेश की बेरोजगारी दूर हो सकेगी।

उस दिन भी आपने मुझसे कह दिया, हालांकि आपने चौधरी चरण सिंह का तो नाम नहीं लिया था लेकिन आपने यह जरूर कहा था कि कर्नाटक में बहुत ज्यादा कम्प्यूटर कार्य कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी आप समाजवादी नीतियों के ज्ञाता हैं और उसका अनुभव भी आपको है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप गांधी-वादी भी हैं और उसी गांधीवादी नीति पर यह सरकार चल भी रही है। गांधीवादी के फालोअर चौधरी चरण सिंह जी भी थे। क्या गांधी जी ने कभी कहा कि कम्प्यूटर सिस्टम के मैं पक्ष में हूं ? हमारे देश के अन्दर कम्प्यूटर से बेरोजगारी की संख्या बेइन्तहा बढ़ी है। आपने कहा कि अभी प्रदेश में कम्प्यूटर पर्याप्त नहीं हैं तब फिर आगे-आगे देखिये कि होता है क्या ? आपके प्रधान मंत्री 21 वीं सदी की बात करते हैं शायद आप भी समझते हैं कि 21 वी सदी कम्प्यूटर पर चढ़ कर अपने आप आ जायेगी।

एक सदस्य–

आपके अजीत सिंह क्या कहते हैं ?

श्री सत्यपाल सिंह–

मा0 अजीत सिंह के विचार यह हैं कि हमारे प्रदेश में जहां अपरिहार्य रूप से कम्प्यूटर की आवश्यकता है जैसे कि हवाई जहाज की उड़ान के संबंध में यह आवश्यक है, इसके अलावा अगर आप कम्प्यूटर का प्रयोग करेंगे तो हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या और बढ़ेगी। आप देखिए कि जहां 1986 में हमारे प्रदेश में पढ़े-लिखे बेरोज-

गारों की संख्या तीन लाख थी वहीं 1988 में उनकी संख्या में वृद्धि हो करके यह 33 लाख तक पहुंच गई है । इस बेरोजगारी पर नियंत्रण लगाने के लिए आपने कोई रास्ता नहीं दिखलाया है । केवल आपने कृषि ग्रेजुएट के विषय में कह दिया लेकिन इसके साथ ही साथ और विषय में भी स्नातक आपके प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं । आर्ट साइड के स्नातक हैं, कामर्स साइड के स्नातक हैं, इसके अलावा साइंस साईड के स्नातक हैं । इनको रोजगार दिलाने के लिए आपने इनको कौन सा रास्ता मुहैया कराया है ?

यह बजट भाषण दिशाहीन है । आपने कह दिया कि हम पालीटेक्निक खोलेंगे । ऐसा लगता है कि जितनी टेक्नीकल संस्थाएं हैं, उसमें से निकलने वालों की आपने बेरोजगारी दूर कर दी है । नए पालीटेक्निक खोलने से हमारे प्रदेश में बेरोजगारी और बढ़ेगी । पिछले सात सालों के आंकड़े यदि आप देखें तो हमारे यहां 17,524 इंजीनियर्स जो कि विभिन्न संस्थाओं से डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, निकले हैं । हमारे यहां 12 इंजीनियरिंग कालेज खुले हुए हैं । डिप्लोमा होल्डर्स को तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि उनकी संख्या अगणित है और वे बेकार बैठे हैं और यहां विधान सभा के सामने धरना दे रहे हैं । आपने उनकी बेरोजगारी दूर करने की बात कही होती । जबकि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि "अगर हमारे इंजीनियर्स बेकार बैठेंगे तो हमारा प्रदेश समृद्धशाली नहीं होगा ।" आप उनके ही फालोवर हैं और उन्हीं इंजीनियर्स की हालत को बद्तर कर रहे हैं । आज इंजीनियर्स आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए रिक्शा चला रहे हैं, चने बेच रहे हैं कि वह बेचारे एम0 एल0 एज0 के जूतों में पालिश कर रहे हैं, फिर भी विडम्बना यह है कि आप उनके विषय में कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब आप संवेदनशील नहीं रह गए, इसीलिए आपने ऐसे इंजीनियर्स जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके लिए कोई प्राविधान अपने बजट भाषण में नहीं किया है, जिससे वह आज बेकार घूम रहे हैं और यही नहीं इसी प्रकार से जो लोग ग्रेजुएट्स हैं या जो ग्रेजुएट से कम हैं, वह सब आज अपने रोजगार के साधन नहीं जुटा पा रहे हैं और इसी प्रकार से हमारे प्रदेश के अलावा अन्य दूसरे प्रदेशों से भी जो आई0 एम0 एस0 तथा बी0 यू0 एम0 एस0 आदि की डिग्रियां लेकर आते हैं, उनके विषय में भी यह शासन कोई काम नहीं जुटा पा रहा है और ऐसे लोगों को यहां पर किसी भी साक्षात्कार में बैठने की इजाजत नहीं दे रहा है, इस पर ऐसे लोगों ने फिर भारत के प्रधान मंत्री को पत्र लिखे और इस पर एक संसद सदस्य, श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने भी लिखा, जिनकी आज कल चर्चा सुनने को बहुत मिल रही है, उन्होंने भी इस प्रकार के साक्षात्कार में दूसरे प्रदेश के लोगों को सम्मिलित न करने की शिकायत संबंधित चिकित्साधिकारी को लिखी और संबंधित मामला मुझे भी व्यक्तिगत रूप से भेजा और इससे संबंधित प्रार्थी भी मुझसे सामूहिक रूप से मिले । मैं समझता हूं कि उनकी शिकायतें सामान्य रूप से उचित हैं इस पर शासन को विचार करना चाहिए वरना इस मामले में सरकार और इस पार्टी को दोनों को आरोपित होना पड़े कि जो लोग 5-5 सालों तक पढ़कर आए हों और ऐसे लोगों को इस प्रदेश के अंदर कोई नौकरी प्राप्त न हो सके, यह बहुत ही विचारणीय बात है ।

साथ ही मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के अंदर छात्रों की स्थिति क्या हो रही है, इस सम्बन्ध में मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपके बजट के अंदर इन छात्रों के विषय में कोई प्राविधान नहीं किया गया है क्योंकि आज इनके अंदर नशीली पदार्थों के प्रयोग की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इस पर नियंत्रण पाने की कोई बात आपके बजट भाषण में नहीं की गयी है । यह छात्र हमारे कल के भविष्य होंगे, कल को भारतवर्ष की जिम्मेदारी इन्हीं पर आयेगी और अगर यह इसी प्रकार से नशीले पदार्थों का प्रयोग काफी अधिक रूप में करते रहे, तो मैं समझता हूं कि फिर हमारे देश में इस ओर बुरी तरह से गिरावट आयेगी और फिर हमारे यह नव जवान जो आज बिगड़ रहे हैं, उन पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है । इस पर विशेषतौर पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।

कुछ दिन पहले आपने पत्रकारों के विषय में यह कहा कि उनके लिए एक कल्याण कोष बना रहे हैं और इसी प्रकार से आपने यह भी कहा कि हम श्रम-जीवी पत्रकारों के लिए निश्चित रूप से पेन्शन व्यवस्था कर रहे हैं । इस संबंध में हमारा कहना है कि हमारे प्रदेश के अधिकतर लोग इन पत्रकारों की पत्रकारिता के स्तर पर पूरी तरह लोकतंत्र निर्भर करता है, लेकिन आज यह अपनी असुरक्षा महसूस कर रहे हैं ।

मान्यवर मैं अभी कोई तीन दिन पहले बरेली गया था तो आपके कांग्रेस पार्टी के ही विधान परिषद् के सदस्य ने ही, बरेली के एक अखबार "अमर उजाला" के ऊपर हमला बोल दिया, जिसका अंजाम यह निकला कि कई लोग घायल हुए । इस मामले पर हमारी एस0 एस0 पी0 से भी बात हुयी । इस हमले में कई लोग अर्थात 20-25 लोग घायल हुए, परन्तु इस मामले में एक ही व्यक्ति को घायल बताया गया, फतेहपुर, झांसी व जालौन का भी हाल यही है कि कोई इनकी बात को सुन नहीं रहा है । इसलिए हम सब यह चाहते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए यह जरूरी है कि इनके लिए यथाशीघ्र कल्याण-कोष की व्यवस्था की जाए और इसी प्रकार के श्रम-जीवी पत्रकारों को पेंशन अवश्य दें

लेकिन सिद्धान्त रूप में, उनके जीवन और सम्मान के सम्बन्ध में विचार करें, जब तक आप ध्यान नहीं देंगे आप नहीं कह सकेंगे कि लोकतंत्र को सही ओर ले जाने में आपने कोई कदम उठाया है आपने बजट भाषण में कहा है कि हरिजनों के लिए और कमजोर वर्ग के लिये बहुत सुविधायें दी जा रही हैं और आपने उन कमजोर वर्ग के लोगों का जिक्र किया है, जिनकी सेवाओं में आरक्षण पूरा नहीं है और उसके लिये आपने लोकायुक्त की मदद लेने की बात कही है । वर्ष 1986 में 11 हजार से अधिक हरिजन लोग काम कर रहे थे, लेकिन 1986 से 1987 में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कम हुई है । आपने इस विसंगति को दूर करने के लिये अपने बजट भाषण में कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आप उत्तर दें, तो कम से कम इन बिन्दुओं पर अवश्य ही प्रकाश डाल दें । आपका इन जातियों का आरक्षण पूरा नहीं हुआ है, बल्कि घटा है, इसका मुख्य कारण क्या है । इसकी ओर क्या आपने कभी सोचने का प्रयास किया है ?

मैं कहना चाहता हूं कि राज्याधीन सेवाओं में क्लास–1 में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 6 हजार 147 थी और उसमें से अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 455 है, यानी 7.40 प्रतिशत । क्लास–2 के कर्मचारियों की संख्या 29995 है, उसमें से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 2,133 है, जो 7.11 प्रतिशत आता है और क्लास–3 में 4 लाख 56 हजार 144 कर्मचारी हैं जिनमें से 623401 अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं, यानी 13.66 प्रतिशत उनकी संख्या है । आपने उनको 18 प्रतिशत आरक्षण देने का वचन दिया है, लेकिन उनकी हालत प्रदेश में यह है । सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में यह स्थिति और भी बदतर हालत में है । सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कुल कर्मचारियों की संख्या क्लास–1 में 2656 है और उनमें से 56 लोग अनुसूचित जाति के हैं, यह प्रतिशत 2.67 आता है, क्लास–2 में 5879 लोग हैं और उनमें से 161 अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनका प्रतिशत 2.71 है और क्लास–3 में 1 लाख 708 हजार कर्मचारी हैं, जिनमें से 9036 अनुसूचित जाति के हैं और उनका प्रतिशत आता है 8.40 । इस प्रकार से पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण जो है उसके प्रतिशत में कमी आयी है, लेकिन कहीं पर कोई इस बात के लिये प्राविधान बजट में नहीं किया गया है । इनका आरक्षण पूरा करने के लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है, इनके लिये फिक्र नहीं की गयी है । इन लोगों का उत्थान किस प्रकार से किया जा सकता है, कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस कारण से अनुसूचित जाति के लोगों में उत्पीड़न हो रहा है । इस सम्बन्ध में कोई रोक लगाने के लिये कोई विशेष प्राविधान नहीं किया गया है । अनुसूचित जाति के लोगों की हालत दिनों-दिन बिगड़ती जा रही है और लोग अपनी मांग लेकर जगह जगह आन्दोलन कर रहे हैं ।

पिछड़े वर्ग के लोगों के विषय में भी आपने कुछ अपने बजट भाषण में नहीं कहा है, जब कि समाज में इनकी संख्या 54 प्रतिशत है और प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिये सामाजिक विषमता का समाप्त करेंगे और इस बात के लिये कहा है कि उन लोगों को भी नौकरियों में आरक्षण देंगे । राम नरेश जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री थे तो उस समय उन्होंने राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत का आरक्षण किया था, लेकिन वह भी सही माने में कार्यान्वित नहीं हो पाया । तो आपकी सरकार का क्या विचार है । मैं जानना चाहूंगा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिये आप की सरकार की क्या विचारधारा है, इसके बारे में भी जब आप उत्तर दें, तो जरूर स्पष्ट करने की कृपा करें । क्योंकि यह वर्ग एक मुद्दत से अपेक्षित महसूस कर रहा है । इसलिए मैंने आपके बजट भाषण को सुनने के बाद कहा था कि आपकी सरकार पिछड़े वर्गों की विरोधी है, आपकी सरकार अल्पसंख्यकों की विरोधी है । मैं अल्पसंख्यकों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि इनके बारे में आपने अपने भाषण में कोई विचार व्यक्त नहीं किया । इन अल्पसंख्यकों पर जब कहीं पर कोई जुल्म किया जाता है कोई साम्प्रदायिक दंगा होता है तो इनके ऊपर आपकी पुलिस और पी0 ए0 सी0 द्वारा कितना अत्याचार किया जाता है । ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट, इन्टरनेशनल एमेनेस्टी की रिपोर्ट, मेरठ के दंगों की रिपोर्ट प्राप्त हुये एक वर्ष का समय हो गया है, उसमें पुलिस और पी0 ए0 सी0 के लोगों को दोषी पाया गया है किन्तु अभी तक उनके

ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । आपसे पूर्व जब यहां पर माननीय वीर बहादुर जी मुख्य मंत्री थे तो मैंने उनसे भी कहा था कि ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट के आधार पर इन्टरनेशनल एमेनेस्टी की रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी लोग हैं उन अधिकारियों की, आप जांच कर रहे हैं या नहीं । आप प्रदेश सरकार के मुखिया हैं इसलिये आप इन लोगों को क्या सजा दे रहे हैं ताकि दुबारा इस प्रकार के अत्याचारों और जुल्मों की पुनरावृत्ति न हो । मान्यवर, उनके ऊपर इसलिये भी जुल्म ढाये जाते हैं कि उनकी संख्या दिनोंदिन कम होती चली जा रही है । पुलिस और पी0ए0सी0 में ये लोग केवल नाम मात्र के लिये ही रह गये हैं । इसलिये आप गम्भीरता से इस विषय पर विचार करें और उनके आरक्षण के लिये भी आप सोचें । यद्यपि आप उसी तरह से इनके बारे में न सोचें जैसा कि आप अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोगों के विषय में सोचते हैं और उसे पूरा नहीं करते हैं । आपने इन 41 वर्षों के दौरान प्रदेश के अन्दर इन अल्पसंख्यकों के लिये कोई विचार नहीं किया है । इसलिये इस पर आप विचार करें ।

अब मैं चिकित्सा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । आप कल्याणकारी राज्य की बात बहुत कहते हैं । हामी इस बात की भरते हैं कि आप कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे हैं लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में हमें यह भरोसा था कि आप उस वर्ग के लिये, उस गरीब तबके के लिये जिसके लिये आप राहत देने की बात कहते हैं, विचार करेंगे लेकिन अपने भाषण में आपने उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया । इस तरह के जो लोग आज अस्पतालों में भरती हैं उनके लिये मुफ्त दवाई की आपने कोई व्यवस्था नहीं की है । जो बेसहारा लोग हैं, गरीब हैं, दवाई नहीं ले सकते हैं उनको दो साल पहले अस्पतालों में भोजन मिलता था । आज केवल 20 प्रतिशत लोगों को ही भोजन मिल रहा है । बीमार लोगों के लिये अस्पतालों में प्रवेश शुल्क आपने दो रुपये से 5 रुपया कर दिया । हम सोच रहे थे कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना में आप इन गरीबों के लिये अस्पतालों में परीक्षण की मुफ्त सुविधा मुहैय्या करेंगे किन्तु ऐसा नहीं किया गया है । आज स्थिति यह है कि अस्पतालों के लिये दवाओं की व्यवस्था हेतु कम बजट रखा गया है । जो स्थिति है वह 2.3 प्रति एक लाख की आबादी के अस्पतालों की संख्या आ रही है । अस्पतालों की संख्या भी कम है । जो हैं भी उनमें दवाएं नहीं मिल रही हैं । जिला मुख्यालयों पर भी दवायें उपलब्ध नहीं हैं तहसील और ब्लाक स्तर की चिकित्सालयों की तो कोई बात ही नहीं है । जब कोई विशेष आपदा आती है जैसे मस्तिष्क ज्वर है, हैजा है, कालरा फैलता है तो दवाओं के अभाव में बहुतेरे लोग अपनी जिन्दगी खो देते हैं और तब आपका यह संवेदनहीन प्रशासन उनकी मदद के लिये सोचता है । यह आज इस प्रदेश के अन्दर स्वास्थ्य विभाग की हालत है ।

आज परिवार नियोजन पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, उस पर इतनी बड़ी धनराशि खर्च की जाती है बजट का काफी बड़ा हिस्सा परिवार नियोजन की मद में खर्च किया जाता है किन्तु उसकी वास्तविक उपलब्धि नगण्य है । उत्तर प्रदेश के अन्दर ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान के अन्दर परिवार नियोजन के फर्जी आंकड़े दिये जा रहे हैं और जितना ही अधिक जोर आप इस तरफ दे रहे हैं उतना ही प्रदेश की आबादी बढ़ती चली जा रही है । मैंने पिछली बार इस बात के लिये आप से कहा था कि किसी भी

जिले का परीक्षण करा लें इस समय जो नयी प्रक्रिया परिवार नियोजन के लिये निकाली है जिसमें प्राइवेट डाक्टर आपरेशन करने का सार्टीफिकेट बना देता है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी उस पर काउन्टर साइन कर देता है तो यह ठीक नहीं है । जहां तक प्राइवेट डाक्टरों का सवाल है उसका सरकार के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि वह सौ, सवा सौ रुपये लेकर सर्टीफिकेट दे देता है और मुख्य चिकित्साधिकारी साइन कर देता है वह भी उससे अच्छी रकम कमा लेता है । यह मैं अपने जिले की ही बात नहीं कर रहा हूं पूरे प्रदेश में यह स्थिति है जोर जबरदस्ती और फर्जी धोखाधड़ी चल रही है जिसमें सरकारी धन की बर्बादी हो रही है और आपके लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो रही है और प्रदेश की आबादी संतुलित करने की जो बात है वह नहीं हो रही है । इससे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ।

दूसरी बात मैं बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूं । आप केवल 6 सूत्रों पर ही बल दें तो प्रदेश में तरक्की हो सकती है सारे गांव जब तक तरक्की नहीं करेंगे, जब तक वे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक प्रदेश उठा हुआ नहीं कहा जा सकता है । जो 6 सूत्रों की बात मैंने कही वह 6 सूत्र हैं सड़कें, शिक्षा, सिंचाई, सुरक्षा, बिजली, और दवाई अगर इन 6 चीजों पर ही बल दे देते तो देहाती वर्ग की तरक्की हो सकती है । मैं सड़क के विषय में इसलिये कह रहा था कि पिछले साल के बजट को देख लें 88-89 और 87-88 में जितनी सड़के थी उससे 88-89 में आधी रह गयी और इस साल वह सून्य है । आपने कहा है कि कुम्भ के मेले में बड़े बड़े शहरों को आपने जोड़ा है, 50 शहरों में अच्छी सड़कों बनाने की बात कही है लेकिन देहातों में जहां पर खड़ंजे की बात कही है वहां आज एक किलो मीटर सड़क पक्की बनाने की बात नहीं कहीं है । तो इस बजट से ऐसा लगता है कि गांव में 1 किलो मोटर भी पक्की सड़क नहीं होगी । जब तक गांव में आवागमन ठीक नहीं होगा देहात तरक्की नहीं कर सकते ।

अब मैं सुरक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं कि उसमें पुलिस प्रशासन ज्यों-ज्यों अधिक दे रहे हैं त्यों-त्यों अपराध बढ़ रहे हैं प्रदेश में अपराधों का पंजीकरण नहीं हो रहा है । पुलिस उसी तरह से कार्य कर रही है जैसा ब्रिटिश पीरियड में वह करती थी और तब वह हमारी जुबान को बंद करने का काम करती थी और गुलामों की तरह बर्ताव करती थी । आपकी पुलिस आपके नियंत्रण में नहीं है मैं फिर चौधरी साहेब की बात कहूंगा कि बगैर इकबाल और डर के शासन नहीं चलता है । आपकी विद्वता में कमी नहीं हो सकती है लेकिन इकबाल और डर नहीं है तो प्रशासन ठीक नहीं हो सकता वह संवेदनशील जनता के प्रति नहीं हो सकता है । आज जितने अपराधी अपराध कर रहे हैं या गुण्डे कर रहे हैं उससे पुलिस के लोग कम अपराध नहीं कर रहे हैं । लोग हत्यायें करते हैं लेकिन जो रिपोर्ट दर्ज होती है उस पर कार्यवाही नहीं होती है और जब हम मांग करते हैं तो आप भी सख्त हो जाते हैं । और सुनना गंवारा नहीं करते तो जब रक्षक ही भक्षक हो जायेंगे तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है । भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा तो उसका परिणाम यही होगा । जो आपने नयी-नयी तरक्की की बातें बजट में रक्खी हैं जिसके माध्यम से विकास होना चाहिए वह नहीं हो पायेगा ।

इसलिये पुलिस प्रशासन पर अंकुश लगाये बिना आप लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिये आपको पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिये कह रहे हैं। आप पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण करें। मान्यवर, आज रिपोर्ट थानों में नहीं लिखी जा रही है, इसलिये आप निर्देश दें कि हर थाने में अच्छा व्यवहार किया जाये और शिकायतों की रिपोर्ट लिखी जांय। लेकिन हमारा जो मूल अधिकार है शिकायत/एफ0 आई0 आर0 लिखाने का उसका उल्लंघन किया जा रहा है और रिपोर्ट न लिखे जाने से काफी लोगों में असन्तोष व्याप्त है। एफ0 आई0 आर0 न लिखने से अपराधों की संख्या कम दिखाई जाती है जबकि अपराध वास्तव में कम नहीं हुये हैं। हरिजनों पर जुर्म के आंकड़े, महिलाओं पर जुर्म के आंकड़े आपने देखा होगा तो प्रदेश में हरिजनों और महिलाओं पर जुर्म बढ़े हैं। महिला सेल महिला गृह मंत्री जी ने खोल दिया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि विभाग और अधिकारी बढ़ने से जैसा कि कुछ वर्ष पहले एक आई0 जी0 था लेकिन आज सारे प्रदेश में तीन दर्जन आई0 जी0 सारे प्रदेश को कंट्रोल करने के लिये बनाये गये हैं, तो अधिकारियों की संख्या बढ़ा देने से जुर्म पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बल्कि अधिकारियों की भावना ऐसी होनी चाहिए कि बिना लालच और बिना रिश्वत के जनता की भावना को देखते हुए कार्य करना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिये जिन 6 चीजों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं जिनकी हालत बहुत खराब हो रही है उन पर आप ध्यान दें।

मान्यवर, जहां तक हमारे प्रदेश में सिंचाई साधनों का सवाल है, वह सिंचाई क्षमता छठीं योजना के अंत तक 33.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसमें विषमता यह है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर सिंचाई क्षमता 33 प्रतिशत है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 70 से 80 प्रतिशत है। इस तरह सारी क्षमता को जोड़ते हैं तो 50-55 प्रतिशत तक पहुंच जाते हैं और संतोष करते हैं। लेकिन आप बुन्देलखण्ड की परिस्थितियों पर विचार करें तो जैसे पर्वतीय अंचल के लिये अलग से प्राविधान किया है 300 करोड़ रुपये का जो हिमाचल प्रदेश के बजट के बराबर है तो उसी तरह से बुन्देलखंड आज प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है जो पंजाब से ढाई गुना बड़ा है, इसलिये वहां की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुये चूंकि वहां अनेक खनिज मिलते हैं, पानी की परेशानी रहती है, जमीन पथरीली है, इसलिये वहां के विकास पर जो आपने नहीं सोचा है इसलिए मांग करता हूं कि बुन्देलखण्ड के लिए पर्वतीय क्षेत्र की तरह अलग से प्राविधान करें तभी उस क्षेत्र की तरक्की हो सकती है चूंकि उस क्षेत्र में सम्पदाओं की कमी नहीं है किन्तु वहां की हालात खराब है और वह डाकूग्रस्त क्षेत्र है इसलिये जब तक आप पहाड़ों के समान वहां के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक बुन्देलखण्ड पिछड़ा रहेगा। इस तरह से प्रदेश के विकास की दर नहीं बढ़ेगी जैसे कि आपकी बढ़ाने की मंशा है। इसलिये प्रदेश के अंदर यह आवश्यक है कि बुन्देलखण्ड के विषय में आप विशेष रूप से विचार करें।

मान्यवर, मेरा आपसे कहना यह था कि अभी जब मैं बुन्देलखण्ड इलाके में गया था, तो वहां पर यह देखा कि वहां पर कई तरह के पत्थर निकलते हैं, जिनका निर्यात दूसरे देशों को होता है और वहां पर कई हीरे की खानें हैं और कई प्रकार के बहुमूल्य खनिजों

की खानें हैं। लेकिन इस सरकार ने 43 वर्षों में वहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन साधनों से लाभ उठाने का अनुमान भी नहीं लगाया है। उन्होंने आज तक इस पर विचार नहीं किया है। ऊसर सुधार के बारे में, ऊसर भूमि के उपचार की नई विधि की उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि 12 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम इस कार्य पर खर्च करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से उससे कहीं ज्यादा महत्ता बेकार जमीन की है। उसके सही उपयोग की उपयोगिता हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हम उस पर बल दें तो प्रदेश की तरक्की अधिक हो सकती है। ऊसर सुधार पर जितना व्यय कर रहे हैं, उससे उतना प्रदेश को लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार ऊसर सुधार पर ही अधिक बल दे रही है। इसके साथ ही एक बात और है कि जहां पर ऊसर अधिक है, वहां पर न तो उसके केन्द्र खोले जा रहे हैं और न अन्य कोई कार्य हो रहा है। ऊसर सुधार हेतु केन्द्र रायबरेली और सुल्तानपुर में खोले जा रहे हैं। ऊसर का सबसे ज्यादा असर इटावा और उसके आसपास के जिलों में है। उन क्षेत्रों में यदि आप इसे केन्द्रित करते, अपनी मनःस्थिति को लगाते, जहां पर ऊसर केन्द्रित है तो प्रदेश का बड़ा कल्याण और विकास हो सकता था।

इन्होंने व्यापार के बारे में कहा है, हम उसकी तरक्की करना चाहते हैं। आपने बड़े-बड़े उद्योगों को खोलने की बात तो कही, किन्तु उसमें जो लगे थे, जितना धन लगा था, उससे कहीं ज्यादा आपने उद्योग लगा दिए और उसका अंजाम यह हुआ कि हमारे यहां उद्योगों के अन्दर धन की कमी पड़ गयी। उद्योगों की हालत आज यह है। सरकारी उद्योग जितने खोले हैं, सारे में आपका घाटा चल रहा है, जैसे निगमों में चल रहा है और बड़ों उद्योगों के सम्बन्ध में आपकी नीतियां ऐसी लचर हैं कि वह फेल हो रहे हैं। उद्योग बन्धु का गठन हो या व्यापार बन्धु का, लेकिन जब तक आप इनकी कमियों और कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं देंगे, कुछ अधिक होने वाला नहीं है। जो आपको कर्जा देने वाली संस्थाएं हैं, उनके ऋण देने के प्रोसीजर का जब तक आप सरलीकरण नहीं करेंगे, तब तक इन उद्योगों के माध्यम से आप प्रदेश का विकास नहीं कर सकेंगे। गांधी जी कुटीर उद्योग पर और नेहरू जी बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कहा करते थे, किन्तु हमारा कहना यह है कि जो इस सम्बन्ध में गांधी जी की नीति रही, वही प्रदेश और देश के लिए कारगर सिद्ध होगी वामुकाबले बड़े उद्योगों को इसीलिए उन्होंने कुटीर उद्योगों के विकास की बात कही थी, जिससे किसानों को रोजगार मिलेगा। जिस किसान के पास 3 घन्टे से अधिक काम नहीं है। इसलिए यदि वह कुटीर उद्योग में काम करेंगे तो प्रदेश का अधिक विकास होगा।

[समय 4.00 बजे]

चौधरी चरण सिंह जी भी कहा करते थे कि किसी भी देश प्रदेश की तरक्की का पैमाना यह है कि वहां पर खेती का काम करने वाले लोगों की संख्या घटी या बढ़ी है, अगर खेती का काम करने वालों की संख्या बढ़ी है तो वह प्रदेश तरक्की नहीं कर रहा है और जहां खेती पर काम करने वालों की संख्या कम हुई है वहां के प्रदेश की तरक्की हो रही है। मान्यवर, 20 साल पहले अमरीका में 15 फीसदी

लोग खेती पर लगे थे, लेकिन जब खेती पर काम करने वालों की संख्या 5 फीसदी रह गई तो अमरीका ने तरक्की की है। ऐसा इसलिए है कि कृषि पर भार कम नहीं हो रहा है जिससे न तो हमारी खेती की तरक्की हो रही है, न मजदूरों की तरक्की हो रही है, जिसका सपना हमारे महात्मा गांधी जी ने कुटीर उद्योग के माध्यम से देखा था, तो मैं कह रहा था कि आपने बड़े उद्योगों की बात की है छोटे उद्योगों को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है जिससे किसानों को खेतिहर मजदूरों को नयी दिशा मिलती । आप यह कह सकते हैं कि मानव दिवस सृजित किया है और मजदूरों की मजदूरी 13·50 से 18·50 कर दी है, लेकिन इसका लाभ भी उनको मिल पाएगा या नहीं, इसको देखने की जरूरत है। तो जो व्यवस्था है उसको बदलने की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुख्य मंत्री हम हैं या वीरबहादुर सिंह जी हैं। जब तक आप व्यवस्था नहीं बदलते हैं भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाते हैं, तो जिसको आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं उसको यह लाभ नहीं पहुंच पाएगा।

जीरो बजटिंग के बारे में कहना चाहूंगा। इस बार आप जीरो बजटिंग लाए। इस बार केन्द्र सरकार भी जीरो बजटिंग ला रही है । जब आपने जीरो बजटिंग लागू नहीं किया, तो जीरो बजटिंग की तकनीक कैसे लागू हो जाएगी क्योंकि आपने न तो संगठन व्यवस्था बनाई है, न मुद्दों को वरीयता दी है और न मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आपने जीरो बजटिंग के मसले पर बल दिया है, तो जीरो बजटिंग कह देने से आप अपने प्रदेश के घाटे के बजट में मितव्ययता पैदा नहीं कर सकते हैं और न ही घाटे के बजट की पूर्ति कर सकते हैं और न ही उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं आपने जीरो बजटिंग के नाम से बजट भाषण को अलग रख दिया है। एक बात मैं यह कह रहा था कि विधवाओं और वृद्धों की पेंशन की बात कही गई है 15 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि बढ़ा दी जाएगी। यह वर्ग जो है यह बहुत ही निराश्रित वर्ग है जिनका कोई सहारा नहीं है, इनके लिए आपको कोई मापदण्ड तय करना चाहिए था 60 रुपये पेंशन पहले से दी जा रही है इसी को आपने रख दिया, तो मंहगाई को देखते हुए यह पेंशन आपको बढ़ानी चाहिए थी, जो राशि आपने रखी है यह बहुत ही कम है। आप किसी न किसी छोटी बात में ही अपने विरोधी की बात का पालन कर लेते आपका इतना बड़ा बजट है, उसके बाद भी आपने निराश्रित वर्ग के लिए कुछ नहीं किया । मैं खास-तौर से आपसे कहना चाहता हूं कि केवल बजट में प्राविधान करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। आपने दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं के बारे में कहा है कि कानूनी सहायता देंगे, आर्थिक सहायता देंगे लेकिन आपने इसके लिए इतनी कम धनराशि रखी है कि उससे कोई विशेष लाभ महिलाओं को नहीं होगा। इतनी राशि तो वकील की फीस में ही चली जायगी। तो मेरा निवेदन है कि दहेज पीड़ित महिलाओं, विधवाओं के लिए जो प्राविधान किया गया है उस पर आप पुनर्विचार करें और ऐसी व्यवस्था करें कि इसमें कमी नहीं होने पाये।

जहां तक पर्वतीय विकास का सवाल है उसके विषय में आप भली प्रकार से परिचित हैं। केवल 300 करोड़ रुपये का बजट पर्वतीय विकास के लिए दे देने से काम नहीं चलता है। वहां पर जो सम्पदायें उपलब्ध हैं और प्राकृतिक सम्पदा है उसका सही

उपयोग करने की आवश्यकता है। वहां पर जो सेब पैदा होता है उसके लिए शीतगृहों की आवश्यकता है। इसी तरह से कुफरी जो आलू है उसके बीज की एक क्विंटल आपूर्ति भी वहां नहीं की गयी है। वहां पर जो सिंचाई की व्यवस्था है वह बुन्देलखण्ड से भी कम है। सिंचाई के साधनों को वहां पर बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। जब तक आप वहां की कठिनाइयों को देखकर वहां के लिए व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक पर्वतीय विकास होना सम्भव नहीं है।

माननीय रामअौतार दीक्षित जी हमारे पड़ोस के जिले के रहने वाले हैं जिनको पर्वतीय विकास दिया गया है। साल में 6 महीने तक उन्होंने जो पर्वतीय रमणीक स्थल हैं उनको घूमने में लगाये हैं गरीबों की गरीबी दूर करने और पानी की कठिनाई दूर करने की कोई कोशिश नहीं की है।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, जानबूझकर दीक्षित जी को मंत्री बनाया गया है। उनके दांत हैं नहीं, सेबों को नुकसान नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब तो उसका रस भी बनता है, मैनेजर सिंह जी।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं कह रहा था कि पर्वतीय विकास के रास्ते में जो कठिनाइयां हैं उनको देखकर उनको दूर करने के संबंध में विचार करें।

मैं अब खाद्य एवं रसद के बारे में कहना चाहता हूं। मैं यह मानता हूं कि दूकानों की संख्या बढ़ी है। जितनी दुकानें खोली जानी थी उससे ज्यादा दुकानें खोली गयी हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन वस्तुओं की आपूर्ति गरीब किसानों, देहातों के लोगों को होनी थी वह उनको नहीं मिलती है। शक्कर, मिट्टी के तेल के जितने कोटेदार हैं, आपके विभाग में, वह सत्तादल के लोग हैं, वह इन दुकानों पर कुण्डली मार कर बैठे हैं। आपकी वितरण व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है। जितने भी कोटेदार हैं वह सारे के सारे आपके दल के लोग हैं।

*श्री राम औतार दीक्षित–

कोई कोई कोटेदार अगर हमारा हो या हमारा संबंधी हो तो माननीय नेता विरोधी दल बता दें।

श्री सत्यपाल सिंह–

यह दुकानें आपके दल के और इस विभाग के अधिकारियों के कब्जे में हैं जिसका अंजाम हो रहा है कि शक्कर मिट्टी का तेल चावल आदि चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। दुकानों की संख्या जरूर बढ़ी है लेकिन चीजें नहीं मिल रही हैं। मेरा कहना है इस तरफ विशेष ध्यान दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जेलों के बारे में, जेलों के सुधार के बारे में आपने कहा है । जो भी आपने इसमें व्यवस्था की है, बजट भाषण में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि इसमें 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होगा । इस योजना के अन्तर्गत 25 कारागारों में वाच-टावर, सर्च लाइट, मेटल डिटेक्टर, वाकी-टाकी, इण्टरकाम दूरबीन, रायफल और कारतूस का प्राविधान इस वर्ष तथा अगले वर्ष के बजट में कराया जा रहा है और 5 केन्द्रीय कारागारों तथा 5 प्रथम श्रेणी की जिला कारागारों में परिवहन साधनों की सुविधा प्रदान की जा रही है । मेरा आपसे कहना यह है कि आज भी जेल के अन्दर जो बन्दी जन्म कैद काटते हैं या अन्य प्रकार के कैदी जिनको किसी जुर्म में सजा हो जाती है, उनके लिए आप जहां पर कपड़ा देते हैं, तो उनके लिए जाड़ों के दिनों में जूते की व्यवस्था होनी चाहिए । जूते की व्यवस्था होनी चाहिए । जूते की व्यवस्था के लिए आपने आज तक कभी विचार नहीं किया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपसे प्रदेश के ऊपर सबसे ज्यादा वित्तीय भार पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बन्दी लोग हैं, उनके विषय में आपके मंत्री प्रकाश चन्द्र सेठी ने कहा था कि 14 वर्ष तक जिस किसी कैदी ने सपरिहार सजा काट ली है, उसे छोड़ दिया जायेगा । लेकिन आपकी जेल में 14 वर्ष ही नहीं, बल्कि 34-34 वर्ष की सजा बहुत से कैदी लोग काट लिए हैं, लेकिना उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आपके ऊपर वित्तीय भार पड़ रहा है और वे बेचारे वहीं पर मर भी जाते हैं । इन जेलों के अन्दर जिन्होंने 14 वर्ष की सजा काट ली है, उन्हें छोड़ देना चाहिए ।

इसके अलावा जो पेरोल की व्यवस्था है, यह भी बहुत दूषित है। अगर कोई कैदी महीने, दो महीने के लिए किसी बीमार या किसी शादी-विवाह या खेती के काम के लिए पेरोल चाहता है, तो हमारी सरकार आसानी से पेरोल नहीं देती है । मैं खास रूप से चाहता हूं कि इस तरफ सरकार ध्यान दे, ताकि इन बन्दियों के लिए भी वह मानवीय इन्साफ मिल सके, जिस इन्साफ के लिए हर व्यक्ति विचार करता है और सोचता है । इसके बाद मैं सहकारिता विभाग के विषय में कहना चाहता हूं । सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार एवं लूट का पर्याय बन गया है । सहकारिता राज्य मंत्री श्री समरपाल सिंह एवं निबन्धक सहकारिता विनोद मल्होत्रा मिलकर सहकारिता विभाग में लूट का राज्य चला रहे हैं । जब से हमारे समरपाल सिंह जी इस सहकारिता विभाग में आये हैं, उनके जमाने में यह भ्रष्टाचार और लूट और पनप रहा है । मैं चाहता हूं कि इस सहकारिता विभाग के विषय में कुछ खास-खास बातें प्रस्तुत कर दूं ताकि माननीय समरपाल सिंह जी इस पर विचार कर सकें ।

श्री प्रेमपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता विरोधी दल से अब जनता दल के अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह कटौती का प्रस्ताव लेकर भाग गये हैं, उस पर नेता विरोधी दल कुछ नहीं कह रहे हैं । अगला कटौती का प्रस्ताव कौन रखेगा, नेता विरोधी दल या माननीय मुलायम सिंह ?

श्री सत्यपाल सिंह–

आपको बधाई देना चाहिए कि जनता दल के अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह बन गये हैं । आपको माननीय मुलायम सिंह और मुझको दोनों को ही बधाई देना चाहिए ।

उत्तर प्रदेश के सहकारी आन्दोलन के सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी एवं पूरे सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार एवं लूट के लिए कुख्यात अपर निबन्धक बी0 एस0 सक्सेना को जो भ्रष्टाचार के आरोपों में उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता संघ के प्रबन्ध निदेशक पद से हटाया गया था, उसे विनोद मल्होत्रा एवं समरपाल सिंह जी ने मिल कर लम्बी आर्थिक सौदेबाजी करके उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक जैसी महत्वपूर्ण संस्था का प्रबन्ध निदेशक इसी माह फरवरी में बना दिया है। जिनको हटाया गया था उन्हीं महोदय को कोआपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और साथ-साथ में उन्होंने यहां पर बहुत सा धन पैदा करके आलीशान कोठी जो लखनऊ जैसे जिले में एक ही दो होंगी, आपके द्वारा संरक्षण प्रदान करने के आधार पर बनवा रहे हैं ।

इसी तरह से उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन के सहकारिता भवन में मान्यवर, एक एयरकंडीशनर लगना था और उसमें रजिस्ट्रार कोआपरेटिव डी0 के0 मित्तल ने वोल्टाज का एयरकंडीशनर खरीदने का आदेश दिया था, लेकिन मंत्री जी ने यह एयरकंडीशनर खरीदवाये इस वोल्टाज कम्पनी के बजाय एक साधारण कम्पनी से, जिसको कोई कम्पनी बना नहीं रही है तो इन्होंने उस वोल्टाज के बजाय एक साधारण कम्पनी से एयरकंडीशनर खरीदवाया है और जिसके बारे में यह हुआ है कि काफी मात्रा में इसका कमीशन लिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें केवल एक आरोप ऐसा है जोकि सहकारिता विभाग के अन्दर लगाया गया है जिसमें विभिन्न अधिकारियों की स्थिति को माननीय मंत्री जी विशेष करके आपकी कृपा बतायी जा रही है और आपकी कृपा से ही इन अधिकारियों को यह भ्रष्टाचार को करने का मौका मिल रहा है। मैं इसको लिखित रूप से आपके पास भिजवा दूंगा । मैं चाहूंगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने को नियंत्रित करने की कृपा करें नहीं तो सहकारिता विभाग में कोई विकास होने वाला नहीं है । सहकारिता विभाग में जो लूट मची हुई है, उसको आप देखें ।

मान्यवर, इन्होंने कहा कि होमगार्ड को विशेष रूप से सुविधा दी जा रही है। होमगार्ड समाज का एक मुख्य अंग है क्योंकि पुलिस कर्मियों की कमी है । प्रति 10 हजार के ऊपर आपके 14 पुलिस कर्मचारी हैं। पुलिस की संख्या कम है और समाज के अन्दर अनेकानेक प्रकार की कठिनाइयां हैं जिसके लिए होमगार्ड का रहना जरूरी है लेकिन मान्यवर, होमगार्ड को वेतन नहीं मिल रहा है। जो बेचारे दैनिक वेतन पाते हैं, जिनको नौकरी की, रोजी-रोटी की कोई गारण्टी नहीं है और वह लोग जो दैनिक वेतन का काम कर रहे हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है । इस प्रदेश के अन्दर आपके होमगार्ड की हालत दिनोंदिन गिरती जा रही है । इसलिए मेरा कहना है कि जो वर्ष 1989-90 का बजट जो माननीय तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है, मुख्य मंत्री जी ने इसमें कुछ आंकड़ों का भ्रमजाल दिखाया है, कुछ

सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मोटे तौर पर छात्रों की फीस माफ करने, अपनी वाहवाही लूटने के लिए क्योंकि अब चुनाव वर्ष है, 89-90 जिसमें पार्लियामेन्ट के चुनाव हैं, उस चुनाव को जीतने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आपका बजट उसमें सहयोगी नहीं होगा। आपने अपनी सरकार के द्वारा भले ही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न और साम्प्रदायिक दुर्भावना ही पैदा किया है यही आपकी मिसाल है। यह बजट आपको नयी जिन्दगी देने वाला नहीं है। इसके साथ ही, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में विरोधी दलों के नेताओं तथा मंत्रियों को 20 मिनट और सभी माननीय सदस्यों के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, आभारी हूं। सम्मानित नेता विरोधी दल ने जो कुछ भी कहा उसका उत्तर 10 मिनट में दे सकूंगी, यह जरा मुश्किल हो जायेगा। एक बात मैं जरूर कहूंगी कि नेता विरोधी दल ने मेहनत बड़ी करी है। बहुत मेहनत की और बड़ी मेहनत से उन्होंने बजट में से कुछ ऐसी चीजें निकालने की असफल कोशिश की, सफल नहीं असफल कोशिशें की और कुछ बुनियादी बुराइयां बता सके। लेकिन वह गलती-गलती में क्या कह गये, शायद समझ नहीं पाये। उन्हें अच्छा लगा यह बजट और समझे कि कुछ काम की बातें हैं तो संज्ञा दे दी कि चुनावी बजट है। इसकी पृष्ठभूमि में मान्यवर, वही है कि इसमें लोग मान गये हैं कि यह कल्याणकारी है और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का बजट है, इसीलिये चुनावी बजट की संज्ञा दे दी। मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि लोकतांत्रिक ढांचे के स्वरूप को साकार करने के लिए उन्होंने जो एक साहसिक कदम चुनाव का उठाया और सफलतापूर्वक उसको सम्पन्न किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने पंचायती राज की स्थापना का एक स्वरूप बनाया, इससे निश्चय ही आज की वर्तमान सरकार के जो कार्यक्रम हैं, वह नीचे के गांवों और गांव के पुरवों तक पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

मान्यवर, यह जो इस समय बजट पर चर्चा हो रही है, उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि गत वर्ष जो सूखा पड़ा और उसमें वर्तमान सरकार ने जो चुनौती स्वीकार की और उसके मुकाबले में सफल हुई। आज जो फसल बहुत अच्छी हुई है, उसमें दैवी शक्ति से तो मदद मिली ही, वहीं वर्तमान सरकार के कार्यक्रम भी उस फसल को अच्छी बनाने में काफी कामयाब हुए, इसके लिये भी बधाई देना चाहूंगी। मान्यवर, मा0 नेता विरोधी दल का भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना तो उनका ज्यादातर समय तो निगम, निगम, निगम को ही लेकर कई बार उन्होंने कहा। उसके आंकड़े भी उन्होंने बताये और बुराइयां भी बतायीं। इसी में काफी समय ले लिया और दूसरी बात मान्यवर, यह जो बात कहना चाहते हैं तो पन्ने उसी तरह से बड़े

होंगे जैसे नेता विरोधी दल ने बहुत बड़ी बात कही है । ये यहां पर मोटी फाइल लेकर आये हैं। अगर वह फाइल मोटी नहीं होती तो इतना ज्यादा नहीं कह सकते थे । मान्यवर, इस सरकार ने कुछ काम करने के लिए इस सदन के सामने और इस सदन के माध्यम से प्रदेश के सामने जो अपने कार्यक्रम रखे हैं, वे दो तीन पन्नों में नहीं होंगे, इसीलिये उनका भाषण भी कुछ ज्यादा हो गया । इसलिये आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम करने जा रही है, मान्यवर, मुझे खुशी है, इस बात की कि उन्होंने, वर्तमान सरकार ने जो भी कार्यक्रम लिये हैं, उनको पूरा करने के लिये लिये हैं । केवल कागजी काम नहीं है, कार्यक्रम पूरे होंगे । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि नेता, विरोधी दल ने हर जगह इस चीज को तो देखा कि यह कमी है, किन्तु यह कहते-कहते वे कोई कमी बता नहीं पाये । उन्होंने अलग-अलग आंकड़ों द्वारा इसके बारे में बताने की कोशिश की कि ये कमियां हैं, लेकिन अब मैं इस भाषण के कुछ पन्नों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। इसका पेज 8 आप देखें इसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989-90 से प्रति जोड़ा जनता धोती/साड़ी पर बुनकरों की मजदूरी 12 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है । यही नहीं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी 13.50 रुपये को बढ़ाकर 18.00 रुपये करने का भी राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। गरीबों की हेल्प के लिए और कौन सा ऐसा कार्यक्रम हो सकता है जो कि किया जा सकता है ?

समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु बीमा योजना प्रदेश सरकार द्वारा निर्बल वर्ग जैसे खेतिहर मजदूरों, रिक्शा चालकों, आटो रिक्शा चलाने वाले, हथकरघा बुनकर, निजी ड्राइवरों इक्के तांगे वालों, दस्तकारों, वन विभाग के श्रमिकों आदि के लिए भी कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजना क्रियान्वित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है । इसके फलस्वरूप लगभग एक लाख अतिरिक्त व्यक्ति लाभान्वित हो सकेंगे । मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने चौधरी साहब के जमाने की बात कही, योजनायें बतायीं । वे हमारे बीच में नहीं हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। उस वक्त में जब गांव की औरतें, मजदूर औरतें जो काम कर रही थी पहले से, जैसे ही मान्यवर, एक शासन आया, एक कलम से सारी औरतों की रोजी खत्म करके किनारे लाकर बेरोजगारी की कगार पर खड़ा कर दिया गया । उन्होंने तमाम तरह के आन्दोलन किये, लेकिन उनकी एक बात नहीं सुनी गयी । विधवाओं और वृद्धों के लिये एक बात कहना चाहूंगी । वृद्धों की योजनायें और विधवाओं की योजनायें अलग-अलग हैं। यह जो 15 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि दी गयी है उससे काफी अधिक संख्या में विधवाओं को लाभान्वित करेंगे । मैं कहना चाहती हूं कि इसमें थोड़े से ज्यादा पैसे की जरूरत है। मान्यवर, हम माननीय नेता विरोधी दल की अच्छी बात का समर्थन करने के लिये मजबूर हैं, मैं इसीलिये उनसे कहना चाहती हूं कि अच्छी बात कहा करें, अच्छी बात कहने से बहुत बड़ा हौसला पैदा होता है, उसे आगे बढ़ाने का । विधवाओं की जो बात उन्होंने कही,

उस मद में धन बढ़ाने की बात कही, अच्छी बात है, मैं भी उनकी इस बात के साथ हूं, इन बातों को बढ़ाने की कोशिश करें, इस मद में धन बढ़े । आवास एक समस्या थी, चाहे गांव में हो चाहे शहरों में, और खासतौर से उन लोगों के लिये जिनकी जेब में धन है ही नहीं, जिनको रहना है। मैं बधाई देना चाहती हूं कि इस दिशा में काम हुआ है, आवासीय योजनाओं में सफलता मिली है। मान्यवर, इस सदन में सभी अनुभवी सदस्य हैं, मैं अपने को सबसे अनुभवहीन मानती हूं । लेकिन दिखायी देता है कि बढ़ते हुए समाज में बढ़ती हुई जनसंख्या में . . .

(श्री भगवान दीन कुशवाहा के खड़े होने पर)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, आप इनसे कहें बैठ जायं । मान्यवर, जब माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे तब हम लोग बड़ी शांति से सुन रहे थे और सुनना अच्छी चीज होती है।

श्री राम अवतार दीक्षित–

एक महिला बोल रही हैं, सुनिये ।

श्री प्रेमवती तिवारी–

महिला नहीं एक विधायक बोल रही हैं, जब विधायक बोलती है, तो महिला उसका एक पक्ष होता है । माननीय नेता विरोधी दल की बात अच्छी लगे या अच्छी न लगे लेकिन बड़े धैर्य से उनकी बात सुनी । महिला मान लीजिये, सुन लीजिये आपकी बड़ी कृपा होगी कम से कम बात तो वहां तक पहुंच जाय, लेकिन नहीं सुनने के लिये तैयार हैं । शिक्षा की बात कही गयी, पहले कहते थे कि भवन नहीं हैं जब भवन बनने शुरू हो गये तो अब कहते हैं कि भवन बनाने से होता क्या है उससे फायदा नहीं है । मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है वह मैं सदन में सुनाना चाहती हूं। एक बाप बेटे थे और एक टट्टू था । जब तीनों जने चले तो आगे रास्ते में लोगों ने कहा कि बड़े बेवकूफ हैं टट्टू साथ-साथ चल रहा है और दोनों जनें पैदल चल रहे हैं । दोनों ने सोचा कि एक बैठ जाय । बेटे को टट्टू पर बिठा दिया और बाप पैदल चलने लगा । आगे चले तो कहा गया कि बेटा बड़ा बेकार है बाप तो पैदल चल रहा है और बेटा बैठा है ऊपर । बेटा उतर आया और बाप टट्टू के ऊपर बैठ गया । आगे चले तो लोगों ने कहा कि बाप बड़ा निर्दयी है बेटा पैदल चल रहा है और बाप ऊपर बैठे हुए हैं । तो दोनों नीचे चले, तब लोगों ने कहा कि दोनों बेवकूफ हैं, और टट्टू तो बेकार लिये हैं और दोनों पैदल चल रहे हैं । आज यही हाल इनका है, चाहो जो भी बजट रखा जाय, चाहे जितना कल्याण हो, यह अपनी ही बात कहेंगे । आज कल्याण हो रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हमारा जो विपक्षी दल है, वह भी पीछे नहीं है, वह भी आगे बढ़ रहे हैं । मंहगाई बढ़ रही है, यह बात सही है लेकिन यह प्रगतिशील देश की एक निशानी है । आप चाहे कहीं भी देख लीजिये । आप विश्व के मंच पर भारत देश

को देख लीजिये और देश के मंच पर उत्तर प्रदेश को देखिये, निरन्तर विकास हो रहा है। मंहगाई बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ आवश्यकतायें भी बढ़ रही हैं। शहर का भाव क्या है, आज यह बात एक किसान को मालूम होती है, जब एक किसान खेत में काम करता है, तो वह ट्रांजिस्टर रखकर भाव भी जानता है, यह बीच वाले उसका गुमराह नहीं कर सकते। अब आपने आंख लाल दिखा दी है, उससे मुझे डरना तो पड़ेगा ही, अगर थोड़ा समय और दे देते, तो अच्छा था।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट में अपनी बात कहें।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, आपने एक मिनट दिया, मैं उसी में अपनी बात कहूंगी। मान्यवर, पत्रकारों के कल्याण तथा उनके परिवारों हेतु इस बार 1990 में पत्रकार कल्याण कोष के लिये धनराशि की व्यवस्था भी की जा रही है और केन्द्र सरकार के तत्संबंधी समिति की रिपोर्ट पर श्रमजीवी पत्रकारों हेतु इस वर्ष व्यवस्था किये जाने की संभावनायें हैं। एक चीज मैं और आपको बताऊं। बेरोजगारी के संबंध में कहा गया, इसके संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि नौकरियों के माध्यम से कभी भी बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती, यह मेरा तजुर्बा है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने बहुत से ऐसे कार्यक्रम बनाये हैं, जिससे काम करने वालों को काम करने को मिले, वैसे काम करने वालों के लिये कामों की कमी है ही नहीं। आजकल मैं बुनकरों की सेवक हूं और उनके बीच में काम कर रही हूं। परसों मैं गोरखपुर गयी। बुनकर जो डिफाल्टर हैं, वह आर0 बी0 आई0 के तो हो सकते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कार्यक्रम रखा कि जो डिफाल्टर हैं वह आर0 बी0 आई0 के डिफाल्टर तो हो सकते हैं, लेकिन जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनके सूद की मार से वह मरते हैं, उस सूद से बचाकर और मजदूरों की उचित मजदूरी देकर हम उनका उत्थान करना चाहते हैं। इस सरकार ने तमाम कल्याणकारी योजनायें बनायी हैं। हमें विश्वास है कि वर्तमान सरकार, नारायण दत्त तिवारी की सरकार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ायेगी, जिससे यहां की जनता आगे बढ़ेगी, किसान आगे बढ़ेंगे, मजदूर आगे बढ़ेंगे, महिलायें आगे बढ़ेंगी, अल्पसंख्यक आगे बढ़ेंगे और मान्यवर, आप भी पीछे नहीं रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करती हूं।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट अभिभाषण और माननीय नेता विरोधी दल ने जो सभी साक्षात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, उस पर श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, बजट को 3 दृष्टियों से देखना होगा। एक तो बेरोजगारी, गरीबी, मंहगाई, भुखमरी और दूसरी दृष्टि यह कि किन-किन लोगों को झोली में क्या-क्या बजट देने वाला है और तीसरा श्रीमन्, देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की प्रगति के चरणों को यह बजट कितना पूरा करता है, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप कल बोलियेगा, मैं आपको कल सुनूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम-51 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 21-2-89 को नियम-51 के अंतर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुयीं। इसमें से पहली सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की, दूसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, तीसरी श्री नरेन्द्र सिंह की, चौथी श्री सूर्य प्रताप शाही व कुंवर मानवेन्द्र सिंह की, पांचवी श्री सरदार सिंह की, तथा छठी श्री रघुवर दयाल वर्मा की है।

इसमें श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचना, जो देशी शराब के ठेकेदारों द्वारा आबकारी अधिकारियों के माध्यम से पांच लाख लीटर अल्कोहल निकलवाकर बाराबंकी, फैजाबाद तथा आजमगढ़ जनपदों में भेजकर उसे शराब में परिवर्तित करके बेचने से थोड़ी सी भी असावधानी से शराब के जहरीली और जानलेवा होने से उत्पन्न खतरे की स्थिति के संबंध में है, को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है।

बुलन्दशहर के ग्राम साखनी में 11 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता-

वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

*गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)-

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1-2-89 को मृतक स्व0 श्रीमती फरमूदन बेगम के शव को दफनाने के पश्चात् शव के साथ गये हुये लोग जैसे ही वापस चलने को थे कि ग्राम साखनी के कतिपय व्यक्तियों द्वारा उन्हें घेर लिया गया और मौके पर उपस्थित पुलिस जनों के समझाने बुझाने के उपरान्त भी उन पर फायरिंग शुरू कर दी गयी। मौके पर उपस्थित पुलिस बल ने भी जनसुरक्षा व आत्मरक्षार्थ फायर किये तथा मौके पर हमलावरों में से 4 को बन्दी बना लिया गया। इस घटना में शव के साथ आये हुए लोगों में से 9 व्यक्ति मौके पर मारे गये तथा 3 घायल हुए। हमलावरों में एक व्यक्ति तथा मौके पर उपस्थित पुलिस बल का भी एक कान्स्टेबिल घायल हुआ। शव के साथ आये हुये लोगों में एक घायल तथा हमलावरों की ओर से घायल उक्त व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो गयी। इस घटना के सम्बन्ध में शव के साथ आये हुये व्यक्तियों की ओर से थाना जहांगीराबाद पर ग्राम साखनी के 22 व्यक्तियों के विरुद्ध भा0 दं0वि0 की धारा 147/148/149/307/302 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। भागे हुये व्यक्तियों में से अब तक 9 को बन्दी बनाया जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों की संख्या 13 हो गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित एक अभियुक्त जो घायल हुआ था, की मृत्यु हो चुकी है। जांच के दौरान यह नरसंहार ग्राम साखनी के मौजूदा ग्राम प्रधान शमशुल कमर व उनके पक्ष के लोगों द्वारा पूर्व रंजिश के कारण किया जाना प्रकाश में आया है।

जहां तक क्षेत्रीय पुलिस की निजी शत्रुता के कारण इस खूनी काण्ड की पूर्व आशंका होने के बाद भी कोई एहतियाती कदम न उठाये जाने की बात है, सही प्रतीत नहीं

नोट:-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होती है क्योंकि वादी के प्रार्थना-पत्र पर शव के साथ पुलिस फोर्स की उचित व्यवस्था की गयी थी। घटना की मजिस्टीरियल जांच के भी आदेश दे दिये गये हैं।

जहां तक जनपद मेरठ में घटित घटनाओं का प्रश्न है, उनके सम्बन्ध में भी अभियोग दर्ज हैं तथा सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अथक प्रयास किये जा रहे हैं। अब तक की जांच से यह घटनायें भी आपसी रंजिश के कारण घटित होना प्रतीत हुई हैं।

जहां तक जनजीवन को सुरक्षित रखने में पुलिस के पूरी तरह से विफल होने, शान्ति एवं व्यवस्था के लिए भीषण संकट उत्पन्न होने का कथन है, वह सही नहीं है, क्योंकि उक्त सभी घटनायें व्यक्तिगत रंजिश के कारण घटित हुई हैं। उक्त घटनाओं की जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, उनके द्वारा कार्यवाही अमल में लायी गयी। जहां तक इस क्षेत्र में जनता में आतंक व दहशत का वातावरण व्याप्त होने की बात है, ऐतिहातिक तौर पर समुचित पुलिस व्यवस्था कर दी गयी और इस प्रकार की अब कोई बात नहीं है।]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जो गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनको गिरफ्तार करने के लिए सरकार क्या कर रही है? दूसरा, अभियुक्तों के पास से पुलिस ने क्या-क्या सामान बरामद किया है और उनकी एफ0आई0आर0 लिखी गई है कि नहीं?

*गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमां)–

इसमें अभी तक 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनमें से कई लोगों के पास से कुछ सामान बरामद हुआ है और उन पर अलग-अलग कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि जो गिरफ्तार नहीं हो सके हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है और जो अभियुक्तों के घर से सामान बरामद हुआ है, वह क्या-क्या और कितनी मात्रा में है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, 82/83 की कार्यवाही की गई। 8 लोग फरार हैं। श्री कमरुल के घर से 9 अदद देशी बम व 10 अदद नील गाय की खाल, वहीद के घर से 1 अदद हैण्ड ग्रिनेड व 81 अदद खोखा कारतूस 12 बोर, श्री मुजफ्फर हुसैन के घर से 4 अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा बरामद हुए। माहिर के कब्जे से ग्राम दरियापुर के मोहम्मद नाजिम का बन्दूक बरामद हुआ जिसे अभियुक्त कब्रिस्तान से उठा ले गये थे। मोहम्मद इब्राहिम के खेत में पड़े पूलों से एक लावारिस बन्दूक बरामद हुई जो ग्राम दरियापुर के मोहम्मद नाजिम की थी, जिसे अभियुक्त पक्ष कब्रिस्तान से उठा ले गये थे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, व्यक्तिगत रंजिश के आधार पर जो इतनी बड़ी घटना बताई गई है, क्या इसके पूर्व भी इस प्रकार की लड़ाई दोनों पक्षों के बीच हुई थी और उसमें किसी

नोट :––[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की मृत्यु हुई थी। उनके प्रार्थना पत्र को गम्भीरता को देखते हुए कितनी पुलिस की व्यवस्था की गयी थी?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, मुद्दई ने इतना चाहा था कि हमें थोड़ी सी संरक्षण की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता–

क्या थोड़ा सा लिखा है?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, एक थानेदार और 2 सिपाहियों की व्यवस्था की गई थी। मैंने खुद भी बात की थी, उनसे। पुलिस की जो व्यवस्था वहां पर की गई थी, वह उससे संतुष्ट थे।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जानते हुए कि पहले भी घटनायें हो चुकी हैं और दोनों पक्षों में रन्जिश थी, क्या आपके पास ऐसा कोई पत्र है जिसमें मृतक पक्ष की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में लिखा गया था? दूसरी बात, इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कौन-कौन से पुलिस कर्मी इस सुरक्षा की दृष्टि से नियुक्त किये गये थे? वे मौके पर उपस्थित थे या नहीं?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को इसके अतिरिक्त भी जानकारी देना चाहूंगी। दिनांक 30-3-81 को मिर्जा बदर की हत्या कर दी गयी थी। उसमें 12 व्यक्तियों को आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया था। इसका मतलब पहले भी रंजिश चल रही थी। इसमें जिन लोगों की ड्यूटी लगायी गयी थी एस0 एस0 आई0 सन्दीप सिंह और कांस्टेबिल...

(घोर व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

यह तो पूरी कथा कह रही हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जो चीज आपने पूछी वही बात बता रही हूं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, एक का भी जवाब नहीं मिला।

श्री देव कुमार यादव–

यह प्रदेश की इतनी बड़ी सामाजिक दुर्घटना है कि लोगों के दिलों में यह भावना है कि जिसकी कमी से हुआ, शासन देखेगा। एक कल्याणकारी लोक राज्य के तहत क्या सरकार ने मृतकों के परिवारों को कोई सरकारी सहायता दी है? अगर नहीं, तो क्या कुछ देने का विचार कर रही है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

इसमें दो राय नहीं है कि बड़ी गम्भीर और दुखद घटना हुई। साथ ही साथ आपने कहा कि क्या सहायता उपलब्ध करायी गयी, तो मृतकों की विधवाओं को पेन्शन देना, मृतकों के भूमिहीन परिवारों को सभा से ढाई एकड़ प्रत्येक परिवार की दर से जमीन देना....

(घोर व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

यह तो पूरी कथा पढ़ रही हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

सुन लीजिये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मेरी छोटी बुद्धि में यही समझ में आया कि वाद सहायता देने की बात पूछ रहे हैं। प्रभावित परिवार के पढ़े-लिखे युवकों को रोजगार और वादी पक्ष के इच्छुक लोगों को असलहे के लाइसेंस देने के सम्बन्ध में भी सहायता दी गयी है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जैसा आपने लिखित उत्तर में स्वीकार किया है कि धोर पार्टी बन्दी और रंजिश के कारण हत्या हुई। आपने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वे लोग दिल्ली में रहते थे। उन्होंने दिल्ली से सरकार से प्रार्थना की कि वे अपनी मां के दाह संस्कार के लिए गांव जाना चाहते हैं, चूंकि उनकी जान को खतरा खतरा है, अतः संरक्षण प्रदान किया जाय। इतना अच्छा प्रबन्ध हुआ कि एक आदमी की मृत्यु हो गयी। इसका उत्तर जानना चाहता हूं कि सरकार इस सुरक्षा व्यवस्था के प्रति कितनी सतर्क और सचेत थी? जो दोषी थे उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री अधिष्ठाता–

गृह मंत्री जी, माननीय हरीश जी की सूचना भी अनुत्तरित रह गयी है, इसको भी आप मा0 रघुवर दयाल वर्मा जी की सूचना के साथ जोड़ कर साथ ही साथ दोनों का उत्तर दे दें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, इतना तो मैं अवश्य कहती हूं कि पहली तारीख को सबेरे बस से लाश लायी गयी दफनाने के लिए और उसके साथ ही उन लोगों ने एक पत्र दिया था कि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय। अब जो प्रबन्ध किया गया, हो सकता है वह कम रहा हो, जैसा कि माननीय राज्य मंत्री जी से उन लोगों की बातचीत हुई, पता लगा कि वे लोग इस प्रबन्ध से सन्तुष्ट थे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपा करके बैठें, पहले जवाब तो सुन लें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मैं आप सब लोगों की भावना का आदर करती हूं और मैं स्वयं ही कह रही हूं यदि ज्यादा पुलिस का प्रबन्ध होता तो शायद यह चीज न होती। जब लोग वहां गये और दूसरी पार्टी से उनका तनाव था तो इसको देखते हुए शायद पुलिस की संख्या कम थी। जो भी इसके लिए दोषी पाया जायेगा उसे बख्शा नहीं जायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि अगर वहां पर पुलिस की व्यवस्था

पूरी होती तो मौत न होती। तो जिस अधिकारी ने इसमें ढिलाई बरती तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में आपको कठिनाई क्या है?

श्री अधिष्ठाता–

जांच हो रही है, जो दोषी पाया जायेगा तभी तो कार्यवाही होगी, कदाचित इनका तात्पर्य यही है। माननीया गृह मंत्री जी, कृपया क्या आप यह बताएंगी कि जिस अधिकारी ने इसमें कोताही बर्ती और पूरा पुलिस फोर्स नहीं दिया जितना कि देना चाहिए था, इस संबंध में क्या आप कोई जांच करा रही हैं?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, मैंने अभी बतलाया है कि मजिस्टीरियल जांच चल रही है। मैं पुनः कहती हूं कि दोषी पाया जाने वाला कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जो भी हो, जिसने यह लापरवाही की है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

*श्री भगवानदीन कुशवाहा–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी कह रही हैं कि "दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जायेगा।" तो यह भाषा तो [xx] की थी, क्या अभी भी [xx] का कोटा चल रहा है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस संबंध में फरार मुलजिमों की गिरफ्तारी कब तक की जायेगी?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, जो लोग गिरफ्तार होने से शेष हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र, हर सम्भव गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जा रही है। थानेदार के खिलाफ कार्यवाही कर दी गयी है, उसका स्थानान्तरण कर दिया गया है और उसके प्रति विभागीय कार्यवाही भी हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीया गृह मंत्री जी, माननीय कुशवाहा जी का प्रश्न यह है कि जो लोग फरार हैं उनके विरुद्ध क्या आप विधिक कार्यवाही कर रही हैं? यद्यपि आपने बतलाया कि 82-83 की कार्यवाही की जा रही है, लेकिन शायद उनकी समझ में नहीं आया है, इसलिए आप इसको एक बार फिर कह दीजिये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मैंने तो पहले ही कह दिया कि जो लोग फरार हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर इस सदन में सामूहिक उत्तर दिए जाने की जो परम्परा है कि कभी-कभी कोई मंत्री किसी अन्य मंत्री का जवाब दे देते हैं, अगर आज भी यही परम्परा को अपनाते हुए इस प्रश्न के उत्तर में, बजाए माननीय गृह मंत्री या गृह राज्य मंत्री के जवाब देने के माननीय श्रम मंत्री जी दिए होते तो मैं समझता हूं कि बात ज्यादा स्पष्ट होती।

मान्यवर इस सम्बन्ध में मेरी निश्चित जानकारी है कि जो बेचारे इसमें मारे गये, वह भी माननीय श्रम मंत्री जी के घर गये मार खाने के बाद और जिन लोगों ने मारा वह

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी गये, मारने के बाद । मान्यवर, यह मेरी निश्चित जानकारी है, इस मामले की पूरी जानकारी मा0 श्रम मंत्री जी को है, वह रात के घोर अंधेरे में वहां पहुंचे हैं वहां पर जाने के बाद इनकी किसी से कोई बात-चीत नहीं हुयी क्योंकि इस मामले को लेकर वहां पर काफी दहशत भरा माहौल था, और मान्यवर, यही नहीं इस मामले की इस होने वाली घटना की पूरी जानकारी वहां की पुलिस को प्राप्त हो चुकी थी कि इन दोनों गुटों की पुरानी रंजिश है और जब वह दफनाने के लिए शव आया क्योंकि उनके अपने परिवार वालों की यह परम्परा रही है कि जो भी कहीं पर भी मरेगा परन्तु दफनाया वह उसी गांव में जायेगा, जहां वह लोग पुस्तैनी तौर पर रहते हैं, तो इस प्रकार से इस सारी स्थिति की सूचना वहां की स्थानीय पुलिस को थी और वह दोनों गुट मा0 श्रम मंत्री जी के यहां गये हुए थे, माननीय मंत्री जी ने इस पर पुलिस को चिट्ठी भी लिखी, उसी चिट्ठी पर एक दरोगा और सिपाही भेजा गया, इस सम्बन्ध में मैं यह माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पुलिस के लोग गये क्या उनके पास अपनी बंदूक नहीं थी कि जब वह पुरानी रंजिश के कारण दोनों गुट टकराए तो इन्होंने क्या कार्यवाही की, मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि इनके पास सब चीजें मौजूद थीं, लेकिन पुलिस प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से यह मामला यहां तक पहुंच गया ।

दूसरा प्रश्न मैं इस सम्बन्ध में यह करना चाहता हूं कि स्थानीय पुलिस को जब यह अंदाजा हो गया था कि मामला ज्यादा बढ़ जायेगा तो अन्य फोर्स को क्यों नहीं बुलाया और उन्ही दो आदमियों को ही क्यों पर्याप्त समझा गया । मान्यवर, इस बात का फैसला और इस बात पर टिप्पणी माननीय मंत्री जी क्या देंगे और शासन क्या देगा इसका फैसला तो स्वयं जनता करेगी । इस पर टिप्पणी तो स्वयं जनता करेगी कि किसके निकम्मेपन से यह सारी घटना वजूद में आयी है । यदि समय रहते प्रशासन चुस्ती से समस्त कार्यवाही कर लेता तो मैं समझता हूं कि बात यहां तक नहीं पहुंचती ।

श्री अध्यक्षता–

आप प्रश्न करें, इस तरह की बात नहीं, केवल प्रश्न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर मेरा प्रश्न यही है कि जो दरोगा और सिपाही वहां पर गये हुए थे, क्या उनके पास बंदूकें थी या नहीं, यह प्रश्न माननीय हरीश जी ने किया था, जिसका जवाब अब तक नहीं आ सका और इस काण्ड में रवी नाम का एक आदमी था मारा गया है, क्या वह आदमी उस समय घटना स्थल पर उसी खेत पर मौजूद था या वह कहीं अन्यत्र शौच के लिए गया हुआ था ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, माननीय सदस्य की बात को गम्भीरता से लेते हुए और घटित घटना की स्थिति को देखते हुए मैं स्वयं यह कह रही हूं कि जब उनके शव को दफनाया जा रहा था, अगर वहां पर पर्याप्त पुलिस दल पहुंच गया होता या उनके दो के अलावा अतिरिक्त फोर्स पहुंच गयी होती तो शायद यह घटना इतना अधिक गम्भीर रूप धारण न करती । फिर जब स्थानीय पुलिस को पता जब चला और अतिरिक्त फोर्स वहां पर पहुंची है तो यह सारी घटना घट चुकी थी, वैसे फोर्स की कमी की जो बात है, उसे मैं मानती हूं मान्यवर, मैं मानती हूं कि पुलिस की फोर्स की कमी रही होगी। लेकिन मजिस्टीरियल

जांच हो रही है । उसमें सारे तथ्य आ जायेंगे और जो कार्यवाही होगी, वह की जायेगी ।

(समय 5.00 बजे)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट न जाने कब आयेगी ? मैं साफ पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस के निकम्मेपन से माननीय मंत्री जी संतुष्ट हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी की समझ से सवाल का उत्तर आ चुका है अब हम मद संख्या 18 पर आते हैं । अब बहुत हो गया, आप कृपा कर बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, केवल एक प्रश्न । क्या यह सही है कि पोस्टमार्टम दोबारा कराया गया है ? स्थानीय डाक्टर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अन्तर होने के कारण पोस्टमार्टम दोबारा कराया गया ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

दो बार डाक्टरी करायी गयी है, लेकिन वही सारी चीनी मजिस्टीरियल जांच में आ जायेंगी । उसके सामने सारे तथ्य रक्खे जायेंगे । जो शंका माननीय सदस्य ने व्यक्त की है अगर उसकी पुष्टि होती है तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी । इसमें कोई मतभेद होने का सवाल नहीं है ।

कुम्भ मेला, 1989 और इससे गंगा जुड़ी गंगा प्रदूषण निवारण योजना के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, भारतीय जन जीवन में नदियों का विशेष महत्व है और विशेषकर गंगा नदी का महत्व भारत में अधिक है । अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण आदि में गंगा के विशेष दैवी महत्व की चर्चा की गयी है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, भगवत्पाद शंकराचार्य ने गंगा की महिमा वर्णन करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि जो पाप दान, यज्ञ और जप करने से भी दूर नहीं होता है वह पाप गंगा में स्नान से ही नहीं बल्कि दर्शन मात्र से दूर हो जाता है और इस गंगा की शुद्धि के लिये कुम्भ, 89 के विशेष अवसर को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने गंगा प्रदूषण योजना चलायी । 1986 में प्रधान मंत्री, राजीव गांधी ने प्रयाग में घोषणा की थी कि हम कुम्भ के अवसर पर गंगा को प्रदूषण से मुक्त करा देंगे और इस योजना को लेकर 259 करोड़ की महत्वाकांक्षी एक योजना तैयार की गयी । यह योजना ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिये बनी लेकिन इसमें तमाम दोष रह गये जिस कारण गंगा कुम्भ में भी प्रदूषण से मुक्त नहीं हो सकी बल्कि योजना के दोष पूर्ण होने के कारण अन्य स्थानों पर भी प्रदूषण पैदा हो गया । मान्यवर, इस संबंध में गोपालदास जी विस्तार से बतायेंगे और हम लोग इस चर्चा में आगे भाग लेंगे ।

*श्री गोपालदास यादव—

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह ने गंगा के प्रदूषण के बारे में सदन को अवगत कराया कि गंगा में प्रदूषण किन कारणों से हो रहा है ? आज सदन में मंत्री जी मौजूद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गयी थी कि कुम्भ के मेले के पहले जो गंदगी हो रही है, प्रदूषण है दूर हो । गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने और माननीय राजीव गांधी जो इस देश के प्रधान मंत्री हैं, जब वह काशी गये थे तो वहां पर उनके साथ निदर लैंड की महारानी मौजूद थीं, उनके सामने सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ और गंगा जी की आरती हुई, तब लगा कि इस देश का प्रधान मंत्री भी धर्म में आस्था रखता है और उसको चिन्ता हुई कि गंगा में काफी गंदगी है और महारानी के सामने गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा स्कीम की एक बृहद योजना 280 करोड़ रुपये की प्रस्तावित की गयी और लोगों की जिज्ञासा लगी कि क्या गंगा मैली है, क्या गंगा प्रदूषित है । जो गंगा हजारों सालों से पापों को धुलती आयी है उसमें आज एक प्रश्न चिह्न लग गया है और गंगा प्रदूषित हो गई है ।

आज यह सोचना पड़ रहा है कि गंगा में नहाना पाप है, स्वास्थ्य के लिये खराब है । इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने एक बृहद् योजना बनायी । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के लोग यदि यहां पर कोई योजना आ जाय तो उसे इतनी ललचाई नजर से देखते हैं कि किस तरह से इस योजना के पैसे को हड़प लें । इसमें कौन लोग हैं ? इसमें जो हमारा जल निगम है जो यहां पर एक सफेद हाथी के रूप में है, जो हैंड पाइप नहीं लगा पाता है, जिसने कभी रिमोट सेंसिंग, सर्वेक्षण का कार्य और हाइड्रोलोजी विभागों से कभी संपर्क नहीं किया, उसको हैंड पाइप लगाने का कार्य सौंपा गया । स्थिति यह है कि आज 90 प्रतिशत हैंड पाइप खराब पड़े हुये हैं और किसानों को पानी मुहय्या नहीं हो पाता है । इस जल निगम को हैंड पाइप और ट्यूबवेल के स्थान पर गंगा प्रदूषण का बहुत बड़ा काम दिया गया। क्या गंगा के पानी को कपड़े से साफ करना था, जो यह सफाई करना चाहते थे, गंगा की । मैं कहना चाहता हूं कि यह इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है । नगर विकास मंत्री बैठे हैं वे बतायें इस दिशा में उन्होंने क्या किया है । इनके बजाय तो अंग्रेज अच्छे थे । उनके दौर में 40 प्रतिशत सीवर हमारे इलाहाबाद जनपद में बिछी थी । आबादी के हिसाब से जो इन्होंने आंकड़े दिये हैं और जो किताब छपाई है, यह भी बड़े खेद की बात है कि इसे भी अंग्रेजी में छपाई है। उत्तर प्रदेश में गंगा प्रदूषण अभियान चले और उसकी किताब अंग्रेजी में छपे । मान्यवर, भारत के लाखों नागरिक, उत्तर प्रदेश के 13 करोड़ नागरिक इस इंतजार में थे कि इससे गंगा साफ होगी किन्तु वह साफ नहीं हुई और 24 करोड़ रुपया प्रदूषण के नाम पर इस सरकार के मंत्रीगणों के माध्यम से चला गया । यह मेरा आपके माध्यम से स्पष्ट आरोप है ।

मान्यवर, इलाहाबाद में कुम्भ के अवसर पर डेढ़ करोड़ लोग नहाने के लिये आये । इस सरकार का वायदा था कि वहां पर हम गन्दगी नहीं जाने देंगे लेकिन आज हमें पीड़ा है कि वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था यह सरकार नहीं करा सकी । मान्यवर, भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से जब अंग्रेजों ने कहा कि चूंकि गंगा में कटाव हो रहा है, स्नान करना खतरनाक हो सकता है तो पश्चिमी सभ्यता में पले नेहरू जी ने कहा कि संगम की लाज रखनी पड़ेगी । मदन मोहन मालवीय जी ने सन् 23 में संगम के किनारे अनशन किया था कि हम स्नान यहीं करेंगे । जवाहर लाल नेहरू घोड़े पर बैठकर गंगा नदी में कूद पड़े थे । मान्यवर, इस देश को आजाद हुए चालीस वर्ष हो गये हैं अभी तक यह कार्य नहीं किया गया है।

मान्यवर, नगर विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद् ने उस क्षेत्र के किसानों की सारी जमीन ले ली है । वहां पर कन्हैईपुर घाट पर, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह के क्षेत्र में, राजसूपुर, रसूलाबाद, द्रोपदीघाट, राजापुर घाट पर पूरे क्षेत्र में जितने मकान बनाये गए हैं उन सबका सीवर का गन्दा नाला बहाया जा रहा है । हमने इस बारे में, वहां के आयुक्त को नोटिस दी थी कि अगर 31 दिसम्बर के पहले गंगा नदी में जो इस क्षेत्र में गन्दगी जा रही है उसको न रोका गया तो हम आमरण अनशन करेंगे । इलाहाबाद के आयुक्त ने हमारी इस नोटिस को मजाक समझा, उन्होंने समझा कि हम पैसा मजे से फूंकेंगे और कोई ध्यान नहीं देगा । हम लोग 25 दिसम्बर से आमरण अनशन पर रहे । 31 तारीख को इलाहाबाद के आयुक्त ने लिख दिया कि हम संगम क्षेत्र में गंगा को प्रदूषण से मुक्त करेंगे लेकिन मुख्य मंत्री हमें जवाब दें, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, अगर आप यह बता दें, घोषणा कर दें कि जो 24 करोड़ रुपया इस कार्य के लिए दिया गया था वह कहां गया और आप इस गन्दगी को कहां बहा रहे हैं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है । कानपुर के अन्दर आप जाजमऊ देख लें । आप वहां जाकर देख लीजिए, कितना खनिज आक्सीजन की डिमाण्ड है, कितना होना चाहिए और कितना है इसका परीक्षण करा लीजिए । आज बैक्टीरिया करोड़ों की संख्या में वहां हो गए हैं और खनिज पदार्थ टनों में वहां गिराया जा रहा है जो 10 एम0 एल0 होना चाहिए वह 100 एम0 एल0 है । उद्योगपति भाषण देते हैं, सरकार भाषण देती है कि गंगा में गंदगी मत गिराइए, शौच मत कीजिए, कपड़ा मत धोइए लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों टन खनिज गिराया जा रहा है । जो बाइलोजिकल डिमाण्ड है वह आज वहां नहीं है जिसका कारण है कि आज वहां कछुवे नहीं हैं, मछलियां नहीं हैं क्योंकि जितने एम0 जी0 आक्सीजन होना चाहिए वह प्वाइन्ट में आ गया है । कोई भी जीव जन्तु आज वहां नहीं रह गए हैं चाहे आप कानपुर चले जाइए, इलाहाबाद या बनारस चले जाइए आपको गंगा में जीव-जन्तु नहीं मिलेंगे क्योंकि वे वहां जी नहीं सकते हैं ।

इलाहाबाद के अन्दर हम अनशन पर बैठे वहां पर कोई नए पम्पिंग स्टेशन नहीं बनाए गए चाहे गौ घाट हो, चाहे मोरी गेट हो, चाहे चाचा नाला घाट हो, चाहे घाघरा नाला घाट हो उनमें कोई नए पम्पिंग स्टेशन नहीं बनाए गए हैं। वहां करोड़ों रुपया पम्पिंग स्टेशनों की मरम्मत पर खर्च कर दिया गया है । इन्होंने खुद लिया है पम्पिंग स्टेशन बनाने के लिए 17.43 करोड़ रुपया जल निगम को दे दिया गया है, उनके रिनोवेशन के लिए इन्होंने इलाहाबाद को एक करोड़ रुपया दिया । इसी प्रकार छोटा-छोटे सुलभ शौचालय के लिए 2.82 करोड़ गुप्त रूप से नगर पालिकाओं को दे दिया और केवल जल निगम को सीवर की सफाई करने के लिए 17 करोड़ दे दिए । आपने क्या किया नाले चोक कर दिए तो पानी कहां गिरेगा ? जब तक ट्रीटमेंट प्लान्ट नहीं बनायेंगे यह समस्या हल नहीं हो सकती है, चाहे आप कितने पम्पिंग स्टेशन बनवा दीजिए, सीवर का जाल बिछा दीजिए, उनका पानी कहां गिरेगा ? ,अंग्रेजों के जमाने में दो सीवर पम्प होते थे जो खेतों में गिराए जाते थे । क्योंकि आज से 40 साल पहले इलाहाबाद की आबादी कम थी और नैनीघाट और लूकरगंज पम्पिंग स्टेशन थे जो पर्याप्त थे । उस वक्त 40 लाख लीटर पानी गंगा और यमुना में गिराया जाता था

लेकिन आज 40 करोड़ लीटर गिराया जा रहा है तो कहां 40 लाख लीटर और कहां 40 करोड़ लीटर । यह सरकार जान बूझकर उपेक्षा कर रही है और कोई ट्रीटमेंट प्लान्ट नहीं लगा रही है जिसकी आज नितान्त आवश्यकता है। जब यह बात कही जाती है तो मंत्री जी कह देते हैं कि घबराइए नहीं काम जोरों पर चल रहा है जैसे हवाई महल हो रहा है, कि आप ग्रान्ट देते जायं काम होता जायेगा । उसी तरह से गंगा प्रदूषण के नाम पर 24 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिया ।

मैं पूछना चाहता हूं कि, मंत्री जी बैठे हैं यहां, कन्हईपुर घाट चले जायं वहां कम से कम एक लाख मकान बन गए और प्रीतमनगर में योजना चल रही है । वहां अमरूदों की एक मण्डी थी लेकिन प्रदूषण करने के लिए वहां फल पट्टी को नगर विकास मंत्री ने कटवा दिया और इलाहाबाद की अमरूदों की संस्कृति, गांव का किसान जो अमरूदों के बाग लगाता था जो प्रदूषण को रोकता था आज जंगल को कटवा कर प्रदूषण बढ़ा रहे हैं । विकास प्राधिकरण ने वहां जमीन ले लेकर मकान बनवाए हैं, वहां 5 हजार मकान बनवाए हैं । मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि मकान बनवाए हैं सुरेन्द्र सराय में तो वहां एक गड़इहा में पानी घरों का गिरता था जिससे कीड़े फैलते थे और संक्रामक रोग फैलता था लेकिन मंत्री जी ने उस गड़इहा को पटवा दिया जिससे उन 5 हजार मकानों का गन्दा पानी गंगा में जा रहा है जिससे प्रदूषण फैल रहा है । इन मकानों के अलावा वहां कोई अंकुश न होने से हजारों मकान बनते जा रहे हैं जिनका भी गंदा पानी गंगा में जा रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है । मान्यवर, 360 किलोमीटर प्रति घण्टे के हिसाब से पानी चलता है तो दो मिनट में कहां पहुंच जायेगा यह इनको नहीं पता है ।

काशी में प्रधान मंत्री ने भाषण दिया । उनको नहीं पता कि कानपुर की गंदगी यहां आ रही है, कानपुर से पानी बहेगा तो संगम पर कब पहुंच जायेगा यह मंत्री जी को भी जानकारी नहीं है । तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने योजना बनाई है ट्रीटमेंट प्लान की लेकिन इसके लिए टेण्डर 8 करोड़ रुपये का लिया किन्तु ठेकेदार ने 2 करोड़ रुपए कम दिया फिर ऊंचे टेण्डर को ठेका दिया जिसके पहले वाले कोर्ट में चले गए और ट्रीटमेंट प्लान नहीं बन पाया । अधीक्षण अभियन्ता करोड़ों रुपए पानी के निकासी के लिए खर्च कर रहा है लेकिन मैं पूछता हूं कि ट्रीटमेंट प्लान के बिना पानी कहां ले जायेंगे ? प्रदूषण का पानी जो जहरीला है ट्रीटमेंट के बिना उसको नार्मल पानी से ट्रीटमेंट करके उचित पानी को ले जाकर खेतों में देंगे और विद्युत बनायेंगे लेकिन इनको इसका क्या ज्ञान है। इनको तो सिविल इंजीनियर चाहिए भौतिक और हाइड्रालिक इंजीनियर से मतलब नहीं है बल्कि सिविल इंजीनियर सक्षम हैं जबकि वह केवल निर्माण करते हैं और कमीशन खाते हैं। ठेकेदारों और उनके सहयोगियों की चांदी हो गई है और आज भी गंगा में, हमारे क्षेत्र में प्रदूषण है ।

मान्यवर, अंग्रेजों के समय में करेलाबाद में पम्प लगाया गया था कि शुद्ध जल, जो प्राकृतिक जल है यमुना जी का वह हम खींचकर ले आयेंगे और जल संस्थान में ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन मिलाकर जनता को शुद्ध जल इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए देंगे । उसी के 100 मीटर, 100 मीटर क्यों कहें 100 फुट पहले पम्पिंग स्टेशन के बगल में करेलाबाग का नाला बह रहा है । कार्तिक मास में हजारों मां-बहिनें यम द्वितीया के दिन—भाई दूज के दिन नहाने से पहले भाई की मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना किया करती हैं । किन्तु जब वह इस शुभ अवसर पर यमुना जी नहाने जाती

हैं तो वहां पर गंदा नाला बहकर उनके ऊपर गंदा पानी गिराता है । वहां पर हमारे यहां मोरीघाट, चाचानाला और घाघानाला हैं सब उसमें गन्दा जल गिराकर उसके जल को जहरीला और प्रदूषित बनाते हैं । लोकपति त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, हमारे सिंचाई मंत्री रहे हैं, इन्हीं को आप वहां बैठा दीजिए 24 घण्टे बैठा दीजिए, 48 घण्टे बैठा दीजिए, पूरा इलाहाबाद डूब जाएगा और खेतों में पानी की बाढ़ आ जायेगी और कहेंगे कि पानी तो बरसा नहीं, फिर यह पानी कहां से आ गया । 36 घण्टे तक मंत्री जी को वहां बैठा दीजिए और सारे गेट पर बैठा दीजिए । इन्होंने सारे गेट बन्द कर दिए, इलाहाबाद में तहलका मच गया, वहां पर संक्रामक रोग फैला । जैसे दिल्ली में अभी हैजा फैला था, इलाहाबाद में अगर कार्यवाई न की गई, वहां पर अगर प्रिकाशन न लिए गए तो वहां पर संक्रामक रोग फैलने की बहुत बड़ी आशंका है । क्योंकि करोड़ों लीटर दूषित और संक्रामक पानी यमुना जी में बहाने के लिए बाध्य हैं।

यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम हर कीमत पर गंगा जी में गंदा और प्रदूषित पानी जाने से रोकें और हम इसको पूरी मुस्तैदी से हर कीमत पर करेंगे । इनको रिपोर्ट मालूम नहीं है । उसके अनुसार आज कानपुर के अन्दर जो कैमिकल्स घोले जा रहे हैं उससे कैंसर और कोढ़ जैसे भयानक रोग हो रहे हैं । एक तरफ तो लिप्रोसी का राष्ट्रीय प्रोग्राम के अन्तर्गत लेकर उसे जड़मूल से समाप्त करने की बात सोची जा रही है और दूसरी तरफ इस तरह से बढ़वा दिया जा रहा है । आप इसको रोकिए– "प्रिवेंशन इज मोस्ट इम्पार्टेन्ट दैन क्योर" । जब आप इन रोगों को फैलने से नहीं रोक पायेंगे तो नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा क्या कर पायेंगे । रोग फैलाने वाले तुम लोग क्या जानो कि स्वास्थ्य रक्षा कैसे करोगे ? तुमसे अच्छा तो ईश्वर है जो गांव वालों को शुद्ध पानी देता है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और तो और सुप्रिन्टेंडिंग इंजीनियर जो जल निगम में था, उसको कुम्भ मेला भेज दिया और मान्यवर, उसको कोई ज्ञान नहीं था गंगा प्रदूषण के बारे में तो मेरा यही कहना है कि मंत्री जी घोषणा करें सदन में कि कब तक गंगा में वह प्रदूषण रोक देंगे और नहीं यदि रोक पायेंगे तो वह कब तक अपना इस्तीफा दे देंगे । तो मैं यह समझूंगा कि यह गंगा मैया के सपूत हैं ।

कोई भी हो, इस सदन का माननीय सदस्य हो–कौन पसन्द करता है कि गंगा में गंदगी जाए और जमुना में गंदगी जाए और कौन पसन्द करता है कि उनके बच्चे प्रदूषित पानी पिएं और उनके बच्चे रोगी, विकलांग और अपंग पैदा हों और कौन चाहता है कि उनके बच्चे शुद्ध पानी को तरसें । तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ट्रीटमेंट प्लान्ट नहीं बनेगा, तब तक आपका यह 21 करोड़ रुपया बेकार जाएगा, वह कोई काम नहीं करेगा । 6 महीने के बाद उसमें जंग लग जायेगी । पम्पिंग स्टेशन में एक करोड़ रुपया नीकर की सफाई में दे दिया । 40 साल से इनका इस ओर ध्यान नहीं गया । अगर ये बराबर सफाई कराते रहते तो यह कार्य एक-दो लाख में ही हो जाता । जब कुम्भ मेले का समय आया तो हिन्दू सेन्टीमेन्ट जगाने लगे ।

बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि का मामला तो चल ही रहा है अब प्रदूषण का मामला भी शुरू हो गया है । गोमती और सरजू का पानी भी प्रदूषित हो गया है । लखनऊ जो राजधानी है जहां पूरा शासन है वहां के लोग ऐसा पानी पी रहे हैं ।

सचिवालय के लोग भी बैठे हुए हैं, वी0 आई0 पी0 लोग बैठे हुए हैं इनको डूब मरना चाहिए, गोमती का पानी इतना प्रदूषित हो रहा है और यह इतना प्रदूषित पानी अपने परिवार को पिला रहे हैं । यह कुछ कर नहीं पाते हैं केवल कहते हैं कि हम सोच रहे हैं, हम देखेंगे, हमें देखना है---

श्री अधिष्ठाता--

समय का ध्यान रखें ।

श्री गोपालदास यादव--

अब्दुल फजल जो हमारे विदेशी इतिहासकार हैं उन्होंने भी कहा है कि गंगा का जल सबसे ज्यादा शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ है । मान्यवर, भागीरथ जी और शंकर जी गंगा जी को इस धरती पर लाए थे, लेकिन अब गंगा जी बहुत प्रायश्चित कर रही हैं और भागीरथ और शंकर जी से कह रही हैं मुझे वापस ले चलो वरना यह नर कंकाल, नर-दानव मुझे प्रदूषित कर रहा है यह मुझे प्रदूषित करने पर कटिबद्ध है मैं गंगोत्री के नाम से जानी जाती थी यह मेरी पवित्रता को समाप्त कर रहा है--

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त करें ।

श्री गोपालदास यादव--

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा । मान्यवर, कुंभ मेले में पी0 डब्लू0 डी0 और स्वास्थ्य विभाग---

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रदूषण पर ही कहें ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर आज के एजेन्डे में छपा है कि कुंभ मेला, 1989 और इससे जुड़ी गंगा प्रदूषण निवारण योजना तो मान्यवर, मेले की व्यवस्था पर भी चर्चा कर सकते हैं ।

श्री गोपालदास यादव--

मान्यवर, यह एतिहासिक मेला इलाहाबाद में होता है मैं कहना चाहता हूं कि कुंभ मेले के लिए 80 करोड़ रुपये शासन ने दिए कि डेढ़ करोड़ लोग गंगा स्नान करने आयेंगे । यह मान्यवर, कुंभ का मेला था या पाप का मेला था । जिस तरह वहां पर लूट हुई है उसको कहा नहीं जा सकता है । मान्यवर, अक्टूबर के महीने में स्थानान्तरण नहीं होते हैं । मान्यवर, डाक्टर वार्ष्णेय को वहां से हटाया गया । इलाहाबाद के सी0 एम0 ओ0 को वहां से हटा दिया गया और डाक्टर खरे को अपर निदेशक के रूप में वहां ले जाया गया । जब अपर निदेशक गये तो उन्हें वहां बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मान्यवर, एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने उनसे कहा कि अगर मेरी मनमानी का काम नहीं करोगे तो गोली मार दी जाएगी । यह कमिश्नर ने अवगत कराया और डा0 खरे ने और जैसा और लोगों ने भी कहा कि एक गैंग 10 साल से मेले में पहुंचता है । मान्यवर, लैप्रोस्कोपी विभाग राष्ट्रीय प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, लेकिन बहुत ही कनिष्ठ डाक्टर को वहां का इंचार्ज बना दिया गया है । मान्यवर, डा0 वर्मा, जिनके खिलाफ महालेखाकार की डेढ़ करोड़ की आपत्ति थी उसको मेले में तैनात किया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां लोगों ने इसका घोर विरोध किया तो मान्यवर, डा0 वर्मा जिनके विरुद्ध घोर आपत्ति थी उनको हटाया गया और एक ईमानदार आदमी का भी स्थानान्तरण कर दिया गया । उसके बाद एक्स अनुभवहीन को मेला प्रभारी आपने बना दिया जो इतने बड़े मेला क्षेत्र की व्यवस्था कर ही नहीं सकता था । आपने एक संयुक्त निदेशक को भी भेज दिया जो आपका मनमाफिक आदमी था । जो स्वास्थ्य मंत्री जी के करीबी लोग थे उनको मेला भेजा गया । जो वहां पर सफाई कर्मचारी नियुक्त किये गये उनमें भी भारी गड़बड़ियां की गयीं । एण्टी फ्लाई अभियान चलाया गया । इस अभियान के लिए जरूरी था कि आवश्यक छिड़काव किया जाता । सुपरफीशियल छिड़काव के अन्दर कुछ रसायनों का छिड़काव किया जाना था जैसे बेगानवेट, गैमेक्सीन, ब्लीचिंग पाउडर, सफाई की दृष्टि से इनका छिड़का जाना आवश्यक था लेकिन इन दवाओं का कहीं छिड़काव नहीं हुआ । बड़े पैमाने पर वहां फर्जी सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गयी । इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाकर वहां भेजें जिससे वह मैनीपुलेट न कर पाये ।

मेला खत्म हो गया है लेकिन वह मेला 20 दिन और चलायेंगे और हर विभाग अमावस्या तक खर्च करेगा तो उस पर अंकुश लगाना चाहिए जिससे शासन को करोड़ों रुपयों की बचत होगी । आज पी0एच0सीज0, उप केन्द्रों और चिकित्सालयों के लिए दवायें नहीं हैं आप इलाहाबाद के जिला अस्पताल के आंकड़े देख लें कि एक महीने में कितने रोगी आए । किसी को सर्दी लग गयी, बुखार आ गया वह बात अलग है इसके अलावा वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई, किसी की हड्डी आदि नहीं टूटी लेकिन एक महीने में जो दवाओं का खर्च दिखाया गया है वह सारे अस्पतालों के एक साल के खर्च को मिला लें उससे भी अधिक आया है तो यह केवल मैनीपुलेशन है । मैं चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाकर इस पर अंकुश लगायें । इसके उपरांत मैं बाद में जवाब दूंगा ।

*नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)–

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं माननीय अनुग्रह नारायण जी का और माननीय गोपाल दास यादव जी का । देश के पवित्र नगर इलाहाबाद, प्रयागराज में यह माघ मेला 14 जनवरी से प्रारम्भ हुआ और 6 मार्च तक चलेगा । विश्व के इतिहास में इतना बड़ा मेला और इतने ज्यादा यात्री कभी आज तक एक स्थान पर एकत्रित नहीं हुए । मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि केवल 6 फरवरी को लगभग डेढ़ करोड़ बल्कि एक करोड़ 52 लाख आदमियों ने मौनी अमावस्या पर संगम की धरती पर स्नान किया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं । अरैल से लेकर झूसी तक लोगों ने स्नान किया है ।

श्री नरेश चन्द्र–

अरैल, झूसी और संगम, तीनों जगहों पर डेढ़ करोड़ आदमियों ने नहाया । आज से 12 वर्ष पहले लगभग 1 करोड़ यात्री आये थे । मैं बताना चाहता हूं कि इस बार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

3600 एकड़ जमीन पर प्रबंध किया गया था । सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 10 पंटून ब्रिज बनाये थे जिस पर वन-वे ट्रैफिक का इंतजाम हुआ । स्वास्थ्य विभाग की ओर से फ्लाई लेस, मक्खी रहित मेला क्षेत्र को रखा गया । सौ बेडेड अस्पताल बनवाये गये थे, जिसमें हर तरह के विशेषज्ञ चौबीस घंटे मौजूद रहे, कोई भी इनापुलेशन या सुई नहीं लगायी गयी और कोई भी रोग नहीं फैला। इसके अतिरिक्त एक संक्रामक रोग के अस्पताल की अलग व्यवस्था की गयी थी। वहां पर आयुर्वेदिक और एलोपैथिक अस्पताल की व्यवस्था की गयी थी। 9 सेक्टरों में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक अस्पताल की व्यवस्था की गयी थी। विद्युत प्रकाश का प्रबन्ध बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। हमारे विधायक जी ने देखा होगा कि ऐसा प्रबन्ध शायद ही विश्व में कभी किया गया था, जिसकी स्पेशल फ्लैश लाइट गंगा और जमुना की बीच धारा तक जा रही थी । वहां पर सोडियम लैम्प, ट्यूब लाइट, स्पेशल फ्लैश लाइट, जनरेटर आदि की व्यवस्था की गयी थी। मान्यवर, जो फोक लाइट गंगा और जमुना की धारा तक पड़ रही थी, अगर उसे शास्त्रीय ब्रिज से देखा जाय, तो इतनी भयंकर रोशनी का प्रबन्ध कभी नहीं हुआ।

लाइफ सेविंग ड्रग्स का पूरा प्रबन्ध था। सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा 10 पंटून ब्रिज बनाये गये। वन-वे ट्रैफिक की व्यवस्था की गयी। इस बार कुम्भ में पहली बार प्रशासन ने यह व्यवस्था की है। पुल के दोनों ओर मार्ग प्रकाश का प्रबन्ध किया गया। वहां पर वन-वे ट्रैफिक का पूरा प्रबन्ध था कुल मेले में 3600 एकड़ जमीन ली गयी, जिसके प्रबन्ध में जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक की तरफ से 10 हजार पुलिस कर्मी वहां पर लगाये गये । पूरे मेले को 9 सेक्टर में बांट दिया गया था । वहां पर एक पूछताछ कार्यालय भी खोला गया, जिसमें चौबीसों घंटे किसी के खो जाने की कोई सूचना प्राप्त होते ही उसको पूरे मेले में एलाउन्स कर दिया जाता था । वहां पर सेना के अधिकारियों ने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स की व्यवस्था कर दी थी। सिंचाई विभाग ने शास्त्री कुम्भ से से संगम तक 1.4 किलोमीटर नदी के पानी के बहाव को नियंत्रित रखा और कटाव निरोधक के लिए पूर्ण व्यवस्था की तथा रोलिंग लगाई। वहां पर लगभग 800 टेलीफोन लाइनों का जाल बिछाया गया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आप यह अपना प्रथम भाषण जो दें, वह संक्षेप दें।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय राज्य मंत्री जी सूचना और संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री हैं, लेकिन ये माननीय मुख्य मंत्री जी की तरह से हर विभागों का उल्लेख कर रहे हैं। इनको जिसके विषय में जानकारी नहीं है, उसे भी ये अपने भाषण में कह रहे हैं। इनके विभाग से संबंधित जो बातें हैं उसके विषय में, ये मान्यवर, जानकारी दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाण्डे जी कुम्भ मेले पर चर्चा हो रही है, माननीय मंत्री जी सरकार की तरफ से ही कह रहे हैं और ये प्रभारी मंत्री हैं, इसलिए आप उनकी बात सुनें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सबकी बात सुन लें, तब बाद में विस्तार से उत्तर दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, जो प्वाइन्ट्स आये हैं, उन्हीं के बारे में संक्षेप में कह दें। बाद में जो आपको अवसर मिलेगा, उसमें आप विस्तार में कह दें।

श्री नरेश चन्द्र–

116 विदेशी जर्नलिस्ट्स वहां पर स्नान करने आये। एक विदेशी जर्नलिस्ट जो टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रशंसा भरे पत्र मुझे लिखा है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों को बधाई दी और यह कहा कि विश्व के इतिहास में इतने यात्री एक स्थान पर एक दिन, एक समय इकट्ठा होना अद्वितीय है और कोई ऊपरी शक्ति ऐसी है, जिसके आशीर्वाद से इतना बड़ा कार्य हो पाया है। अतः मैंने कांची के शंकराचार्य कल्पवासी, इलाहाबाद के न्यायाधीश, वकील, विभिन्न प्रदेशों के देश से आये हुए कोने-कोने के यात्रियों से मैंने भेंट की और किसी ने भी मेले के प्रबन्ध की शिकायत नहीं की।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

(व्यवधान)

मान्यवर, अगर आज्ञा हो तो जर्नलिस्ट के पत्र को पढ़ दूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यहां पर कुम्भ और कुम्भ के मेले के बारे में जर्नलिस्ट की बात चलेगी?

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, वहां पर पत्र पढ़ने की क्या जरूरत है?

(व्यवधान)

*श्री मूल चन्द्र–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, कुम्भ में जो यात्री जायेगा, उससे प्रशंसा आंकी जायेगी या जर्नलिस्ट के पत्र से।

श्री अधिष्ठाता–

पत्र पढ़े नहीं, पत्र के हवाले से जो कहना चाहते हैं वह कह दें। आपको कोई पत्र पढ़ना है तो पत्र की कापी पहले यहां पहुंचा दें।

श्री हरदेव–

मान्यवर, जो प्रशंसा है, उसको पढ़ने दीजिए, आप तो रोक रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपने सुना नहीं, मैंने यह कहा कि जो पत्र उनको प्राप्त हुआ है उसके हवाले से जो बात कहना चाहते हैं, कह सकते हैं, पत्र पढ़ कर न सुनायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, इसी 12 फरवरी को मैं जब इलाहाबाद गया था तो कांची के शंकराचार्य से मिला तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री और भारत सरकार के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं और पर्सनली धन्यवाद देने आऊंगा । मान्यवर, 4 घण्टे तक हर सेक्शन, बिहार से आये हुए लोगों से, जर्नलिस्ट और साधू महात्माओं से 4 घण्टे में 17 सेक्शन के लोगों से मिला और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ऐतिहासिक मेला उन्होंने कभी नहीं देखा । पत्र की अगर आप इजाजत दें तो इसकी दो लाइनें पढ़ दूं उन्होंने यह लिखा है–

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, मैं दो लाइन पढ़ दूं, केवल दो लाइन पढ़ना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर आप पत्र पढ़ना चाहते हैं तो उसकी प्रति यहां पर पहुंचा दें ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, यह पत्र पढ़ नहीं सकते हैं ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रेवती रमण सिंह जी जो बात कह रहे हैं वह एक व्यवस्था की बात है और मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि अगर आप उस पत्र की कापी यहां भिजवा दें तब तो आप पढ़ सकते हैं और तभी लिखा जायेगा नहीं तो पत्र लिखा नहीं जायेगा । आप पत्र के हवाले से जो बात कहनी हो, वह कह दीजिए ।

*डा0 रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान) जब माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे हैं तो उनके भाषण देने के बीच में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का क्या औचित्य है, इस पर व्यवस्था दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

दत्त साहब आप बैठें। मंत्री जी, ऐसा है कि पत्र किसी का हो और आप उसे पढ़ना ही चाहते हैं तो पहले आप उसकी प्रति यहां भेजें, उसको भेजे बगैर आप पत्र नहीं पढ़ सकते हैं इधर से भी माननीय सदस्य किसी का पत्र नहीं पढ़ सकते हैं और अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं, उस पत्र के सम्बन्ध में, तो कह दीजिए ।

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कितने ही लोगों के 186 प्रशंसा पत्र देश और विदेश से आये हैं कि इतना बड़ा प्रबन्ध, इतना बढ़िया प्रबन्ध कभी विश्व के इतिहास में नहीं हुआ है । मान्यवर, कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि प्रदेश सरकार के लिए कोई सुपर पावर की ब्लेसिंग है जो इतना बड़ा काम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो रहा है । इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी कुम्भ के मेले में नहाए हैं, अभी 6 मार्च तक मेला है, एक बार फिर नहाएं। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी इस सदन में कुम्भ मेले पर चर्चा करते हुए इस सरकार की उपलब्धियों की उल्लेखनीय प्रशंसाओं का जिक्र कर रहे थे । मान्यवर, आप भी जानते हैं, सारा सदन और सम्पूर्ण विश्व जानता है कि इलाहाबाद का कुम्भ, जो हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है, उनकी तरह नहीं होता । इसका महत्व संगम होने के कारण सबसे ज्यादा है । कुम्भ की व्यवस्था में अगर सम्पूर्ण तीर्थ यात्री स्नान करने में अक्षम रहे तो यह कोई व्यवस्था नहीं है । आपने 5 तारीख को व्यवस्था की । कई गाड़ियों में हम लोग बस्ती, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर की ओर से गये । लेकिन उस ओर से आने वाले लोगों को फाफामऊ के पास रोक दिया गया और हम लोगों को बताया गया कि हम सीधे नहीं जा सकते, आप झूंसी जायें । लेकिन बस में मैं स्वयं भी था, बस हमें झूंसी के बजाय हंडिया ले गयी और वहां से लौट कर आयी । झूंसी से उतर कर जितने तीर्थ यात्री स्नान करना चाहते थे, गंगा के मैदान में आए और इन्होंने जो पुल नं0 7 था, उसके अलावा पुल नं0 2,3 और 4 जो संगम में जाने के लिए बना था, उस पुल को 12 बजे रात से ही बन्द कर दिया गया । जब संगम स्नान शुरू हुआ तो आप डेढ़ करोड़ कहते हैं, मैं समझता हूं कि झूंसी की ओर से भी 20 लाख लोग आए, लेकिन संगम पर नहीं पहुंच सके । मैं स्वयं भी उनमें गया था । हमने भी विचार किया कि संगम चला जाय । सबकी आशा और आकांक्षा होती है कि कुम्भ पर संगम में नहाएं । लेकिन हुआ यह कि मैं खुद गंगा की कम धारा में कमर तक पानी में गया । जहां पर यह संगम है, जहां पर गंगा और जमुना मिल कर एक हो जाती हैं, वहां पर रास्ता 12 बजे दिन तक बन्द रहा ।

आपको [xxx] नहीं आती है । आप प्रशंसा के पत्र इसलिए पाते हैं कि जर्नलिस्ट लोग पुलिस के पहरे में जाकर नहाते हैं । प्रशंसा वही करते हैं जो प्रभावशाली लोग वहां तक जा सकते हैं । साधारण व्यक्ति वहां नहीं जा सका । दस बजे के बाद लौटने के लिए जो लोग जाना चाहते थे, वे ब्रिज नं0 2,3 और 4 को पार नहीं कर सके । मैं खुद नहीं पार कर सका । पुल नं0 7 और 8 इलाहाबाद में आने का रास्ता है । लेकिन जिस रास्ते से हम आये थे, हम मेन रास्ते से नहीं आ सके और हमको शास्त्री ब्रिज की ओर बढ़ा दिया गया ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सदन चल रहा है । क्या किसी सम्मानित सदस्य का दिमाग चल जाय तो उसका टेस्ट कराने के लिए क्या व्यवस्था

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपने कर रखी है ? अम्मार रिजवी साहब व हरदेव जी का दिमाग चल गया है, उसको चैक करा लें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, यही नहीं हुआ, मेरे सामने पुलिस ने लाठी चलाई, बल का प्रयोग किया । मेरे सामने 20 लोग घायल हुए । शास्त्री ब्रिज पर उधर से कहते थे कि इधर से निकलो और इधर लाठी चलाते थे । मान्यवर, एक चीज के लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं स्वयं एक दुकान पर गया और मैंने पूछा कि मेरे पास कार्ड नहीं है, क्या तेल दे सकते हैं । तो दुकानदार ने कहा कि आज दो लीटर तेल दे सकते हैं ।

हमको वहां कोई स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था नजर नहीं आयी। सबसे ज्यादा अगर वहां किसी ने लूटा तो परिवहन विभाग ने। 5 फरवरी को बस्ती से इलाहाबाद का किराया सीधे 32 रु0 के बजाय 45 रु0 कर दिया गया। जो तीर्थ यात्री कल्पवासी के रूप में 3-4 दिन पहले पहुंच गये थे 6 फरवरी को लौटने लगे तो उनकी जेबें खाली हो गयी, मैं ऐसे कितने तीर्थ यात्रियों को जानता हूं जो 40 किलोमीटर चलने के बाद उतर गये। जब लोग बस में टिकट कटवाने गये, तो कंडक्टर से हाथापाई हो गयी, मैं भी उस बस में मौजूद था मैंने पूछा कि किराया कैसे बढ़ गया? 5 फरवरी को 32 रु0 का किराया 45 रु0 कर दिया, यात्रियों को लूटकर अपना कोष बढ़ाने का जो काम किया गया है, वह निन्दनीय है। बसों की हालत जो थी वह तो और भी खराब थी। जिस बस में मैं बैठा था, मेरे ऊपर खिड़की की शीशे टूटकर गिर गये। 40 किलोमीटर का किराया जो ले रहे थे बिल्कुल सुपर फास्ट ट्रेन की तरह ले रहे थे। इस कुम्भ ने एक झगड़ा भी पैदा कर दिया सार्वजनिक निर्माण मंत्री और मेला प्रभारी मंत्री में। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने 18 करोड़ के एक पुल के मामले में शर्त लगा दी कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया से सामग्री ली जाय, मेला प्रभारी मंत्री उसके लिए कहीं और सौदा किये थे। इस कुम्भ ने मंत्रिमंडल में आपस में वैमनस्य भी पैदा किया। मान्यवर, और खरीदारी में कमीशन बाजी हुई, पैसा बंटा। मेरा तो कहना है कि इसके लिए अनुपूरक मांगें आगे भी सत्र में आयेंगी और यहां तक अगली विधान सभा में भी इसकी अनुपूरक मांगें रखी जायेंगी। पहले कुम्भ के लिए व्यवस्था हुई 22 करोड़ रु0 फिर बढ़कर 32 करोड़ रु0, फिर 50 करोड़ रु0 हुई। अगले तीन वर्षों में यह डिमांड 80 करोड़ और फिर बढ़कर 1 अरब तक हो जायेगी।

आपकी व्यवस्था ने किसी यात्री को संगम तक नहीं पहुंचने दिया, किसी यात्री को बस पर आसानी से नहीं चढ़ने दिया बसों की हालत यह थी कि शीशे टूटकर गिर रहे थे। अगर आप पर कुम्भ का श्राप लग गया, तो आने वाले दिनों में उधर से तो जायेंगे ही, लेकिन शायद इधर भी न आ पायें। मैं तमाम अव्यवस्थाओं के लिए सरकार की घोर निन्दा करता हूं। करोड़ों श्रद्धालुओं को संगम में नहाने से वंचित किया गया। आपकी जिम्मेदारी थी कि श्रद्धालुजन संगम में स्नान करते। चाहे ग्रुप बनाकर 2-2 घंटे के लिए रास्ता खोलकर संगम पर स्नान कराते। आप अमेरिका के एक जर्नलिस्ट की चिट्ठी पढ़ने के लिए कह रहे थे। हमारे यहां 22 फ्रांसीसी लड़कियां आयीं कल वह मेरे क्षेत्र में भी गयी थी। मैंने पता लगाया कि यह यहां कैसे? पता लगा कि कुम्भ देखने आयी

थी आज जा रही है काठमांडू, काठमांडू से बनारस जायेंगी बनारस से दिल्ली होते हुए फिर वापस चली जायंगी । मेरा कहना है कि आने वाले तो बहुत आये। लेकिन, कितनी अव्यवस्था थी । गांव के फटे आदमी कर्जे लेकर जमीन गिरवीं रखकर जिस आशा अभिलाषा के साथ प्रयाग आये थे, आपकी व्यवस्था ने उनकी आशा अभिलाषा पर तुषारापात किया है। आप वाहवाही की बात करते हैं। मैं तो कुम्भ में की गयी व्यवस्था की निन्दा करता हूं।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी के खड़े होने पर)

श्री हरदेव–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कुम्भ ने प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है जो इन्तजाम थे, बहुत अच्छे इन्तजाम थे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरदेव जी बैठें, माननीय ईश्वर शरण विद्यार्थी को बुलाया है।

श्री हरदेव–

जो वहां पर व्यवस्था की गयी थी उसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है, आप लोगों को इसे बधाई देनी चाहिए। माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी जो अभी बात कह रहे थे, वह वहां गये ही नहीं थे।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने महाकुम्भ और प्रदूषण चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं पहले प्रदूषण के ऊपर बोलना चाहता हूं। हमारे साथी विधायक गोपाल दास जी प्रदूषण से घिरे हैं और उससे जूझ रहे हैं और उन्हें इससे छुड़ाने में सहयोग करना आवश्यक है। जहां तक प्रदूषण का मामला है, यह हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने एक संकल्प लिया है, गंगा की पवित्रता को बचाये रखने के लिये। इसके लिये उन्होंने अपनी अच्छी नीयत बनायी है और इस प्रदूषण को दूर करने के लिए अथक प्रयास करते हुये जो धनराशि मुहैया करायी जा सकती है, कराई है । इसी प्रकार हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे हिमालय की चोटी से पवित्र गंगा निकलती है, और आते-आते जहां यह रुकती है, वहीं प्रदूषण फैलता है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार और सेक्रेटरी बागला साहब उसकी पवित्रता को बनाये रखने के लिये हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, इलाहाबाद में जो इस नदी में प्रदूषण बढ़ा, उसके लिए हम सब लोग भी जिम्मेदार हैं। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि जहां इतना बड़ा महाकुम्भ मेला लग रहा हो, जहां हिन्दुस्तान के लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हों, वहां प्रदूषण बढ़ेगा, उसे समाप्त करना हम सबका दायित्व है, इस बात से हमको इन्कार नहीं करना चाहिये। इस मामले में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार रुचि ले रही है। इस महाकुम्भ मेले में जिन अधिकारियों को पवित्र होने का मौका मिला, अगर वह वहां भी भ्रष्टाचार करते हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन उन्होंने भली प्रकार नहीं किया, तो वह इस दोष से मुक्त

नहीं किये जायेंगे। मेरी इस सरकार के मंत्रि मंडल से और उच्चाधिकारियों से मांग है कि महाकुम्भ मेले में यदि कोई व्यक्ति दोषी है और सफलतापूर्वक काम सम्पन्न करने में असफल रहा (इस समय 5 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुए) हो, तो उसे अवश्य सजा मिलनी चाहिये। जो पैसा इस महाकुम्भ मेले में व्यवस्थाओं के लिये दिया गया, अगर उसका किसी अधिकारी ने दुरुपयोग किया है, तो मैं विश्वास दिला देता हूं कि इस नारायण दत्त तिवारी की सरकार में उसे छोड़ा नहीं जायगा।

अभी इस महाकुम्भ मेले के सम्बन्ध में माता प्रसाद पाण्डेय जी बोल रहे थे। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान के ही नहीं विश्व के पत्रकार वहां पहुंचे और बी0बी0सी0 लन्दन ने अपने प्रसारण में यह कहा था कि लाखों लोग इस मेले में मारे जायेंगे, लेकिन यह इस सरकार का सफल प्रयास रहा है कि इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुयी और इसी डर से इलाहाबाद के शहर के लोग पहले नहान में वहां नहाने नहीं पहुंचे क्योंकि उन्हें बी0बी0सी0 लन्दन के प्रसारण से भय व्याप्त हो गया था। लेकिन जब उन्होंने वहां की व्यवस्था देखी, तो वह सब लोग भी वहां दूसरे पर्व पर नहाने पहुंचे। इसके अलावा हिन्दुस्तान के लाखों लोगों ने कोने-कोने से आकर स्नान किया। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने मेले में आने-जाने में इसलिए कड़ाई बरती, ताकि कोई अप्रिय दुर्घटना न हो जाये, इस हेतु सरकार की ओर से मंत्रियों को भी वहां जाने पर रोक लगायी गयी थी। ऐसी कौन सी सरकार हो सकती है, जो अपने मंत्रियों पर ही प्रतिबंध लगाये। इन्हीं सब कारणों से वी0 आई0 पी0 लोगों को पास नहीं ईश्यू किया गया। महाकुम्भ में गड़बड़ियां भी हो सकती हैं, और हुयी भी। यह अवश्य है कि इस महाकुम्भ मेले में स्वास्थ्य विभाग के सफाई मजदूरों की अधिकारियों की ओर से लापरवाही की गयी है और सफाई मजदूरों का उत्पीड़न किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत है, परन्तु जो हमारे प्रदेश के उच्चाधिकारी हैं, वे बराबर प्रयास करते रहे हैं कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने गड़बड़ी की है, उनको हटाया है और ट्रान्सफर किया है जन प्रतिनिधियों के कहने में। बीच-बीच में वह यह काम भी किया करते थे। हरिद्वार का कुम्भ आपने देखा होगा, और जगह पर भी कुम्भ देखा होगा किन्तु यह जो कुम्भ हो रहा है, यह उससे कई गुना बड़ा है। यह महा कुम्भ है। इस महाकुम्भ के सफल आयोजन के लिए आपको हमारी सरकार को बधाई देनी चाहिए। जहां यह कहा जा रहा था कि इस कुम्भ में कोई न कोई अप्रिय घटना होगी, किन्तु श्री नारायण दत्त जी की सरकार ने उसे सफलता के साथ निष्पादित्त किया, यह एक सौभाग्य की बात है। विरोध पक्ष के भाईयों को कुछ न कुछ तो कहना ही होता है, वह उन्होंने कह दिया। पी0डब्लू0डी0 पर कुछ छींटा कसी हो रही थी। मैं बताना चाहता हूं कि जब श्री अम्मार रिजवी साहब अधिकारियों को बुलाकर बैठक कर रहे थे और पत्रकार सम्मेलन भी कर रहे थे, तो पत्रकार उनसे प्रश्न पूछते थे, बैठ करके बीच में ही कि फला चेक प्लेट कम सूत का गेज है, और जो पुल में पीपे लगाये जा रहे हैं सरकार के मानक में चद्दरा पतला है तब उन्होंने कहा था कि आप स्वयं जाकर देखें कि कहां कमी है नपवा कर और मुझे बतायें। इतनी सफलता से काम किया गया है। विद्युत विभाग का कार्य भी बहुत अच्छा रहा। जो व्यवस्था कुम्भ के समय में थी, वह बहुत ही सराहनीय थी। जहां छोटे स्थानों पर विद्युत गड़बड़िया हैं वही सफल विद्युत मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह को सूझ-बूझ से अनोखी व्यवस्था रही।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, दोनों पक्षों के सदस्य बोलना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी को उत्तर भी देना है, इसलिए इसका समय और बढ़ा दें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

इस महाकुम्भ के अवसर पर जो कमजोर वर्ग की संस्थायें थी जो महाकुम्भ मेले में अपना शिविर लगाया करती थी, उनके साथ न्याय नहीं किया गया है। जातिगत आधार पर उनको शिविर लगाने की इजाजत नहीं दी गई, इसकी जांच अवश्य की जाय कि ऐसा क्यों किया गया जातिगत आधार पर कुछ शिविर लगाने की इजाजत दी गई है। एक संस्था जो मजबूत वर्ग के हैं जिसे कानून व्यवस्था का लाभ नहीं मिलता है। ब्राह्मण संस्था को जातिगत आधार पर अदालत के आदेश पर शिविर लगाने दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कमजोर वर्ग की स्वयं सेवी संस्थायें, जो किसी का सहारा नहीं ले पा रही हैं, कानून भी उन्हें सहारा उनके लिए नहीं देता क्या व्यवस्था हो रही है? जो भी जिम्मेदार अधिकारी हों जांच कराकर उनके लिये दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह प्रदेश सरकार के लिये कलंक की बात है। ऐसे अधिकारी देशद्रोही हैं राष्ट्रद्रोही हैं और उनके साथ वैसा ही सलूक होना चाहिए। जयहिन्द।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

मान्यवर, आज सदन में कुम्भ मेले और प्रदूषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने भी कुछ जानकारी के बारे में जवाबदेही की। जिस तरह से मेले की तैयारी शुरू हुई 86 से, सरकार के लोग और नगर विकास के अधिकारियों ने कहना शुरू कर दिया कि आने वाले समय में डेढ़ करोड़ आदमी आयेंगे। इसके बाद 6 फरवरी तक इनके वही आंकड़े चलते रहे। मेरी समझ में नहीं आता है कि किस कम्प्यूटर से किस मशीन से पता लगा कि आने वाले समय में डेढ़ करोड़ आदमी आयेंगे? अभी माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कहा कि प्रदेश की तमाम बसें खाली चली आयी, 5-6 तारीख को रेल विभाग के टिकट बिके हैं 37 लाख रु0 के। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि संगम में तो शायद डेढ़-दो लाख लोगों ने स्नान कर लिया हो तो कर लिया हो, लेकिन केवल प्रशासन के इन्तजाम कर देने से इन्तजाम नहीं हुआ चूंकि एक टापू बन गया इसलिये थोड़े से लोगों को जगह मिल पायी, जहां पर केवल 50-60 लाख आदमी ही आया। उनका अपना इन्तजाम, जब किसी शहर में 50-60 हजार की रैली होती है, तो इन्तजाम नहीं कर पाते हैं, इन्होंने प्रशासन के अधिकारियों का इन्तजाम किया, जो वहां आये थे, सरकारी विभाग के लोगों का इन्तजाम किया, जो वहां पर आये हुए थे। जो यात्री आये, वे बालू में बाहर पड़े रहे, सड़कों पर पड़े रहे। तम्बू और कनात में नहीं। केवल 85 हजार लोग तम्बू और कनात में रहे।

सबसे खराब स्थिति अगर किसी की रही तो कल्पवासियों की रही है। इनके लिये दिन भर पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पायी। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयाग में लगा था और सरकार ने सारा इन्तजाम कर दिया, तो माननीय मंत्री जी आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, आपके पास इलाहाबाद के तमाम विधायक हैं, उनसे पूछ लीजिये। करीब एक साल पहले इसी कुम्भ मेले की समाप्ति के बाद आचार्य पाण्डु रंग शास्त्री ने लाखों लोगों को इकट्ठा कर दिया था,

एक भी सिपाही आपके यहां से नहीं लिया था न तो सड़क बनवाने के लिये और न बिजली बनवाने के लिये। मेरी चुनौती है आपको इस जवाब के सिलसिले में अगर एक भी सरकारी कर्मचारी उस 50 लाख के आदमियों के लिये लिया हो आप अपने विधायकों से पूछ सकते हैं। आप आधी जानकारी के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं।

मेले में तमाम धांधली और घोटाले के लिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब बजट रखा था, उसमें कहा कि 55 करोड़ रुपया मेले पर खर्च किया जा रहा है। यह सच है कि लाखों रुपया मेले के लिये दे दिया गया लेकिन इसी सदन में हम एक-एक हैण्डपम्प और एक-एक स्कूल के लिये लड़ाई लड़ते हैं। एक-एक नलकूप के लिये लड़ते रहते हैं कि प्रदेश के कोने-कोने में इसकी सुविधा मिलनी चाहिये, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि उसके लिये बजट से पैसा आवंटित नहीं हो पाता है। हमें कहना चाहते हैं कि 55 करोड़ रु0 उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा और 25 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार के द्वारा मिला है जिसमें से केवल 25 या 30 करोड़ रुपया ही खर्चा हुआ है और बाकी सब अधिकारियों के जेबों में गया है या फिर आने वाले चुनाव की तैयारी के लिये उसे बचाने की कोशिश की गयी है।

माननीय मंत्री जी, चाहे नगर विकास का विभाग हो या चाहे जल निगम हो, साढ़े छः लाख रुपया खर्च करके वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने और अधिशासी अभियन्ता ने अपने रहने के लिये निवास स्थान बनवाया जिसमें बड़े-बड़े मारबल लगाये गये, बहुत ज्यादा खर्च उस पर किया गया, फ्लश का लैट्रिन बनाया गया। जब इसका बहुत विरोध हुआ तो फिर उसे तुड़वाने का काम किया गया। जब नगर विकास के इंजीनियर के विरुद्ध लोगों ने शिकायत की और कहा गया कि बगैर टेण्डर के लाखों रुपये का काम करवा दिया था। वहां की व्यवस्था अपने आप जिस तरह से निकली, वह हुई, इसके लिये कोई इन्तजाम नहीं किया गया।

एक चीज और बतलाना चाहता हूं कि अभी उधर के माननीय सदस्य बड़ी तेजी से बोल रहे थे कि यह हम लोगों के जिले का मामला है, आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे थे कि मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में कितना आयोजन सफल रहा तो इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहता हूं कि आपकी कैबिनेट के ही दो मंत्रियों ने मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशों की अवहेलना करके मुख्य पर्व के दिन वहां पर नहाया और आप कहते हैं कि मा0 नारायण दत्त तिवारी की सरकार व्यवस्था में सफल रही जबकि उनके ही मंत्री उनकी बात को नहीं मानते हैं?

वहां पर इलाहाबाद के निवासियों का कहना यह भी है कि डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी भी उस दिन वहां नहाने के लिए गयी थीं। यह तो आप लोगों का दुर्भाग्य है, लेकिन हां, हम लोगों का सौभाग्य है कि कम से कम जो आप जानकारी दे रहे हैं वह पता नहीं किस आधार पर है, आप सच नहीं बोल रहे हैं। एक मंत्री जी जो कि वहां पर नहाने के लिए गये थे, उनका बेटा डूबते-डूबते बचा लेकिन उसके साथ दो कर्मचारियों की डूब कर वहीं मौत हो गयी।

यह ठीक है कि वी0 आई0 पी0 घाट पर इन्तजाम जरूर सुनिश्चित कर रखा गया था। बड़े-बड़े अफसर लोगों के लिए आपने जरूर इन्तजाम किया हुआ था, शेष इन्तजाम के नाम पर आपने रुपया बचाया है। आपने लोगों को नहीं बचाया है, आप तो केवल यही

चाहते रहे कि जो लोग आये हैं किसी तरह से यहां से चले जांय, चाहे नहायें या न नहायें, बस चले जायं ।

सबसे बड़ी तो दुख की बात यह है कि शासन इस पर चिन्तित नहीं था कि वह सुरक्षापूर्वक नहा लें, बल्कि चिन्तित इस बात से था कि यह सुरक्षित लौट जाय चाहे स्नान कर पावें या न कर पावें ।

मान्यवर, कनात के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि एक प्रभारी द्वारा कनात का टेण्डर लिया गया उसके सम्बन्ध में बतला रहा हूं कि 28 दिसम्बर को हम लोगों के सामने माननीय लोकपति त्रिपाठी जी जो कि प्रभारी भी थे, वहां थे और 5-6 विधायक उनसे मिलने गये थे । हम लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी आशंका प्रकट की थी कि इसमें बहुत घोटाला होगा । मान्यवर, जिस टेण्डर वाले का 60 फीसदी कम टेण्डर था उससे अपर प्रभारी ने कहा कि तुमने बहुत घटिया काम किया है, तुमको जेल भेज दिया जायेगा । लेकिन थोड़ी देर के बाद प्रभारी अधिकारी उसको गाड़ी में बैठा कर ले गये और लौट कर आये तब उसको टेण्डर पास कर दिया गया । इस तरह से लाखों रुपये का घोटाला किया गया । हमारा दुर्भाग्य है कि आपको इस सबकी जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपको यह तथ्यों के आधार पर बतला रहा हूं । आप जरा हमें सुनिये और ऐसी स्थिति में मुझे याद है कि जब प्रभारी की नियुक्ति हो रही थी तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आब्जेक्शन लगाया था कि आई0 ए0 एस0 को भेजना है वहां, लेकिन दुर्भाग्य से वहां पर पी0 सी0 एस0 अधिकारी जो काफी जूनियर था और भ्रष्ट भी, उसे भेजा गया, जिसने करोड़ों रुपयों का घपला अपने दामाद व अन्य घर के लोगों के नाम ठेके देकर किया ।

दूसरे मान्यवर, बिजली से सम्बन्धित घटना के बारे में माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया और यह भी कहा कि वह घटना एक साट-सर्किट की वजह से हो गयी, जिसकी वजह से श्री रामकृष्ण मठ और श्री शंकराचार्य अखाड़ा आदि जल गए, मान्यवर, स्थिति कुछ और ही है, इससे पहले भी बिजली के अभियंता से इन अधिकारियों से लड़ाई हो गयी थी, जिसमें मान्यवर, बिजली की सप्लाई आदि बंद कर दी थी, इस मामले में छानबीन की आवश्यकता है कि यह घटना किस रूप में घटी है ।

दूसरे मान्यवर, माननीय मंत्री जी की ओर से कहा गया कि विदेशी महमानों के लिए भी विशेषतौर से इंतजाम किया गया था, मान्यवर, इसी सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि मान्यवर वहां पर एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार किया गया और साथ ही एक मृतक औरत का शव भी किसी मठ के अंदर पाया गया, इस प्रकार के कुकृत्य भी हुए और जिन लोगों ने इन कृत्यों को किया मान्यवर, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है । साथ ही मान्यवर मैं यह भी दुखद सूचना के तौर पर बताना चाहूंगा कि एक महान शंकराचार्य को स्नान करने का मौका नहीं मिल सव जिस पर उन्होंने वहां पर पहुंच कर अपनी चिट्ठी द्वारा सूचित किया । यह मान्यवर, बड़ी ही गम्भीर बात है, यह ऐसे शंकराचार्य हैं, जिनके आगे बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ जैसे नेहरू जी व अन्य बड़े-बड़े इनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते थे, को संगम पर स्नान करने का अवसर नहीं दिया गया, जो बड़े ही क्षोभ की बात है और यह कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा इंतजाम किया था ।

मान्यवर इन तमाम मामलों और घपलों के जांच के लिए एक सदन की कमेटी बनायी जानी चाहिए बिड़ला व पोद्दार आदि के मामलों पर 60 व 70 लाख रु0 का घपला किया गया है, जो इनकी जांच कर अपनी रिपोर्ट यहां प्रस्तुत करे क्योंकि हमारे प्रदेश के लाखों गरीबों का, किसानों का, इस गरीब प्रदेश की गरीब जनता का करोड़ों रुपया इन अधिकारियों और कमीशन खोरों के द्वारा घपले में जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया विराजें, काफी समय हो गया है आपका ।

(शोर)

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने कहा कि 6 के स्थान 4 जगह स्टील को लगाया गया है और जो पैन्ट्रन पम्प लगाए गये हैं, उनमें भी गड़बड़ी हो रही है और जब इस बारे में संबंधित अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह कार्य तो हमने एक निगम को दे दिया था । मान्यवर आज प्रदेश के तमाम निगमों में घाटा हो रहा है करोड़ों का, इन घाटों को पूरा करने के लिए लाखों रुपयों का कमीशन तय हुआ है । यह मान्यवर, मेरा खुला हुआ आरोप है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय त्रिपाठी जी, आप अपना वक्त बाद में ले लीजिएगा लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जिस स्टील एथारिटी आफ इण्डिया की बात आप कर रहे हैं, वह उत्तर प्रदेश का निगम नहीं है, बल्कि वह भारत सरकार का निगम है ।

(शोर)

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, अंत में मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस प्रकार के गम्भीर मामलों की जांच के लिए इस सदन की एक कमेटी बना दी जाए, जिससे करोड़ों रुपये की हुई गड़बड़ी की जांच कर, शासन द्वारा किये गये कुकृत्यों का भी पर्दाफास हो सके।

(शोर)

*श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, महा कुम्भ मेले को लेकर इस सदन के अन्दर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने की जो इजाजत आपने दी, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, इस कुम्भ के सम्बन्ध में मैंने बहुत रुचि रखी है और अखबारों में, टेलीविजन में और रेडियों में बराबर सुनता रहा हूं कि जो आयोजन है वह कैसे हो रहा है । मान्यवर, 1954 में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था और इत्तिफाक से जिस धर्म में जो पैदा होता है, उस धर्म में उसकी रुचि होती है। तो 1954 में एक बहुत बड़ा कुम्भ हुआ था और धार्मिक भावना से प्रेरित होकर मैंने और मेरे अन्य साथियों ने निश्चत किया कि हम भी उस कुम्भ में स्नान के लिए जायेंगे । पहले दिन तक कुम्भ में जो इन्तजाम था, उसकी अखबारों में बड़ी तारीफ की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कैम्प लगा हुआ था मेला क्षेत्र में, वहां पर मैं कपड़ा उतार कर और थोड़े कपड़े लेकर संगम की ओर गया तो वहां पर इतनी जबरदस्त भगदड़ मची कि हजारों लोग कुचल गये और मर गये जो मेला बहुत प्रसिद्ध था, जिसकी तारीफ की जा रही थी वह रातों रात श्मशान घाट बन गया, लेकिन मैं समझता हूं कि इतने बड़े कुम्भ के मेले में जहां पर हजारों और करोड़ों लोग आ रहे हों, कोई दिक्कत या दुर्घटना न हो जाये, जैसी कि 1954 में हुई थी ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया और सारे विश्व के लोग जानते हैं कि विश्व के इतिहास में एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा नहीं हुए जितने इस महाकुम्भ में प्रयागराज में जमा हुए और लोगों ने स्नान किया और सर्वत्र तारीफ हुई। मैं शासन को, माननीय मुख्य मंत्री जी को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कुम्भ मेले का प्रबन्ध किया, जिन्होंने इसका आयोजन किया चाहे वह पुलिस के लोग हों अधिकारी हों कर्मचारी हों और चाहे स्वयं सेवी हों, हम उनको धन्यवाद देते हैं और उन की प्रशंसा करते हैं । उन्होंने इसकी व्यवस्था की और हमारे प्रदेश में महा कुम्भ सम्पन्न हुआ तो छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि यह काम बड़ी अच्छी तरह से गुजरा और कोई दुर्घटना नहीं हुई जिसके लिए हम किसी को दोष कैसे दे सकते हैं? हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्य उसमें दोष निकाल कर अपना राजनैतिक लाभ लेना चाहते हैं । वह जानते हैं कि इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा और जो राजनैतिक लाभ मिलेगा उसको कम करने के लिए वह ऐसा कह रहे हैं, अन्यथा इनको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए । जब कोई बड़ा काम होता है, तो उसमें कोई न कोई गलती हो जाती है । हम रात दिन काम करते हैं, क्या उनसे हम संतुष्ट होते हैं ? चाहते हुये भी हम पूरे काम नहीं कर पाते हैं । अगर इतने बड़े काम में कोई कमी रह जाती है तो वह स्वाभाविक है । तो इन सभी बातों को देखते हुए निरर्थक आलोचना से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा । इन शब्दों के साथ मैं शासन और कर्मचारियों की जिन्होंने इतने बड़े महा कुम्भ मेले में अच्छा प्रबन्ध किया और कोई दुर्घटना नहीं घटी, उनकी प्रशंसा करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया ।

सदन में कोरम का अभाव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, इस समय सदन में कोरम का अभाव है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

यह जिम्मेदारी तो आपकी है ।

श्री अधिष्ठाता–

कोरम के लिए घंटी बजायी जाय ।

(सदन में गणपूर्ति के लिए घंटी बजायी गई ।)

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय सदस्य ईश्वर शरण विद्यार्थी को यह ज्ञान नहीं है कि इस सदन की यह परम्परा रही है कि ऐसी चर्चाओं में कोरम की बात नहीं उठायी जाती । इन लोगों को यही शिक्षा दे दी जाय । कल से हम भी नियम 56 के तहत सदन को चलने नहीं देंगे . . .

श्री अधिष्ठाता–

जब तक कोरम के लिए घन्टी बज रही है, तब तक कोई बात नहीं लिखी जायेगी। कोरम की पूर्ति हो जाय उसके बाद ही अपने विचार व्यक्त करें। कोरम के लिए घंटी बज रही है ।

सार्वजनिक निर्माण एवं ससदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय विद्यार्थी जी, अपने प्रश्न को वापस लेने के लिए तैयार हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब तो कोरम का प्रश्न उठ गया है । जब तक कोरम नहीं होगा उस समय तक कोई कार्यवाही आगे नहीं चलेगी ।

(कोरम के लिए घंटी बजती रही और सर्व श्री सूर्य प्रताप शाही, गोपाल दास यादव, अनुग्रह नारायण सिंह खड़े होकर बोलते रहे ।)

5 मिनट हो गये हैं और अभी कोरम पूरा नहीं हुआ है । इसीलिए कोरम के अभाव में हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
21 फरवरी, 1989

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

संलग्नक

जनपदों को परिव्यय आवंटन हेतु उपयोग किये जा रहे मानक

(अ) मैदानी क्षेत्र

सूचकांक	प्रतिशत भाग
1--कुल जनसंख्या	50
2--अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या	5
3--सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10
4--कृषि उत्पादन में पिछड़ापन	5
5--औद्योगिक पिछड़ापन	5
6--सड़कों में पिछड़ापन	5
7--विद्युतीकृत ग्रामों में पिछड़ापन	5
8--अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या में पिछड़ापन	5
9--पेयजल अभावग्रस्त गांव	5
योग	95

(परिव्यय के शेष भाग को जनपदों की विशेष समस्याओं, उनके द्वारा जुटाये गये संसाधन अथवा शुरुआत में उत्पन्न होने वाली "असंगतियों" को दूर करने के निमित्त आरक्षित किये जाने का प्राविधान है)

(ब) पर्वतीय क्षेत्र

सूचकांक	प्रतिशत भाग
1--कुल जनसंख्या	50
2--अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या	5
3--सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10
4--कृषि उत्पादन में पिछड़ापन	5
5--औद्योगिक पिछड़ापन	5
6--विद्युतीकृत ग्रामों में पिछड़ापन	5
7--अस्पतालों की शैय्याओं की संख्या में पिछड़ापन	5
8--पेयजल अभावग्रस्त ग्राम	5
9--भौगोलिक क्षेत्रफल	5
10--इफैक्टिव फारेस्ट कवर	5
योग	100

अवैध प्रतिलिपि सूचना

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 67 का उत्तर पीछे पृष्ठ 57 पर)

जुलाई,/अगस्त 1988 में माननीय मुख्य मन्त्री जी तथा उनके मंत्रि मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रदेश के बाहर बिताये गये दिनों की संख्या तथा उसमें व्यय सरकारी धनराशि का विवरण:—

क्रम-संख्या	माननीय मंत्री का नाम	प्रदेश के बाहर बिताये गये दिनों की संख्या	वास्तविक फुटकर खर्च	सर्विस प्लेन किराया	रेलवे अधियाचन	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री नारायन दत्त तिवारी, मुख्य मंत्री ..	12	1300.00	—	—	1300.00
2	श्री लोकपति त्रिपाठी, मंत्री ..	4	2900.00	2845.00	5610.00	11355.00
3	श्री सईदुल हसन, मंत्री	15	9750.00	1740.00	918.00	12408.00
4	श्री नरेन्द्र सिंह, मंत्री	20	11870.00	7430.00	5666.00	24966.00
5	श्री अजीत प्रताप सिंह, मंत्री	2	450.00	870.00	1018.00	2338.00
6	श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, मंत्री ..	4	600.00	870.00	1804.00	3274.00
7	श्री गोपीनाथ दीक्षित, मंत्री	11	9446.00	2610.00	9966.00	22022.00
8	श्री श्यामसूरत उपाध्याय, मंत्री ..	6	2200.00	680.00	5510.00	8390.00
9	श्रीमती बेनी बाई, मंत्री	4	2000.00	2140.00	3038.00	7178.00
10	श्री अरुण कुमार सिंह, मंत्री	18	8000.00	3880.00	10174.00	22054.00
11	श्री रघुबीर सिंह यादव, मंत्री	4	1200.00	—	2000.00	3200.00
12	श्री अम्मार रिजवी, मंत्री	13	6278.00	3480.00	6252.00	16010.00
13	श्रीमती सुशीला रोहतगी, मंत्री ..	11	19575.00	23318.00	9685.00	52578.00
14	श्री हुकुम सिंह, मंत्री	11	2475.00	2175.00	6098.00	10748.00
15	श्री कृष्ण वीर सिंह कौशल, मंत्री ..	7	2420.00	2610.00	1012.00	6042.00
16	श्री बल्देव सिंह आर्य, मंत्री	5	1530.00	—	2176.00	3706.00
17	श्री माता प्रसाद, मंत्री	2	3500.00	—	2086.00	5586.00

1	2	3	4	5	6	7
18	श्री राम औतार दीक्षित, राज्यमंत्री ..	2	500.00	—	1088.00	1588.00
19	श्री चेतराम गंगवार, राज्य मंत्री ..	4	1945.00	—	4072.00	6017.00
20	श्री सीताराम निषाद, राज्य मंत्री ..	3	620.00	—	4672.00	5292.00
21	श्री जगदम्बिका पाल, राज्य मंत्री	8	7100.00	6090.00	936.00	14126.00
22	श्री कोकब हमीद, राज्य मंत्री	7	4000.00	870.00	5190.00	10060.00
23	श्री मुईद अहमद, राज्य मंत्री	3	1200.00	870.00	2036.00	4106.00
24	श्री अजीत सिंह सेठी, राज्य मंत्री ...	8	2086.00	2000.00	734.00	4820.00
25	श्री बृजेन्द्र पाल सिंह, राज्य मंत्री ..	4	2100.00	—	2176.00	4276.00
26	श्री बिहारी लाल दोहरे, राज्य मंत्री ..	5	2400.00	—	3264.00	5664.00
27	श्री समरपाल सिंह, राज्य मंत्री ..	2	250.00	435.00	—	685.00
28	श्री संकठा प्रसाद शास्त्री, राज्य मंत्री ..	2	—	—	580.00	580.00
29	श्री नरेश चन्द्र, राज्य मंत्री	5	1586.00	4350.00	—	5936.00
30	श्री सईदुज्जमा, राज्य मंत्री	6	1625.00	1910.00	2084.00	5619.00
31	श्रीमती दीपा कौल, राज्य मंत्री ..	10	3600.00	2165.00	8032.00	13797.00
32	श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा, राज्य मंत्री ..	2	942.00	—	1976.00	2918.00
33	श्री श्रीनाथ सिंह, राज्य मंत्री	4	1200.00	—	1850.00	3050.00
34	श्री गुलाब सिंह, राज्य मंत्री	9	2120.00	870.00	2898.00	5888.00
35	श्री शिव बालक पासी, राज्य मंत्री ..	4	1723.00	1680.00	—	3403.00
36	श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, राज्य मंत्री ..	4	1518.00	—	4940.00	6458.00
37	श्री ओम प्रकाश रिछारिया, राज्य मंत्री ..	5	2670.00	—	1088.00	3758.00
38	श्रीमती प्रमिला बद्धवार शेहरा, उप मंत्री ..	5	640.00	—	—	640.00
39	श्रीमती रीना कुमारी, उप मंत्री	4	360.00	—	1976.00	2336.00
40	श्री निसार हुसैन, उप मंत्री	2	80.00	435.00	—	515.00
41	श्रीमती हितेष कुमारी, उप मंत्री ..	2	—	—	911.00	911.00
42	श्री शैलेन्द्र कुमार, उप मंत्री	1	—	—	1212.00	1212.00
	महायोग		125759.00	76323.00	124728.00	326810.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 73 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1989 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित श्री राकेश धर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–73 के उत्तर का संलग्नक ।

क्रमांक	रिट याचिका संख्या एवं पक्षों के नाम
1	2
	(क) उच्चतम न्यायालय में लम्बित
(1)	अपील संख्या 2450/1980 — उत्तर प्रदेश सरकार बनाम मो0 वसीम सिद्दीकी तथा अन्य
(2)	अपील संख्या 245/1980 — उत्तर प्रदेश सरकार बनाम रईस अहमद सिद्दीकी तथा अन्य
(3)	अपील संख्या 2422/1980 — उत्तर प्रदेश सरकार बनाम कुलदीप सिंह तथा अन्य
	(ख) उच्च न्यायालय में लम्बित
	रिट याचिकायें
1	रिट याचिका संख्या–6432/85 — विजय पाल सिंह त्यागी तथा अन्य बनाम लोक सेवा आयोग तथा सरकार
2	रिट याचिका संख्या–5434/85 — राम जी सहाय बनाम उ0 प्र0 शासन
3	रिट याचिका संख्या–3058/86 — जगदीश प्रसाद अवस्थी बनाम उ0 प्र0 सरकार तथा अन्य
4	रिट याचिका संख्या–1880/86 — जे0 सी0 राबिन्सन तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
5	रिट याचिका संख्या–2179/86 — उत्तर प्रदेश सचिवालय टंकक एवं अवर वर्ग सहायक संघ बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य।
	(ग) लोक सेवा अधिकरण में लम्बित मामले
1	221/से-के. एम- 3/88 — आनन्द भषण गौड़ बनाम उत्तर प्रदेश सरकार।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 145 का उत्तर पीछे पृष्ठ 89 पर)

संलग्नक

सर्वश्री

1--आर0 पी0 मिहर
2--ज्वाला नाथ रैना
3--संतोष कुमार
4--सर्वदमन वर्मा
5--कृष्ण देव त्रिपाठी
6--चन्द्र किरण सिंह
7--बहादुर राम
8--बाबू लाल राठौर
9--आनन्द स्वरूप
10--विश्वनाथ उपाध्याय
11--आद्या प्रसाद मिश्रा
12--यशपाल सिंह
13--शिव प्रकाश
14--आर0एस0 विश्वकर्मा
15--के0 एन0 अग्रवाल
16--मुक्तिनाथ मिश्रा
17--माता प्रसाद श्रीवास्तव
18--जमालुद्दीन खां
19--ओम नारायण
20--सोमेश्वर दयाल
21--हवलदार सिंह
22--लाल जी
23--रणजीत कुमार श्रीवास्तव
24--शिवानन्द गिरि
25--जे0 के0 नाटू
26--राजेन्द्र कुमार वर्मा
27--विमल प्रकाश
28--नन्द नन्दन थपलियाल
29--राम पाल शुक्ला
30--ब्रह्मादीन दोहरे
31--राम केश
32--जगदेव प्रसाद
33--जगन्नाथ प्रसाद
34--गोचोधर प्रसाद।

पी0एस0 यू0पी0-एल 14 वि0 सभा (26)-1989-313

उत्तर प्रदेश विधान सभा